Friday, 27th February, 1987

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 24, आठवां सत्र, 1987/1908 (शक)

अंक 4, शुक्रवार, 27 फरवरी, 1987/8 फाल्गुन 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
पोलैंड के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या : 42, 43, 46 से 48, 50, 52 और 54	2—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 41, 44, 45, 49, 51, 53 और 55 से 60	23—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 458, से 482, 484 से 587 और 589 से 646	33—157
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	159—167
प्राक्कलन समिति	168
पूर्ति विभाग—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय—के संबंध में चौथे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में विवरण	
सभा का कार्य	
समिति के लिए निर्वाचन राजभाषा समिति	169—174
समिति के लिए निर्वाचन	
चाय बोर्ड	174
रेल विधेयक	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	175
सिने-कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	175—176
संविधान (छप्पनवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	176

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	276—208
डा० गौरी शंकर राजहंस	176—179
श्री सी० माधव रेड्डी	179—191
श्री सोमनाथ रथ	191—194
श्री पी० शिवशंकर	194—200
श्री राम बहादुर सिंह	200—204
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	204—208
विधेयक—पुरःस्थापित	
(1) विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक (धारा 9 में संशोधन)	
श्री सैयद शाहबुद्दीन	208
(2) रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक (धारा 2 में संशोधन, आदि)	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	208
(3) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा 309 का अंतःस्थापन)	
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	209
(4) चलचित्र फिल्म (वितरण) विधेयक	
श्री के० राममूर्ति	209
(5) नागरिक कल्याण विधेयक	
श्री जी० एस० बासवराजु	210
(6) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय 5 ख का अन्तःस्थापन)	
श्री के० राममूर्ति	210
भारतीय बाढ़-नियन्त्रण प्राधिकरण विधेयक	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	210—230
श्री गिरधारी लाल व्यास	211—214
श्री ए० सी० वष्मुख	214—218

श्रीमती जयन्ती पटनायक 218—221
श्री राम नगीना मिश्र 222—224
श्री बी० शंकरानन्द 224—229
डा० सी० एस० वर्मा (विधेयक वापस लिया) 229—231

श्री एच० एन० नन्जे गौडा का
राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक 231—246
(धारा 2 में संशोधन, आदि)
विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री एच० एन० नन्जे गौडा 231—236
श्री शरद दिघे 236—239
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 239—242
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 242—244
डा० एस० जगतरक्षकन 244—246

लोक-सभा

शुक्रवार, 27 फरवरी, 1987/8 फाल्गुन, 1908 (शक)

लोक-सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पोलैंड के शिष्ट मंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मुझे सबसे पहले एक घोषणा करनी है।

मुझे, अपनी ओर से, तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से पोलैंड जनवादी गणराज्य के मार्शल आफ दि सेज्म महामहिम रोमन मेलीनौव्सकी तथा पोलैंड संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का, जो कि हमारे माननीय अतिथि के रूप में भारत यात्रा पर आए हैं, स्वागत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

शिष्ट मंडल के अन्य माननीय सदस्य हैं :

(1) श्री मार्क वीइकजोरेक, वाइस मार्शल आफ दि सेज्म

(2) श्री जीसला बालीकी

(3) श्री बोगदन क्रोलेस्की

(4) श्रीमती जोजेफ ए० मतिनकोस्वा

(5) श्रीमती एरेना स्जीगल्स्का

(6) श्री जोसेफ केल्ब

यह शिष्टमंडल 26 फरवरी, 1987 की सुबह दिल्ली पहुंचा। अब वे विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि उनकी भारत यात्रा शुभ और लाभप्रद रहे। उनके माध्यम से हम पोलैंड के राष्ट्रपति, संसद, सरकार और पोलैंड जनवादी गणराज्य के मित्र लोगों को अपना अभिनंदन एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : हम उनके प्रति सामैक्य की भावना व्यक्त करते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनवईवेलू : महोदय, मैं पीठाध्यक्ष जी सं० प्रश्न संख्या 44 के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं जो गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता सुभाष घीसिंग के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि सदन में ऐसे प्रश्नों की अनुमति किस प्रकार दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जांच करूंगा।

श्री पी० कुलनवई वेलू : वह सदन के सदस्य नहीं हैं। किन्तु उनके नाम का उल्लेख प्रश्न में किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा।

श्री पी० कुलनवईवेलू : स्पष्ट रूप से यह संकेत किया गया है कि यह एक अलगाववादी आंदोलन है। क्या आप सदन में ऐसे प्रश्नों के लिए अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं जांच करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : केवल उनका विवरण दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जी० मूपति।
श्री सोमनाथ रथ।

उड़ीसा के दक्षिणी भाग में पर्यटक काम्प्लेक्स

42. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के दक्षिणी भाग में पर्यटकों के आकर्षण के अनेक उपयुक्त स्थलों के विद्यमान होने को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक पर्यटक काम्पलैक्स स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : उड़ीसा के दक्षिणी भाग में निम्नलिखित पर्यटन विकास स्कीमें अनुमोदित की जा चुकी हैं/विचाराधीन हैं :

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	चिल्का झील के लिए नौकाओं की खरीद	1983-84	2·00	1·80
2.	चिल्का नौका दौड़	1983-84	2·14	2·14
3.	चिल्का झील की मास्टर प्लान	1984-85	8·25	2·00

1	2	3	4	5
4.	चिल्का झील के लिए याट की खरीद	1985-86	3·54	3·54
5.	तप्त पानी में मार्गस्थ सुख-सुविधायें	1986-87	6·98	5·00
6	सूनाबेड़ा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1986-87	6·98	5 00
7.	चिल्का झील में जल क्रीड़ाएं	1986-87	विचाराधीन	
8.	गोपालपुर समुद्रतट विहार-स्थल	1987-88	विचाराधीन	
9.	महेन्द्रगिरि ट्रेकिंग वेस	1987-88	विचाराधीन	

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय राष्ट्रपति के अभिभाषण में पर्यटन को विशेष महत्व दिया गया है । माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि अंतिम तीन मदों अर्थात् चिल्का झील में जल क्रीडाएं 'गोपालपुर समुद्र तट विहार स्थल' तथा महेन्द्रगिरी ट्रेकिंग बेस, के बारे में मामला अभी विचाराधीन हैं। इन सभी का कार्यान्वयन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि उड़ीसा के दक्षिणी भाग में, विशेषकर गंजम जिला, जौगढ़ा (वैक्स फोर्ट) तथा अन्य स्थानों में बागुडा क्षेत्र, भंजानगर में कृत्रिम झील तथा फूलबानी जिले और फोरेस्ट. नर्सरी में 5 पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर कलिंगा में दुर्लभ जाति के काले हिरण (ब्लैकबक) सड़कों के किनारे निर्भीकता से घूमते रहते हैं । इन सभी क्षेत्रों में सुन्दर पहाड़ तथा पुराने स्मारक आदि हैं । क्या मंत्री महोदय फूलबानी जिले में चिल्का से कलिंगा तथा इन सभी स्थानों पर पर्यटन प्रयोजनों हेतु यहां एक काम्प्लैक्स बनाने पर विचार करेंगे ।

मुफ्ती मोहम्मद सईद : उड़ीसा में कुल 16 योजनाओं पर कार्य चल रहा है । जहां तक गोपालपुर समुद्र तट बिहार स्थल' तथा चिल्का झील पर अन्य सुविधाओं का संबंध है, राज्य सरकार ने परियोजनाओं की पूरी तकनीकी रिपोर्ट नहीं दी है । हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री सोमनाथ रथ : क्या माननीय मंत्री उन स्थानों सहित जिनका मैंने उड़ीसा के दक्षिणी भाग में पर्यटन काम्प्लेक्स हेतु उल्लेख किया है, इन स्थानों के नाम उड़ीसा सरकार को भेजेंगे और अपने सहयोगी विमानन मंत्री से भुवनेश्वर से गोपालपुर तक वायुदूत सेवा आरम्भ करने की बात करेंगे ताकि उड़ीसा के दक्षिणी भाग में पर्यटन पर इसका प्रभाव पड़े ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : जहां तक वायुदूत सेवा के प्रावधान का सम्बन्ध है, मेरे विचार में गोपालपुर समुद्रतट विहार स्थल के लिए पूर्णतया विकसित क्षेत्र नहीं है । राज्य सरकार ने वहां पर एक विहार स्थल बनाने की एक योजना प्रस्तुत की थी । जब वहां पर बुनियादी सुविधायें उपलब्ध होंगी, तब हम वहां वायुदूत सेवा शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : भारत में विदेशी या स्वदेशी पर्यटकों को वास्तव में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त संख्या में होटलों का होना अनिवार्य है। पर्यटकों के रहने के लिए अच्छा स्वच्छ और सस्ता स्थान होना चाहिए। किन्तु हमारे पास इनकी बहुत कमी है। क्या यह सच नहीं है कि भारत में होटल मालिक पिछले कुछ समय से सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि इस काम को एक उद्योग के रूप में मान्यता दी जाए ? वास्तव में यह विदेशी मुद्रा कमाने वाला एक जाना माना उद्योग है। किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप होटल उद्योग में उतना अच्छा काम नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए था। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या भारत में होटल मालिकों को ऐसी मान्यता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : यह सच है कि उन दिनों जब अधिकांश संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तो हमारे देश में उनके रहने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होता। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने पर्यटन के लिए ये बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए हैं। नौ राज्यों में पर्यटन को एक उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है। वित्त मंत्रालय ने होटल बनाने तथा अन्य सुविधायें देने के लिए कुछ रियायतें दी हैं।

कुमारी डी० के० तारादेवी : महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने वैस्टर्न घाट क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है। और यदि हो तो क्या कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर स्थान को उस योजना में शामिल किया गया है।

मुफ्ती मोहम्मद सईद : यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न उड़ीसा के बारे में है···

श्री जगन्नाथ राव : महोदय, गोपालपुर दक्षिण उड़ीसा क्षेत्र में एक समुद्र तट विहार स्थल है। इस समय वहां पर समुद्र तट में कटाव हो रहा है। क्या पर्यटन विभाग 'बीच' को कटाव से बचाने के लिए कोई कदम उठाएगा ? दूसरे, क्या पर्यटन विभाग वहां आने वाले पर्यटकों के लिए 'पर्यटक गृह बनायेगा ? वहां पर केवल एक ही होटल है अर्थात ओबराय होटल। यह बहुत मंहगा होटल है। एक पर्यटक गृह (टूरिस्ट होम) के प्रावधान से पर्यटकों को काफी सुविधा रहेगी। क्या विभाग इस दिशा में प्रयास करेगा ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : गोपालपुर में एक समुद्र तट विहार स्थल बनाने का हमारा इरादा है। हमने राज्य सरकार को इस संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। (व्यवधान) उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती जयन्ती पटनायक।

(व्यवधान)

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, मैं शुरू से अपना हाथ उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
श्रीमती जयन्ती पटनायक।

प्रो० मधु दंडवते : उड़ीसा के मुख्य मंत्री अपनी पत्नी के माध्यम से लोक सभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं अपनी ओर से ही प्रश्न पूछती हूं। अपने शानदार दृश्यों तथा विशालता के कारण चिल्का झील पर न केवल राज्य को बल्कि पूरे देश को गर्व है। कुछ उपाय किए गए हैं तथा एक जल-क्रीडा परियोजना भी विचाराधीन है। मुझे यह पूछने की अनुमति दी जाये कि क्या सरकार को बारकुल तथा चिल्का में सम्पूर्ण जल-क्रीडा काम्प्लैक्स बनाने के लिए राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। और यदि हा, तो उस काम्प्लैक्स का कार्य शुरू करने को तिथि तथा इसके पूरा होने की तिथि क्या है तथा इस परियोजना के लिए कितना धन दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : और उसे चालू करने की तिथि भी बतायें।

मुफ्ती मोहम्मद सईद : केन्द्र सरकार चिल्का झील के लिए वित्त प्रदान करने को तैयार है और बृहद योजना भी तैयार की गई है। अब राज्य सरकार द्वारा योजना प्रस्तुत की जानी है। हम चिल्का झील जल क्रीड़ाओं के लिये कुछ धन दे रहे हैं। हम उनके प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चिन्तामणि जेना : क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार ने विशेषकर उड़ीसा के दक्षिणी भाग में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कुछ होटलों की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ? यदि हां तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, कितने होटलों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ऐसे होटलों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय किया जा रहा है ?

मुफ्ती मोहम्मद सईद : जहां तक उड़ीसा सरकार की बात है उन्होंने होटल बनाने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधायें एकत्रित कर ली हैं। वहां पर होटलों की श्रृंखला है और उनमें क्षमता से अधिक लोग नहीं रहते। इसलिए मेरे विचार में ऐसा कोई नया प्रस्ताव हमारे समक्ष नहीं रखा गया है।

कपड़ा मिलों द्वारा फालतू भूमि की बिक्री

+
*43. **श्री शरद दिघे** :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ मिलों ने इस आधार पर अपनी फालतू भूमि बेचने की अनुमति मांगी है कि इसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि को आधुनिकीकरण पर व्यय किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम की इन मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) इस निर्णय से कपड़ा उद्योग को किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख) हालांकि एन टी सी (नियन्त्रक कम्पनी) ने बेशी भूमि की बिक्री के लिए सरकार का अनुमोदन चाहा है लेकिन अलग अलग एन टी सी एककों ने अपनी बेशी भूमि को बेचने के लिए सरकार की अनुमति नहीं मांगी है।

(ग) सरकार ने एन टी सी एककों/सहायक निगमों/ नियन्त्रक कम्पनी की बेशी भूमि की बिक्री पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

(घ) बिक्री आय को आधुनिकीकरण/श्रमिक सुव्यवस्थीकरण की एक अनुमोदित योजना के लिये ही उपयोग किया जाएगा।

श्री शरद विघे : क्या सरकार को यह मालूम है कि जहां तक बम्बई शहर का सम्बन्ध है, कपड़ा मिलों को अपनी फालतू भूमि बेचने की अनुमति देना उसके लिए एक खतरा है ? राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की देखा-देखी निजी मिल मालिकों ने भी अपनी फालतू भूमि को बेचने की अनुमति मांगना शुरू कर दिया है। बम्बई में जहां भूमि बहुत कीमती है, आधुनिकीकरण के नाम पर वे करोड़ों रुपये कमा सकते हैं इस राशि को अन्य उद्योगों में लगा कर उन मिलों को फिर बन्द कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप बम्बई में बहुत बेरोजगारी फैल जाएगी और मिलों को बिल्कुल बन्द कर दिया जायेगा। क्या सरकार को इस भयंकर स्थिति की जानकारी है।

श्री रामनिवास मिर्धा : यह कहना सही नहीं है कि बम्बई में मिलों की आवश्यकता से अधिक भूमि को बेचने से एक संकट पैदा हो जायेगा। वास्तव में इससे बम्बई में अर्थव्यवस्था तथा शहरी वातावरण में सुधार होगा। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों तथा निजी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता है। जब तक इन मिलों का आधुनिकीकरण नहीं होता है यह सच है कि ये मिलें भविष्य में बन्द हो जायेंगी। आधुनिकीकरण के लिए धन लगाना होगा तथा उन्हें आधुनिक बनाना होगा, ताकि वे अन्य मिलों का मुकाबला कर सकें।

जहां तक इस धनराशि को अन्य उद्योगों में लगाने का सम्बन्ध है, मिल मालिक तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम राज्य सरकार के परामर्श से सुस्पष्ट प्रबन्ध करने को तैयार हैं ताकि इस धनराशि का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाये जिसके लिए आधुनिकीकरण किया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा है। इसकी नीलामी कैसे की जाये इस बात के लिए हम राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। हम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जा सकते हैं तथा उनसे पूछ सकते हैं कि धन की आवश्यकता किस लिए है तथा सभी सुरक्षा उपाय किये जा सकते हैं। अतः

माननीय मन्त्री महोदय ने जो आशंका व्यक्त की है उसका उचित ढंग से ध्यान रखा जा सकता है।

वास्तव में, यदि इन मिलों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया तो बेरोजगारी फैलेगी। बम्बई में इन उद्योगों को बचाने के लिए इन्हें अधिक अर्थक्षम बनाना होगा। एक उपाय जिससे इनको अधिक अर्थक्षम बनाया जा सकता है, इस फालतू भूमि को बेचकर उनको कुछ धन प्राप्त कराना है, ताकि अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए वे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इत्यादि से अधिक धन प्राप्त कर सकें।

श्री शरद बिघे : महोदय, इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कि सुस्पष्ट निगम बनाये जायेंगे ताकि धनराशि को अन्यत्र न लगाया जा सके फिर भी बम्बई में इस बात की आशंका है कि उनमें कई कमियां ढूंढ ली जायेंगी जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक आधुनिकीकरण निधि की स्थापना बिल्कुल भी नहीं की जा सकेगी। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सभी कपड़ा कर्मचारी संघ फालतू भूमि की बिक्री की इस योजना के खिलाफ हैं और यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने भी यह सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह इसके विरुद्ध है? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस विचार को त्याग देगी?

प्रो० मधुदण्डवते : वे मुख्य मंत्री को हटा सकते हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : महोदय, मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिये भूमि को बेचना आवश्यक है। यह सही नहीं है कि सभी श्रमिक संघ इसके खिलाफ हैं। जिम्मेदार श्रमिक संघ नेता हमसे मिले हैं और हमें बताया है कि इन कारण इकाइयों को अर्थक्षम बनाने का यह भी एक तरीका है। किसी को भी, जो श्रमिकों के कल्याण में रुचि रखता है, उद्योग के भविष्य को ध्यान में रखना होगा। कमियों, इत्यादि की बात कह कर आप इन सभी बातों को नकार सकते हैं परन्तु हमारे सामने मिलें बन्द हो रही हैं क्योंकि ये उपाय किये जा रहे हैं। रचनात्मक श्रमिक संघवाद चाहता है कि रचनात्मक एवं व्यावहारिक रवैया अपनाना चाहिए ताकि श्रमिक तथा राज्य सरकारें एक साथ बैठें और एक मसविदा तैयार करें कि आधुनिकीकरण कैसे किया जाये।

श्री एच० एन० नन्जे गोडा : महोदय, आधुनिकीकरण के बाद भी कुछ इकाइयां अर्थक्षम नहीं हो सकतीं। क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि वे कौन सी इकाइयां हैं जो आधुनिकीकरण के बाद भी अर्थक्षम नहीं होंगी? दूसरे श्रमिक विस्थापन रोकने के लिये उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा है? बहुत सी निजीकरण मिलें हैं जो प्रतिदिन छंटनी की घोषणा कर रही हैं। वहां काम करने वाले श्रमिकों की परवाह कोई नहीं कर रहा है। कर्नाटक में दो कारण मिलें हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य सरकार ने श्रमिकों के संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव दिया है तथा ऐसी मिलों में कार्यरत श्रमिकों के बारे में सरकार का क्या करने का प्रस्ताव है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि धनराशि में वृद्धि करने के लिए आपने क्या प्रस्ताव रखे हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण हेतु सरकार ने 750 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक केन्द्रीय एजेंसी की स्थापना की है जो

विभिन्न मिलों से प्राप्त प्रस्ताव की जांच करती है और यह देखती है कि क्या आधुनिकीकरण से उन्हें अर्थक्षम बनाया जा सकता है। केन्द्रीय एजेंसी में उनके पास एक विशेषज्ञों का दल है जो इन मिलों की अर्थक्षमता की जांच करता है और उनके संतुष्ट हो जाने के बाद कि आधुनिकीकरण से उन्हें अर्थक्षम बनाया जा सकता है धनराशि की कुछ मात्रा स्वीकृत कर दी जाती है।

जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है मुझे आशंका है कि हमें राज्य सरकारों से अधिक सुझाव नहीं मिले हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है। गुजरात ने श्रमिक संघ के साथ परामर्श करके एक सराहनीय कदम उठाया है। ग्यारह मिलों को बन्द किया जा रहा है। उन्होंने इकट्ठे बैठकर श्रमिकों के बारे में चर्चा की। उन्होंने यह फैसला किया कि इन मिलों से किसे बन्द किया जाना चाहिए। तथा किस मिल की भूमि बेची जानी चाहिए। वे भारत सरकार के पास एक अर्थक्षम परियोजना लेकर आये हमने उस योजना के क्रियान्वयन में सभी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया परन्तु वह योजना अथवा उस विषय के लिये कोई भी योजना केवल तभी व्यवहार्य हो सकती है यदि श्रमिक संघ सहयोग करें और एक उत्तरदायी दृष्टिकोण अपनायें।

श्री मुरली देवरा : माननीय मंत्री महोदय ने पहले कहा है कि आधुनिकीकरण से श्रमिक बेरोजगार नहीं होंगे। बम्बई में अक्तूबर, 1983 में इन श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से 13 कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पर आधुनिकीकरण की आड़ में अभी तक 30,000 श्रमिक बेरोजगार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा सरकार, जो इन लोगों को नौकरी देने के लिए वचनबद्ध है, उन पर ध्यान देगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन मिलों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करेगी। यदि इन रुग्ण मिलों के मालिक इन लोगों को नौकरियां देने के लिए तैयार हों ?

श्री रामनिवास मिर्धा : आधुनिकीकरण का आशय श्रमिकों का उचित उपयोग करने कार्य के वितरण से है तथा श्रमिकों की कुछ छंटनी करने से भी है—यदि आप इसका अर्थ इस ढंग से लगाना चाहते हैं। सरकार ने श्रमिकों को देय कानूनी सुविधाओं के अतिरिक्त उन्हें विशेष सुविधायें देने के लिये निगम बनाये हैं जिनको आधुनिकीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप युक्ति संगत बनाया जाना चाहिये। भारत सरकार ऐसा करने की इच्छुक है और हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि यदि ऐसी जांच पड़ताल के बाद वे सुझाव भेजते हैं तो केन्द्र सरकार, आधुनिकीकरण के एक अंग के रूप में, कानूनी सुविधाओं जिनके श्रमिक अधिकारी हैं, के अतिरिक्त उनको सुविधायें प्रदान करेंगी।

प्रो० मधुदण्डवते : महोदय, उद्योगपतियों की फालतू भूमि चाहे वह राष्ट्रीय कपड़ा निगम से सम्बन्धित है अथवा निजी मिल मालिकों से और कृषकों की फालतू भूमि की तुलना करके इस प्रश्न के दूसरे पहलू पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की फालतू भूमि के विषय में हम देखना चाहते हैं कि इसे वास्तव में बेच दिया जाये, पैसा प्राप्त कर लिया जाये और आधुनिकीकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाये। परन्तु जब किसान की अधिकतम सीमा से अधिक फालतू भूमि का प्रश्न आता है तो उस मामले में उसे बहुत कम मुआवजा दिया जाता है। जहां तक उद्योगों का संबंध है और जहां तक राष्ट्रीयकृत उद्योगों का संबंध है, तो आप बिल्कुल

अलग मानदण्ड रखने की कोशिश करते हैं। आप इसे खुले बाजार में बेचने की कोशिश कर रहे हैं तथा आधुनिकीकरण के नाम पर जितना अधिक सम्भव हो सके धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्योगपतियों तथा कृषकों की फालतू भूमि की बिक्री के मामले में क्या आप यह असंगति दूर करने की कोशिश करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : एक और आयाम भी है। भूमि के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की अधिकतम सीमा नहीं है।

श्री रामनिवास मिर्धा : महोदय, यह जानकर संतोष हुआ हैं कि माननीय विद्वान सदस्य कृषि के विषय में भी रुचि रखते हैं। ये दोनों चीजें बिल्कुल भिन्न हैं। अब किसान पर कुछ नियम लागू होते हैं। मिलों से संबंधित भूमि एक बिल्कुल अलग समस्या है। भूमि की अधिकतम सीमा अर्थ में उनके पास फालतू भूमि नहीं। उनके पास वह भूमि है जो उनकी तत्कालिक आवश्यकताओं से अधिक है जिसे वे अपनी अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए बेचना चाहते हैं। यही कारण है कि वे राज्य सरकारों के पास आते हैं और हम उनकी बात का समर्थन करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मध्यम वर्ग तथा गरीब वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिए सस्ते मूल्य पर जमीन की आवश्यकता है। यदि आप इसे खुले बाजार में बेचते हैं तो वे भूमि कभी भी नहीं ले सकेंगे, दूसरी दृष्टि से जो बात श्री दिघे ने कही है उसके अतिरिक्त यह बात है।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहिब, आप समझे नहीं, भूमि को छोड़कर किसी अन्य चीज पर अधिकतम सीमा नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : श्रमिकों के प्रति सम्मान तथा सहानुभूति, प्रकट करते हुए क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि वह उन उद्योगपतियों की उस चालाकी पर विचार करेगी जो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए मिलों का शोषण करके उन्हें रुग्ण बना देते हैं और सरकार को सौंप देते हैं ? उनको वापस अच्छी हालत में लाने के बाद सरकार को उन्हें फिर वापस नहीं सौंपनी चाहिए। मैं अपने साथी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि श्रमिकों के नाम पर उन मिलों को वापस उन्हें सौंप दिया जाना चाहिये। क्या सरकार इस बात से सहमत है कि वह ऐसा नहीं करेगी।

श्री रामनिवास मिर्धा : महोदय, जिन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया है वे अब सरकारी सम्पत्ति हैं। उनका संचालन राष्ट्रीय कपड़ा निगम करता है। तेरह मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है और केवल उनका प्रबन्ध राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा किया जाता है। इन संगठित मिलों को किसी को भी देने का प्रश्न ही नहीं है। यदि हम ऐसा करते भी हैं तो हम उन्हें राज्य सरकारों को देंगे या किसी श्रमिक सहकारी संस्थाओं को देंगे अथवा ऐसी ही किसी संस्था को देंगे।

पाकिस्तान में प्रशिक्षित घुसपैठियों की घुसपैठ

+

***46 श्री एस० एम० गुरड्डी**

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान में प्रशिक्षित घुसपैठियों की भारत में घुसपैठ रोकने के लिए पाकिस्यान से लगी सीमा पर कोई और उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर-दिसम्बर, 1986 और जनवरी, 1987 के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर मुठभेड़ों में कुल कितने घुसपैठिए मारे गए; और

(ग) क्या पहले के महीनों की तुलना में अब पाकिस्तान से घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल बराबर सतर्क रहता है। भारत पाकिस्तान सीमा के पंजाब क्षेत्र को भी जनवरी, 1987 में सेना के संचालनात्मक नियंत्रण में रखा गया था।

(ख) सीमा सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ों के दौरान 79 घुसपैठिये मारे गए।

(ग) नवम्बर, 1986 से जनवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा पर 1039 घुसपैठिये पकड़े गए जबकि अगस्त से अक्तूबर, 1986 तक की अवधि के दौरान 1028 घुसपैठिये पकड़े गए थे।

श्री एस० एम० गुरुडी : हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने बंगलौर में घुसपैठियों और हमारी सीमाओं को सील करने के बारे में चर्चा करते समय हमारी सीमा में घुसने वाले आतंकवादियों की समस्या पर भी चर्चा की थी। उनकी इस चर्चा का क्या हुआ ? बंगलौर बैठक के बाद, क्या कोई घुसपैठिये हमारी सीमाओं को पार करके आए हैं और अगर ऐसी बात है तो हमारी सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री पी० चिदम्बरम : माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि बंगलौर बैठक के बाद गृहसचिव के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया था हमारे अधिकारियों तथा पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी। कुछ बातों पर सहमति हुई थी और हमें आशा है कि इस वार्तालाप के दौरान हुए समझौते का पाकिस्तान पालन करेगा। यह देखने के लिए कि स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं, हम सीमाओं पर बहुत सतर्कता बरत रहे हैं।

श्री एस० एम० गुरुडी : आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस में यह पढ़ा है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित घुसपैठियों को भारत में भेज रहा है। क्या हमारे गृहमंत्री इस बात से अवगत हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, हमें इस बात का पता है कि आतंकवादियों के कुछ ग्रुपों को पाकिस्तान से सहायता मिली है। हम अपनी सीमाओं पर बहुत सतर्कता बरत रहे हैं। जो आंकड़े मैंने बताये हैं वे यह दर्शाते हैं कि हमारा सीमा सुरक्षा बल काफी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ने में सक्षम रहा है। अब चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र सेना के संचालनात्मक नियंत्रण में आ गया है, हमारी सतर्कता बढ़ गई है और घुसपैठ को रोकने में हमारी क्षमता भी बढ़ी है।

श्री एम० एस० गिल : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि मारे गये और पकड़े गये लोगों की राष्ट्रीयता चार अलग-अलग क्या संख्या है स अर्थात् इस अवधि के दौरान मारे गये 79 व्यक्तियों और पकड़ गये 1039 व्यक्तियों में से कितने लोग भारतीय, कितने पाकिस्तानी और कितने बंगला देशी थे ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, फिलहाल मारे गए लोगों की राष्ट्रीयता के बारे में बताना मुश्किल है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : इस प्रश्न के सन्दर्भ में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान पंजाब पुलिस के महानिदेशक श्री जुलियस रिबेरो के वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पंजाब क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर मारे गए 90% लोग बंगला देशी है। इनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। इस जानकारी का ब्यौरा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपा है। आजकल, जैसा कि हम जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके बंगला देश के नागरिक इस उप-महाद्वीप में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं मैं यह भी जानता हूं कि सीमा पर तैनात अर्ध-सैनिक बल घुसपैठियों के दलों में हमेशा भेद नहीं कर सकते। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह एक सत्य है और किस आधार पर पुलिस महानिदेशक ने यह वक्तव्य दिया कि सीमा पर मारे गये 90 प्रतिशत लोग बंगला देश के नागरिक हैं। अगर ऐसी बात है तो औरतों और बच्चों की हत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : इस तथ्य से तो सभी अवगत हैं कि पाकिस्तान की सीमा के साथ-साथ हमने बहुत अधिक सतर्कता बरती है और हम विशेष रूप से पाकिस्तान स हमारे देश में आने वाले आतंकवादियों की घुसपैठ के बारे में बहुत जागरूक रहे हैं। चुनौती दिए जाने पर, अगर घुसपैठिये आत्म समर्पण नहीं करते हैं और संदेहजनक हालात में आते है तो हमने इस बारे में गोली मार देने का सिद्धान्त अपना रखा है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सदस्य को यह प्रतिशत की जानकारी कहां से मिली है। मुझे अभी यह देखना है, परन्तु तथ्य यह है कि इस प्रक्रिया से हमें फायदा हुआ है और उस सीमा पर हम इन खतरनाक आतंकवादियों की घुसपैठ को प्रभावशाली ढंग से रोकने में कामयाब रहे हैं।

प्रो० मधुदण्डवते : समाचार पत्रों में यह ऐसा प्रकाशित हुआ है— यदि यह कम्पोजीटर की गलती नहीं है···

सरदार बूटासिंह : ठीक है, प्रेस आपके लिए वेद वाक्य हो सकता है, किन्तु दूसरी तरफ, प्रेस में जो खबरें छपी हैं मैं उन सबको लेकर नहीं चलना चाहता।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : पंजाब पुलिस महानिदेशक के बारे में आपके क्या विचार हैं ? किस आधार पर उन्होंने वक्तव्य दिया ? यह एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी का वक्तव्य है।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : एक आध बंगला देशीय का नाम तो बता दीजिए, जो उधर मारे गए हैं ? (व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : यह सवाल रिबैरो साहब से कीजिए ।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : पाकिस्तान सरकार और हमारी सरकार के बीच छपी चर्चा के बावजूद पाकिस्तान सरकार ऐसा दृष्टिकोण अपनाती हुई प्रतीत होती है जैसे कि वह घुसपैठ की गतिविधि में शामिल नहीं है ।

इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार का ध्यान इन मामलों की तरफ आकर्षित किया गया है और अगर हां तो, पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और क्या माननीय गृह मंत्री इस सभा को इसकी जानकारी देने की कृपा करेंगे ताकि हमें भी सही स्थिति का पता चल जाये ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह बता तो दिया पहले ।

[अनुवाद]

सरदार बूटासिंह : दोनों देशों के बीच सचिव स्तर पर हुई बातचीत के बारे में मेरे माननीय साथी ने पहले ही उल्लेख कर दिया है । प्रेस विज्ञप्ति में जिन विशेष बातों का उल्लेख किया गया था वे भी मेरे पास हैं ।

(1) भारत के गृह सचिव द्वारा उठाये गये मामले पर पाकिस्तान सरकार के आन्तरिक सचिव ने यह पुष्टि की कि उनकी सरकार पंजाब में और कहीं पर भी सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध है। इस सन्दर्भ में पाकिस्तान सरकार ने इस बात को दोहराया है कि भारत के खिलाफ यह न तो आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करती है और न ही करेगी । इस संदर्भ में भारत सरकार के गृह सचिव ने इसी तरह का आश्वासन दिया ।

(2) यह भी स्वीकार किया गया है कि गैर-कानूनी ढंग से सीमा पार करना और आतंकवाद एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ गये हैं । इन मामलों पर आगे चर्चा करने के लिए सहमत होते हुए दोनों पक्षों ने अवैध रूप से सीमा पार करना रोकने के लिए उनकी सुरक्षा बलों में सहयोग बढ़ाने के लिए तुरन्त कदम उठाने का निर्णय लिया ।

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या सह-सबूत पाकिस्तान के सामने रखा गया ?

सरदार बूटासिंह : उनके सामने यह सबूत रखने के बाद ही उन्होंने इस बात को माना ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्रीमती डी० के० भंडारी ।

श्रीमती डी० के० भंडारी : प्रश्न संख्या 47 ।

रक्षा मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : राजा साहिब क्या जी, हां महोदय, आप मुझे कह रहे हैं अथवा 'महोदया' को ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैंने तो सिर्फ आपको कहा है।

प्रो० मधुदण्डवते : आप 'महोदया' को भी कह सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे आशा है कि आप हमें ऐसा विकल्प नहीं देंगे।

दार्जिलिंग जिले के कलिमपोंग सब-डिवीजन में एक पुल का ढह जाना

*47. **श्रीमती डी के भंडारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग जिले के कलिमपोंग सब-डिवीजन में तीस्ता नदी पर बना पुल पिछले महीने मरम्मत के दौरान ढह गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई है;

(ग) इसमें किस किस्म की और कितनी क्षति हुई और कितने लोग हताहत हुए और उन्हें कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या सरकार इस पुल के स्थान पर कंकरीट सीमेंट का पुल बनाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस निर्माण कार्य के कब तक शुरू किए जाने का प्रस्ताव है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तीस्ता झूला पुल जब 30-1-1987 को उतारा जा रहा था तो वह नदी में गिर गया। उसके गिरने के कारणों का पता लगाने और उसके लिए जिम्मेवारी निर्धारित करने की दृष्टि से उसी दिन जांच अदालत गठित करने के आदेश दे दिए गए। इस अदालत की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

(ग) जांच अदालत की रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चल सकेगा कि दुर्घटना के कारण कितना और किस किस्म का नुकसान हुआ। इस दुर्घटना में 6 इंजीनियरी रेजीमेंट, जो पुल की मरम्मत का कार्य कर रही थी, के 2 अन्य रैंकों की मृत्यु हो गई और 2 अफसर, 3 जूनियर कमीशन अफसर तथा 6 अन्य रैंक घायल हुए। मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को तथा घायलों को पेन्शन संबंधी एवं अन्य लाभ दिए जाएंगे।

(घ) जी, हां।

(ङ) यहां पर स्थायी पुल का निर्माण 1987-88 के दौरान शुरू करने और उसे 1990-91 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

श्रीमती डी० के भंडारी : अध्यक्ष महोदय, हम पर्वतीय पिछडे क्षेत्रों के विकास के लिए कोरी सहानुभूति प्रकट करते रहते हैं परन्तु वास्तव में हम इन साधन क्षमता सम्पन्न क्षेत्रों की अवहेलना करते हैं और सम्पन्न राज्यों और लोगों को और संपन्न बनाते जाते हैं। हमारे देखते-देखते तीस्ता पुल दूसरी बार ढह गया है। पिछले वर्षाकालीन सत्र में मैंने इस मामले को उठाया था और सरकार से अनुरोध किया था कि इस फूला पुल के स्थान पर एक कंकरीट का चौड़ा औरस्थायी पुल बनाया जाए। एक तरफ तो हम चन्द्रमा और बाहरी आतरिक्ष में जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परन्तु शायद इसीलिए हम अपनी बेचारी पृथ्वी की अवहेलना कर रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि जो तीस्ता पुल पिछले महीने ढह गया है उसकी अवधि पूरी हो गई है। यदि हां तो पहले से कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या मैं माननीय सदस्य की बात को सही कर सकता हूं ? यह पुल दूसरी बार नहीं ढहा है।

श्रीमती डी० के० भंडारी : यह दूसरी बार ढहा है। 1986 में भी यह पुल ढहा था। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : वहां एक आर० सी० सी० पुल था जो बाद में बह गया था। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह पुल ढह गया था। जहां तक इस झूला पुल का संबंध है हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये पुल अस्थायी रूप से बनाये जाते हैं तथा ये पुल हमारे परिवहन और संचार साधनों में कमी को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। इन पुलों की नियमित रूप से छोटी तथा बड़ी मरम्मतें की जानी होगी। टावर का खिसकना जैसे कुछ दोष इन पुलों में आ ही जाते हैं। साथ ही कई अन्य बातें भी हो जाती हैं। पुल का रखरखाव नियमित रूप से किया जाता है 1974, 1978 और 1980 में छोटी मरम्मतें की गयी थी। एक बड़ी मरम्मत 1981 में की गई थी। जब तक बड़ी मरम्मत की जाती है तो पुल को नीचे उतारा जाता है। पुल को जब नदी में उतारा जा रहा था तभी यह घटना हुई तथा उस समय तक यह बात नहीं हुई जबकि यह चालू था और हरेक व्यक्ति को अपने ही जोखिम पर इस पुल पर जाने की अनुमति दी गई थी। इसलिए पुल को नदी में उतारे जाने की प्रक्रिया में ही यह दुःखद घटना घटी। एक जांच अदालत गठित की गई है और इसके फैसले से ही पुल के गिरने की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

लेकिन जहां तक इन पुलों की अवधि का संबंध है ये अस्थायी पुल हैं तथा इनकी नियमित रूप से मरम्मत की जानी चाहिए। इसी दृष्टि से वहां एक पक्का पुल बनाने का फैसला किया गया है। पहले यह संभव नहीं था, क्योंकि तीस्ता बांध अभी बनाया जाना था और यह एक विवाद की समस्या थी, अर्थात वहां एक पक्का पुल बनाया जाये या नहीं। खैर हमने एक आर० सी० सी०

पुल बनाने का फैसला किया है तथा जैसा मैंने कहा है कि 1'91 तक यह पूर्ण हो जाएगा। यह 1987-88 में आरम्भ किया जाएगा।

श्रीमती डी० के० भंडारी : मेरे प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि एक स्थायी पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है। लेकिन मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगी कि क्या केवल प्रस्ताव ही किया गया है या वहां पुल निर्माण के लिए भी कुछ धन भी स्वीकृत किया गया है या नहीं। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगी कि उस क्षेत्र की रक्षा तथा आर्थिक स्थित को ध्यान में रखते हुए और इस क्षेत्र की स्थलाकृति और वहां होने वाले भू-स्खलनों को देखते हुए क्या यह पुल बड़ा और चौड़ा होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : स्थिति इस तरह है सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि प्रस्तावित पुल के डिजाइनों को अन्तिम रूप देना तथा निर्माण के लिए निविदा जारी करने जैसी प्रारम्भिक कार्यवाहियां शीघ्र की जा रही हैं और उनकी यह कोशिश है कि यह कार्य 1987-88 के कार्य सीजन में प्रारम्भ हो जाए। इसलिए, यह अब केवल एक प्रस्ताव का ही प्रश्न नहीं है। कई ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह पुल उस झूला पुल से जो कि एक अस्थायी पुल है, बड़ा होगा और अधिक भार सहन कर पायेगा।

जहां तक भू-स्खलनों आदि का सम्बन्ध है उनका ध्यान रखा गया है। यह परियोजना भू-स्खलन वाले क्षेत्र से लगभग 1·5 किलोमीटर दूर है।

श्री पीयुष तिर्की : यह क्षेत्र एक बहुत संवेदनशील क्षेत्र है तथा रक्षा मंत्रालय को भी इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के बारे में जानकारी नहीं है। वहां एक और पुल भी है अर्थात् उसी तीस्ता नदी पर शिवोका पुल है। उसकी गारन्टी अवधि समाप्त हो गयी है यह लगभग 100 साल पुराना हो चुका है। क्या सरकार उस पुल का पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है या नहीं? या सरकार इसे पहले ढहने देना चाहती है और फिर वह उस पुल को ढहने से बचाने के लिए आयेगी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम किसी भी प्रकार से इसे ढहने नहीं दे रहे हैं अब भारत में सभी पुलों से संबंधित यह जानकारी कि क्या कोई पुल ढह रहा है मैं आज यहां नहीं लाया हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक ब्रिज का तो उद्धार करने की बात कही है लेकिन एक ब्रिज और जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है तथा उसके अतिरिक्त छोटे और बड़े बहुत से पुल इस महत्त्वपूर्ण राजमार्ग के ऊपर हैं, उन सबकी जांच कराने की आवश्यकता है। एक समस्या और उधर जाने वाले लोगों के सामने आती रहती है कि सिलीगुड़ी से जो रास्ता गंगटोक जाता है उस पर लैंड स्लाइड्स बराबर होते रहते हैं। यह सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक बन सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी क्या स्वयं इस क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां की आवश्यकता को देखते हुए उसके अनुसार वहां परमानेन्ट और साल-भर चलने योग्य सड़क व रास्ता बनाने का कार्य करेंगे?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह सुझाव जो माननीय सदस्य ने दिया है उसको मैंने नोट कर लिया है।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मदन का प्रस्ताव विश्वनाथ जी स्वीकार करेंगे तो मदन दहन हो जाएगा।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों का निर्माण

*48. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री मुरली देवरा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का निर्माण करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है, जैसाकि पाकिस्तान में अमरीका के निवर्तमान राजदूत के इस आशय के कथित वक्तव्य से पता चलता है कि वह पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने की उसकी महत्वाकांक्षा से रोक नहीं पाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पाकिस्तान से होने वाले इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी परमाणु नीति की समीक्षा करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) सरकार पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के गैर शांति पूर्ण आयामों की ओर से चिंतित है। इस पहलू पर तथा उन अन्य सभी पहलुओं पर निरन्तर निगाह रखी जाती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : अमरीकी प्रचार माध्यम तथा अमरीकी प्रशासन द्वारा भी यह बात स्वीकार की गई है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम के विभिन्न हिस्सों को तैयार कर लिया है तथा उन्हें उसने नाभिकीय प्रतिष्ठानों के तहखानों में तैयार रखा है। अमरीकी सरकार ने अपनी भू-राजनीतिक नीतियों के कारण पाकिस्तान का कोई वास्तविक रूप में प्रतिरोध नहीं किया है बल्कि उनकी सांठ-गाठ से पाकिस्तान के पास अब नाभिकीय क्षमता है। एक ओर तो भारत की विचार धारा का प्रश्न है, दूसरी ओर देश की सुरक्षा को खतरा है। इस स्थिति में यद्यपि मंत्री महोदय ने इस बात पर बहुत चिन्ता व्यक्त की है लेकिन उन्होंने आणविक नीति की समीक्षा करने के बारे में उत्तर नहीं दिया है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार को अपनी आणविक नीति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। वह भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम यही कहते आ रहे हैं कि हमने अपनी आणविक नीति खुली रखी है ? क्या यह परमाणु बम बनाने के लिए उचित समय नहीं है और प्रतिरक्षा सामरिक दृष्टि से क्या हमें आवश्यक डिलीवरी पद्धति सहित आणविक अस्त्रों को नहीं रखना चाहिए ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जिस रिपोर्ट का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है हमने वह देखी

है जैसा कि सीनेटर क्रांसटन जैसे माननी य सदस्य वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों, जैक एण्डरसन जैसे संवाददाता आदि ने जिक्र किया है, कि यह एक विश्वसनीय जानकारी है तथा जिसे संयुक्त राज्य अमरीका में सभी वर्गों के लोगों ने प्रकट किया है। और जानकारी के अनुसार अधिक विश्वस नीय यह लगता है कि पाकिस्तान आणविक विशेषज्ञता विकसित कर रहा है जिसका पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। जैसाकि मैंने कहा है हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जहां तक बम बनाने और तत्संबंधी ब्यौरों की बात है यह मंत्रालय कहेगा कि हमारी सरकार की यही नीति होगी कि इस समय हमारी बम बनाने की कोई तैयारी नहीं है। इससे अधिक जानकारी संबंधित मंत्रालय अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकों से प्राप्त की जा सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात सभा को संतुष्ट नहीं करेगी।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : हमें इस बात को नोट करते हुए खुशी है कि अमरीकी कांग्रेस अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा यह प्रमाणित किये जाने के पक्ष में नहीं हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है इसलिए उसे भारी मात्रा में सैनिक सहायता दी जानी चाहिए। यह सच नहीं है कि जनरल जिया की हाल की क्रिकेट कूटनीति अमरीकी कांग्रेस का मन जीतने के लिए है जिसे थोड़े समय बाद ही निर्णय करना है कि क्या सरकार को, पाकिस्तान को 4·02 बिलियन डालर की उस भारी सैनिक सहायता को प्रदान करने के लिए सिमिंग्टन संशोधन को लचीला करना चाहिए, जिसमें शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाले 'अवाक्स' भी शामिल हैं ?

महोदय, अमरीकी राष्ट्रपति की पाकिस्तान को भारी सैनिक सहायता दिये जाने के विषय पर तीव्र दिलचस्पी को देखते हुए मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार अमरीकी कांग्रेस की राय के साथ अमरीकी जनता की धारणा का फायदा उठा सकती है और यदि हां तो सरकार द्वारा कांग्रेस की राय के साथ-साथ अमरीकी लोगों की राय तैयार करने और अमरीकी प्रशासन पर दबाव डालने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, ताकि पाकिस्तान को भारी मात्रा में आणविक सहायता की सप्लाई रोकी जा सके ?

विदेश मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये इस आशावाद का समर्थन करता हूं कि अमरीकी कांग्रेस सिमिंगटन संशोधन को हटाये जाने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगी। हम इस आशा का समर्थन करते हैं तथा हमें आशा है कि अमरीकी जनता की राय स्वयं सुदृढ़ होगी और कांग्रेस निश्चय ही इसका विरोध करेगी। हमें आशा है कि यह इस संबंध में कांग्रेस किसी भी दबाव का विरोध करेगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप आशावादी हैं।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : जैसा कि हम जानते हैं कि 1979 में संयुक्त राज्य अमरीका में सिमिंगटन

संशोधन पारित किया गया था और सिमिंगटन संशोधन के अनुसार कोई भी देश जो अमरीका से सैनिक या आर्थिक सहायता पाने वाला है उसे अमरीकी सरकार को यह सिद्ध करना चाहिए कि वे आणविक अस्त्र नहीं बना रहे हैं और मैं पाकिस्तान में अमरीका के निवर्तमान राजदूत डीन हिन्टन की केवल एक पंक्ति को उद्धृत करना चाहता हूं जिन्होंने कहा है :

"पाकिस्तान के पास एक परमाणु विस्फोट यन्त्र के लिए सभी आवश्यक उपकरण हैं।"

मैं माननीय मंत्री से 4·02 मिलियन डालर की प्रस्तावित सहायता के बारे में पूछना चाहूंगा जो कि अमरीकी कांग्रेस तथा अमरीका सीनेट के विचाराधीन है। यही समाचार पत्रों में आज की रिपोर्ट है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस तथा अमरीकी सीनेट द्वारा हमारे मामले में प्रभावी पक्ष के बारे में क्या कर रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : वाशिंगटन में हमारा दूतावास अन्तर्राष्ट्रीय नियम और परम्पराओं के तहत उन्हें राजी करने के लिए जो कुछ भी उचित होगा, करेगा निःसंदेह हम नहीं कह सकते हैं कि हम उस तरह अपना पक्ष मनवायेंगे लेकिन जो कुछ उचित होगा हम करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ भी श्री हिन्टन ने कहा है वह भी अमरीकी कांग्रेस में प्रभावी रूप से सुना जाएगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : जो जानकारी हमें सप्लाई की गई थी वह ज्यादातर हमारे देश के बाहर के स्रोतों पर आधारित है जैसी कि जो कुछ अमरीकी सेनेटरों ने कहा है आदि, आदि। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमारी सैनिक आसूचना या किसी अन्य स्रोत ने हमें बताया है कि पाकिस्तान ने यूरेनियम समृद्ध करने की प्रक्रिया को विकसित कर लिया है, क्योंकि इसके पश्चात् बम बनाना आसान हो जाता है, क्या उनके पास यूरेनियम समृद्ध करने का एक संयंत्र है जो कि हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। क्या हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं मुझे यकीन है पाकिस्तान की एक परियोजना है जिसे काहुटा परियोजना कहते हैं तथा यह यूरेनियम समृद्ध करने के लिए है। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को उस समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता नहीं है जिसे काहुटा शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान के विद्युत रिएक्टरों में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका आशय केवल यह है कि आवश्यक नहीं है कि यह कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए हो।

श्री जी० जी० स्वैल : मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है यदि मैंने उसे ठीक सुना है कि हमारी बम बनाने की तैयारी नहीं है। मुझे यकीन है कि वह पोकरन के अन्त स्फोट से अनभिज्ञ नहीं हो सकते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनका मतलब यह है कि हमारी बम बनाने की क्षमता है या एक नीति के रूप में हमने बम बनाना शुरू नहीं किया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं यहां आणविक नीति की बात पर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी भी समय हमारा बम बनाने का इरादा नहीं रहा है और इस समय भी हमारा बम बनाने

का इरादा नहीं है। हम आणविक निरस्त्रीकरण के हिमायती हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर आणविक निरस्त्रीकरण के लिए सक्रिय हैं और हम इसमें विश्वास रखते हैं।

अब जहां तक सामर्थ्य का सम्बन्ध है यह फिर एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि सारा देश बड़ा चिन्तित है यह सुनकर कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, भोजपुरी में एक कहावत है, "कहिये सुपद करिये कुपद।" अमेरिका कहता कुछ है और करता और है। वह उसको नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्र दे रहा है और उसकी फौजें भी आ कर देखरेख कर रही हैं और पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। हमारे मन्त्री जी कहते हैं कि नीति का सवाल है। मैं जानता हूं कि जब परमाणु बम बनेगा और युद्ध होगा और परमाणु बम का भारत पर गिरने लगेगा, तब आप क्या करेंगे। क्या आप भारतवर्ष के लोगों को आश्वस्त करेंगे कि परमाणु बम अगर पाकिस्तान बनाता है, तो उसके जवाब में हम भी तैयार हैं, हम उसे बनाएंगे या और अस्त्र-शस्त्र रखेंगे, जिन से उस का जवाब दे सकें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, सामान्य सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, उस के संबंध में मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि यह जो जन भावना है, इस से हम भली भांति अवगत हैं और उसके प्रति श्रद्धानत भी हैं। एक तो यह जन भावना है और दूसरी जन भावना यह भी है कि सारे विश्व में जो अणु बमों के विस्फोट होते हैं, वे रुकें। तो दोनों प्रकार की जन भावनाएं हैं। अगर इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा हुई और अगर पाकिस्तान ने अणु का बम बनाया, जिसकी बात उन्होंने कही, तो अवश्य उस समय उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम नगीना मिश्र : बनाएंगे या नहीं बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : 'उचित' का क्या अर्थ है नेक्स्ट क्वश्चन।

[अनुवाद]

सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन

*50. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारिया आयोग का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या सरकारिया आयोग ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्तरिम प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एच० एम० पटेल : इस आयोग को कुछ समय पहले नियुक्त किया गया था । क्या सरकार यह जाने की इच्छुक नहीं है कि आयोग की रिपोर्ट कब आयेगी क्या सरकार आयोग को अपनी रिपोर्ट शीघ्र पूरा करने के लिए कहेगी ?

सरदार बूटा सिंह : जहां तक पिछली कार्यविधि विस्तारण का सम्बन्ध है आयोग की कार्यविधि 30 अप्रैल 1987 तक बढ़ा दी गई है । और अधिक समय बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है इसलिए, हमें आशा है कि आयोग को जो तिथि दी गई है उस तिथि तक आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

गोवा में पर्यटकों का आगमन

*52. **श्री शांताराम नायक** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान (31 मार्च, 1987 तक) गोवा में कितने स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों के आने का अनुमान है;

(ख) क्या गोवा में गत दिसम्बर में हुई घटनाओं के कारण इस अनुमानित संख्या मे कोई परिवर्तन होने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संघ राज्य क्षेत्र में फिर से स्थिति सामान्य हो जाने के बारे में प्रचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार और गोवा प्रशासन द्वारा किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया है ।

विवरण

(क) और (ख) 1986 के दौरान गोवा में स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के 9·16 लाख पर्यटक आगमन का अनुमान है । यह पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि को दर्शाता है । पिछले दिसम्बर के महीने में गोवा में हुई घटनाओं का पर्यटन आगमन पर प्रभाव का वक्त अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता चूंकि इसके बाद के महीनों के पर्यटक आगमनों के सही-सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने प्रेस रिपोर्टों और विज्ञापनों के जरिए गोवा में फिर से सामान्य हालात होने के बारे में पहले से ही व्यापक प्रचार किया है ।

श्री शान्ताराम नायक : लाखों पर्यटक गोवा मे एकत्रित होते हैं और वे डालर लाने के साथ

साथ एड्स की बीमारी भी लाते हैं जोकि व्यावहारिक तौर पर हमारे बहुत से लोगों के लिए मौत का सन्देश है।

प्रो० मधु दंडवते : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता।

श्री शांताराम नायक : इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि जहां तक गोवा, कश्मीर और कई अन्य स्थानों का सम्बन्ध है जहां विदेशी पर्यटक एकत्रित होते हैं स्थानीय लोगों को इस बीमारी से स्वास्थ्य मन्त्रालय की सहायता से अथवा अन्य किसी तरीके बचाने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या स्वास्थ्य मन्त्रालय से सहायता का स्वागत है ?

एक माननीय सदस्य : एड्स के लिए एड।

मुफ्ती मोहम्मद सैयद : हमारे लिए समस्या है। क्या यहां आने वाले सभी विदेशी पर्यटकों की मेडिकल जांच कराना संभव है ? मैं नहीं समझता कि ऐसा सम्भव है।

श्री शांताराम नायक : जल्दी ही गोवा में समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस बारे में दो राय हैं कि समारोह को गोवा में आयोजित करना चाहिए अथवा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ऐसी बातें चित्रित की जाती हैं जो भारतीय संस्कृति में नहीं हैं। फिर भी कुछ निजी संगठन आकर गोवा में समारोह आयोजित करते हैं। जहां तक गोवा के समारोह आयोजित करने का सम्बन्ध है इस बारे में भारत सरकार अथवा पर्यटन मन्त्रालय का क्या विचार है ?

मुफ्ती मोहम्मद सैयद : मैं नहीं समझता कि हमें इस बारे में कोई आपत्ति है।

श्री थम्पन थामस : महोदय, गोवा में बहुत से पर्यटक विदेशों से आ रहे हैं। कोचीन और त्रिवेन्द्रम में भी उसी प्रकार की जलवायु है और गोवा की ही तरह वहां भी समुद्र तट है जैसे कोवलम में और अन्य ऐसे क्षेत्रों में जहां पर्यटन का विकास किया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : कोंकण क्षेत्र में भी।

श्री थम्पन थामस : कोंकण क्षेत्र में भी। इस प्रकार क्या सरकार समुद्रतट और अन्य बातों के कारण गोआ में आने वाले पर्यटकों—वहां बहुत से पर्यटक आ रहे हैं—को देश के दक्षिणी भागों में ले जाने और इस बात पर भी गौर करने के लिए कि समुद्र तटीय क्षेत्र में पर्यटन का विकास किया जाए और पर्यटकों को उस तरफ जाने के लिए अधिक विमान सेवाएं आरम्भ की जायें और परिवहन साधनों की व्यवस्था की जाए, एक प्रस्ताव पर विचार करेगी।

मुफ्ती मोहम्मद सैयद : महोदय, यह एक वास्तविकता है कि गोवा के लिए चार्टर्ड हवाई उड़ान है। मैं समझता हूं कि गोवा एक प्रसिद्ध गंतव्य स्थान बन चुका है और इसे पूरे विश्व में जाना जाता है। वहां बहुत से व्यक्ति आते हैं, बहुत से विदेशी पर्यटक आते हैं। यही बात कोवलम के बारे में है जहां हमारा शतप्रतिशत स्थान भरा रहता है। पर्यटक त्रिवेन्द्रम में भी जा रहे हैं परन्तु वहां पर्याप्त आधार ढांचा नहीं है। इसलिए कोवलम के निकट कुछ आवास-स्थानों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार कुछ योजनायें बना रही है अन्य समुद्री तटों के बारे में भी यही बात है।

बेरूत में भारतीयों का बन्धक बनाया जाना

*54. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**+ :

डा० जी० विजय रामाराव : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों ने बेरूत में भारतीय मूल के एक प्रोफेसर सहित कुछ व्यक्तियों को बन्धक बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे किसी देश से सम्पर्क स्थापित किया है, जो इन्हें छुड़ाने में सहायता कर सके; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां

(ख) 24 जनवरी, 1987 को अज्ञात बंदूकधारी व्यक्तियों का एक गिरोह बेरुत यूनिवर्सिटी कालेज के अहाते में घुस आया और चार प्रोफेसरों को पकड़ कर ले गया जिनमें भारतीय पासपोर्ट धारी डा० मिथिलेश्वर सिंह भी थे जो इस कालेज में व्यवसाय अध्ययन विभाग के अध्यक्ष हैं। अन्य तीन बन्धक अमरीकी राष्ट्रिक फिलीस्तीन की स्वतन्त्रता के लिए इस्लामिक जिहाद नामक एक वर्ग ने इस अपहरण की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है।

(ग) और (घ) सरकार ने डा० मिथिलेश्वर सिंह कि रिहाई के लिए उन सभी सरकारों और संगठनों से सम्पर्क किया है, जो अपहरणकर्ताओं पर प्रभाव डाल सकते हैं और वह इस दिशा में बराबर पुरजोर कोशिश कर रही है।

श्री सतेन्द्र नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय क्या सरकार को यह जानकारी है कि फिलीस्तीन की स्वतन्त्रता के लिए इस्लामिक जिहाद नामक संगठन के एक दल ने डा० मिथिलेश्वर सिंह को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि वहां इस्लामिक जिहाद संगठन में बहुत से दल हो गए हैं। उनमें से एक दल अमल शियाइट है जोकि सीरिया के प्रभाव में है। एक अन्य दल ईरान की सरकार के प्रभाव में है। इस प्रकार मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उस दल को पहचान लिया है जिसने इन लोगों को हिरासत में रखा है और यदि हां तो क्या उन्होंने सम्बन्धित सरकार से डा० मिथिलेश्वर सिंह को छुड़ाने के लिए, अपना प्रभाव डालने का अनुरोध किया है और उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है।

विदेश मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : महोदय, हमारे दूतावासों ने उन सभी सम्भावित स्रोतों से सम्पर्क स्थापित किया है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। हमने लीबिया सरकार सीरिया सरकार और ईरान सरकार से भी सम्पर्क स्थापित किया है। लेबनान के न्याय मन्त्री श्री नबीह बेरी अपहरणकर्ताओं से अपील की है, उनको विशेष रूप से कहा है कि भारतीय पासपोर्ट धारी डा० मिथिलेश्वर को हिरासत में रखने का औचित्य क्या है, लेबनान के समाचार पत्रों में बड़े-बड़े

विज्ञापन दिए गए हैं जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि डा० सिंह एक भारतीय नागरिक है, इस प्रकार डा० मिथिलेश्वर सिंह की रिहाई के लिए हम अपने स्तर पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : महोदय मेरा विशिष्ट प्रश्न यह था कि क्या सरकार को इस्लामिक जेहाद संगठन के उस दल की जानकारी है हिरासत में डा० मिथिलेश्वर सिंह हैं क्योंकि उस स्थिति में सरकार के लिए सम्बन्धित दल से बातचीत करना संभव होगा।

मैं जानना चाहूं कि क्या सरकार को कोई ऐसा समाचार मिला है कि यह इस्लामी दल अब उन्हें जल्दी ही रिहा करना चाहता है। सरकार के पास इसकी क्या सूचना है और उनकी रिहाई की क्या संभावना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : हमारी सूचना यह है कि पहले इस्लामिक जेहाद संगठन का यह दल अज्ञात था। इस्लामिक जिहाद का यह दल फिलीस्तीन की स्वतन्त्रता के लिए है। परन्तु जैसाकि मैंने कहा था हमने इस दल के साथ भी सम्पर्क स्थापित करने के सभी संभावित प्रयास किए हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा स्नातकों पर कनाडा की सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध

*41. **श्री जी० भूरति** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कनाडा की योग्यता आकलन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले 100 से अधिक भारतीय चिकित्सा स्नातकों को कनाडा में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) क्या इनमें से कुछ चिकित्सा स्नातकों को डिलीवरी व्वाय, सुरक्षा गार्ड और गेस्ट हाउसों में अटेंडेंट जैसे छोटे-मोटे काम करने पड़ रहे हैं! और

(ग) यदि हां, तो इन चिकित्सा स्नातकों की सहायता करने और उन्हें भारत वापस आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत और अन्य देशों के कुछ चिकित्सा स्नातकों को, जिन्होंने कनाडा की योग्यता आकलन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, शिक्षिकु अध्यापक पद प्राप्त करने में कठिनाई होती है जो कनाडा में प्रैक्टिस करने के लिए एक पूर्व शर्त है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार इन चिकित्सा स्नातकों में से कुछ ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जिनका उनकी योग्यताओं से कोई संबंध नहीं है।

(ग) कनाडा में इन भारतीय चिकित्सा स्नातकों ने भारत लौटने के लिए किसी प्रकार की सहायता के वास्ते सरकार से संपर्क नहीं किया है।

गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के नेता द्वारा केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन

*44. **श्री नारायण चौबे :**

श्री मुकुल वासनिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के नेता, श्री सुभाष घीसिंग ने प्रधान मंत्री को, उनके हाल के दार्जिलिंग के दौरे के दौरान एक ज्ञापन दिया था;

(ख) क्या इससे पहले उन्होंने दिल्ली केन्द्रीय गृह मन्त्री से भी बातचीत की थी;

(ग) यदि हां, तो इस मोर्चे की मांगें क्या हैं;

(घ) बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस मोर्चे की मांगों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्री (श्री सरदार बूटासिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के परामर्श से नागरिकता के प्रश्न पर वार्ता के लिए गृह मंत्री द्वारा जी० एन० एल० एफ० के अध्यक्ष श्री सुभाष घिसिंग को निमन्त्रण भेजा गया था। निमन्त्रण प्राप्त होने के बाद श्री घिसिंग ने 3 दिवसीय "बंगाल विरोधी दिवस" आन्दोलन को समाप्त कर दिया।

2. जी० एन० एल० एफ० के अन्य प्रतिनिधियों के साथ श्री घिसिंग 28 जनवरी, और 3 फरवरी, 1987 को गृह मंत्री से मिले। वार्ताओं के दौरान यह सहमति हुई कि विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का हल विचार विमर्श करके शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से निकाला जाए। इस बात पर भी सहमति हुई कि श्री घिसिंग नागरिकता के बारे में और अधिक ब्यौरेवार अपने प्रस्ताव तैयार करें और उन्हें भारत सरकार को भेजें। श्री घिसिंग ने भारतीय सेना की गोरखा रेजीमेंट में भारतीय गोरखाओं को भर्ती न करने का प्रश्न भी उठाया। इसके बारे में उन्हें सूचित किया गया कि इस मामले पर और विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि श्री घिसिंग ने गृह मन्त्री को पुनः आश्वासन दिया कि मेरा आन्दोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रहेगा फिर भी गृह मन्त्री ने उनसे कहा कि देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने पर बल देने की आवश्यकता है जो देश की इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है।

3. तत्पश्चात् वार्ताओं के बाद, श्री घिसिंग ने जी० एन० एल० एफ० के आंदोलन को शुरू में, दो महीने की अवधि के लिए निलम्बित रखने की घोषणा की। 7 फरवरी, 1987 को श्री घिसिंग ने दार्जिलिंग में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन की प्रति संलग्न है।

सरकार इस ज्ञापन की जांच कर रही है।

गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ज्ञापन

माननीय प्रधान मंत्री

श्री राजीव गांधी

7 फरवरी, 1987

शिविर : राज भवन, दार्जिलिंग

माननीय प्रधान मंत्री,

भारत के आदिवासी और बसे हुए गोरखाओं की ओर से हम दार्जिलिंग में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम पूरी आशा करते हैं कि आपका हमारे नगर में थोड़े समय का प्रवास सुखद तथा स्मरणीय होगा किन्तु इसके बावजूद भी यह यात्रा आपको भारतीय गोरखाओं की आशाओं और राजनीतिक आकांक्षाओं से पूरी तरह अवगत करायेंगी।

माननीय गृह मंत्री, श्री बूटा सिंह तथा गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि मण्डल के बीच जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह के दौरान हुई प्रारम्भिक वार्ताओं के आधार पर हम आपको सम्मुख भारत के आदिवासी तथा बसे हुए गोरखाओं की आकांक्षाओं को दर्शाने वाला ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप प्रमुख रूप से उठाये गए मुद्दों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

1. माननीय गृह मंत्री द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 में उल्लिखित क्षेत्रों के समावेशन के आधार पर नागरिकता के मुद्दे को हल करने के लिए, दिए गए आश्वासन पर हम आपको अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इससे भारत के आदिवासी तथा बसे हुए गोरखाओं और सदृश लोगों के बीच अन्तर स्पष्ट किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा जारी किया गया शासकीय राजपत्र अथवा अधिसूचना इस मुद्दे पर सील लगा देगा। नि:संदेह इससे हमारी भारतीय पहचान को गारन्टी मिलेगी जिसकी हम लम्बे समय से आकांक्षा करते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस सरकारी कार्यवाही से आदिवासी तथा बसे हुए भारतीय गोरखाओं के लिए एक अलग भारतीय गोरखा रेजीमेंट का गठन हो सकेगा, जिससे "भारतीय गोरखा सैनिक" तथा "समझौता गोरखा सैनिक" के बीच अन्तर स्पष्ट होगा।

2. केवल नागरिकता प्रदान कर देने से भारत के आदिवासी तथा बसे हुए गोरखाओं की आकांक्षाओं की पर्याप्त रूप से सन्तुष्ट नहीं होती और न ही इससे हमारा राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होना निश्चित होता है। विद्यमान राजनीतिक ढांचे के अन्तर्गत विकास को शुरू होने की सम्भावना नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार का उप निवेशवादी रवैया भारत के आदिवासी तथा

बसे हुए गोरखाओं की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के अनुकूल नहीं है। इसलिए इसका केवल एक मात्र हल "गोरखा लैण्ड" के एक अलग राज्य की स्थापना है।

3. हम इस मांग को लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक मानते हैं। फिर भी, पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा इस आन्दोलन को "राष्ट्र विरोधी" और "अलगाववादी" कहा गया है। इस बहाने पश्चिमी बंगाल की सरकार दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र तथा डुआरस के शान्तिप्रिय लोगों पर दमनकारी कदम उठा रही है, अत्याचार, आगजनी और लूटपाट कर रही है तथा अंधाधुंध और अकारण बल प्रयोग कर रही है। इस प्रकार का आतंक हमारे देश की लोक-तांत्रिक परम्परा के विरुद्ध है। इसलिए, हम इन क्षेत्रों से सभी केन्द्रीय बलों को हटाने और भारत सरकार द्वारा विशेष जांच आयोग स्थापित करने की मांग करते हैं ताकि लोगों में विश्वास की भावना पैदा की जा सके और बातचीत के जरिये समझौते के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाया जा सके।

यह ज्ञापन भारत के सारे आदिवासी तथा बसे हुए गोरखाओं की आवाज है तथा भारतीय संघ में "गोरखा लैण्ड" नामक राज्य को बनाये जाने की मांग करता है। हमें दृढ़ विश्वास है कि एक अलग गोरखा लैंड राज्य का सर्जन भारत के आदिवासी तथा बसे हुए गोरखाओं को भारतीय पहचान देगा जिनको अब तक गलत ढंग से नेपाल के नागरिक माना जाता रहा है। गोरखा लैंड केवल भारत के आदिवासी तथा बसे हुए गोरखाओं के हित में··· नहीं होगा बल्कि पूरे देश के लिए भी हितकर होगा।

भारत के आदिवासी तथा बसे हुए
गोरखाओं के लिए और उनकी ओर से

ह०/—

(सुभाष घीसिंग)

अध्यक्ष

गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा
गोरखा लैंड, भारत

संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल में शामिल संगठनों के नाम

1. जी एन एल एफ
2. जी एन डब्ल्यू ओ
3. जी एन वाई एफ
4. जी एन एस एफ
5. जी एन ई ओ
6. पर्वतीय कर्मचारी संगठन

7. एन यू टी एस

8. दी स्टडी फोरस

9. अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति

10. दी बन संरक्षण समिति।

11. दी कान्ट्रेक्टर एसोसिएशन।

सीमावर्ती जिलों में विद्रोहियों का बड़ी संख्या में अवैध प्रवेश

*45. **डा० वी वेंकटेश :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के सीमावर्ती जिलों में विदेशियों के लगातार भारी संख्या में अवैध प्रवेश के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके इस अवैध प्रवेश को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) बंगलादेश से त्रिपुरा जनजाति शरणार्थियों के अवैध प्रवेश के अलावा भारी संख्या में और कोई अवैध प्रवेश नहीं हुआ है।

(ख) इन शरणार्थियों की शीघ्र वापसी के लिए अनुकूल स्थिति बनाने हेतु मामले को बंगला देश सरकार के साथ उठाया गया है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में प्रबंध संबंधी संकट

*49. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम कुछ समय से प्रबंध सम्बन्धी संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी चार सहायक कंपनियों में सर्वोच्च पद कितने समय से रिक्त पड़े हैं और इन रिक्तियों को न भरने के कारण क्या हैं ;

(ग) इस बीच कितने निदेशक धारक कंपनी छोड़ कर चले गए हैं; और

(घ) इन रिक्तियों का राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण पर समग्र रूप से कितना प्रभाव पड़ा है और इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) एन टी सी में सर्वोच्च पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिलने में कुछ कठिनाइयां रही हैं।

(ख) इस समय एन टी सी के चार सहायक निगमों में अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशकों की रिक्तियां हैं जो कि निम्नोक्त प्रकार हैं :

सहायक निगम का नाम	जिस तारीख से पद खाली है
एन टी सी (मध्य प्रदेश), इंदौर	25-12-1985
एन टी सी (उत्तर प्रदेश) कानपुर	29-11-1985
एन टी सी (महाराष्ट्र नार्थ), बम्बई	1-3-1986
एन टी सी (महाराष्ट्र साउथ), बम्बई	28-11-1986

इन रिक्तियों को भरने में हुए विलम्ब के कारण रहे हैं : खुले बाजार में उपयुक्त अभ्यार्थियों की अनुपलब्धता और इन पदों के लिए प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को छोड़ने के संबंध में राज्य सरकारों की अनिच्छा। तथापि, इन पदों को भरने के सम्बन्ध में कार्यवाही पहले ही कर ली गई है।

(ग) केवल एक निदेशक (भूतपूर्व प्रबंध निदेशक) ने अपना त्याग पत्र देते हुए नियन्त्रक कंपनी छोड़ दी है।

(घ) इन रिक्तियों से एन टी सी कार्यचालन पर कुल मिलाकर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि इनके वैकल्पिक प्रबन्ध कर लिए गए हैं। इन खाली पदों को भरने संबंधी कार्यवाही चल रही है और अधिकांश मामलों में चयन सम्बन्धी कार्यवाही पूरी हो गई है।

अफ्रीका कोष समिति द्वारा कार्यवाही योजना स्वीकार किया जाना

*51. **श्री महेन्द्र सिंह :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जनवरी के महीने में नई दिल्ली में आयोजित शिखर-सम्मेलन में अफ्रीका कोष समिति ने दक्षिण अफ्रीका के सीमावर्ती अग्रिम पंक्ति के देशों की सहायता के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकार की है;

(ख) यदि हां, तो कार्यवाही योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोष के परिणाम तथा इसके प्रशासन के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कोष में कितने अंशदान की घोषणा की गई है; और

(ङ) क्या कोष में गैर-सरकारी पक्षों द्वारा अंशदान किये जाने की अनुमति दी जाएगी ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य योजना में ऐसी विशिष्ट परियोजनाएं और उपाय तय किए गए हैं जो इस कोष के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में किए जाने हैं :

(i) दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रतिबन्ध लगाये जाने के परिणामत: जिन आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाए, उनकी कमी को पूरा करना और जिसमें एक सामरिक राहत भण्डार स्थापना भी शामिल है;

(ii) जातिवाद के खिलाफ संघर्ष से दुष्प्रभावित परिवहन और संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना;

(iii) दक्षिण अफ्रीकी शासन के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई से व्यापार पर होने वाले दुष्प्रभावों को दूर करना;

(iv) इस बात का सुनिश्चय करना कि तेल और अन्य प्रकार की ऊर्जा निरन्तर मिलती रहे;

(v) इस बात का सुनिश्चय करना कि महत्वपूर्ण आर्थिक प्रतिष्ठानों और अधीनस्थ तन्त्र सुरक्षित रूप से काम करता रहे;

(vi) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था के लिए माननीय कौशल का विकास करना;

(vii) दक्षिण अफ्रीका द्वारा निष्कासित किये जाने पर प्रवासी कामगारों के पुनर्वास की व्यवस्था करना;

(viii) दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में मुक्ति आन्दोलनों अर्थात् ए०एम०सी०,पी०एस० सी० और स्वापो को समर्थन देना; और

(ix) कोष के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करना तथा वित्तीय संसाधन जुटाना।

(ग) और (घ) : यह कार्य योजना अपने आप में इस कोष के लक्ष्यों की अभिव्यक्ति है। अलग से कोई वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

इस कोष के संचालन के लिए नौ सदस्यों की एक कोष समिति की स्थापना की गई है, जिसका अध्यक्ष भारत और उपाध्यक्ष जाम्बिया है। नई दिल्ली में आयोजित अफ्रीका कोष समिति के शिखर सम्मेलन में कोष की प्रबन्ध व्यवस्था और प्रचालन के लिए क्रियाविधि सम्बन्धी नियम भी स्वीकार किये गये भारत ने तीन वर्ष में इस कोष में 50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। नाइजीरिया ने तीन वर्षों की अवधि में डेढ़ करोड़ अमरीकी डालर देने की तथा पेरू ने 1 करोड़ अमरीकी डालर देने की घोषणा की है। कुछ अन्य देशों ने भी कोष में अंशदान करने की अपनी मंशा जाहिर की है लेकिन इस आशय की कोई सार्वजनिक घोषणाएं नहीं की गई हैं।

(ङ) जी, हां।

पाकिस्तानी क्षेत्र में अमरीकी सैनिक तैनात किए जाने के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका और पाकिस्तान का गुप्त समझौता

*53. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका और पाकिस्तान ने पाकिस्तानी क्षेत्र में अमरीकी दूत तैनाती सैनिक बल (यू० एस० रेपिड डिपलायमेंट फोर्स) भेजे जाने के बारे में एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समझौते पर अक्तूबर, 1986 में अमरीकी रक्षा मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या इस विषय पर पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ हुई हाल की बैठक में चर्चा की गई थी ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार किसी भी देश में विदेशी सैनिक अड्डे सुविधाएं स्थापित करने के खिलाफ है सरकार ने पाकिस्तान में अमरीकी अड्डों की स्थापना क संभावना के बारे में अपनी चिन्ता से पाकिस्तान को अवगत करा दिया है। तथापि अमरीका और पाकिस्तान दोनों ने इस प्रकार के किसी ठिकाने के अस्तित्व का खंडन किया है।

पाकिस्तान द्वारा फ्रांस में निर्मित एटलिस की खरीद

*55. **श्री एस० जयपाल रेड्डी :**

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अमरीका में निर्मित अपने लड़ाकू जेट विमान एफ-16 के लिए फ्रांस में निर्मित एटलिस, "जो एक अत्याधुनिक लेसर गाईडिड बम्बिंग फायर कन्ट्रोल सिस्टम है" खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस नई चुनौती का सामना करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार ने इस संबंध में समाचार पत्रों में छपी खबरें देखी हैं जो कि सही लगती हैं।

(ख) और (ग) इस प्रकार की सभी घटनाओं पर निरन्तर निगाह रखी जाती है और पूरी सुरक्षा तैयारी का सुनिश्चिय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

पटसन का मूल्य

*56. श्री ऊमर लाल बैठा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पटसन की विभिन्न किस्मों के न्यूनतम मूल्य कितने-कितने निर्धारित किये गए हैं; और

(ख) ये मूल्य निर्धारित करते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) 1986-87 सीजन के लिए विभिन्न जूट तथा मेस्टा उत्पादक राज्यों में देहाती बाजारों और कलकत्ता में कच्चे जूट तथा मेस्टा की विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडों के लिए न्यूनतम कीमतें क्रमशः अनुबन्ध I तथा II में दर्शाई गई हैं [ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3742/87]

(ख) कच्चे जूट की विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम कीमतें निर्धारित करते समय सरकार सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखती है जिनमें शामिल हैं : कृषि लागत तथा कीमत आयोग की सिफारिशें, जूट के विभिन्न ग्रेडों के लिए सामान्य कीमत अन्तर, देहाती बाजारों से कलकत्ता तक भाड़ा लागत आदि ।

दक्षिण भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना

* 57. श्री० वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान कितने कैसेट तैयार किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने कैसेट दक्षिण भारत में पर्यटन के संबंध में हैं; और

(ग) दक्षिण भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) फिल्मों का निर्माण करना और उनकी खरीद करना पहले से चली आ रही प्रक्रिया है और यह भारत तथा विदेश स्थित विभाग के कार्यालयों की मांग पर निर्भर करती है। 1986-87 के दौरान विभाग जैसलमेर, राजस्थान, में मरुस्थल पर्व पर अपनी पहली विडियो फिल्म (कैसेट) बनाई है। विभाग ने "ग्लोरी आफ हम्पी" शीर्षक से भी एक फिल्म पूरी की है जिसका विभाग के भारत तथा विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक उद्देश्यों से उपयोग किया जा रहा है। तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने राज्यों के पर्यटक आकर्षणों पर फिल्मों/श्रव्य-दृश्यों का निर्माण किया है।

(ग) दक्षिणी राज्यों के पर्यटक गंतव्यों सहित भारत का संवर्धन और प्रचार करना पर्यटन विभाग का एक सतत कार्यकलाप है। दक्षिणी राज्यों के लिए पर्यटन का संवर्धन करने के वास्ते उठाए गए कदमों में शामिल हैं—पर्यटक आकर्षणों तथा गंतव्यों का विकास और आधार-

संरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि। गत वर्ष विभाग ने स्वदेशी पर्यटन पर जो एक प्रचार अभियान शुरू किया था उसके अन्तर्गत भी पेरियार (केरल) और हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) पर विशेष विज्ञापन दिए गए हैं। ये विज्ञापन तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जैसी अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं की प्रमुख उपभोकता और व्यावसायिक पत्र-पत्रिकाओं में छपे। अनेक नए फोल्डर और निर्देशिकाएं प्रकाशनाधीन हैं जिनमें दक्षिण के प्रमुख पर्यटक परिपथों को शामिल किया गया है. ये शीघ्र ही वितरण के लिए तैयार हो जाएंगे। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को चार्टर उड़ानों के लिए खोल दिया गया है।

दिल्ली में गिरफ्तार किए गए और हिरासत से भाग जाने वाले आतंकवादियों की संख्या

*58. **श्री आरिफ मोहम्मद खां :**

श्री परसराम भारद्वाज : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नवम्बर और दिसम्बर, 1986 तथा जनवरी, 1987 के दौरान आतंकवाद के अपराधों के लिए कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(ख) इनमें से कितने कथित आतंकवादी पुलिस हिरासत से भाग निकले और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) 5

(ख) दिल्ली पुलिस की हिरासत से कोई कथित आतंकवादी नहीं भागा।

[हिन्दी]

रंगनाथ मिश्र आयोग का प्रतिवेदन

*59. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नवम्बर, 1984 में दिल्ली में और कुछ अन्य स्थानों पर हुए दंगों के सम्बन्ध में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उस पर कौन-सी कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के नोट के साथ रिपोर्ट को 23 फरवरी, 1987 को सभा पटल पर रख दिया गया है।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन यूनिटों का गैर-सरकारीकरण

*60. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन यूनिटों में से किसी यूनिट का गैर-सरकारीकरण किया है :

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार गैर-सरकारी पक्षों को सौंपे गये यूनिटों का ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ और यूनिटों का गैर-सरकारीकरण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (खुर्शीद आलम खान साहब) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को बन्द करना

458. श्री एच० बी० पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की बहुत अधिक घाटे में चल रही 8 मिलों को बन्द करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की किसी भी मिल को बन्द करने के लिए अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राउरकेला में राज्य व्यापार निगम का डिपो खोलना

459. श्री चिंतामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का उड़ीसा में कटक में केवल एक ही डिपो है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने आयातित खाद्य तेलों के उपभोक्ता मूल्य कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार से राउरकेला में राज्य व्यापार निगम का एक और डिपो खोलने का अनुरोध किया था; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम का उड़ीसा में कहीं भी कोई कार्यालय नहीं है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य व्यापार निगम के प्राधिकारी उड़ीसा में अपना कार्यालय खोलने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(च) यदि हां, तो कार्यालय खोलने में विलंब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य को उनके आबंटन के आधार पर खाद्य तेलों की सप्लाई करने के लिए राज्य व्यापार निगम का कटक में एक भण्डारण डिपो है ।

(ग) राज्य सरकार से 1984 व 1985 में राउरकेला में दूसरा डिपो खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे लेकिन राज्य व्यापार निगम द्वारा उड़ीसा राज्य में दूसरा डिपो खोलना न्याय-संगत नहीं पाया गया ।

(घ) से (च) : इस समय राज्य व्यापार निगम का उड़ीसा राज्य में अपना स्वयं का कोई कार्यालय नहीं है । तथापि, राज्य व्यापार निगम भावनगर में एक उप-शाला खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरि जिलों में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

460. **प्रो० मधु दण्डवते** ; क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरि जिलों के तटीय क्षेत्रों में पर्यटक केन्द्रों के लिए उपयुक्त कई स्थल हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा कमाने की दृष्टि से इन पर्यटक केन्द्रों का विकास करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने गणपतिफुले में समुद्र तट कुटीरों के लिए 8.77 लाख रुपए और वलनेश्वर में समुद्रतट विहार स्थल के लिए 34.10 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं ।

भारत-नेपाल संयुक्त आर्थिक सहयोग

461. **श्री टी० बाल गौड** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-नेपाल संयुक्त आर्थिक आयोग स्थापित करने के लिए करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना पर विचार-विमर्श चल रहा है । इस संयुक्त आयोग के विशिष्ट विचारार्थ विषय अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही कपड़ा मिलें

462. **श्री अमर सिंह राठवा**

श्री मोहनभाई पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही कुछ मिलें बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है और उनके बन्द किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके कारण कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) उनकी फिर से चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

अमरीका को कपड़े के निर्यात में वृद्धि

463. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कपड़े के निर्यात में वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय शिष्टमण्डल ने अमरीका का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) एक प्रतिनिधिमण्डल ने अपने अमरीका के दौरान भारत-अमरीका द्विपक्षीय वस्त्र करार पर हस्ताक्षर किए तथा अमरीका में आयातकों और व्यापार माध्यमों के साथ परामर्श करके टैक्सटाइल माल के निर्यात में और विविधीकरण करने तथा वृद्धि करने की गुंजाइश के बारे में मूल्यांकन किया। इसके अलावा, प्रतिनिधिमण्डल के दौरे के दौरान कुछ प्रमुख द्विपक्षीय कठिनाइयों का भी समाधान किया गया।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के कर्मचारियों की मांगें

464. **श्री सोडे रमैया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के दिहाड़ी पर काम करने वाले और नियमित कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 21 जनवरी, 1987 को सांकेतिक हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के कुछ कर्मचारी 21 जनवरी, 1987 को हड़ताल पर थे। हालांकि आरम्भ में इसकी घोषणा डौकन हड़ताल के रूप में की गई थी लेकिन बाद में कर्मचारियों ने घोषणा की कि हड़ताल अनिश्चित काल के लिए होगी।

(ख) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा रखी गई मुख्य मांगें तथा उनकी मांगों के संबंध में स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :

(1) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के इन्जीनियरिंग प्रभाग में मस्टर रोल स्टाफ के 50% का नियमितिकरण करना। इस मामले पर भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ध्यान दे रहा है।

(2) जूनियर स्टाफ के वेतनमानों तथा भत्तों का संशोधन।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए सरकार को भेजने के लिए कहा गया है।

(3) जूनियर स्टाफ को आवास देना।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण भूमि का आवंटन प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है।

आयात को उदार बनाने के सम्बन्ध में आठवें विश्व अर्थशास्त्री सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचार

465. डा० ए० के० पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिसम्बर में दिल्ली में आयोजित आठवें विश्व अर्थशास्त्री सम्मेलन में अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि आयातों के उदारीकरण से निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित आयात 1972-73 में 10% से बढ़कर वर्ष 1977-78 में 18% और 1984-85 में 35% हो गया था लेकिन उसके अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) यह बताया गया है कि आठवें विश्व अर्थशास्त्री सम्मेलन में 5 दिसम्बर, 1986 को भारतीय आर्थिक विकास पर आयोजित पैनल विचार-विमर्श के दौरान एक अर्थशास्त्री ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से ऐसा वक्तव्य दिया था। सरकार इस वक्तव्य के आधार से अवगत नहीं है।

नौसैनिक जहाजों में स्वचालित स्पीच रिकार्डर लगाना

466. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंट्रोल टावर और विमान के पाइलट के बीच सम्पर्क बनाए रखने के लिए विमानों में स्पीच रिकार्डरों की व्यवस्था की तरह नौसैनिक जहाजों में जहाज के केप्टनों द्वारा जरूरत पड़ने पर जहाज में आई खराबी का पता लगाने के लिए इन्जन कक्षों को दिये गये संदेश/आदेशों की स्वचालित रिकार्डिंग की व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या नौसैनिक जहाजों में स्वचालित स्पीच रिकार्डर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नौसेना के जहाजों द्वारा अपनाई जाने वाली रिकार्डिंग की वर्तमान प्रणाली पर्याप्त समझी जाती है।

रेलवे "कॉरिडोर" सुविधा पुन: आरम्भ करने के बारे में बंगलादेश को भारत की पेशकश

467. **श्री सनत कुमार मंडल** :

डा० बी० एल० शलेश : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी पिछली बंगलादेश की यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल को उत्तर-पूर्व क्षेत्र से बंगला देश सीमा में होकर जोड़ने के लिए रेलवे "कॉरिडोर" सुविधा पुन: आरम्भ करने के बारे में भारत ने कोई नई पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पेशकश के संबंध में बंगलादेश सरकार की ओर से कोई वादा किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका इस संबंध में बंगलादेश सरकार के साथ राजनयिक माध्यम से कोई कार्यवाही करने का विचार है

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) भारतीय रेल के द्वारा बंगलादेश की रेल व्यवस्था के माध्यम से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में माल को लाने-लेजाने की संभावना पर पहले भी कई बार विचार हुआ है। बंगलादेश की यात्रा पर जब मैं गया था उस वक्त भी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

]हिन्दी]

हज तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं

468. **श्री जैनुल बशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस वर्ष हज तीर्थ यात्रियों को विशेषकर जहाजों की संख्या में वृद्धि और हवाई किराये में कमी करने के बारे में क्या-क्या नई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस वर्ष भारत के हज तीर्थ-यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार भारत से हज यात्रा के सभीपहलुओं को निरन्तर समीक्षा करती रहती है ताकि हज यात्रियों को, यदि व्यवहार्य हो तो बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। 1987 में हज यात्रा के लिए जहाजों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एयर इंडिया और हज समिति बम्बई हज चार्टर विमान का किराया जहां तक संभव होगा, कम करवायेगी।

(ख) इस वर्ष हज यात्रियों की संख्या में, जिनके लिए सरकार विदेशी मुद्रा जारी करती है, वृद्धि किये जाने की संभावना नहीं है।

प्रत्यर्पण सन्धि

469. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ सरकार प्रत्यर्पण संधियों के लिए बातचीत कर रही है और उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ ऐसी पूर्वत: प्रत्यर्पण संधि हो चुकी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के नटवर सिंह) : सरकार इस समय यू० के० और जर्मन संघीय गणराज्य के साथ प्रत्यर्पण संधियों के संबंध में बातचीत कर रही है। भारत ने नेपाल, भूटान, युगांडा, बेल्जियम संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के साथ प्रत्यर्पण सन्धियां की हैं।

बन्दरों का अवैध निर्यात

470. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दरों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद लोग इनका अवैध तरीके से निर्यात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बन्दरों का निर्यात करने वाले लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

हथकरघा और विद्युत करघा के विकास में नई कपड़ा नीति का प्रभाव

471. श्री जगदीश अवस्थी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों के विकास पर गत वर्ष घोषित नई कपड़ा नीति का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या नई कपड़ा नीति के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आय बढ़ाने के अवसरों में भी समग्र रूप से वृद्धि हुई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) कपड़ा उत्पादन की प्रवृत्ति विकेन्द्रीकृत हथकरघा और बिजली करघा क्षेत्रों पर नई वस्त्र नीति का अनुकूल प्रभाव का संकेत करती है, जोकि नीचे दिए अनुसार है :

(मिलियन मीटरों में)

वर्ष	हथकरघा क्षेत्र	बिजली करघा क्षेत्र
1984-85	3137	5445
1985-86	3236	5886
1986-87	3368	6149

(अनुमानित)

(ख) यद्यपि कोई ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, तथापि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हथकरघा और बिजलीकरघा क्षेत्रों में कपड़े का उत्पादन बढ़ा है, इससे अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत मिल सकता है कि इन क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर हो सकते हैं।

(ग) यह कहा जा सकता है कि नई वस्त्र नीति के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आय सृजन बढ़ा है, क्योंकि वस्त्र उद्योग में समग्र उत्पादन बढ़ा है और ब्लेंडेड एवं गैर सूती वस्त्रों, जो कि बेहतर कीमतें वसूल करने योग्य हैं, के उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि हुई है।

कपड़ा उत्पादों का निर्यात

472. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान कितनी धनराशि के कपड़ा उत्पादों का निर्यात किया गया और वर्ष 1986-87 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अप्रैल-सितम्बर, 1986 की अवधि के दौरान कपड़ा उत्पादों के निर्यात का मूल्य कितना है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने तथा वर्ष 1987-88 के दौरान कपड़ा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) विवरण I संलग्न है।

(ग) विवरण II संलग्न है।

विवरण I

वस्त्र निर्यात

(मूल्य करोड़ रु० में)
(अनन्तिम)

क्रमांक	मद	निर्यात 84-85	निर्यात 85-86	लक्ष्य 86-87	निर्यात अप्रैल-सितम्बर 86
1.	सूती फैब्रिक्स, मेड-अप्स (मिल निर्मित-बिद्युत करघा), सूती यार्न जिसमें हथकरघा फैब्रिक्स तथा मेडअप्स शामिल हैं।	639·93	630·93	695·00	321·76
2.	सिले सिलाए परिधान	948·30	1096·14	1200·00	615·69
3.	ऊन तथा ऊनी वस्त्र	88·20	86·75	105·00	32·68
4.	रेशम	129·06	159·80	150·00	92·61
5.	मानव-निर्मित वस्त्र	60·92	53·92	75·00	35·72

स्रोत : निर्यात संवर्धन परिषदें।

विवरण II

वस्त्र माल का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।

(1) देश में न बनने वाली आधुनिक परिधान विनिर्माण मशीनों का ओ० जी० एल० पर आयात किए जाने की अनुमति दी जाती है। परिधान तथा हौजरी बनाने के लिए 114 मशीनें ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रखी गई हैं जिनमें से 97 पर रियायती आयात शुल्क है।

(2) अप्रचलित मशीनों आदि को हटाने और वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र मशीनरी के स्वदेशी उत्पादन के संबंध में सरकार की नीति उदार बना दी गई है और चुनिन्दा मशीनों के आयात की अनुमति निर्यात दायित्व की शर्त पर की जाती है।

(3) सूती वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण सुविधाजनक बनाने के लिए 750 करोड़ रु० की वस्त्र आधुनिकीकरण निधि बनाई गई है।

(4) सूती यार्न के निर्यात के लिए उदार अधिकतम सीमाएं रखते हुए एक दीर्घकालीन नीति की घोषणा की गई है। 60 तक के काउन्टों के यार्न के लिए वर्तमान सीमा 40 मिलियन किग्रा० प्रति वर्ष है जबकि पहले यह सीमा 12 मिलियन किग्रा० थी। 60 से अधिक काउंट के यार्न के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(5) 1 जुलाई, 1986 से लागू नकद मुआवजा सहायता की संशोधित दरें घोषित की गई हैं। ये दरें 3 साल की अवधि के लिए घोषित की गई हैं और सामान्यतः पहले से अधिक हैं। परिधानों की मन्द गति से चलने वाली जिन मदों पर नकद मुआवजा सहायता कोटा देशों को निर्यात किए जाने पर देय नहीं थी, वे नकद मुआवजा सहायता के लिए पात्र बना दी गई हैं। सभी काउन्टों के यार्न के निर्यात पर जुलाई/अगस्त, 1986 से 8 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता की अनुमति दी गई है। कोरे फैब्रिक्स के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता 13-2-87 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

(6) नकद मुआवजा सहायता के मामले में निर्यातकों में निश्चितता की भावना लाने की दृष्टि से सूती परिधानों और वस्त्रों को संविदा पंजीकरण योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(7) परिधान उत्पादन के लिए फैशन डिजायन के क्षेत्रों में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण हेतु दिल्ली स्थित फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान 1987 में पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

(8) सूती परिधानों के लिए शुल्क वापसी की दरें बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई हैं।

(9) लदान-पूर्व ऋण के दिनों की संख्या 90 से बढ़ाकर 180 कर दी गई है। ब्याज की दर भी 2·5 प्रतिशत कम की गई है।

(10) कच्चे माल/फैब्रिकों की बहुत सी मदों के आयात की अनुमति शुल्क मुक्त आर० ई० पी० योजना और आयात-निर्यात पासबुक योजना के अन्तर्गत दी जाती है।

(11) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है और प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है।

(12) शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और मुक्त व्यापार दोनों की योजना के अन्तर्गत पूंजी माल और कच्चे माल को उदार आयात की सुविधाएं कई अन्य रियायतों सहित दी जाती हैं।

(13) गैर-कोटा देशों को निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से परिधान तथा निटवियरों सम्बन्धी निर्यात सरकारी वितरण नीति के अन्तर्गत "गैर कोटा निर्यातक प्रणाली" नामक एक नई प्रणाली आरम्भ की गई है। गैर-कोटा जी० सी० ए० देशों में अच्छा निर्यात निष्पादन दर्शाने वाले निर्यातक इस प्रणाली के अधीन आबंटन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(14) घरेलू बिक्रियों के लिए विदेशी ब्राण्ड नामों के प्रयोग की अनुमति सिले-सिलाए परिधानों के मामले में इस शर्त के साथ दी गई है कि केवल स्वदेशी फैब्रिकों का प्रयोग हो, उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत भाग निर्यात हो और घरेलू बिक्री पर किसी भी रायल्टी की अनुमति नहीं है।

आयात और निर्यात के आंकड़े

473. **श्री अरुण नेहरू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के देश वार विभिन्न मदों के आयात और निर्यात सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं; और

(ख) आयात निर्यात के आंकड़ों में विभन्नता के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) भारतीय विदेश व्यापार के वस्तुवार-देशवार आंकड़े "मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया (वाल्यूम 1 तथा 2)" नामक प्रकाशन में किए गए हैं जो मार्च, 1984 तक उपलब्ध हैं। ये प्रकाशन संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों तथा देशों को होने वाले निर्यातों और उनसे होने वाले आयातों का स्तर बहुत से तथ्यों पर निर्भर करता है जैसे उनके निर्यातों के लिए विदेशी मांग, विदेशों में वाणिज्यिक नीतियां जिनमें टैरिफ तथा गैर-टैरिफ बाधाएं शामिल हैं, निर्यातों की घरेलू सप्लाई, अर्थव्यवस्था का स्तर और हमारी घरेलू आवश्यकताएं। 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के दौरान अफ्रीका को छोड़कर सभी क्षेत्रों को हुए निर्यातों में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान भारत में सभी क्षेत्रों से हुए आयातों में वृद्धि हुई है।

गुरुवायूर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने सम्बन्धी प्रस्ताव

474. **श्री के० मोहनदास** ; क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में गुरूवायुर का केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987 के दौरान पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) 1987 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि भारतीय यात्री आवास विकास समिति ने गुरूवायूर का एक तीर्थ केन्द्र के रूप में अभिनिर्धारण किया है जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में भूमि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए यात्रिका की स्थापना की जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यात प्रोत्साहन के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के सुझाव

475. श्री शांति धारीवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने निर्यात के उद्देश्य से लाभ की बजाय कुल कारोवार के आधार पर निर्यात प्रोत्साहन देने और अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज दर पर ऋण देने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजनदास मुन्शी) : (क) और (ख) एफ आई सी सी आई ने सुझाव दिया है कि भारत में निर्यात ऋण जापान, स्विटरलैंड, पश्चिम जर्मनी तथा पाकिस्तान में उपलब्ध दरों से मेल खाती हुई दरों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सरकार ने हाल में लदान पूर्व यथा लदान पश्चात ऋण की दरों को कम कर दिया है और अब वे सभी उत्पादों हेतु 180 दिनों की अवधि के लिए 9·5 प्रतिशत की रियायती दर पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

अमरीका को इंजीनियरिंग निर्यात में बढ़ोत्तरी के लिए इन्जीनियरिंग उद्योग संघ की नीति

476. श्री के० राममूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका को इंजीनियरिंग निर्यात में पर्याप्त बढ़ोत्तरी के लिए इंजीनियरिंग उद्योग संघ द्वारा तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्यात में बढ़ोत्तरी के लिए कार्य-निष्पादन और कार्य कुशलता, दो मानदंडों के आधार पर चुने गए ग्यारह महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उद्योग के लिए कुल गुणवत्ता प्रबंध का दृष्टिकोण बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजनदास मुन्शी) : (क) सं० रा० अमरीका को इंजीनियरी निर्यातों में वृद्धि करने के लिए इंजीनियरी उद्योग महासंघ (सी ई आई द्वारा कतिपय सुझाव दिए गए हैं। इनमें शामिल हैं : चुनिंदा उत्पादों के लिए क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करना तथा प्रत्येक उत्पाद के लिए तीन अग्रणी बाजारों का चुनाव।

(ख) सी० ई० आई० द्वारा निम्नलिखित 11 महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रों का सुझाव दिया गया है :

1. इलैक्ट्रानिक्स।
2. डीजल इंजन तथा पुरजे।
3. तार तथा केबल्स।
4. बाइसिकलें तथा पुरजे।
5. आटो-पार्टस।
6. दस्ती तथा छोटे कटिंग औजार।
7. बाइलर तथा दबाव सह पात्र।
8. मशीनी औजार।
9. स्टोरेज बैटरीज।
10. साफ्ट वेयर।
11. सम्पूर्ण गाड़ियां।

(ग) उन उपायों में जिन्हें सी० ई० आई० ने कुल गुणवत्ता प्रबन्ध तैयार करने के लिए उठाया है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यशालाओं सेमिनारों का आयोजन, कुल गुणवत्ता संकल्पना के लिए पैनलों की नियुक्ति, अध्ययन दल तथा दौरे, दृश्य श्रव्य प्रदर्शन, गुणवत्ता के लिए पुरस्कार की स्थापना आदि शामिल हैं।

पर्यटकों को भारत में सभी मौसमों के लिए आकर्षित करना

477. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गर्मी के महीनों के दौरान पर्यटकों का भारत में आगमन कम हो जाता है;

(ख) क्या पर्यटकों को भारत में सभी मौसमों के लिये आकर्षित करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में विविधता लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) गर्मी के महीनों के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन अपेक्षाकृत कम होता है।

(ख) और (ग) आफ सीजन पैकेजिज आदि की पेशकश करते हुए एक सर्व ऋतु गन्तव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। समुद्र तट पर्यटन, साहसिक पर्यटन, सम्मेलन एवं समागम, आदि जैसे विशेष अभिरुचि के पर्यटन की विभिन्न किस्मों का संवर्धन करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। महाद्वीपीय आयाम और देश के विभिन्न भागों में बहुत से आकर्षणों पर भी सर्वऋतु गंतव्य के रूप में भारत को प्रदर्शित करने के लिए विदेश में प्रचार कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

478. **श्री प्रकाशचन्द्र :** क्या रक्षा मंत्री भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश में मौतों के बारे में 12 नवम्बर, 1986 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1378 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के मृत कर्मचारियों के तीन आश्रितों को नौकरी दे दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उन्हें कब तक नौकरी दिये जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नही।

(ख) इन आश्रितों के पास जो योग्यता है उस योग्यता वाले किसी कामगार की इस समय आवश्यकता नहीं है।

रुई का निर्यात

479. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष रुई के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत निर्यात किया गया था;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या वर्ष 1984-85 और 1985-86 की तुलना में रुई के निर्यात में कोई कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और केन्द्रीय सरकार निर्यात के लिए और अधिक आर्डर प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) रुई वर्ष 1985-86 के दौरान कुल रुई उत्पादन का 4·22 प्रतिशत भाग निर्यात किया गया और उससे 102·54 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई।

(ग) और (घ) चालू रुई वर्ष 31-8-87 को समाप्त होगा, इसलिए अभी यह बताना संभव नहीं है कि क्या 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान किए गए निर्यातों की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान रुई के निर्यात में कोई गिरावट आएगी। निर्यातक अभिकरण निर्यातों में वृद्धि करने के उद्देश्य से विदेशी बाजारों में बिक्री एजेण्ट नियुक्त कर रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं और सामान्यत: विभिन्न रुई आयातक देशों और विशेष रूप से पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करारों के अधीन बिक्री बढ़ा रहे हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद

480. **श्री पी० ए० एण्टनी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने चालू वर्ष के दौरान स्वदेशी बाजार से कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है; और

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा बाजार में की गई खरीद से रबड़ के मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजनदास मुन्शी) : (क) और (ख) बफर स्टाक योजना को लागू करते समय एस० टी० सी० ने घरेलू बाजार से अब तक 6734 मे० टन प्राकृतिक रबड़ की अधिप्राप्ति की है। इससे प्राकृतिक रबड़ के आर० एम० ए० ग्रेड 9 हेतु औसत कीमत पुन: 16500 रु० प्रति मे० टन के स्तर लाने में मदद मिली है।

निर्यात संवर्धन में राज्यों को सहयोग

481. **श्री मुरलीधर माने :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार निर्यात योजनाओं में राज्य सरकारों को सहयोग देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश के निर्यात संवर्धन कार्यकलापों में भाग लेने के लिए आगे आने वाले राज्यों को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) वाणिज्य मंत्री ने राज्य सरकारों को दिनांक 9 दिसम्बर, 1986 को भेजे गए पत्र में भारत सरकार द्वारा हाल के महीनों में किए गए विभिन्न निर्यात नीति उपायों की रूपरेखा दी है। इस पर बल देते हुए कि हमारे देश के निर्यातों को बढ़ाने सम्बन्धी सामूहिक प्रयासों में राज्य सरकारों का महत्वपूर्ण स्थान है, वाणिज्य मन्त्री ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे उन सभी के ध्यान में इस पत्र की विषय वस्तु को लाएं जो कि राज्यों में निर्यात प्रयास से सम्बन्ध रखते हों। आयात व निर्यात नियन्त्रण नियम तथा विनियम की सीमा के भीतर राज्य सरकारों को उनके निर्यात संवर्धन प्रयत्नों के लिए आवश्यक सम्भव सहायता प्रदान की जाती है।

अप्रवासी भारतीयों को भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की इच्छा

482. **श्री गुरुदास कामत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत के विकास में अप्रवासी भारतीयों की भूमिका के सम्बन्ध में हुए सम्मेलन में अप्रवासी भारतीयों ने भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

भारतीय पासपोर्टों को जारी किया जाना पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन नियमित होता है, जिसमें भारत के नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट दिए जाने की व्यवस्था है। सरकार ने इस व्यवस्था में परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं समझा है :

दिल्ली में स्मैक की चोरी-छिपे बिक्री

484. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में स्मैक की चोरी-छिपे बिक्री में वृद्धि के बारे में रिपोर्टों को देखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस जानलेवा औषधि की बिक्री को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाए उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. औषधों की अवैध बिक्री के अपराधों के लिए कठोर दण्ड देने हेतु स्वापक औषध और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 अधिनियमित किया गया है।
2. विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाइयों को समन्वित करने के लिए स्वापक नियन्त्र ब्यूरो स्थापित किया गया है जिसकी क्षेत्रीय इकाइयां दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा वाराणसी में हैं।
3. मुखबरों तथा प्रवर्तन कार्य में लगे हुए कार्मिकों को पुरुस्कार देने की एक योजना प्रारम्भ की गई है।
4. राज्य सरकारों आदि को अनुदेश दिए गए हैं कि वे औषधों की अवैध बिक्री करने वालों के मुकदमों के लिए विशेष न्यायालय निर्धारित करें।

5. दिल्ली में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाती है।

समुद्री मात्स्यकी के संयुक्त उद्यम स्थापित करना

485. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार विदेशी मुद्रा विनियमह अधिनिमयन के अन्तर्गत आने वाले बड़े भारतीय घरानों और कम्पनियों को समुद्री मात्स्यकी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस अनुमति के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ई जैड) में समुद्री स्रोतों का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से संगत अधिनियमों तथा नियमों के अन्तर्गत यथा निर्धारित कंपनी कार्य विभाग द्वारा दी जाने वाली छूट/क्लीयरेंस के अध्यधीन गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सरकार ने हाल ही में एफ० ई० आर० ए० तथा एम० आर० टी० पी० कम्पनियों सहित भारतीय उद्यमियों को सिद्धांत रूप में अनुमति देने का विनिश्चिय किया है।

ऐसे संयुक्त उद्यमों के लिए शर्तों में यह शामिल है कि ऐसी सयुक्त उद्यम कंपनियों को (I) 20 एम तथा उससे अधिक के जलयान भारत में उनके नाम में पंजीकृत तथा भारतीय ध्वज लगे (II) पूर्णतया भुगतान करके अथवा सरकार द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत आस्थगित भुगतान पर तथा (III) दीर्घावधि पट्टे (8-10 वर्ष) पर भी जलयान प्राप्त कर लेने चाहिए।

विभिन्न देशों में चल रहे संयुक्त उद्यम

486. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में चल रहे संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है :

(ख) क्या उनमें भारतीय कम्पनियों द्वारा किए गए निवेश के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान निवेश में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है; और

(घ) नए संयुक्त उद्यम आरम्भ करने के लिए यदि कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) विभिन्न देशों में चल रहे संयुक्त उद्यमों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है। [**पंचालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3747/88**]

(ख) जी हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निवेशों के आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं:

(करोड़ रुपयों में)

1984	1985	1986
85·30	93·84	92·00

(घ) इस समय, संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए 9 प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

रुग्ण कपड़ा मिलों को पुनः प्रारम्भ करना

487. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**

श्री सनत कुमार मंडल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रुग्ण कपड़ा मिलों की जांच करने के लिए स्थापित की गई नोडल एजेन्सी ने कुछ मिलों को कार्य सक्षम पाया है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ग) उनके पुनः आरम्भ करने पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या कार्य सक्षम मिलों के छंटनी किये गए कर्मचारियों को वापस लिया जायेगा।

वस्त्र मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रुग्ण परन्तु सम्भाव्य अर्थ क्षम वस्त्र मिलों के पुनः प्रारम्भ करने पर किया जाने वाला व्यय कई बातों पर निर्भर करेगा। जैसे कि ऐसी प्रत्येक मिल की वित्तीय आवश्यकता, पुनर्वास पैकेज लागू करने के लिए अपेक्षित समय इत्यादि।

(घ) जून, 1985 के वस्त्र नीति विवरण में बताया गया है। कि रुग्ण एककों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया में श्रमिकों के हित पूर्णतया सुरक्षित रखे जाएंगे।

विवरण

उन मिलों की सूची जो नोडीय अभिकरण द्वारा (7-1-87) तक सम्भाव्य अर्थक्षम पाई गई

क्रमांक	मिलों के नाम
	राजस्थान
1.	मेवाड़ टैक्सटाइल लि०, भीलवाड़ा
2.	सिन्ध सिन्टेक्स लि०, उदयपुर
3.	पोद्दार मिल्स लि०, जयपुर

गुजरात

4. प्रसाद मिल्स लि०, अहमदाबाद
5. विजय मिल्स को० लि०, अहमदाबाद
6. पी० जी० टैक्सटाइल मिल्स लि०, बड़ौदा
7. श्री युमुना मिल्स को० लि०, बड़ौदा
8. निरंजन मिल्स लि०, सूरत
9. आर्योदया जिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग को० लि०, अहमदाबाद
10. अहमदाबाद श्री रामकृष्ण को० लि०, अहमदाबाद
11. श्री ब्रजेश टैक्सटाइल मिल्स, पेटलाद
12. हाथीसिंग मैन्यु० को० लि०, अहमदाबाद
13. न्यू गुजरात सिन्थेटिक्स लि०,
14. स्टार आफ गुजरात मिल्स लि०, अहमदाबाद
15. भारत सूर्योदया मिल्स, अहमदाबाद
16. अहमदाबाद मैन्यु० एण्ड कलिको प्रिंटिंग को कं० लि०, अहमदाबाद
17. पटेल मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद

मध्य प्रदेश

18. निमार टैक्सटाइल, खंडवा
19. हुमुमचन्द मिल्स लि०, इन्दौर
20. राजकुमार मिल्स लि०, इन्दौर

उड़ीसा

21. उड़ीसा स्पिनिंग मिल्स लि० राजगंगपुर

महाराष्ट्र

22. हिन्दुस्तान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, बम्बई
23. रघुवंशी मिल्स लि०, बम्बई
24. श्रीराम मिल्स लि०, बम्बई
25. स्वान मिल्स लि०, बम्बई
26. बलवन्त टैक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लि०, मिराज (मराठी टैक्सटाइल्स)
27. लोकमान्य मिल्स (बार्सी) लि०, बार्सी

28. माधव नगर काटन मिल्स लि०, माधवनगर
29. सेन्ट्रल इंडिया स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग को० लि०, नागपुर

उत्तर प्रदेश

30. मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स को० लि०, मोदीनगर
31. अजन्ता टैक्सटाइल लि०, गाजियाबाद
32. मुरादाबाद सिन्टैक्स लि०, मुरादाबाद
33. अमिताभ टैक्सटाइल मिल्स लि०, देहरादून
34. मयूर सिन्टेक्स, सिकन्दराबाद

तमिलनाडु

35. करूर मिल्स लि०, करूर
36. सजनी टैक्सटाइल लि०, कोयम्बटूर
37. त्रिपुर काटन एण्ड स्पिनिंग मिल्स लि०, त्रिपुर
38. महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स लि०, मदुराई
39. राजनारायण टैक्सटाइल लि०, कोयम्बटूर
40. रुक्मणि मिल्स लि०, मनालूर

पश्चिमी बंगाल

41. अनन्तपूर टैक्सटाइल लि०, अनन्तपुर
42. हाडा टैक्सटाइल लि०, विष्णुपुर

हरियाणा

43. जी० टी० एम० सिन्थेटिक्स लि०
44. एल्सन काटन लि०, बल्लभगढ़
45. रामा फाइबर्स लि०, बम्ला
46. रोहतक टैक्सटाइल्स मिल्स लि०, रोहतक

[अनुवाद]

उर्वरकों का आयात बन्द करने का खनिज और धातु व्यापार निगम की प्रतिरूपी व्यापार नीति पर प्रभाव

488. **डा० चिन्तामोहन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों का आयात बन्द कर देने का खनिज और धातु व्यापार निगम की प्रतिरूपी व्यापार नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) उर्वरकों का आयात बन्द करने का कोई निर्णय नहीं है। घरेलू उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए 1987-88 के दौरान आयातों की मात्रा में अपेक्षाकृत कमी हो सकती है। जवाबी व्यापार का उद्देश्य आयातों की वित्त व्यवस्था करने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करना है। जिस सीमा तक हमारे आयात कम होंगे, उसी सीमा तक जवाबी व्यापार की आवश्यकता भी कम होगी।

पुन्नापरा वयालार आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक भाग के रूप में घोषणा

489. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में पुन्नापरा वयालार आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक भाग के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि पुन्नापरा वयालार आंदोलन को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम में भाग के रूप में स्वीकार न किया जाए।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के कर्मचारी

490 **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों में से कितने प्रतिशत स्थानीय अधिकारी हैं; और

(ग) उक्त संघ राज्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए कर्मचारियों को क्या-क्या अतिरिक्त भत्ते दिए जाते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) 31-3-1985 को संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :

ग्रुप 'क'	192
ग्रुप 'ख'	313
ग्रुप 'ग'	8189
ग्रुप 'घ'	20509
जोड़	29,203

(ख) प्रशासनिक सेवा में कोई भी स्थानीय व्यक्ति नियुक्त नहीं है तथापि धानी सिविल सेवा में 15 स्थानीय अधिकारी नियुक्त हैं।

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्य कर रहे कर्मचारियों को 125 रु० से 650 रु० तक प्रतिमाह तक का विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है।

आपात स्थिति के दौरान भर्ती किए गए तकनीकी विदों/चिकित्सा अधिकारियों की सेवा शर्तें

491. **श्री उत्तम राठौड़ :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े हैं, जिनमें आपात स्थिति के दौरान भर्ती किये गये तकनीकीविदों और चिकित्सा अधिकारियों ने अपने मूल चिकित्सा तथा अन्य विभागों में वापस जाने पर अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुरोध किया है;

(ख) ये मामले कितने समय से लम्बित पड़े हैं और उन पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने में विलम्ब होने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन मामलों पर निर्णय करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने का है ताकि युवा वर्ग भविष्य में रक्षा-सेनाओं में आपात कमीशन प्राप्त करने में हतोत्साहित न हों ?

रक्षा मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) इस तरह के मामले मंत्रालय के पास लंबित नहीं हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठते।

वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान अपराध

492. **श्री अजय बिश्वास :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान हत्या, लूट-पाट, आगजनी बलात्कार, डकैती और चोरी की कितनी घटनाएं हुई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान हत्या, बलात्कार, डकैती तथा चोरी के सूचित मामलों की संख्या के बारे में उपलब्ध जानकारी विवरण I तथा II के रूप में संलग्न हैं। केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े बारह सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित हैं और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आगजनी (शरारत से आग लगाना) के मामलों से संबंधित आंकड़े अलग से उपलब्ध नही हैं। शरारत से आग लगाना (आग-जनी) भारतीय दण्ड संहिता के अन्य अपराधों में शामिल है।

विवरण I

1985-86 के दौरान अर्थात् 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1986 तक सूचित अपराधों की संख्या का विवरण

सूचित मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	हत्या	बलात्कार	डकैती	चोरी
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	1604	356	313	15957
2.	अरुणाचल प्रदेश	39	4	10	214
3.	असम	691	284	425	6258
4.	बिहार	3254	424	2755	17126
5.	गुजरात	1142	131	286	17876
6.	हरियाणा	339	103	18	3400
7.	हिमाचल प्रदेश	70	26	3	620
8.	जम्मू और कश्मीर	123	199	10	2844
9.	कर्नाटक	975	111	180	17164
10.	केरल	466	111	19	2518
11.	मध्य प्रदेश	2615	1509	426	39471
12.	महाराष्ट्र	2085	710	561	56394
13.	मणिपुर	68	16	30	533
14.	मेघालय	90	18	20	473
15.	मिजोरम	33	59	15	273
16.	नागालैंड	40	12	23	397
17.	उड़ीसा	624	171	244	10417
18	पंजाब	736	78	18	1611
19.	राजस्थान	1062	575	76	12783

1	2	3	4	5	6
20.	सिक्किम	5	2	4	92
21.	तमिलनाडु	1396	199	62	24100
22.	त्रिपुरा	150	41	162	1025
23.	उत्तर प्रदेश	6402	880	2780	49850
24.	पश्चिम बंगाल	1435	527	857	28484
	संघ शासित क्षेत्र				
25.	अण्डमान और निकोबार	16	2	—	107
26.	चण्डीगढ़	11	6	—	662
27.	दादरा और नगर हवेली	12	—	—	71
28.	दिल्ली	302	90	27	13411
29.	गोवा, दमन और द्वीप	22	12	3	1103
30.	लक्षद्वीप	—	—	—	8
31.	पांडिचेरी	17	6	—	745

टिप्पणी—आंकड़े तिमाही अपराध समीक्षा पर आधारित है। अतः इन्हें अस्थायी समझा जाए।

विवरण II

1986-87 के दौरान सूचित अपराध के मामलों की संख्या का विवरण

सूचित मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	हत्या	बलात्कार	डकैती	चोरी	सूचित करने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	417	116	50	3449	30-6-86
2.	अरुणाचल प्रदेश	29	5	7	153	30-9-86
3.	असम	385	209	272	6569	30-9-86

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	959	153	738	3901	30-6-86
5.	गुजरात	661	78	145	8675	30-9-86
6.	हरियाणा	236	73	14	1890	30-9-86
7.	हिमाचल प्रदेश	44	41	1	450	31-12-86
8.	जम्मू और कश्मीर	52	125	7	1782	30-9-86
9.	कर्नाटक	835	104	151	12752	31-12-86
10.	मध्य प्रदेश	1363	759	203	17951	30-9-86
11.	केरल	253	59	19	1345	30-9-86
12.	महाराष्ट्र	620	198	151	13252	30-6-86
13.	मणिपुर	50	8	27	605	31-12-86
14.	मेघालय	27	7	10	96	30-6-86
15.	मिजोरम	13	22	—	108	30-9-86
16.	नागालैंड	23	3	19	224	30-9-86
17.	उड़ीसा	325	71	118	4653	30-9-86
18.	पंजाब	891	50	42	1705	31-12-86
19.	राजस्थान	288	158	12	2994	30-6-86
20.	सिक्किम	—	1	—	13	30-6-86
21.	तमिलनाडु	806	114	39	12346	30-9-86
22.	त्रिपुरा	101	24	85	705	31-12-86
23.	उत्तर प्रदेश	3695	629	1194	23437	30-9-86
24.	पश्चिम बंगाल	715	317	386	13310	30-9-86
	संघ शासित क्षेत्र					
25.	अ० और नि० द्वीप समूह	5	—	—	61	30-9-86
26.	चण्डीगढ़	4	2	—	575	31-12-86
27.	दादरा और नगर हवेली	—	—	1	21	30-9-86
28.	दिल्ली	221	65	12	9186	31-12-86
29.	गोवा, दमन और द्वीप	22	5	17	921	31-12-86
30.	लक्षद्वीप	—	—	—	4	31-12-86
31.	पांडिचेरी	9	2	2	284	30-9-86

टिप्पणी : आंकड़े तिमाही अपराध समीक्षा पर आधारित हैं अतः इन्हें अस्थायी समझा जाए।

पर्यटन के संवर्धन हेतु चिल्का झील में पक्षियों को आकर्षित करना

493. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व के विभिन्न भागों से दस लाख से भी अधिक पक्षी, चिल्का झील में आ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में पर्यावरण में सुधार करने और पर्यटन के संवर्धन हेतु चिल्का झील (उड़ीसा) में पक्षियों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) वर्तमान मौसम के दौरान चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों का आगमन गत वर्षों की तुलना में अधिक तथा विविधतापूर्ण रहा है। चिल्का में प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि का श्रेय 1984 से उड़ीसा सरकार द्वारा चिल्का झील में स्थापित वन्य जीव प्रभाग द्वारा उठाए गए संरक्षण सम्बन्धी प्रभावी उपायों को प्रमुख रूप से जाता है। अक्तूबर, 1973 में चिल्का में पक्षियों के शिकार पर रोक लगा दी गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत चिल्का झील को एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने मामला राज्य सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है। पर्यटकों के लिए चिल्का झील में जल क्रीड़ाएं प्रारम्भ करने हेतु दो नौकाओं, दो जल स्कीइंग सेठ ओर दो जीवन रक्षक जैकेट की खरीद करने वास्ते 2.00 लाख स्वीकृत कुल राशि में से पर्यटन विभाग ने 1983-84 में 1.80 लाख रिलीज किए हैं। नौकायें खरीद ली गई हैं और इंजनों के लिए आर्डर दे दिया गया है। इसके अलावा, विभाग ने याट की खरीद करने के लिए 1985-86 में 3.54 लाख रु० भी रिलीज किए हैं। 1983-84 में चिल्का नौका दौड़ का आयोजन करने के लिए 2.14 लाख रु० रिलीज किए गए थे।

राज्य सरकार के अनुरोध पर, नगर व ग्राम आयोजना संगठन, नई दिल्ली को चिल्का झील की मास्टर प्लान तैयार करने का काम सौंपा गया है। 3.25 लाख रु० की कुल स्वीकृत राशि में से नगर व ग्राम आयोजना संगठन को 1984-85 में 2.00 लाख रु० दिये गये हैं। मार्च 1987 तक अंतरिम रिपोर्ट तैयार हो जाने की संभावना है।

पर्यटन संवर्धन

494. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 में भारत में कुल कितने पर्यटक आये और उक्त वर्ष में से उनसे कुल कितनी राष्ट्रीय आय प्राप्त हुई; और

(ख) सरकार अधिक राष्ट्रीय आय प्राप्त करने हेतु अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) 1986 के दौरान पाकिस्तान और बंगला देश के राष्ट्रिकों सहित भारत अभिमुखी विदेशी पर्यटक यातायात 1451,076 था। इन पर्यटकों से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा आय का अनुमान 1700 करोड़ रु० से भी ज्यादा होने की संभावना है।

(ख) विदेशी पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं उपभोक्त विज्ञापन पर जोर देते हुए जोरदार प्रचार अभियान, विदेश स्थित मीडिया एजेंसियों, यात्रा प्रचालकों और यात्रा अभिकर्त्ताओं के साथ जन-सम्पर्क बढ़ाना, विशेष अभिरूचि के पर्यटक का संवर्धन करना और घटकों में भारत की मार्किटिंग करना आफ सीजन स्कीमें और "एफोर्डएबल इंडिया" तथा "इंडिया ऑन दि हाउस" जैसी संवर्धनात्मक स्कीमें शुरू करना, आधारिक संरचात्मक सुविधाओं और चार्टर यातायात आदि सहित परिवहन प्रणालियों का विकास।

[हिन्दी]

पैन अमरीकी विमान के अपहरण की जांच

495. **श्री निर्मल खत्री** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैन अमरीकी विमान को अपहरण करके पाकिस्तान ले जाने की घटना की, जिसमें भारतीय मूल के अनेक नागरिक मारे गए थे, पाकिस्तान सरकार द्वारा कोई जांच की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तान ने इस मामले में जो जांच-समिति गठित की थी उसकी रिपोर्ट अभी हमें दी जानी है।

[अनुवाद]

केरल में पर्यटक केन्द्रों के बीच विमान सम्पर्क

496. **श्री तम्पन थामस** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए केरल में विभिन्न पर्यटक केन्द्रों के बीच चार्टर्ड यान सम्पर्क की व्यवस्था करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) केरल त्रिवेन्द्रम को चार्टर उड़ानों के लिए एक गंतव्य के रूप में अनुमोदित किया गया है। तथापि, इस गंतव्य के लिए चार्टर उड़ानों के परिचालन हेतु अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत का निर्यात तथा कुछ एशियाई देश

497. **श्री बाई० एस० महाजन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) एशियाई क्षेत्र में कुछ देशों के निर्यात में हुई वृद्धि से इसको किस प्रकार तुलना की जा सकती है ?

वाणिज्य राज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान कीमतों पर भारतीय रुपयों के रूप में भारत के समग्र निर्यातों में 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान क्रमश: 11.0% तथा 21.3% की दर से वृद्धि हुई। घरेलू परिष्करण क्षमता के विकास की वजह से अपरिष्कृत तेल रोक देने के कारण भारतीय निर्यातों में 1985-86 के दौरान 7.1 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, अपरिष्कृत तेल को छोड़कर निर्यातों में 1985-86 के दौरान 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स संयुक्त राष्ट्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1982-85 के दौरान भारत के निर्यातों में, वर्तमान कीमतों पर अमरीकी डालर के संदर्भ में वृद्धि की औसत वार्षिक दर बेहरीन, साइप्रस, ईरान, कतार, सीरिया का अरब गणराज्य, यू० ए० ई०, अफगानिस्तान तथा इण्डोनेशिया जैसे देशों से अधिक हो गई। तथापि, जोर्डन, कुवैत, टर्की, बंगलादेश, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, पाकिस्तान, फिलीपाइन्स, सिंगापुर श्रीलंका तथा थाइलैंड जैसे देशों की तुलना में भारतीय निर्यातों में वृद्धि अपेक्षतया कम रही।

कनाडा के साथ प्रत्यार्पण सन्धि

498. **श्रीमती एम० पी० झांसी लक्ष्मी :**

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा और भारत के बीच प्रत्यार्पण सन्धि को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसकी मुख्य विशेषाएं क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह संधि 10-2-1987 से लागू हो गई है। संधि की प्रमुख बातें नीचे लिखे अनुसार हैं :

1. किसी ऐसे आचरण के लिए ही प्रत्यार्पण स्वीकार्य होगा जो न सिर्फ भारत के बल्कि कनाडा के कानूनों के अन्तर्गत भी अपराध हो। संधि में यह प्रावधान है कि किसी भी ऐसे अपराध के लिए प्रत्यार्पण मांगा जा सकेगा जिसके लिए भारत और कनाडा दोनों के कानूनों के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक के कैद की सजा की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में, कराधान अथवा राजस्व अथवा पूरी तरह से अन्य वित्तीय स्वरूप से संबंधित अपराधों के लिए भी प्रत्यार्पण मांगा जा सकेगा।

2. इस सन्धि में अपेक्षाकृत अधिक गंभीर अपराधों की भी सूची दी गई है जिन्हें प्रत्यार्पण के लिए राजनैतिक अपराध अथवा राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा, जैसे :

(1) नागरिक विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किए गए अपराध,

(2) गैर-कानूनी रूप से विमानों को जब्त कर लेना,

(3) अन्तर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध जिसमें राजनयिक अभिकर्ता भी शामिल हैं,

(4) आतंकवाद से सम्बन्धित अपराध,

(5) कत्ल, नर संहार, ऐसे आक्रमण जिनसे शारीरिक क्षति होती हो, अपहरण, बन्धक बनाना, ऐसे अपराध जिनसे संपत्ति को भारी हानि होती हो अथवा जन-सुविधाओं में बाधा पड़ती हो,

(6) आग्नेयास्त्रों, हथियारों, विस्फोटकों तथा खतरनाक पदार्थों से सम्बन्धित अपराध, और

(7) इनमें से किसी भी अपराध को करने का प्रयास अथवा षड्यन्त्र ।

3. इस प्रत्यर्पण संधि के अनुसार सभी प्रत्यार्पणीय अपराधों के लिए प्रत्यार्पण मांगा जा सकता है, चाहे वे इस सन्धि के लागू होने से पहले अथवा बाद में किए गए हों।

4. इस सन्धि के अन्तर्गत प्रत्येक देश को अपनी सीमा क्षेत्र में अपराध करने वाले अपराधियों पर जब भी वे उसकी सीमा में पाये जायें, मुकदमा चलाने और उन्हें सजा देने का अधिकार होगा। किंतु ऐसी परिस्थितियों में इस संधि के अन्तर्गत अपने न्यायालयों का क्षेत्राधिकार निर्धारित करने में भारत और कनाड़ा अपने या दूसरे के क्षेत्र में प्रश्नगत अपराध के गम्भीर और तात्कालिक प्रभावों अथवा परिणामों पर विचार कर सकेंगे ताकि इस बात का पता चल सके कि क्या प्रत्य र्पण हो सकता है या नहीं ?

5. इस सन्धि में जाति, धर्म, रंग अथवा जातीय मूल का भेदभाव किए बिना सभी अभियुक्तों के लिए उचित कानूनी सुरक्षा और कानून की विधिवत् प्रक्रिया का भी प्रावधान है।

6. इस सन्धि में विभिन्न आधारों पर प्रत्यार्पण से इन्कार किए जाने का प्रावधान है जो प्रत्यार्पण ये संबंधित भारत और कनाडा संवैधानिक कानून और अधिनियमनों तथा नीति के अनुरूप हैं।

7. इस सन्धि में इस आशय के दायित्व का भी प्रावधान है कि जिन मामलों में प्रत्यर्पण का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाए उनमें अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अभियोजन के लिए मामला प्रस्तुत किया जाए।

8. इस सन्धि के अन्तर्गत अत्यावश्यकता के मामले में वांछित व्यक्ति की अनन्तिम गिरफ्तारी का प्रावधान है।

9. इस संधि के अन्य उपबन्धों में प्रत्यार्पण के कानून को अधिशासित करने वाले मानक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है।

रक्षा, शिक्षा तथा प्रशिक्षण में परिवर्तन

499. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : विश्व में नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के अनुरूप रक्षा, शिक्षा और प्रशिक्षण में उचित परिवर्तन करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सेनाओं में प्रशिक्षण की पाठ्यक्रम एवं प्रणाली को अपनी संक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुसार लागातार अद्यतन बनाया जाता है। दृश्य-श्रव्य, सेम्युलेटरों, कम्प्यूटरों आदि जैसे आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे हैं।

हाल ही में थलसेना, नौसेना एवं वायुसेना से अफसरों के प्रशिक्षण-व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति को अन्य बातों के साथ-साथ संपूर्ण शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण विषय-वस्तु की जांच करनी है और तीनों सेनाओं के अफसर कार्डर के लिए प्रशिक्षण की व्यापक नीतियां निर्धारित करनी हैं।

(हिन्दी)

हथकरघा क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए योजना

500. **श्री मदन पांडे** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हथकरघा उद्योग में कार्यरत मजदूरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना की रूपरेखा क्या है;

(ग) उस योजना को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) हथकरघा उद्योग का विकास करने तथा हथकरघा बुनकरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से भारत सरकार कई हथकरघा विकास योजनाओं को लागू करती रही है। ये योजनाएं निम्न प्रकार हैं :

1. हथकरघा बुनकरों को सहकारी समितियों के सदस्य के रूप में अपना नाम दर्ज कराने में समर्थ बनाने के लिए शेयर पूंजी सहायता;
2. हथकरघा बुनकरों की प्राथमिक सहकारी समितियों, शीर्ष समितियों तथा राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता;
3. करघों के आधुनिकीरण हेतु सहायता;
4. हथकरघा बुनकरों की प्राथमिक समितियों को प्रबन्धकीय उपदान;

5. राज्य हथकरघा विकास निगमों तथा हथकरघा सहकारी समितियों को करधा-पूर्व तथा करघा पश्चात् प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता;

6. हथकरघा उत्पादों की बिक्री पर 20 प्रतिशत की दर से विशेष छूट;

7. जनता कपड़ा योजना;

8. थ्रिफ्ट-निधि योजना; तथा

9. वर्क शेड-सह आवास योजना।

(ग) और (घ) प्रबन्धकीय उपदान तथा आधुनिकीकरण से सम्बन्धित योजनाओं, जिन्हें 1980-81 में प्रारम्भ किया गया, तथा थ्रिफ्ट निधि योजना व वर्क शेड सह-आवास योजना, जिन्हें 1985-86 में प्रारम्भ किया, को छोड़कर ये सभी योजनायें 1976 से प्रचालन में हैं। ये सभी योजनायें सतत रूप से चलने वाली हैं।

(अनुवाद)

आंध्र प्रदेश में कपास की खेती

501. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में कपास की खेती शुरू करने पर विचार कर रही है जहां कपास की खेती शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) क्या नई फसल होगी अथवा वहां पर खेती की जा रही किसी अलाभप्रद फसल के स्थान पर होगी ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

देश में साम्प्रदायिक दंगे

502. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं के संबंध में राज्य सरकारों को दिए गए अपने मार्ग निर्देशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) अधिकतर राज्य सरकारों की सूचना है कि वे सामान्यतः दिशा निर्देशों का पालन कर रही हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया जाना

503. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :**
श्री विजय कुमार यादव :
श्री काली प्रसाद पाण्डेय :
श्री एस० जी० घोलप :

डा० जी० विजय रामाराव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली और गोवा, दमन और दीव जैसे कुछ संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यहां विदेश दूतावास स्थित हैं। इसलिए यह जरूरी है कि केन्द्र का दिल्ली पर अधिक नियन्त्रण हो जो दिल्ली राज्य का दर्जा देने पर सम्भव नहीं होगा। गोवा, दमन और दीव के मामले पर सम्पूर्ण परिस्थितियों और सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर विचार किया जाएगा।

विस्कोस स्टेपल रेशे के मूल्य को नियन्त्रित करने के उपाय

504. **श्री रामभगत पासवान** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विस्कोस स्टेपल रेशे के निर्माता बहुत अधिक मूल्य पर विस्कोस स्टेपल रेशों की बिक्री कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) वस्त्र आयुक्त को भेजे गए विवरण के अनुसार नियमित विस्कोस स्टेपल रेशे की कीमतें अप्रैल-मई 1986 को छोड़कर जबकि एक एकक में हड़ताल के कारण बाजार कीमतों में वृद्धि हो गई थी, कुल मिलाकर स्थिर रही है।

इस समय विस्कोस स्टेपल रेशे की कीमत नियन्त्रण के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अनुमानित आवश्यकताओं के लिए प्रतियोगी कीमतों पर उपयुक्त रेशों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सरकार ने समय-समय पर नई क्षमता के लिए आशय पत्र जारी किए हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की बस में विस्फोटक सामग्री

505. **श्री श्रीहरिराव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1 सितम्बर, 1986 को दिल्ली परिवहन निगम की बस में पाई गई विस्फोटक सामग्री की घटना के सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच की है,

(ख) यदि हां, तो क्या शरारती तत्वों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में आतंकवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) पैदल तथा चलती फिरती गश्त बढ़ाना, संवेदनशील स्थलों की कड़ी जांच, सामरिक महत्व के स्थानों पर टुकड़ियां तैनात करना, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्कता, वाहनों की आकस्मिक जांच, सीमा जांच, चौकियों को मजबूत करना तथा उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्जिला बैठकें आयोजित करना, जैसे कदम उठाये गये हैं। संचार माध्यम के जरिये लोगों को सतर्क कर देने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं कि वे लावारिस पड़ी हुई वस्तुओं को न उठायें और यदि कोई लावारिस पड़ी संदेहास्पद वस्तु दिखाई दे तो पुलिस को सूचित करें।

रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी

506. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। जहां संभव होता है रक्षा उत्पादन में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात

507. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2000 करोड़ रु० के ऋण तक पहुंचने की संभावना है जैसा कि 1 फरवरी, 1987 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आगामी वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या स्वदेशी बाजार में हस्तशिल्प की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। 1985-86 तथा अप्रैल-दिसम्बर 1986-87 की अवधि के दौरान भारत से रत्न आभूषण सहित हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात के अनन्तिम आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

1985-86	1879.97 करोड़ रु०
1986-87	1781.62 करोड़ रु०
(अप्रैल-दिसम्बर)	
1985-86	1361.40 करोड़ रु०
(अप्रैल-दिसम्बर)	

(ख) वर्ष 1987-88 हेतु 2200 करोड़ रु०।

(ग) उठाए जा रहे कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(1) राज्य सरकार द्वारा स्थापित हस्तशिल्प विकास निगमों को देश के विभिन्न भागों में बिक्री दुकानें खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(2) राज्य हस्तशिल्प निगम/शीर्ष सहकारी समितियों तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों को घरेलू बाजार में हस्तशिल्प वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रदर्शनियों, मेलों तथा समारोहों को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(3) हस्तशिल्प करीगरों में अधिक बाजार जागरूकता लाने के लिए देश के विभिन्न भागों उत्पाद संवर्धन कार्यक्रम तथा बाजार सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(4) हस्तशिल्प सप्ताह प्रत्येक वर्ष दिसम्बर में मनाया जाता है जिसके दौरान हस्तशिल्प मदों की खरीद पर 5 प्रतिशत विशेष छूट दी जाती है।

(5) देश में भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं का प्रचार नियमित आधार पर विभिन्न माध्यमों के जरिए किया जाता है।

दिल्ली निवासियों द्वारा पड़ौसी राज्यों से हथियारों के लाइसेंस प्राप्त करना

508. श्री पी० एम० सईद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ दिल्ली निवासियों को पड़ोसी राज्यों से हथियारों के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दोषी पाया गया है और यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान उनकी संख्या कितनी थी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : 1986 के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के निवासियों के उन 244 मामलों का पता लगाया है जिन्होंने पड़ौसी राज्यों से हथियार लाइसेंस प्राप्त किए हैं। 180 लाइसेंस हरियाणा, 61 पंजाब तथा 3 राजस्थान से प्राप्त किए गए थे। वर्ष 1985 के दौरान इस प्रकार का कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया।

विदेश पर्यटकों को रियायतें

509. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत पर्यटन विकास निगम/पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश में पर्यटकों और पर्यटक केन्द्रों के लिए गत दो वर्षों के दौरान रियायत देने का अनुरोध किया है; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है कि इस प्रकार की रियायतें केवल उन विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और विधायकों जैसी विदेशी पर्यटक संवर्धन योजनाओं के लिए हों, जिन्हें आम तौर पर उनकी आवश्यकता होती है और उन्हें भारत आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ?

पर्यटन मंत्री (सुपती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) गत दो या तीन वर्षों में पर्यटन मंत्रालय अन्य विभिन्न मंत्रालयों से और राज्य सरकारों से पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा, विशेष रूप से एक निर्यात अभिमुखी उद्योग का दर्जा दिलाने और निर्यात अभिमुखी उद्योग को उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं, प्रोत्साहन अथवा रियायतें पर्यटन को भी उपलब्ध कराने की सामान्यत: कोशिश करता रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पर्यटन को एक उद्योग घोषित करने के अनुकरण में नौ राज्य सरकारों ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया है और तीन राज्य सरकारों ने होटल को एक उद्योग के रूप में घोषित किया है। इसके अलावा, वित्तीय संस्थाओं द्वारा होटल उद्योग को सार्वधिक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।

सरकार ने विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अनेक स्कीमें शुरू की हैं। इनमें शामिल हैं—पारामन करने वाले यात्रियों के लिए स्टाप ओवर टूअर्स का संवर्धन करने के लिए "इन्डिया आन दि हाउस"; "एफोर्डेबल इन्डिया" जिसके अन्तर्गत मन्दी की अवधि के दौरान रियायती हवाई किरायों को पेशकश की जाती है; चुने हुए गंतव्यों के लिए चार्टर उड़ानों का संवर्धन।

विदेशी पर्यटकों को वीजा जारी करने संबंधी प्रक्रिया तथा हवाई अड्डों पर प्रवेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को सरल बनाने, इन्डियन एयरलाइंस तथा रेलवे के प्रमुख पर्यटक मार्गों पर पर्याप्त संख्या में सीटों की व्यवस्था करने, स्थल पर्यटक परिवहन में समुचित वृद्धि करने, कुछ रियायतों/प्रोत्साहनों को यात्रा उद्योग के विभिन्न घटकों को भी उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग ने अनुरोध किया है, ताकि बदले में पर्यटकों को फायदा हो सके इन सभी स्कीमों में यह सुनिश्चित

करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश शामिल कर लिए गए हैं कि रियायतों/प्रतिलाभों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाए जिनके लिए वे उपलब्ध हैं तथापि, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और विधायकों के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं है।

[हिन्दी]

खाड़ी के देशों, अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीकी देशों को निर्यात में बढ़ावा देना

510. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों, अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीकी देशों को निर्यात से बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लम्बी अवधि की कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत से इन देशों को निर्यात की व्यापक संभावना का लाभ उठाने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) खाड़ी के देशों तथा दक्षिण अमरीकी देशों के लिए कोई भी दीर्घावधि व्यापक निर्यात संवर्धन योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, कुछ समय पहले चुनिन्दा उप-सहारा देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास हेतु एक योजना तैयार की गई थी। इसमें मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, व्यापार निकायों के बीच पारस्परिक कार्यवाही आदि जैसे कार्य-कलापों को शामिल किया गया।

(ग) निर्यातों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों को प्रायोजित करना, द्विपक्षीय व्यापार प्रबन्ध स्थापित करना आदि।

[अनुवाद]

"उज्जी" नामक बीमारी का शहतूत के पेड़ पर प्रभाव

511. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को "उज्जी या उस्सी" नामक बीमारी की जानकारी है जिसका शहतूत के पत्तों पर जीवित रहने वाले रेशम के कीड़े की गुणवत्ता और परिमाण पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) क्या इस बीमारी के संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है और कोई उपचार तथा निरोधक उपयोग आरम्भ किये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) उज्जी मक्खी की बीमारी को रोकने के लिए उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर ने "उज्जी साइड" नामक एक रसायन का आविष्कार किया है रेशम के कीट की फसल पर उज्जी साइड लगाने परिणामस्वरूप कोयों की बेहतर उपज हुई है। बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों ने अनेक निवारण उपायों की सिफारिश की है जैसे कि माउटेजिज में कताई रेशम कीटों पर काउलिन का प्रयोग, उज्जी मक्खी कीटों को निष्क्रिय बनाने के लिए डिमिलिन का छिड़काव और रेशम कीट की फसलों पर बेनज्वाइक ऐसिड का प्रयोग इन उपायों से कीट प्रकोप 30% से घटकर लगभग 6% हो गया है।

पश्चिम बंगाल में पर्यटक सुविधाएं

512. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना केन्द्रीय सरकार को कब प्रस्तुत की गई थी; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) राज्य सरकार से प्रस्तावों की जांच करना, उन पर विचार करना और केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कीमों की पर्यटन मंत्रालय द्वारा निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने हेतु जांच की जाती है।

"मिशन स्टाफ इन यू० एस० बिटर ओवर लो पे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

513. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या अमरीका में भारतीय दूतावास में कार्य कर रहे स्थानीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य परिलब्धियां कम होने के कारण उनमें असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी शिकायतों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके वेतन तथा अन्य परिलब्धियों में कोई सुधार किया जा रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां। वे उच्च वेतन और बेहतर लाभों की मांग कर रहे हैं।

(ख) और (ग) : उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है और इसके वित्तीय पक्षों,

निर्वाह खर्च में वृद्धि तथा परिलब्धियों से संबद्ध विद्यमान मानदंड और विदेश स्थित मिशनों में स्थानीय कर्मचारियों की सेवा-शर्तों को ध्यान में रखते हुए इन मांगों के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

ब्रुसेल में हुई मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रस्ताव

514. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ब्रुसेल में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक में व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिये गये सुझाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) भारत ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग से आग्रह किया कि वे चमड़ा माल, हाथ से गुंथे कालीनों, वस्त्रों, तम्बाकू समुद्री उत्पादों और कुछ उष्ण-कटिबन्धीय कृषि वस्तुओं जैसे उत्पादों के भारतीय निर्यातों के लिए बेहतर प्रवेश प्रदान करें।

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग इस बात पर सहमत हुआ कि वे अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अन्तर्गत अपने बाजारों में प्रवेश में हुए सुधारों की जांच करेंगे जिसके अधीन यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा विकासशील देशों से होने वाले निर्यातों के लिए रियायती शर्तों की पेशकश की जाती है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की यूनिटों का कार्य निष्पादन

515. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम में यूनिट-वार अतिरिक्त श्रमिकों, कपड़ा उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन यूनिटों में अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या में कटौती करने और इसके कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी देना कठिन है क्योंकि प्रश्न में जिन एककों के बारे में जानकारी अपेक्षित है उनको विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, न ही उसमें प्रश्न के भाग (क) में यह बताया गया है कि किस अवधि के लिए जानकारी मांगी गई है।

हथकरघा क्षेत्र में योजनाओं की पुनरीक्षा

516. **श्री यशवन्त राव गड़ाख पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा आयुक्त द्वारा कार्यान्वित की जा रही हथकरघा क्षेत्र की सभी योजनाओं की प्रारम्भ से गहराई से पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पुनरीक्षा के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की पुनरीक्षा पहले भी की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फिर से पुनरीक्षा करने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां। हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही समस्त योजनाओं की गहन समीक्षा का कार्य ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, आनन्द को सौंप दिया गया है।

(ख) अध्ययन में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाएगा :

1. संगठन के व्यापक उद्देश्य;
2. संगठन के उद्देश्यों और कार्यकलाप के बीच संबंध;
3. निधियों के विभिन्न स्रोत और प्रयोग;
4. राज्यों के बीच निधियों के उचित प्रयोग के कुछ सूचकों का व्यापक मूल्यांकन;
5. संसाधनों आदि के उचित प्रयोग को प्रभावित करने वाले घटकों का पता लगाना;
6. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के उपदानों का हिसाब लगाते हुए तथा लागतों एवं साथ ही सृजित होने वाले राजस्व और आय के ढांचे के सम्बन्ध में उपयुक्त अनुमानित कीमतें लागू करते हुए सही लागतों और इन परिव्ययों के लाभों का व्यापक मूल्यांकन।

विभिन्न हथकरघा संगठनों के ढांचे और प्रक्रियाओं के अतिरिक्त संगठनों और बुनकरों/उपभोक्ताओं के अन्त: संबंधों का पता लगाने के लिए प्रकरण अध्ययन भी किए जाएंगे।

अध्ययन का उद्देश्य भावी नीति तय करने की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रमों और योजना का लागत लाभविश्लेषण करना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हज तीर्थ यात्रियों के लिए जहाज सेवाओं को बन्द करना

517. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का हज तीर्थयात्रियों के लिए जहाज सेवा बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने मध्य और निम्न मध्य वर्गों के हाजियों के लिए कौन-कौन से वैकल्पिक उपायों पर विचार किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) हज यात्रियों के लिए समुद्री जहाज सेवा बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय व्यापार प्राधिकरण के कर्मचारियों को जबरन छुट्टी

518. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री सोडे रमैया : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारतीय व्यापार प्राधिकरण के सैकड़ों दिहाड़ी और नियमित कर्मचारियों की जबरन छुट्टी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की जबरन छुट्टी किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इन कर्मचारियों को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) टी० एफ० ए० आई० द्वारा कुछ दोषी नियमित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनहीनता सम्बन्धी विशिष्ट आरोपों के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की गई । टी० एफ० ए० आई० के कुछ कर्मचारियों ने, जिनमें दैनिक मजदूरी कर्मचारी और नियमित कर्मचारी शामिल थे, टी० एफ० ए० आई० के परिसर में 19-1-1987 की एक बैठक आयोजित करने की अनुमति मांगी थी । अनुमति देने से इन्कार किए जाने पर उन्होंने प्रबन्धक के विरुद्ध उत्तेजक नारे लगाए और कतिपय मांगें सामने रखीं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका । इन कर्मचारियों के विरुद्ध, जो कि घोर उपेक्षा, अनुशासन ध्वंस करने वाले कार्यों, जानबूझकर अनधीनता एवं अवज्ञा, घेराव और बिना अनुमति के गैर-हाजिर रहने जैसे दुराचरण के दोषी थे, टी० एफ० ए० आई० कर्मचारी आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की गई ।

जहां तक दैनिक मजदूरी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, टी० एफ० ए० आई इन कर्मचारियों की कुल जरूरत के सम्बन्ध में समीक्षा कर रहा है जो कि वाणिज्य मंत्रालय के आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

हथकरघा संरक्षण आदेशों को लागू करना

519. श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

श्री ए० बी० पाटिल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा संरक्षण आदेश को प्रभावी और

सस्ती से लागू करने तथा उत्पादकता और हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नति के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को मजबूत बनाने हेतु पुनः प्रयास करने के लिए राज्य सरकारों से कहा है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं और क्या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा समाज के कमजोर वर्ग सस्ती दर पर कपड़ा उपलब्ध कराने के दो उद्देश्यों से वर्ष 1976 में शुरू की गई "जनता कपड़ा योजना" की व्यापक पुनरीक्षा करने का निर्णय भी लिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) हथकरघा आरक्षण आदेश के उपबन्धों को जोरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से विकास आयुक्त (हथकरघा) के तीन क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली पुणे तथा कोयम्बटूर में स्थापित किए गये हैं। राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वे भी ऐसी ही पवर्तन मशीनरी स्थापित कर लें जिनका पूरा निधिपोषण 7वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा किया जाएगा तथापि, 8वीं योजना के दौरान ऐसी केन्द्रीय सहायता प्रतिवर्ष 20% कम करके टेपरिंग आधार पर होगी ताकि 8वीं योजना के अन्तिम वर्ष तक सम्पूर्ण व्यय राज्यों द्वारा वहन किया जाए।

हथकरघों के आधुनिकीकरण के लिये एक योजना 1980-81 से चल रही है जिसके अनुसार, करघों की खरीद/बदलने/कायाकल्प के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है और उतनी ही सहायता राज्यों द्वारा दी जाएगी। इस सहायता का 1/3 भाग अनुदान के रूप में दिया जाता है और शेष 2/3 भाग ऋण आधार पर। बुनकर सेवा केन्द्र और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान भीवुनाई, प्रोसेसिंग तथा डिजायनिंग के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास में कार्यरत हैं। हथकरघा विकास निगमों और राज्य शीर्ष सोसायटियों द्वारा करघा-पूर्व/ करघा-पश्चात् प्रोसेसिंग सदनों की स्थापना हेतु भी केन्द्र सरकार से 100% ऋणआधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) जी हां।

कर्नाटक के रेशम बुनकरों के लिए बेहतर विपणन सुविधाएं

520. श्री बी० कृष्ण राव : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक के रेशम बुनकर विपणन की गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल के हथकरघा निगमों शीर्ष सोसाइटियों/बुनकर सहकारी समितियों को बुनकरों से सीधे रेशम खरीदने के लिए अनुदेश जारी किए हैं ताकि उन्हें अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिल सके; और

(ग) बेहतर विपणन सुविधाएं प्राप्त करने में कर्नाटक के बुनकरों की सहायता करने तथा उपभोक्ताओं को बढ़िया किस्म के कपड़े की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारत सरकार को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) कर्नाटक सहित सभी राज्यों में हथकरघा निगमों/एपैक्स समितियों/बुनकर सहकारी समितियों की स्थापना करने का उद्देश्य निगमों के साथ सम्बद्ध अथवा सहकारी समितियों के अंतर्गत आने वाले एकल हथकरघा बुनकरों की जरूरतों को पूरा करना था। अतः उपर्युक्त बुनकरों से सीधे रेशम के वस्त्रों की खरीद करना भी इन संगठनों का एक कार्य है।

(ग) विपणन सहायता उपाय के रूप में कर्नाटक की राज्य एपैक्स समितियों, प्राथमिक समितियों तथा राज्य हथकरघा निगम को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अंशपूंजी सहायता दी जा रही है जिससे वे अपने बाजार आधार को बढ़ा सके तथा अपनी अधिप्राप्ति और बिक्रियों में वृद्धि कर सकें। इसके अलावा, हथकरघा सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों द्वारा हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर 20% की विशेष छूट भी दी जाती है। इसे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर वहन किया जाता है।

[हिन्दी]

सीमावर्ती राज्यों में विदेशियों की घुसपैठ

521. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सीमावर्ती राज्यों में बड़ी संख्या में विदेशी घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ऐसे कितने विदेशी भारत में बस गए हैं और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। फिर भी पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार से घुसपैठ के छुटपुट प्रयास लगातार किये जाते हैं।

(ख) और (ग) : ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, सरकार की अनुमति के बगैर भारत में नहीं बस सकता। जब भी, ऐसे व्यक्ति जो अनधिकृत रूप से रह रहे हों, का पता लगता है तो उन पर कानून के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता से स्थापित कताई मिलें

522. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता से कर्नाटक में अब तक कितनी कताई मिलों की स्थापना की गई है;

(ख) इन कताई मिलों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) उन मिलों के क्या नाम हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सीधे वित्तीय सहायता प्राप्त करके कर्नाटक में स्थापित की गई नयी कताई मिलों की संख्या छह है।

(ख) नयी कताई मिलों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार निधियां नहीं देती। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन मिलों में राज्य सरकार की अन्तर्ग्रस्त कुल राशि 1514.50 लाख रुपए है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आई० डी० बी० आई० से सीधे वित्तीय सहायता प्राप्त करके कर्नाटक में स्थापित की गई नयी कताई मिलों की सूची

	मिल का नाम	स्थान
1.	बानहट्टी सहकारी कताई मिल	बीजापुर
2.	बेलगांव सहकारी कॉटन कताई मिल	बेलगांव
3.	धारवाड़ सहकारी कताई मिल	धारवाड़
4.	गोग्टो टेक्सटाइल	बेलगांव
5.	बीजापुर सहकारी कताई मिल	बीजापुर
8.	सहकारी कताई मिल	रायपुर

[हिन्दी]

मिश्र के सहयोग से चाय की पैकिंग करने के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना

523. **श्री राज कुमार राय** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिश्र अरब गणराज्य के सहयोग से चाय की पैकिंग और वितरण के लिए उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मिश्र के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करने की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) सरकार द्वारा मैं० शेमटों, मिश्र के सहयोग से भारतीय चाय व्यापार निगम लि० द्वारा मिस्र अरब गणराज्य में एक ब्लेंडिंग-सह-पैकेजिंग फैक्ट्री की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की शर्तें निम्नोक्त प्रकार हैं ;

(1) संयुक्त उद्यम में 2 मिलियन अमरीकी डालर की कुल इक्विटी शामिल है जिसमें मैं० शेमटो का अंश 1.02 मिलियन अमरीकी डालर होगा जबकि टी टी सी आई का अंश 0.98 मिलियन अमरीकी डालर होगा। इसमें से 25% (0.245 मिलियन अमरीकी डालर) नकद प्रेषण के रूप में होगा तथा शेष 0.735 मिलियन अमरीकी डालर की निर्यात आय के द्वारा होगा।

(2) जब तक भारतीय चाय की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित रहेगी, तब तक संयुक्त उद्यम कम से कम 75% भारतीय चाय का प्रयोग करेगा।

(3) संयुक्त उद्यम के लिए भारत से चाय की खरीद के लिए टी० टी० सी० आई० एक मात्र खरीद एजेन्ट होगा।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा

524. **श्री के प्रधानी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1987 में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई वार्ता के क्या निष्कर्ष हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय किया गया था कि दोनों पक्ष आपसी हित के मामलों पर बातचीत जारी रखेंगे और यह बात दोहराई गई थी कि भारत-अफगान संयुक्त आयोग की अगली बैठक इस वर्ष के अन्त में काबुल में होगी।

दक्षिणी राज्यों में पर्यटन का समन्वित विकास

525. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में पर्यटन के समुचित विकास के लिए एक नई योजना तैयार की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत दक्षिणी राज्यों में पर्यटन का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है । सातवीं योजना के अन्तर्गत जिन बातों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, वे हैं—पर्यटक केन्द्रों पर आवास जुटाना, समुद्र तट विहार-स्थलों का विकास करना, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना, चार दक्षिणी गंतव्यों यथा गोवा, त्रिवेन्द्रम, मद्रास एवं बंगलौर के लिए पर्यटक चार्टर्स को बढ़ावा देना, तथा उन्नत प्रचार साहित्य, फिल्मों के जरिये दक्षिण के पर्यटक आकर्षणों का संवर्धन करना और इलैक्ट्रानिक मीडिया का संवर्धन करना।

सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों की काम करने की स्थिति

526. **श्री टी० बशीर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन के बहुत से कर्मचारी देश के विभिन्न भागों में बर्फीले और दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में अमानवीय स्थितियों में कार्य कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे सेना के समकक्ष बेहतर सुविधाओं की लगातार मांग करते आ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके अनुरोध को मानने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) सीमा सड़क संगठन के बहुत से कर्मचारी देश के बर्फीले और दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

(ख) से (घ) : सिविलियन जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स के कर्मचारियों की यह मांग है कि थलसेना कार्मिकों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्रदान की जाएं । चूंकि सीमा सड़क संगठन

में जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स के सिविलियन कर्मचारी एवं थलसेना के कार्मिक सेवा की दो अलग-अलग धाराओं से संबंधित हैं इसलिये उन्हें उस सेवा पर लागू सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिस सेवा से वे संबंधित होते हैं।

फिर भी, सरकार ने हाल ही में जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स के सिविलियन कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करके उनके राशन व कपड़ों की मात्रा बढ़ा दी है, स्थैतिक (शांति) क्षेत्रों में मुफ्त राशन के लाभ दे दिये, जो कर्मचारी बर्फ हटाने के कार्य में लगे हैं उन्हें बर्फ हटाने के लिए भत्ता दे दिया गया, कठिन-दुर्गम स्थानों से अधिक पारिवारिक आवास के निर्माण की व्यवस्था कर दी गई, इस समय जिन स्थानों में विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता मिलता है उनकी संख्या बढ़ा दी गई, उन्हें थलसेना कार्मिकों के समान आई० ए० सी० (इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन) के विमानों में यात्रा के लिए किराए में 50% की रियायत तथा इसी तरह की अन्य रियायतें भी दे दी गईं, चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ने भी जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स के सिविलियन कर्मचारियों की सेवा शर्तों में आगे और सुधार करने का सुझाव दिया है।

उड़ीसा में आयुध कारखाना

527. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बलांगीर जिले के सैंतला खण्ड में आयुध कारखाने स्थापित करने हेतु कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) आयुध कारखाने की स्थापना के कारण कितने ग्रामीण विस्थापित हुए हैं; और

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए किए गए प्रबन्ध का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) : बोलनगीर में आयुध निर्माणी स्थापित करने के लिए अब तक 3728.30 एकड़ सरकारी भूमि और 2670.21 एकड़ निजी भूमि ले ली गई है।

(ख) आयुध निर्माणी की स्थापना से अब तक 820 परिवार विस्थापित हुए हैं।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की एक योजना बनाई गई जिसमें और बातों के साथ-साथ प्रत्येक विस्थापित परिवार को एक मकान की जगह, मकान बनाने के लिये वित्तीय सहायता और बुनियादी सुविधाओं वाली बस्तियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उड़ीसा सरकार पुनर्वास योजना को कार्यान्वित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है। निजी भूमि के मालिकों को अधिग्रहीत भूमि के आधार पर मिलने वाला मुआवजा दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के चम्बल डिवीजन में भर्ती कार्यालय

528. **श्री कमोदी लाल जाटव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के चम्बल डिवीजन में स्थायी भर्ती कार्यालय हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र के लोगों को सेना में भर्ती करने हेतु उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चम्बल डिवीजन से थलसेना में भर्ती का काम ग्वालियर स्थित शाखा भर्ती कार्यालय करता है ।

(अनुवाद)

27 फरवरी, 1987 को उत्तर दिए जाने के लिए अगरबत्तियों के कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबन्ध

529. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरबत्तियों के निर्यातकों ने केन्द्रीय सरकार से कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने और अन्य देशों के साथ किए जाने वाले द्विपक्षीय करारों में अगरबत्तियों के लिये कुछ प्रतिशत भाग सुरक्षित रखने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समुद्री खाद्य और मेंढकों का निर्यात

530. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री खाद्य के रूप में समुद्री जीवों, विशेषकर मेंढकों की कौन-कौन-सी विभिन्न किस्मों का निर्यात किया जाता है;

(ख) इनका किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है; और इससे गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी आय हुई;

(ग) क्या सरकार ने परिस्थिति की संरक्षण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए समुद्री खाद्य के रूप में मेंढकों का निर्यात प्रतिबन्धित कर दिया है;

(घ) क्या परिस्थिति की संरक्षण कार्यक्रम से मेंढकों के निर्यात में कमी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) समुद्री खाद्य के रूप में भारत से निर्यात किए गये समुद्री उत्पादों की प्रमुख किस्में हैं; श्रिम्प, लोबस्टर, कटलफिश, स्क्विड पोम्फ्रेट, टूना, स्प्राट्स जैसी मछलियां आदि। गौण किस्में है : क्लाम्स, सजावटी मछलियां, बीच डे-मेर, सी शैल्स, सी फैन्स, सी ड्रेगन तथा व्हाइट स्क्विल।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जीवित मेंढक वाणिज्यिक पैमाने पर निर्यात नहीं किए जाते हैं। मेंढक की टांगों के सम्बन्ध में विगत कुछ वर्षों के दौरान इस मद के निर्यात में घटने की प्रवृत्ति रही है, जो नीचे दी गई है :

वर्ष	मात्रा/एमटी	मूल्य (लाख रु०)
1981-82	4065	1120.07
1982-83	1896	471.92
1983-84	2428	668.36
1984-85	2778	777.49
1985-86	1746	742.73

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान भारत से समुद्री उत्पादों के देशवार निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :

भारत से समुद्री उत्पादों के देशवार निर्यात

मात्रा : मात्रा में, टन में
मूल्य : मूल्य लाख रु० में

गंतव्य स्थान		1985-86	1984-85	1983-84
1. मारीशस	मा :	211	435	37
	मू० :	33.08	68.94	14.20
2. मोजाम्बिक	मा :	2	3	—
	मू० :	0.59	0.98	—
3. कनाडा	मा :	19	81	57
	मू० :	9.47	75.31	50.88
4. सं० रा० अमरीका	मा :	9519	13647	13496
	मू० :	4606.29	5653.63	4980.57

1	2	3	4	5
5. मैक्सिक	मा :	—	22	1
	मू :	—	6.63	0.26
6. वेनेजुला	मा :	—	4	—
	मू० :	—	0.85	—
7. आस्ट्रेलिया	मा :	185	212	234
	मू० :	105.33	132.37	128.73
8. श्रीलंका	मा :	7897	1 387	6360
	मू० :	722.46	927.03	510.69
9. ताईवान	मा :	3717	2806	7369
	मू :	427.12	306.71	596.74
10. हांगकांग	मा० :	737	253	937
	मू० :	204.17	152.99	243.47
11. जापान	मा :	40327	41536	37424
	मू :	27771.41	26035.71	24022.87
12. कोरिया गणराज्य	मा :	13	—	—
	मू० :	0.78	—	—
13. मलयेशिया	मा :	1594	1419	149
	मू० :	289.56	330.32	51.91
14. नेपाल	मा :	4	2	3
	मू :	0.56	0.16	0.29
15. न्यूजीलेंड	मा :	—	5	—
	मू० :	0.09	0.84	—
16. सिंगापुर	मा :	1284	1209	6933
	मू० :	447.04	394.70	863.24
17. थाइलेंड	मा :	64	1	3
	मू० :	13.79	0.11	0.91
18. बहरीन	मा :	545	191	91
	मू० :	39.42	35.10	24.87

1	2	3	4	5
19. साइप्रस	मा :	45	14	—
	मू० :	3.50	2.85	—
20. कुवैत	मा :	1826	1391	4063
	मू० :	355.29	273.42	766.07
21. कतर	मा :	3	40	4
	मू० :	2.04	4.46	0.32
22. सउदी अरब	मा :	12	678	1397
	मू० :	2.04	84.97	339.86
23. यू० ए० ई०	मा :	1292	1870	3945
	मू० :	424.00	423.86	807.14
24. ओमन	मा :	104	47	49
	मू० :	15.77	14.88	30.71
25. चैकोस्लोवाकिया	मा :	—	2	—
	मू० :	—	0.32	—
26. सोवियत संघ	मा :	19	39	80
	मू० :	9.58	30.39	51.62
27. युगोस्लाविया	मा :	11	—	—
	मू० :	0.14	—	—
28. बेल्जियम	मा :	982	1272	776
	मू० :	328.36	413.97	324.52
29. फ्रांस	मा :	3135	1471	1830
	मू :	745.74	335.71	511.48
30. जर्मन जनवादी	मा :	227	94	181
गणराज्य	मू० :	40.51	33.41	83.61
31. इटली	मा :	284	135	83
	मू० :	51.55	25.37	23.40
32. नीदरलैंड	मा :	528	1224	1551
	मू० :	345.56	521.55	701.32

1	2	3	4	5
33. आयरलैंड	मा :	3	—	26
	मू० :	1.44	—	41.90
34. ब्रिटेन	मा :	4818	4146	4489
	मू० :	2267.35	2041.91	2050.13
35. यूनान	मा :	2025	318	282
	मू० :	205.48	62.30	28.95
36. स्पेन	मा :	2229	236	178
	मू० :	329.71	37.24	19.45
37. स्विटजरलैंड	मा :	नगण्य	—	96
	मू० :	0.76	—	10.45
38. अल्जीरिया	मा :	—	—	32
	मू० :	—	—	8.80
39. ब्राजील	मा :	—	—	337
	मू० :	—	—	38.51
40. अंटार्कटिक क्षेत्र	मा :	—	—	18
	मू० :	—	—	1 94
41. द० यमन	मा :	—	—	150
	मू० :	—	—	1.26
42. जर्मन लोकतंत्रीय	मा :	—	—	29
गणराज्य	मू० :	—	—	6.42
43. स्वीडन	मा :	—	—	नगण्य
	मू० :	—	—	0.30
योग :	मा :	83651	86187	92691
	मू० :	39799.98	38428.97	37302.04

वर्ष 1986 में दहेज के कारण मौतें

531. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 के दौरान दहेज के कारण राज्यवार कितनी मौतें हुई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : 1986 के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों के सूचित किए गए मामले के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	1986 के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों के सूचित मामलों की सं०
1.	आंध्र प्रदेश	119 (नवम्बर तक)
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	6 (अक्तूबर तक)
4.	बिहार	24 (जून तक)
5.	गुजरात	7 (अगस्त तक)
6.	हरियाणा	47
7.	हिमाचल प्रदेश	3
8.	जम्मु और कश्मीर	शून्य (अक्तूबर तक)
9.	कर्नाटक	54
10	केरल	1 (नवम्बर तक)
11.	मध्य प्रदेश	शून्य (अक्तूबर तक)
12.	महाराष्ट्र	81 (अगस्त तक)
13.	मणिपुर	शून्य
14.	मेघालय	शून्य (नवम्बर तक)
15.	मिजोरम	शून्य (नवम्बर तक)
16.	नागालैंड	शून्य (नवम्बर तक)
17.	उड़ीसा	शून्य (वही)
18.	पंजाब	27 (अक्तूबर तक)
19.	राजस्थान	84
20.	सिक्किम	शून्य
21.	तमिलनाडु	28 (नवम्बर तक)
22.	त्रिपुरा	शून्य
23.	उत्तर प्रदेश	386 (अक्तूबर तक)
24.	पश्चिम बंगाल	41 (सितम्बर तक)

टिप्पणी : आंकड़े मासिक अपराध पर आधारित हैं और उन्हें अस्थायी समझा जाए ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के संबंध में भारत बंगलादेश वार्ता

532. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1987 के अन्तिम सप्ताह में अन्तर्देशीय जल परिवहन और व्यापार के सम्बन्ध में भारत-बंगलादेश वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो वार्ता की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत और बंगलादेश के बीच अन्तर्देशीय जल मार्ग और व्यापार संबंधी प्रोतोकोल की अवधि 4-10-86 को समाप्त हो गई थी। तब से इसे इसका नवीकरण होने तक, माह-दर-माह आधार पर बढ़ाया जा रहा है।

बंगलादेश के खेल, नौवहन और अन्तर्देशीय जल परिवहन सचिव के नेतृत्व में बंगलादेश का एक प्रतिनिधि मंडल 28 से 30 जनवरी, 1987 तक बातचीत के लिए नई दिल्ली की यात्रा पर आया था। इस बातचीत में मुख्यत: प्रोतोकोल का नवीकरण, कार्यात्मक मामलों तथा उन मार्गों पर जिनकी देखरेख भारतीय मार्गस्थ यातायात के इस्तेमाल के लिए मुख्यत: बंगलादेश द्वारा की जाती है, सेवाओं के रख-रखाव तथा प्रावधान के लिए वार्षिक प्रभार के भुगतान पर ध्यान दिया गया कुछ मसलों पर बातचीत पूरी नहीं हो सकी। इन पर ढाका में पुन: बातचीत की जाएगी। आशा है कि यह बातचीत जून, 1987 से पहले होगी।

अधिकाधिक कताई मिलों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव

533. **श्री अमरसिंह राठवा** :

श्री चिन्तामणी जेना : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) देश में कार्यरत कताई मिलों की संख्या कितनी है और प्रति वर्ष कितने धागे का उत्पादन होता है;

(ख) वर्ष 1986 के अन्त तक कितने कताई मिलों को बंद किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में धागे की मांग को पूरा करने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए धागे के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक कताई मिलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) 31 दिसम्बर, 1986 के स्थिति के अनुसार, देश में चल रही सूती वस्त्र कताई मिलों की संख्या 742 है। वर्ष 1986 (जनवरी दिसम्बर) के दौरान कताई मिलों द्वारा यार्न के अनुमानित उत्पादन की मात्रा 875 मिलियन कि० ग्रा० रही।

(ख) दिसम्बर, 1986 के अन्त तक बन्द पड़ी कताई मिलों की संख्या 43 है। कताई मिलों के बन्द होने के मुख्य कारण हैं : वित्तीय संकट, श्रमिक समस्याएं आदि।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान कताई क्षमता अनुमानित आवश्यकता से अधिक पहले ही हो गई है। इस प्रकार देश में अतिरिक्त कताई क्षमता के सृजन के लिए सीमित गुंजाइश है।

श्रीनगर में गुलमर्ग आमोद परियोजना के लिए आबंटित धनराशि

534. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर में गुलमर्ग शीतकालीन आमोद परियोजना के लिए सातवीं योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) इस परियोजना का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और इस समूची परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) "पर्वतीय विहार-स्थलों और शीत कालीन क्रीडाओं" की स्कीम के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सैक्टर में 325 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की की गयी है।

गुलमर्ग में शीतकालीन क्रीडाओं का विकास करने हेतु 1968 में स्थापित किया गया, गुलमर्ग हिम क्रीडा परियोजना केन्द्रीय पर्यटन विभाग की एक सतत प्लान स्कीम है। परियोजना के निम्नलिखित संघटक अब तक पूरे हो चुके हैं :

1. तंगमर्ग-गुलमर्ग सड़क का निर्माण हो चुका है।
2. बर्फ हटाने वाले उपकरण का आयात किया गया और जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार को हस्तांरित कर दिया गया।
3. हिम भारती की स्थापना व्यावसायिक स्की प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई है और यह स्कीइंग, अधिक ऊंचाई की स्कीइंग, पर्वतारोहण, चट्टान की चढ़ाई, आइस स्केटिंग, टूबैगनिंग, स्लैजिंग, आदि जैसे विभिन्न शीतकालीन खेलों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करता है।
4. ऐरियल रोपने, चेयर लिफ्ट, स्की लिफ्ट्स आदि स्थापित की गई हैं।

5. प्रशिक्षण के उद्देश्य से अभी हाल ही में 400 स्की सैट्स आयात किए गए हैं।

परियोजना के निम्नलिखित संघटकों का अभी निष्पादन किया जाना है :

1. हिम भारती गुलमर्ग के भवन का निर्माण

2. भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गुलमर्ग में केन्द्रीय रूप से तापित होटल का निर्माण।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने भी गुलमर्ग/तंगमर्ग परियोजना का विकास करने के लिए 345.25 लाख रुपए की राशि आबंटित की है। इसके अलावा राज्य सरकार का 14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर केवल कार लगाने का भी एक प्रस्ताव है।

अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूहों में पर्यटन के विकास के लिए स्वीकृत योजनाएं

535. **डा० ए० के० पटेल** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पिछले 27 दिसम्बर को द्वीप समूह विकास प्राधिकरण की उस बैठक में भाग लिया था जिसमें अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूहों के विकास की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इन द्वीप समूहों में पर्यटन के विकास के लिए कौन सी विशिष्ट योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और प्रत्येक के लिए क्या समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) जी, हां। यह निर्णय लिया गया था कि पर्यटन के कार्यक्रम को एक एकीकृत पैकेज के रूप में बनाया जाना चाहिए। तथापि इन द्वीपों में पर्यटन के विकास के लिए कोई विशिष्ट स्कीमें अनुमोदित नहीं की गई।

दिल्ली छावनी में अवैध निर्माण के मामले

536. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या रक्षा मंत्री दिल्ली छावनी में अवैध निर्माण के मामलों के बारे में 30 जुलाई, 1986 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1872 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने मामलों को अन्तिम रूप दिया गया है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या अवैध निर्माण के सैंतीस मामलों की सूची में कोई और मामले शामिल किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) 37 मामलों में से 14 मामलों को, न्यायालयों द्वारा दोष मुक्त या जुर्माना करके या

छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के अंतर्गत, दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा वापिस लेकर निपटा लिया गया है। इस सूची में अवैध निर्माण के 18 मामले जुड़ गए हैं। इनमें से 8 मामले निपटा लिए गए हैं।

इन सभी 55 (38+18) मामलों के ब्योरे सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3744/87]

भारतीय नौसेना द्वारा एस्कार्ट फ्लोटिंग ड्राई डाक की खरीद

537. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने अन्तिम रूप से एस्कार्ट फ्लोटिंग ड्राई डाक खरीदने और इसे अंदमान स्थित नौसेना अड्डे पर रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कितने मूल्य पर खरीदा गया है; और

(ग) इस ड्राई डाक को अंदमान ले जाने में अनुमानित कितना व्यय होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारतीय नौ सेना के लिए फ्लोटिंग ड्राई डाक खरीदने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। इस बारे में जिन फर्मों ने सरकार को अपने प्रस्ताव भेजे हैं उनमें एस्कार्ट भी शामिल हैं।

(ग) एस्कार्ट ने बम्बई से अंदमान तक परिवहन की लागत लगभग 52 लाख रुपये बताई है।

कपास का समर्थन मूल्य

538. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के फसल वर्षों में कपास और पटसन के क्या-क्या समर्थन मूल्य रहे हैं;

(ख) क्या अगली फसल वर्ष के लिए इन वस्तुओं के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो उन कारणों का ब्योरा क्या है जिन्हें इस प्रकार की वृद्धि के लिए ध्यान में रखा जाता है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1983-84 से 1986-87 तक के लिए रुई की न्यूनतम समर्थन कीमतें तथा कच्चे पटसन की न्यूनतम कानूनी कीमतें विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ख) वर्ष 1987-88 के लिए कपास की न्यूनतम समर्थन कीमत अभी निर्धारित की जानी

है, जबकि 1987-88 पटसन मौसम के लिए कच्चे पटसन (असम में डब्ल्यू-5 ग्रेड) की न्यूनतम कानूनी कीमत बढ़ाकर 240 रु० प्रति क्विंटल कर दी गई है।

(ग) न्यूनतम समर्थन कीमतें/कानूनी न्यूनतम कीमतें कृषि लागतों तथा कीमतों संबंधी आयोग की सिफारिशों को तथा साथ ही अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं और इस प्रकार निर्धारित कीमतें न केवल वस्तु की उत्पादन लागत को कवर करती है बल्कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में किसान को लाभ भी उपलब्ध कराती हैं।

विवरण

(क) वर्ष 1983-84, 84-85, 85-86 तथा 86-87 के लिए कई की कीमतें निम्नोक्त प्रकार हैं :

(रुपए प्रति क्विंटल)

किस्म	एफ० ए० क्यू० के लिए कपास की हाजिर समर्थन कीमतें			
	1983-84	84-85	85-86	86-87
छोटे रेशे वाली				
1. बंगाल देशी/जी-27	319	327	340	345
2. एल डी/133	329	337	350	—
3. वागाद/कालागिन	344	353	365	370/365
मध्यम रेशे वाली				
4. जे-34/बीकानेरी नर्मा	385	395	410	415
5. संजय/सी जे-73	385	395	410	410
6. एम 9 पी विरनार/197-3	405	415	430	435
7. वी-797/जी कपास 12	415	425	440	440
उत्तम मध्यम रेशे वाली				
8. जयोधर	385	395	410	410
9. जयाधर	395	405	420	420
10. गौरानी 22/46	395	405	420	425
11. एफ. 414/एच 777/अगाट्ठी	400	410	425	430
12. लक्ष्मी वी/हम्पी	420	430	445	445

1	2	3	4	5
13. खानदेशी विरनार/वाई/ ज्योति	425	436	452	452
14. ए के 235 तथा 277/ए के एच	447	452	470	470
15. ए 51/9/खंडवा 2	441	455/52	472/470	475
16. एल 147	456	467	485	490
17. जी कपास 11	481	495	512	512
18. दिग्विजय ए (गुजरात)	491	505	520	520
19. दिग्विजय बी (महाराष्ट्र और राजस्थान)	465	477	495	495
20. एस. आर. टी. 1 (ए) गुजरात	491	503	520	520
21. एस. आर. टी. 1 (बी) महाराष्ट्र	465	477	495	495
लम्बे रेशे वाली				
22. 1007/एम सी यू/ डी एच वाई/ एम सी एच 11	492	500	500	505
23. 170-सी ओ 2 (ख)	492	500	500	505
24. 170-सी ओ एस (ए)	497	—	—	—
25. देविराज	—	505	505	510
26. जे के एच वाई	527	535	55	548
उत्तम लम्बे रेशे वाली				
27. एच 4	527	535	535	540
28. शंकर 6	540	550	550	555
29. शंकर 4 ख (दक्षिण)	—	550	550	555
30. वम यू सी 5 एम सी यू 9 एम सी यू 5. बी. टी. (दक्षिण भारत	547	555	555	555
31. वारालक्ष्मी (महाराष्ट्र)	485	492	492	497
32. वारालक्ष्मी (गुजरात)	547	555	555	555
33. वारालक्ष्मी (मध्यप्रदेश)	480	487	487	492
34. वारालक्ष्मी (दक्षिण भारत)	568	577	577	577
35. डी सी एच 32	590	600	600	605
36. सुविन	900	900	900	900

(ख) 1983-84 से 1986-87 तक कच्चे पटसन (असम में डब्ल्यू-5 ग्रेड) की न्यूनतम कानूनी कीमत निम्नोक्त प्रकार थी :

पटसन मौसम	कीमत रु० प्रति क्विन्टल
जुलाई-जून	
1983-84	185
1984-85	195
1985-86	215
1986-87	225

अन्तर्राज्यीय पर्यटन के विकास के लिए योजना

539. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्तर्राज्यीय पर्यटन के विकास के लिए किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के लिए उसका राज्यवार रूपरेखा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : (क) पर्यटन मन्त्रालय सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पर्यटन आधारिक संरचना के सृजन पर बल देते हुए स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करने पर जोर दे रहा है। इस नीति के अन्तर्गत बजट पर्यटकों को आवास मुहैया कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में वन-गृहो, यात्री-निवासों, पर्यटक गृहों, मार्गस्थ सुविधाओं और यात्रिकाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, वन्य-जीव अभ्यारण्यों के दृश्यावलोकन हेतु वाहनों/हाथियों की खरीद करने, पैदल-भ्रमण (ट्रेकिंग) उपकरण की खरीद करने और साथ ही साथ ट्रेकर्स हट्स आदि के निर्माण के वास्ते सहायता भी प्रदान की जा रही है। मंत्रालय विभिन्न राज्यों में प्रमुख मेले और त्यौहारों के आयोजन में भी सहायता प्रदान कर रहा है। यह सभी कार्यकलाप स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करते हैं।

विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्वदेशी पर्यटक यातायात का संवर्धन करने के लिए अपने-अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अन्दर और उससे बाहर एक मुश्त यात्राओं का आयोजन करते हैं।

(ख) पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिए निधियों का आवंटन राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता।

आवास विकास समिति का कार्य निष्पादन

540. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास विकास समिति का गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष वार, कार्य निष्पादन किस प्रकार रहा और इस समिति को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) इस समिति ने आरम्भ से अब तक उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में किन-किन योजनाओं को अपने हाथ में लिया है और उनको पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) भारतीय यात्री आवास विकास समिति ने अमर कंटक, चित्रकूट, कम्पिल, नन्दमेहर और बिहार में एक-एक यात्रिका का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। ओंकारेश्वर, महेश्वर, द्वारकाजी, पुरी, कराईकल और वृन्दावन (बी ब्लाक) में कार्य चल रहा है। श्रीसैलम, गंगा सागर, मायापुर, बिहार शरीफ, केदारनाथ, ऋषिकेश और नैनादेवी मेंभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की उनकी योजना है। संबंधित राज्य सरकारों के साथ विभिन्न अन्य स्थानों पर उपयुक्त भूमि के आबंटन के लिए आगे बातचीत चल रही है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, नीचे वर्णित सहायता अनुदान समिति को रिलीज किए गए थे :

1981-82	5·00 लाख रुपये
1982-83	5·00 लाख रुपये
1983-84	8·00 लाख रुपये
1984-85	17·00 लाख रुपये
1985-86	15·00 लाख रुपये
जोड़	50·00 लाख रुपये

(ख) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(i) **उत्तर प्रदेश** :

कम्पिल, नन्दमेहर और वृन्दावन (ए-ब्लाक) सम्पूर्ण वृन्दावन (बी ब्लाक) कार्य चल रहा है।

(ii) **मध्य प्रदेश** :

अमरकंटक और चित्रकूट-सम्पूर्ण

ओंकारेश्वर और महेश्वर—कार्य चल रहा है।

पश्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापार सन्तुलन

541. **श्री अजय मेहक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत द्वारा वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान ब्रिटेन, अमरीका, फांस, इटली और सोवियत संघ के साथ किये गये निर्यात और आयात के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं: और

(ख) इन देशों के साथ व्यापार सन्तुलन में सुधार करने के लिए यदि कोई उपाय किए जा रहे हैं, तो वे क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) उल्लिखित देशों के संबंध में 1984-85 और 1985-86 के दौरान भारत के निर्यात तथा आयात के स्थिति निम्नोक्त प्रकार है :

(मूल्य : करोड़ रु० में)

	1984-85	1985-86 (अनन्तिम)
ब्रिटेन		
निर्यात	612·60	538·23
आयात	933·47	1248·76
संयुक्त राज्य अमरीका		
निर्यात	1765·83	1994·48
आयात	1700·59	2085·86
फ्रांस		
निर्यात	191·45	199·99
आयात	357·63	615·12
इटली		
निर्यात	212·94	216·94
आयात	296·75	319·74
सोवियत संघ		
निर्यात	1879·64	1937·44
आयात	1788·10	1672·82

टिप्पणी : निर्यात के देशवार ब्यौरे में कच्चे पेट्रोलियम का निर्यात शामिल नहीं है ।

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एंड एस०, कलकत्ता

(ख) निर्यात संवर्धन के लिए अनेक उपाय किए गए हैं । उनका उद्देश्य ऐसे माल के उत्पादन को, जो प्रौद्योगिकी में समसामयिक और कीमतों में प्रतियोगितात्मक हो, प्रेरित करने हेतु, निर्यातों के लिए अधिशेषों का सृजन करना और निर्यातों को लाभप्रद बनाना है। इसके साथ ही सरकार ने कुशल आयात-प्रतिस्थापन संवर्धन के लिए विशेष रूप से बल्क आयातों के क्षेत्र में, अनेक कदम उठाए हैं। विभिन्न व्यापार संवर्धन उपायों जैसे प्रदर्शिनयों, व्यापार मेलों, प्रतिनिधिमंडलों के

आदान प्रदान और समय-समय पर संयुक्त समितियों की बैठकें आयोजित करके विभिन्न देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक सोवियत संघ का संबंध है, व्यापार सन्तुलित आधार पर अपरिवर्तनीय भारतीय रुपए में किया जाता है और सोवियत संघ द्वारा भारत से की गई कोई भी खरीदारियां सोवियत संघ द्वारा भारत से आयात करने के लिए की जाती है।

इन्जीनियरिंग सामान का आयात और निर्यात

542. **श्री अरुण नेहरू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान भारी और हल्के इंजीनियरी सामान के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) इसी अवधि के दौरान इसी प्रकार की मशीनरी के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) इसी अवधि के दौरान इसी प्रकार की मशीनरी के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) 1983-84 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान लोहे तथा इस्पात को छोड़कर, इंजीनियरी मदों अर्थात् मशीनों तथा परिवहन उपस्कर और धातु निर्मित उत्पादों के सम्बन्ध में भारत के निर्यातों तथा आयातों का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :

(मूल्य करोड़ रुपए)

	1983-84	1984-85	1985-86 (अनन्तिम)
निर्यात	758·68	880·25	760·29
आयात	3322·21	3167·92	3683·73

स्रोत ; डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता।

दिल्ली में फैशन संस्थान

543. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17-1-87 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार का दिल्ली में फैशन संस्थान की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य क्या होंगे ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने सम्राट होटल, नई दिल्ली में किराए की जगह में पहले ही कार्य करना आरम्भ कर दिया है। संस्थान के स्थायी स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) संस्थान की स्थापना फैशन उद्योग की शिक्षा, अनुसंधान, सेवा तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है।

अमन, जर्मन संघीय गणराज्य, सिंगापुर, नीदरलैंड और कुवैत से आयात

544. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान अमन, जर्मन संघीय गणराज्य सिंगापुर, नीदरलैंड और कुवैत से लिये गए आयात की प्रमुख मदें क्या-क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक मद का भारतीय मुद्रा के रूप में कितने मूल्य का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) ओमन, जर्मन संघीय गणराज्य, सिंगापुर, नीदरलैंड तथा कुवैत सहित विभिन्न देशों से मदों के आयातों की मात्रा तथा मूल्य से सम्बन्धित आंकड़े "स्टेस्टिक्स आफ दी फारेन ट्रेड आफ इंडिया वाई कंट्रीज वाल्यूम-II (इम्पोर्टस)" नामक प्रकाशन में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन का नवीनतम अंक 1983-84 के सम्बन्ध में है।

त्रिवेन्द्रम में शिल्पकारी के लिए विपणन और विस्तार सेवा केन्द्र

545. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का शिल्पकारों के लिए त्रिवेन्द्रम में विपणन और विस्तार सेवा केन्द्र खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव पिछले 9 वर्षों से हस्तशिल्प विकास आयुक्त के पास लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या त्रिचूर में विपणन और विस्तार सेवा केन्द्र को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम के एक अतिरिक्त विपणन और सेवा विस्तार केन्द्र खोलने के लिए केरल के हथकरघा विकास निगम से अप्रैल, 1985 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आनन्द (गुजरात) द्वारा देश में काम करने वाले मौजूदा केन्द्रों का मूल्यांकन अध्ययन पूरा करने के बाद ही इस मामले पर निर्णय लिया जाएगा।

(ग) संवर्धनात्मक कार्य-कलाप आरंभ करने के लिए केन्द्र के पास पर्याप्त स्टाफ हैं।

हाथी दांत से बनी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबन्ध

546. **श्री पी० ए० एंटनी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य हस्तशिल्प विकास निगम को हाथी दांत से बनी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध से छूट देने के लिए केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामविलास मिर्धा) : (क) केरल सरकार से इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बंगलादेश से आए आदिवासी शरणार्थियों का स्वदेश लौटना

547. **श्री जी० भूपति :**
श्री सोमनाथ रथ :
श्री नारायण चौबे :
प्रो० रामकृष्ण मोरे :
श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया :
श्री एस० एम० गुरड्डी :
श्रीमती वसवराजेश्वरी :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सी० माधव रेड्डी :
डा० वी० एल० शैलेश
श्री पी० एम० सईद :
श्री कृष्ण सिंह :
डा० गौरी शंकर राजहंस :
श्री रामस्वरूप राम :
श्री यशवंत राव गडाख पाटिल :
श्री कालीप्रसाद पांडेय :
श्री मुकुल वासनिक :
श्री प्रकाश वी० पाटिल :
श्री अजय बिश्वास :
श्री आर एम० भोये : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान बंगलादेश की चटगांव पहाड़ियों से कुल कितने चकमा

आदिवासी लोगों ने त्रिपुरा और भारत के अन्य स्थानों में प्रवेश किया और 31 जनवरी, 1987 को उनकी कुल संख्या कितनी थी,

(ख) अब तक कितने चकमा शरणार्थी स्वदेश भेज दिए गए हैं;

(ग) शरणार्थियों को वापस अपने देश भेजने की प्रक्रिया पूरी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन चकमा शरणार्थियों को वापस अपने देश भेजे जाने के बारे में जनवरी, 1987 में हुई भारत बंगलादेश वार्ता के दौरान चर्चा की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 31 जनवरी, 1987 तक बंगलादेश से चकमा आदि जाति के 35,859 शरणार्थी सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर चुके थे।

(ख) अभी तक किसी भी शरणार्थी को स्वदेश प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है।

(ग) जिन शरणार्थियों को 15 जनवरी से स्वदेश प्रत्यावर्तित किया जाना था, उन्हें इस बात का डर था कि वे वापस अपने घर जाने के बाद वहां सुरक्षित नहीं रह पाएंगे इसलिए उन्होंने यहां से जाने से इन्कार कर दिया।

(घ) जी, हां।

(ङ) उस बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि स्वदेश प्रत्यावर्तन की कार्रवाही 15 जनवरी, को शुरू की जाएगी। तथापि ऊपर (ग) में बताए गये कारणों से यह कार्रवाही उस तारीख को शुरू नहीं की जा सकी।

उड़ीसा में पर्यटन विकास

548. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, उड़ीसा में पर्यटन के विकास और पर्यटकों के लिए होटलों के निर्माण के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार और कुछ अन्य संगठनों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने कोई ज्ञापन नहीं भेजा है। तथापि, उड़ीसा होटल और रेस्तरां संघ से एक ज्ञापन मिला है और उसकी जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र से वर्ष की अतिरिक्त गांठों का निर्यात

549. **श्री शरद दिघे** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास उत्पादकों को अधिक मूल्य का भुगतान करने की दृष्टि से महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से रुई की अतिरिक्त 4 लाख गांठों के निर्यात की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां;

(ख) महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्ता विपणन परिसंघ लि० को चालू रुई मौसम के दौरान अब तक लम्बे बढ़िया लम्बे रेशे की रुई की 55000 गांठों की कुल मात्रा आवंटित की गई है। वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, विभिन्न अभिकरणों के पास रुई की उपलब्धता, उनके पूर्व निष्पादन आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अभिकरणों को और कोटे रिलीज किए जाएंगे।

असम समझौते का कार्यान्वयन

550. **श्री शरद दिघे** :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम समझौते के कार्यान्वयन के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है,

(ख) समझौते के कतिपय खण्डों का कार्यान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) इस समझौते को पूरी तरह से कार्यन्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन से कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) असम समझौते के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति हुई है। नवीनतम स्थिति का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [मंत्रालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3745/87]

इण्डियन एयरलाइन्स के विमान का नकली अपहरण

551. **श्री शरद दिघे** :

डा० जी विजय राम राव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा 16 जनवरी, 1987 को इण्डियन एयरलाइन्स के एक विमान के नकली अपहरण की परीक्षण कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह परीक्षण कार्यवाही संतोषजनक सिद्ध हुई है; और

(ग) क्या भविष्य में भी ऐसी परीक्षण-कार्यवाही की जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) अपहरण परीक्षण कार्यवाही, हवाई जहाज के अपहरण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी सभी प्रभारी एजेंसियों और विभागों को सक्रिय बनाने के लिए

नियंत्रित परीक्षण कार्रवाही थी। वास्तविकता लाने और प्रत्येक संगठन को निश्चित समय के अन्दर कार्यवाही करने का अवसर देने के लिए, पर्याप्त गोपनीय बरतना जरूरी था। एक वायुयान को किराए पर लिया गया और वायुयान के अन्दर गतिविधियां उत्तेजित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के कार्मिकों को यात्रियों के रूप में प्रयोग किया गया। सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया और परीक्षण कार्यवाही को विस्तृत संचार तंत्र द्वारा नियंत्रित किया गया। सभी एजेंसियों को सक्रिय बनाने के बाद और जन-संचार माध्यमों द्वारा पूछताछ की गई, जैसी कि सम्भावना थी, यह प्रकट करने का निर्णय लिया गया कि अपहरण एक परीक्षण कार्रवाई थी। सुरक्षा में कोई खामी नहीं थी। सुरक्षा की दृष्टि से और ब्यौरे नहीं दिए जा सकते हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) यह भविष्य में परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

पुरानी मशीनों के आयात में ढील

552. **श्री नारायण चौबे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी मशीनों के आयात सम्बन्धी नीति में हाल ही में कुछ और ढील दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) जी नहीं। केवल चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र को संशोधित किया गया है तथा उसे ज्यादा विस्तृत कर दिया गया ताकि आयात की जाने वाली प्रस्तावित मशीन के मौजूदा स्वरूप के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।

]हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंपा गया अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र

553. **श्री आर० एम० भोये** :
श्री शांता राम नायक :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री सी० माधव रेड्डी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
डा० बी० एल० शैलेश : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अधिकृत कश्मीर की लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन को सौंप दी है, जैसाकि 22 जनवरी, 1987 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर का कुल कितना क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में है और उसमें से कितनी वर्ग किलोमीटर भूमि चीन अथवा किसी अन्य देश को सौंप दी गई है; और

(ग) इस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री के० नटवर सिंह)) : (क) से (ग) भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का लगभग 30,200 वर्गमील का क्षेत्र इस समय पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इसके अलावा लगभग 2,000 वर्ग मील (लगभग 5120 वर्ग किलोमीटर) का क्षेत्र पाकिस्तान ने 1963 के तथाकथित चीन-पाक "करार" के अन्तर्गत चीन को सौंप दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की गैर-कानूनी कार्रवाहियों पर हमने इन दोनों से बार-बार विरोध प्रकट किया है और उनसे यह कहा है कि समूचा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

[अनुवाद]

बंगलौर पासपोर्ट कार्यालय के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाना

554. **डा० बी० वेंकटेश :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कोई नये कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 जनवरी, 1987 को इस कार्यालय में पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए थे;

(घ) इस पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने में औसतन कितना समय लगता है;

(ङ) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि इस विलम्ब में किस प्रकार कमी की जा सकती; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : जी, हां।

(ख) बंगलौर स्थित पासपोर्ट कार्यालय के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) 4-12-1986 से वहां एक नया पासपोर्ट अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पासपोर्ट कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों में निहित स्वार्थ पैदा न हों, सभी पासपोर्ट कार्यालयों में, जिसमें बंगलौर का पासपोर्ट कार्यालय

भी शामिल है, कर्मचारियों को समय-समय पर एक दूसरे कार्यालयों में अदला बदला/स्थानांतरित किया जाता है;

(iii) प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य के संशोधित मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ताकि कर्मचारियों का दैनिक कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके;

(iv) अनिर्णीत मामलों की आवधिक समीक्षा की जाती है और उपयुक्त कार्रवाही की जाती है जिसमें पुलिस प्राधिकारियों की स्मारक योजना भी शामिल है;

(v) हाल ही में मुख्यालय ने बंगलौर स्थित पासपोर्ट कार्यालय का दो बार निरीक्षण किया ताकि कार्यालय में कुशलतापूर्वक कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जा सके;

(vi) पासपोर्ट आवेदकों की शिकायतों पर तत्परता से ध्यान दिए जाने की दृष्टि से सभी पासपोर्ट कार्यालयों में, जिनमें बंगलौर का पासपोर्ट कार्यालय भी शामिल है, शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति की गई है;

(vii) कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के आशय से बंगलौर के पासपोर्ट कार्यालय में जन-सम्पर्क अधिकारी और निम्न श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में रिक्त सभी पद भर दिए गए हैं;

(viii) बंगलौर के पासपोर्ट अधिकारी सहित सभी पासपोर्ट अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए गए हैं कि नए पासपोर्ट जारी करने के लिए किए गए आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में स्पष्ट पहचान और सुरक्षा रिपोर्टों के मिलने के बाद उचित समय के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिए जाएं;

(ix) पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट सम्बन्धी कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए एक कम्प्यूटर लगाया जा रहा है।

(ग) 5306.

(घ) अगर स्पष्ट रिपोर्टें मिल जाएं तो लगभग 6 सप्ताह में पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है।

(ङ) और (च) : उपरोक्त (ख) में बताए गए कुछ उपायों के अतिरिक्त सभी पासपोर्ट कार्यालयों की मासिक मानीटरिंग रिपोर्टों के आधार पर मुख्यालय में प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से मासिक मानीटरिंग की जा रही है और इस सम्बन्ध में विलंब को दूर करने के लिए सभी संबंधितों को अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

युगोस्लाविया के साथ व्यापार समझौता

555. डा० वी० वेंकटेश : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और युगोस्लाविया के बीच इस समय कितना व्यापार हो रहा है और क्या इसे बढ़ाने का विचार है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यूगोस्लाविया को कौन-कौन सी वस्तुएं निर्यात की जायेंगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत तथा यूगोस्लाविया के बीच व्यवसाय निम्नोक्त प्रकार रहा;

(करोड़ रु० में)

	1984-85	1985-86 (अनन्तिम)
यूगोस्लाविया को निर्यात	21.68	23.29
यूगोस्लाविया से आयात	58.89	75.79

1987 में लगभग 200 मिलियन अमरीकी डालर तक व्यवसाय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। हालांकि सरकारी स्तर पर किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए फिर भी व्यापारिक कम्पनियों के बीच वाणिज्यिक स्तर के करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। दोनों देशों द्वारा सम्पर्क सौदा प्रबन्ध, व्यापार तथा उद्योग प्रतिनिधि मंडल का आदान-प्रदान, व्यापार मेलों में भाए लेने तथा दीर्घावधि संविदाएं करने के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करके व्यापार परिणाम में वृद्धि करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है : यूगोस्लाविया को होने वाले निर्यात की मुख्य मदें हैं : काफी, चाय कालीमिर्च, तथा अन्य मसाले, चमड़ा तथा चमड़ा माल, तेल रहित खली, एच० पी० एस० मूंगफली, अभ्रक तार के रस्से, आटो पार्ट्स तथा संघटक, टायर, बाइसिकलों के हिस्से पुर्जे, सूती वस्त्र, पटसन माल आदि। भारत से यूगोस्लाविया को विनिर्मित तथा इन्जीनियरी उत्पादन का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत-पाक वार्ता

556. **श्री जी० एस० बसवराजू :**
श्री एस० एम० गुरुडी :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री रामस्वरूप राम :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री महेन्द्र सिंह :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :
श्री डा० ए० के० पटेल :
श्री सी० अंगा रेड्डी :
श्री कमला प्रसाद रावत : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए प्रयासों की शृंखला में अन्तिम दौर की वार्ता दिसम्बर, 1986 में पाकिस्तान में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सम्बन्धों को सामान्य बनाने के बारे में भारत-पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत दिसम्बर, 1986 में हुई थी।

(ख) इसमें आपसी हित के द्विपक्षीय और अन्य मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था और इस बात पर सहमति हुई थी कि इस बातचीत को जारी रखा जाए।

कपड़ा मिलों का देश के भीतरी भागों में स्थानान्तरण

557. **श्री जी० एस० बसवराजू :**
श्री एच एन नन्जे गौडा : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी मिल मालिकों और कामगारों में समझौता होने पर नगरों और महानगरीय क्षेत्रों में स्थित मिलों को देश के भीतरी भागों में स्थानान्तरित करने के बारे में सहमति व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उन मिलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें देश के भीतरी भागों में स्थानतांरित किया जायेगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत उत्पादन कर रहे उद्योगों को नगरों तथा अन्य महानगरीय क्षेत्रों में ले जाने के लिए कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है।

चीन द्वारा त्रिपुरा और पंजाब में उग्रवादियों की सहायता

558. **श्री जी० एस० बसवराजू :**
श्री एस० एम० गुरुडी :
डा० बी० एल० शैलेश : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार त्रिपुरा और पंजाब में उग्रवादियों की सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में चीन सरकार के साथ बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा के बालेश्वर जिले में प्रक्षेपास्त्र परीक्षण रेंज

559. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बालेश्वर जिले में समुद्र तट पर देश का पहला संयुक्त प्रक्षेपास्त्र परीक्ष रेंज और उपग्रह प्रमोचन काम्पलैक्स का प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया था;

(ख) उस समय इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी थी;

(ग) इस परियोजना के आरम्भ होने से किस सीमा तक प्रदूषण का खतरा होने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना को प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) वर्ष 1979 के दौरान ।

(ख) लगभग 120 करोड़ रुपये ।

(ग) और (घ) : रेंज साइट में निर्माण की कोई सुविधा स्थापित नहीं की जाएगी । इस परियोजना से प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है । पर्यावरण की दृष्टि से यह रेंज स्वच्छ होगी । अत: प्रदूषण का प्रश्न नहीं उठता ।

रुई का निर्यात

560. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से रुई के आयात के इच्छुक देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) उन देशों द्वारा प्रस्तुत क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) बंगलादेश, चैकोस्लोवाकिया, फ्रांस, हांगकांग, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, स्वीटजरलैंड, स्पेन, श्रीलंका तथा ब्रिट्रेन ने भारत से स्टेपल रुई का आयात करने की इच्छा व्यक्त की है । अब तक इन देशों को स्टेपल रुई की 2,01, 112 गांठों, बंगाल देशी की 30, 000 गांठों के निर्यात हेतु संविदाएं रजिस्टर की गई हैं ।

पेकिंग में भारतीय दूतावास पर हमला

561. **श्री महेन्द्र सिंह** :
श्रीमती एम० पी० झांसी लक्ष्मी :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री मुकुल वासनिक :
श्री टी० बाल गौड :
श्री आर० एम० भोये : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरू में भारतीय दूतावास पर 26 जनवरी, 1987 को छापामारों द्वारा डायनेमाइट और मशीनगनों से हमला किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस हमले में कितने लोग हताहत हुए और अन्य क्या क्षति हुई;

(ग) इस बीच अपराधियों को पकड़ने हेतु पेरू सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई है; और

(घ) भारतीय दूतावास के व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) राजदूतावास के किसी कर्मचारी या अधिकारी को कोई चोट नहीं आई। हमले में पेरू पुलिस के तीन गार्ड मारे गए थे। चांसरी की कुछ खिड़कियां टूट गई थीं और कार्यकारी राजदूत की निजी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी।

(ग) बताया जाता है कि पेरू की पुलिस ने लगभग 400 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है।

(घ) पेरू की सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह राजदूतावास की पर्याप्त सुरक्षा-व्यवस्था का सुनिश्चय करे। राजदूतावास वैकल्पिक जगह की तलाश कर रहा है जहां सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो।

एक प्रायोगिक निर्यात परीक्षण गृह (पाइलेट एक्सपोर्ट टेस्ट हाउस) की स्थापना

562. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में एक प्रायोगिक निर्यात परीक्षण गृह स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस प्रायोगिक निर्यात परीक्षण गृह के कब तक चालू होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) परीक्षण भवन में विभिन्न लक्षणों के लिए उत्पादों के परीक्षण के लिए 13 उप-अनुभागों सहित मैकेनिकल, विद्युतीय तथा रासायनिक तीन मुख्य अनुभागीय प्रयोगशालाएं होंगी। परियोजना की अनुमानित लागत 277.32 लाख रु० है।

(ग) मार्च, 1988 के अन्त तक।

गोवा में पुलिस बल की संख्या में वृद्धि करना

563. **श्री शांताराम नायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में विद्यमान पुलिस बल सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त पाया गया है,

(ख) क्या गोवा संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन ने पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ग) क्या गोवा में पुलिस के कार्य-निष्पादन तथा भाषा आंदोलन से उनके निपटने सम्बन्धी कमियों के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार की गई है;

(घ) गोवा में पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए यदि सरकार द्वारा कोई प्रयास किये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कानून और व्यवस्था की स्थिति पर हवाई निगरानी रखने के लिए गोवा पुलिस को हैलिकाप्टर देने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) गोवा में पुलिस बल की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष से गोवा पुलिस को अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी जा रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। गोवा पुलिस ने कुशलता से आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्यवाही की तथा अर्ध-सैनिक बलों की कुमुक से स्थिति पर शीघ्रता से काबू पा लिया गया।

(घ) पुलिस का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

हलका लड़ाकू विमान परियोजना में फ्रांस से सहयोग

564. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हलका लड़ाकू विमान परियोजना में फ्रांस का सहयोग लेने से इन विमानों में स्वदेशी पुर्जों का प्रयोग कम हो जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सहयोग के लिए फ्रांस को चुनने के क्या कारण हैं जबकि वैमानिक विकास एजेंसी, पहले पश्चिमी जर्मनी के परामर्श से हल्के लड़ाकू विमान बनाने और केवल ऐसी प्रौद्योगिकियों का आयात करने, जो हमारे पास नहीं है, के पहले प्रस्ताव से सहमत हो गई थी ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए परामर्शदाताओं के चयन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परामर्शदाताओं के चयन पर ध्यान दिए बिना हल्के लड़ाकू विमान के स्वदेशी पुर्जे पूर्ववत रहेंगे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रिटेन के साथ प्रत्यार्पण संधि

565. **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर करने के मामले में अब तक कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जनवरी, 1986 के बाद भारत और यू० के० के विशेषज्ञ चार बार मिले हैं ताकि यू० के० में भारत विरोधी आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाएं तय की जा सकें। प्रस्तावित प्रत्यर्पण संधि इस प्रकार की व्यस्थाओं का एक अंग है। इस प्रकार की संधि में निहित प्रावधानों के बारे में दोनों सरकारों के बीच मतभेद तो कुछ कम हुए हैं किन्तु हम अभी किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं।

नई होटल परियोजनाओं को स्वीकृति

566. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने देश में होटल आवास की भारी कमी को दूर करने के लिये कितनी होटल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितने होटल बनकर तैयार होने की संभावना है :

(ग) इन होटलों की स्थापना से स्थिति में किस सीमा तक सुधार होगा ; और

(घ) शेष होटलों का निर्माण पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए 238 होटल परियोजनाओं को उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया है।

(ख) मंत्रालय में प्राप्त प्रगति रिपोर्टों तथा अन्य उपलब्ध संकेतों के आधार पर 1987-88 के दौरान लगभग 80 होटल परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) इन होटल परियोजनाओं के पूरा होने पर संभवत: लगभग 7500 कमरे मुहैया होंगे जिससे देश में होटल आवास की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।

(घ) शेष होटल परियोजनाओं के आने वाले दो वर्षों के दौरान क्रमशः पूरा हो जाने की आशा है।

केरल में जल खेल

567. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में किसी पर्यटक केन्द्र में जल खेलों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) कोवलम में जलक्रीड़ाओं के विकास की एक स्कीम है जिसके लिए केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने 17.31 लाख रुपए की सहायता मंजूर की है। मालमपुझा में जलक्रीड़ायें प्रारम्भ करने और कप्पड़ में समुद्रतट विहार-स्थल का विकास करने के प्रस्ताव भी हैं। वैली और पथिरामनल में जलक्रीड़ायें प्रारम्भ करने की केरल राज्य सरकार की भी योजनायें हैं।

फ्रांस द्वारा परमाणु परीक्षण सुविधा के लिए हिन्द महासागर में स्थान की खोज

568. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि फ्रांस सरकार परमाणु परीक्षण सुविधा के बारे हिन्द महासागर में स्थान की खोज कर रही है;

(ख) क्या इसके लिए हिन्द महासागर में केरगुलेलन द्वीप के बारे में विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन ने इसके विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में रिपोर्टें देखी हैं।

(ग) भारत सरकार हिन्द महासागर क्षेत्र में किसी गैर-तटीय राज्य की सैनिक मौजूदगी के विरुद्ध है।

(घ) जी नहीं।

होटल उद्योग के विस्तार की योजना

569. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1990 तक 25 लाख पर्यटकों के आने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में होटल उद्योग का विस्तार करने की कोई त्वरित योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) होटल उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने होटल उद्योग को कई प्रोत्साहन/रिआयतें दी हैं। इनमें शामिल हैं नई होटल परियोजनाओं और विद्यमान होटलों को विस्तार दोनों के मामले में एम० आर० टी० पी० एक्ट से छूट; नए होटलों को आयकर से छूट; उच्च मूल्य ह्रास छूट, विनिर्दिष्ट पिछड़े इलाकों में नए होटल का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय इमदाद, आई० एफ० सी० आई० द्वारा दिए गए होटल ऋणों पर ब्याज इमदाद; विदेशों में विज्ञापन/प्रचार, संवर्धनात्मक दौरों, सामग्री और उपकरणों जिनमें वाहन (एक वर्ष में दो बार) भी शामिल हैं, के लिए विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन कोटा; होटलों द्वारा उनके वास्तविक प्रयोग में लाई जाने वाली आयातित अनेक मदों पर रिआयती सीमा शुल्क; टेलीफोन/टैलेक्स कनैक्शन्स के आबन्टन में प्राथमिकता आदि। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने होटलों/पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी प्रदान किया है, इससे होटल ऐसी रिआयतें/प्रोत्साहन पाने के हकदार हो गए हैं जो अलग-अलग राज्यों में अन्य उद्योगों को उपलब्ध हैं।

पब्लिक सैक्टर में, भारत पर्यटन विकास निगम दो होटलों के विस्तार और एक यात्री-गृह को होटल में परिवर्तित करने के अलावा गुलमर्ग में 30 कमरों वाले एक होटल की स्थापना कर रहा है। यह राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के रूप में 6 होटलों का निर्माण भी कर रहा है।

पर्यटन विभाग, बजट पर्यटकों के लिए आवास मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से यात्री निवासों और वन-गृहों की स्थापना भी कर रहा है।

भारत-रूस निवेश केन्द्र की स्थापना

570. **डा० कृपासिंधु भाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत-रूस निवेश केन्द्र की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या भारत ने उत्पादन सहयोग के एक भाग के रूप में अनेक क्षेत्रों में सोवियत संघ की सहायता से शत-प्रतिशत निर्यात उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जैसाकि दोनों देशों के बीच चर्चा चल रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) भारतीय सोसायटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसायटी भारत सोवियत संघ वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल द्वारा हाल में भारत सोवियत निवेश केन्द्र की स्थापना की गई है। भारत-सोवियत निवेश केन्द्र ने बताया है कि उसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :

भारत तथा सोवियत संघ के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने में सहायता देना और तीसरे देशों में भारत तथा सोवियत संघ के बीच संयुक्त सहयोग स्थापित करने सम्बन्धी मार्ग दर्शन प्रदान करना;

दोनों देशों में वाणिज्य तथा व्यापार से सम्बन्धित संगठनों, प्रक्रियाओं और विनियमनों सम्बन्धी जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्र विन्दु के रूप में कार्य करना।

भारत-सोवियत आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग के लिए गुंजाइश रखने वाली परियोजनाओं का पता लगाने में सहायता प्रदान करना।

प्रौद्योगिकी तथा जानकारी के हस्तान्तरण के लिए भारतीय उद्यमियों और सोवियत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीच तकनीकी सहयोग की व्यवस्था के लिए सहायता प्रदान करना।

भारत-सोवियत संयुक्त उद्यमों के लिए गुंजाइश आफर करने वाली परियोजनाओं का पता लगाना।

औद्योगिक उत्पादों के लिए डिजायन, रेखा-चित्रों, प्रोसेस चार्टों विनिर्माण पद्धतियों जैसे प्रौद्योगिकी प्रलेखन और अन्य सम्बद्ध अनुषंगी सामान तथा साफ्टवेयर प्राप्त करने की व्यवस्था करना।

दोनों देशों के बीच उत्पादन में शामिल होने के लिए औद्योगिक उत्पादन के विशिष्ट क्षेत्र पर प्रकाश डालना।

निर्यात अभिमुख उद्योगों की स्थापना करना।

जहां कहीं यथोचित समझा जाए, सोवियत संघ में भारतीय तकनीशियनों के प्रशिक्षण और भारत में सोवियत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति सुकर बनाना।

दोनों देशों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित सांख्यकीय जानकारी का संकलन तथा प्रचार-प्रसार करना।

दोनों में से किसी भी देश को सप्लाई हेतु उपलब्ध वस्तुओं तथा उत्पादों सम्बन्धी जानकारी, उनकी विशिष्टियां और अन्य संगत जानकारी का प्रचार-प्रसार करना। दोनों देशों के बीच व्यापार और उद्योग प्रतिनिधि मण्डलों के दौरों का आयोजन करना। आर्थिक तथा औद्योगिक विकास तथा द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे संगत औद्योगिक लाईसेंसिंग, विदेशी सहयोग, आयात तथा निर्यात, व्यापार विनियमन, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और अन्य अधिनियमों तथा विनियमनों पर भारत सरकार की नीति सम्बन्धी जानकारी का प्रचार-प्रसार करना।

(ग) भारत और सोवियत संघ दोनों देश उत्पादन सहयोग के संवर्धन के लिए ऐसे क्षेत्रों अभिज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं जो संयुक्त उद्यम तथा 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों सहित अनेक रूप ले सकते हैं। तथापि, यह बात उद्यमियों पर निर्भर करेगी कि क्या वे

सोवियत सहयोग से 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की स्थापना के लिए प्रस्ताव लेकर आते हैं।

पृथक झारखंड राज्य की मांग

571. **श्री कृपासिंधु भोई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पृथक झारखंड राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है;

(ख) क्या गणतन्त्र दिवस को झारखंड बन्द का आयोजन किया गया था; और

(ग) इस मसले को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) एक अलग झारखण्ड के राज्य के लिए समय-समय पर मांगें की जाती रही हैं।

(ख) झारखण्ड मुक्ति मोर्चे ने एक बन्द के लिए आह्वान किया था लेकिन आह्वान का कम प्रभाव हुआ।

(ग) ऐसी मांगें आर्थिक असंतुलनों से उत्पन्न होती हैं। सरकार का विचार है कि किसी विशेष राज्य अथवा क्षेत्र में ऐसे असन्तुलनों का समाधान योजना तन्त्र के माध्यम से किया जाना चाहिए और अलग राज्य बनाए जाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

कोंकण क्षेत्र में समुद्र– तटों के विकास की योजना

572. **डा० वसा सामन्त** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने दिसम्बर, 1986 में महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में समुद्र— तटों का दौरा किया ; और

(ख) यदि हां, तो विकास के लिये किन विशिष्ट स्थलों का चुनाव किया गया ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री ने 21 दिसम्बर, 86 को अलीबाग, मुरुड़-जंजीरा और गणपतिफुले का दौरा किया था। कोंकण क्षेत्र में गणपतिफुले (रत्नगिरि) और मुरुड़-जंजीरा (रायगढ़) को विहार स्थलों के विकास के लिए चुना गया है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने गणपतिफुले विहार-स्थल कुटीरों के लिए पहले ही 8 77 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं।

माझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के प्रबन्धकों कर्मचारियों के बीच सेवा-शर्तों के बारे में समझौता

573. **डा० वसा सामन्त** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के प्रबन्धकों ने 15 अक्तूबर, 1986 को अपने

तट दूर आपरेश डिवीजन के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ सेवा-शर्तों में संशोधन करने के लिए एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस समझौते की शर्तों को अभी तक लागू नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 16 सितम्बर, 1986 को अपतटीय बेड़े के कर्मियों के बारे में माझगांव डाक लिमिटेड ने इंजीनियरी कर्मचारी संघ के एसोशिएशन के साथ एक ज्ञापन पर समझौता किया था, लेकिन इस पर सरकार की सहमति दी जानी है। इसमें परिलब्धियों, अन्य लाभों एवं अपतटीय बेड़े के कर्मियों की सेवा-शर्तों में संशोधन के बारे में कहा गया है।

(ग) और (घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

केरल में पर्यटक परियोजनाएं

574. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित, कौन-कौन पर्यटक परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) कौन-कौन सी नयी परियोजनाएं शुरू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) केरल में पिछले तीन वर्षों में आये पर्यटकों की गति क्या है; और

(घ) क्या पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केरल में पर्याप्त व्यवस्था है ?

पर्यटन मंत्री (सुश्री मोहम्मद सईद) : (क) केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय द्वारा केरल की पहले चली आ रही स्कीमों को वित्तपोषित किया जा चुका है :

1. कन्नानोर, कोट्टाराक्कारा, अलेप्पी, पालघाट, कुमाराकोम और वाइनाद में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
2. कोचीन, कुमारकोम, क्विलोन और थेक्कडी में नौकाओं की व्यवस्था।
3. केरल में मेले और त्यौहारों का संवर्धन
4. ट्रेकिंग उपकरण की व्यवस्था
5. क्विलोन में यात्री निवास
6. कोवलम में जल-क्रीड़ाएं

(ख) निम्नलिखित नए प्रस्ताव विचारधीन हैं:

1. मालमपुझा में जल-क्रीड़ाएं
2. कप्पड़ में समुद्रतट विहार स्थल का विकास
3. त्रिवेन्द्रम में यात्री निवास
4. परम्बीकुलम में वन-गृह
5. नय्यर वन्य जीव अभ्यारण्य में वन गृह
6. परम्बीकुलम वन्य-जीव अभ्यारण्य के लिए मिनी बसें

इनके अलावा, राज्य सरकार ने अभी हाल ही में निम्नलिखित स्कीमों का भी प्रस्ताव किया है :

	लाख रुपए में
(i) मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	75.00
(ii) यात्री निवास	105.00
(iii) लग्जरी क्रूजर्स	180.00
(iv) ससुद्रतट विहार-स्थल	75.00
(v) तैरता रेस्करां, जलक्रीड़ाएं और नौकायन	44.00
(vi) वन्य-जीव अभ्यारण्य के लिए मिनी बसें	6.00
(vii) स्मारकों की प्रकाश-पुन्ज व्यवस्था	15.00

(ग)

वर्ष	विदेशी पर्यटक	स्वदेशी पर्यटक	जोड़
1984	24,292	1,94,336	2,18,628
1985	42,347	3,38,776	4,81,123
1986	60,216	4,81,648	5,41,864

(घ) केरल में प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में आवास और सुविधाएं उपलब्ध हैं। केरल पर्यटन विकास निगम और प्राइवेट ऑपरेटर्स भी पर्यटक परिवहन की व्यवस्था करते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ प्रत्यार्पण सन्धि

575. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच वर्तमान प्रत्यार्पण संधि में संशोधन करने के लिए अमरीका की सरकार के साथ बातचीत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो भारत और संयुक्त राज्य अमरीका में वर्तमान प्रत्यर्पण संधि में क्या प्रमुख कमियां हैं और वर्ष 1942 में इस संधि पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद, इसके अन्तर्गत कितने मामले उठाये गये हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) हम फिलहाल इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस प्रकार के नवीकरण की आवश्यकता है।

(ख) इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है।

हैजे की कीटाणुयुक्त समुद्री उत्पादों को जहाज से जापान भेजना

576. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैजे के कीटाणुयुक्त समुद्री उत्पादों को जापान और अन्य देशों में भेजने में कुछ समुद्री निर्यातकों का हाथ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे बेईमान निर्यातकों के विरुद्ध निर्यात (नियन्त्रण) आदेश और निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कोई निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (ख) हाल में, जापान को समुद्री उत्पादों के हमारे निर्यातों के सम्बन्ध में हैजा प्रदूषण के कुछ मामलों को सरकार के ध्यान में लाया गया था। सरकार ने निर्यात निरीक्षण प्रक्रियाओं को दृढ़ बनाने तथा क्वालिटी नियन्त्रण उपायों को और मजबूत बनाने के लिए तत्काल कदम उठाये हैं।

(ग) जी, हां।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान में नई सैनिक सुविधाओं का विकास

577. श्रीमती वसवराजेश्वरी :

श्री भक्तम श्रीराम मूर्ति :

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के सीमांत प्रदेश बलूचिस्तान में अमरीका द्वारा नई सैनिक सुविधाओं को समुन्नत बनाने और विकसित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम चलाये जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अमरीकी विभाग के इस निर्णय से भारत को किस सीमा तक खतरा है; और

(ग) इस खतरे का समाना करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं कि बलूचिस्तान में सैनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा अधिक विकास करने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसका समन्वय सेंटकोम के अड्डों के विस्तार के क्षेत्रव्यापी कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। तथापि, अमरीकी सरकार ने यह कहा है कि पाकिस्तानी अड्डों अथवा सुविधाओं के निर्माण अथवा उनके नवीकरण में उनका कोई हाथ नहीं है।

(ग) सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर नजर रख रही है जिनका हमारे देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

पाकिस्तानी तटरक्षकों द्वारा भारतीय मछुआरों का पकड़ा जाना

578. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ सत्तरह मछुआरे पाकिस्तानी तट रक्षकों द्वारा तथकथित रूप से पकड़कर अपने देश ले जाये गये हैं जैसाकि 3 फरवरी, 1987 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में पाकिस्तान सरकार के साथ कोई विरोध प्रकट किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार से नौकाओं को वापस लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं; और इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया था और उन्होंने हमें बताया है कि कराची में स्थानीय न्यायालय द्वारा लगाए गये जुर्माने की रकम का भुगतान करने के बाद, वे नावों और मछुआरों को रिहा करने के लिए तैयार हैं।

विशेष पटसन विकास निधि उपयोग करने सम्बन्धी योजना

579. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 100 करोड़ रुपये की विशेष पटसन विकास निधि के उपयोग के लिए व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) पटसन क्षेत्र को पुनजीवित करने के उद्देश्य से सरकार ने पटसन उद्योग की पुनः स्थापना और पुन संरचना करने

तथा साथ ही पटसन की खेती का विकास करने के लिए एक अवधि के भीतर 100 करोड़ रु० की एक विशेष विकास निधि का सृजन करने और उसे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। विभिन्न कार्यक्रमों में परिव्यय के वितरण का हिसाब निम्नोक्त प्रकार लगाया गया है :

1. पटसन कृषि विकास कार्यक्रम	25 करोड़ रु०
2. जे० सी० आई० और इसकी सहकारी खरीद एजेंसियों को सहायता	10 करोड़ रु०
3. उत्पाद विविधता और आर० एण्ड डी० समर्थन।	
4. पटसन उद्योग में कामगारों के लाभ के लिए योजनाएं	53.50 करोड़ रु०
योग :	98.50 करोड़ रु०

अर्थात् 100 करोड़ रु०

दिल्ली में पुलिस अधिकारियों के लिए मकान

580. डा० ए० के० पटेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेक पुलिस अधिकारी तथा पुलिस कर्मचारी उनके लिए उपयुक्त सरकारी मकान के अभाव में अपने कार्य के स्थानों से दूर रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें उपयुक्त मकान देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि वे अपने कार्य निष्पादन सही ढंग से कर सकें;

(ग) पुलिसकर्मियों के लिए मकानों के निर्माण की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ दिल्ली मुख्यालय के निकट कुछ उपयुक्त प्लाट आरक्षित रखे गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) पुलिस आवास एक योजना स्कीम है। छठी योजना के दौरान दिल्ली पुलिस के 1660 कार्मिकों के लिए 1528 क्वार्टर और बैरकों का 947 लाख रु० की लागत से निर्माण किया गया था। 3700 पुलिस कार्मिकों के लिए 3972 क्वार्टर और बैरकों का निर्माण करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 800 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

[हिन्दी]

काबुल में भारतीय दूतावास के निकट बम विस्फोट

581. **श्री मदन पांडे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 फरवरी 1987 को मध्य काबुल में भारतीय दूतावास के निकट एक कार में बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दुर्घटना के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कोई नए कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राजदूतावास के 15 भारत आस्थानी तथा एक स्थानीय कर्मचारी को तथा आई० ए० सी० के दो कर्मचारियों को मामूली चोटें आई थीं। चांसरी भवन को काफी क्षति पहुंची थी।

(ग) जी, हां।

(घ) सुरक्षा उपाय तो पहले से ही थे किन्तु अब और कई नए उपाय भी किए गए हैं। यदि इन उपायों का ब्यौरा दे दिया जाए तो स्पष्ट है कि इससे सुरक्षा का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का निर्माण

582. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने सातवीं योजनावधि के अन्त तक आंध्रप्रदेश में कुछ तीन सितारे और पांच सितारे होटलों के निर्माण के लिए भारत सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने होटलों का निर्माण किया जाना है और राज्य में पर्यटकों के आगमन को उनमें किस हद तक ठहराया जा सकेगा; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कौन सा स्थान चुना गया है और इन होटलों से राज्य में किस हद तक रोजगार प्राप्त हो सकेगा ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में किसी होटल परियोजना का निर्माण करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में समुद्री तटों के विकास का प्रस्ताव

583. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितने व्यय का अनुमान है और समुद्री तटों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को कितनी धन राशि प्रदान की गई है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) विशाखापटनम के निकट ऋषिकोंडा का एक समुद्र तट विहार स्थल के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है जिसके लिए पर्यटन विभाग ने 27-3-86 को 20·80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है ।

आंध्र प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कदम

584. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार 31-12- 1986 तक आंध्र प्रदेश में कुल कितने विदेशी और स्वदेशी पर्यटक आये;

(ख) विदेशी मुद्रा, यदि कोई हो, सहित पर्यटकों के कारण राज्य अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आमदनी के अनुमान क्या हैं; और

(ग) आंध्र प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) संबंधित आंकड़े राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) आंध्र प्रदेश की तरफ अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में इस राज्य के पर्यटक अभिरुचि के स्थानों का व्यापक प्रचार करना और आधारिक-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है ।

27 फरवरी, 1987 को उत्तर दिये जाने के लिए आंध्र प्रदेश से रुई का निर्यात

585. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश से कितनी मात्रा में तथा किस किस्म की रुई का निर्यात किया गया;

(ख) यदि हां तो जिन देशों को रुई का निर्यात किया गया, उनके नाम क्या हैं;

(ग) इस प्रकार कितने मूल्य की रुई निर्यात की गई;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय रुई के लिये नये बाजारों का पता लगाने के लिए कदम उठाये हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) 1983-84 में कोई निर्यात नहीं हुए। आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन परिसंघ ने 1984-85 में 133 करोड़ रु० मूल्य की 4094 रुई की गांठों का निर्यात किया तथा 1985-86 में 2·00 करोड़ रु० मूल्य की 6987 गांठों का निर्यात किया। निर्यात में रुई की लम्बी तथा अत्यधिक लम्बे रेशे वाली किस्म शामिल थी तथा चेकोस्लाविया, पोलेण्ड, स्विटजरलैण्ड, बंगलादेश और चीन (टी) को निर्यात किया गया।

(घ) और (ङ) निर्यात अभिकरण विदेशी बाजारों अर्थात रुई आयातक देशों में बिक्री एजेंट नियुक्त करते हैं, प्रतिनिधिमण्डल भेजते हैं तथा सामान्यतः रुई के विभिन्न आयातक देशों के साथ तथा विशेष रूप से पूर्व यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करारों के अन्तर्गत बिक्रियों का संवर्धन करते हैं। भारतीय रुई निगम ने इंडोनेशिया, थाईलैंड और फ्रांस को नए बाजारों के रूप में अभिज्ञात किया है।

भारत डेनमार्क व्यापार सम्बन्ध

586. **डा० चिन्तामोहन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और डेनमार्क के बीच सम्बन्धों को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजनदास मुन्शी) : (क) और (ख) डेनमार्क के साथ व्यापार सम्बन्धों में सुधार लाने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच अनेक मंत्रिस्तरीय और सरकारी विचार-विमर्श हुए हैं। डेनमार्क के प्रधानमन्त्री ने जिनके साथ एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भी आया था जनवरी, 1987 में भारत का दौरा किया तब दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए ऐसोसिएटेड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री आफ इंडिया (ऐसोचैम) और फैडरेशन आफ डेनिश इंडस्ट्रीज तथा डेनिश चैम्बर आफ कामर्स के बीच भारत डेनमार्क संयुक्त व्यापार परिषद स्थापित करने के लिए एक करार पर भी हस्ताक्षर हुए थे।

दिल्ली में कुलियों (पोर्टर) के लिए वर्दी

587. **डा० चिन्तामोहन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय पुलिस और व्यापार संघ ने दिल्ली में कुलियों के लिए वर्दी की एक नई योजना लागू की है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) थाना कोतवाली, लाहोरी गेट, टाउन हॉल, सदर बाजार, बाड़ा हिन्दूराव के क्षेत्रों के व्यापारियों ने इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले कुलियों को वर्दियां और बिल्ले दिये हैं।

(ख) कुलियों द्वारा चोरी और धोखा देने के मामलों को समाप्त करने के लिए उन्हें वर्दियां और बिल्ले जारी किए गये हैं क्योंकि कुली करने वाले व्यक्तियों का सामान लेकर उनके भीड़ में गायब होने की घटनाएं भी हुई हैं।

झारखंड क्षेत्र के सम्बन्ध में अध्ययन दल की रिपोर्ट

589. श्री सैयद शाहबुद्दीन । क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने झारखंड क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतोष का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की थी,

(ख) क्या उक्त दल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है,

(ग) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और उसकी सिफारिशें क्या हैं और

(घ) क्या सरकार अन्य राज्यों के साथ लगने वाले क्षेत्रों को साथ मिलाकर बिहार में अलग से आदिवासी राज्य बनाने के लिए आंदोलन के प्रभाव के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक केन्द्रीय दल बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों का दौरा कर रहा है जो इन जिलों के आदिवासियों की समस्याओं और उनके कल्याण के लिए हाथ में लिए गए कार्यक्रमों के बारे में समाहर्ताओं के साथ विचार-विमर्श करेगा। बाद में यह दल झारखंड मुक्ति मोर्चे आदि की गतिविधियों के कारण उत्पन्न विभाजक प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक स्पष्ट कार्रवाही तथा उपचारात्मक प्रशासनिक उपायों का सुझाव देने के लिए राज्यों की राजधानियों में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श करेगा।

संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करना

590. श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ और भाषाओं को शामिल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ और भाषाओं को शामिल करने की मांगें अक्सर प्राप्त होती हैं । सरकार का विचार है कि आठवीं अनुसूची में और भाषाएं शामिल करने से अन्य प्रभाव और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होंगी । फिर भी, सभी भाषाएं चाहे वे आठवीं अनुसूची में शामिल हैं अथवा नहीं, की सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्पराओं को विकसित करने के लिए सरकार प्रयास करती है ।

[हिन्दी]

मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

591. श्री राम भगत पासवान : विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मन्त्रालय में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और श्रेणी एक, दो, तीन और चार में उनकी कितनी-कितनी संख्या है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि आरक्षित पदों पर निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी नियुक्त हों ।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) :

(क) कुल —6021

श्रेणी-I	— 796
श्रेणी-II	—1916
श्रेणी-III	—2509
श्रेणी-IV	— 800

(ख) इनकी प्रतिशतता नीचे लिखे अनुसार है ।

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी-I	12·20	4·40
श्रेणी-II	8·29	1·20
श्रेणी-III	11·67	3·42
श्रेणी-IV	30·12	3·00

(ग) यह मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों का अनुपालन करता रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित कोटा पर इन्हीं के सदस्यों की नियुक्ति की जाए। औपचारिक सुरक्षित स्थान आदेशों के अन्तर्गत आने वाले सभी वर्गों के अधिकारियों पर यह लागू होता है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह

592. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में हाल के कुछ दिनों में विद्रोह की गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है;

(ख) क्या उग्रवादियों को किसी अन्य देश द्वारा आधुनिक हथियार तथा अन्य प्रकार की सहायता दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में (तिरप जिले को छोड़कर) कोई विद्रोही गतिविधियां नहीं हुई। तिरप जिले में 1986 में नेशनल सोसलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड द्वारा चार हिंसक घटनाएं की गईं जिनमें 8 मौतें हुई। त्रिपुरा नागालैंड, मणिपुर और असम में टी० एन० वी०, नेशनल सोसलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम सक्रिय रहे।

(ख) और (ग) : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उग्रवादियों को आधुनिकतम शस्त्रों की आपूर्ति करने में किसी बाहरी देश की अन्तर्ग्रस्तता सिद्ध करने के लिए अभी किसी विशिष्ट बात का पता नहीं चला है। इस सूचना के बारे में कि त्रिपुरा नेशनल वालिंटियर सीमा के पार से कार्रवाही कर रहा है, बंगलादेश के साथ जब भी यह मामला उठाया गया उसने इस बात से दृढ़ता के साथ इन्कार किया है कि वह टी० एन० वी० की मदद करता है।

(घ) अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1967 के अन्तर्गत त्रिपुरा में त्रिपुरा नेशनल वालिंटियर्स और मैतई संगठनों अर्थात पिपुल्स लिबरेशन आर्मी, मणिपुर में पिपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलेइपाक इत्यादि को अवैध संगठन घोषित किया गया है। सम्पूर्ण मणिपुर राज्य को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भारत-बर्मा की सीमा के साथ-साथ 5 किलो मीटर क्षेत्र को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया गया है। जहां आवश्यक था अर्ध सैनिक बलों की संख्या को पर्याप्त रूप से बढ़ाया गया है। उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में

आसूचना तंत्र को तेज किया गया है । उग्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही में लगी विभिन्न एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय के लिए प्रबंध किए गए हैं। सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

अमरीकी रक्षा शिष्ट मंडल के भारत के दौरे के पश्चात अनुवर्ती कार्यवाही

593. **श्री नित्यानन्द मिश्र :**

श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या भारत और अमरीका दोनों देशों के बीच सहयोग के विशेष क्षेत्रों का पता लगाने के लिए 1986 में अमरीकी रक्षा विभाग के तकनीकी शिष्टमंडल के भारत के दौरे के पश्चात कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) फरवरी, 1986 में श्री लिन्डस्ट्रोम के नेतृत्व में अमरीकी डी० ओ० डी० दल द्वारा किए गए दौरे के पश्चात्, रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर अमरीका सरकार की रिपोर्ट जून, 1986 में प्राप्त हुई । भारत सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है और एयरोनाटिक्स/हल्के लड़ाकू विमान जैसे क्षेत्रों में इस तरह का सहयोग करने की संभावना के बारे में भारत सरकार और अमरीका सरकार के बीच बातचीत चल रही है । अक्तूबर, 1986 में अमरीका के रक्षा सचिव श्री वेनवर्गर के भारत आने पर उनके दल के अधिकारियों तथा नवम्बर, 1986 में अमरीका के वायुसेना सचिव श्री अल्ड्रीज के भारत आने पर उनके साथ आए अधिकारियों के साथ भी इस मामले में चर्चा की गई । रक्षा प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग किस प्रकार होगा इस बारे में दोनों सरकारों के बीच अभी विचार विमर्श चल रहा है ।

(ख) लिन्डस्ट्रोम के दल की यात्रा के पश्चात् इस सम्बन्ध में की गई अनुवर्ती कार्यवाही के ब्यौरे देना असामयिक होगा क्योंकि इस मामले पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है ।

देश में व्यापार क्षेत्र

594. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में कितने मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान वर्षवार उनकी खरीद और बिक्री कितनी है;

(ग) और मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना करने की कोई योजना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) देश में अभी तक छः निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित किए गए हैं जो निम्नोक्त प्रकार हैं।

(1) कांडला

(2) सांताक्रुज (बम्बई)

(3) मद्रास

(4) फाल्टा (कलकत्ता)

(5) नोएडा (उत्तर प्रदेश)

(6) कोचीन

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए निर्यात के ब्योरे निम्नोक्त प्रकार हैं।

	84-85 रु०/करोड़	85-86 रु०/करोड़
कांडला	238·75	237·99
सांताक्रुज	95·83	84·44

अन्य जोन निर्माणाधीन हैं। फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन तथा मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन ने 1985-86 में निर्यात शुरू कर दिए तथा उनका कारोबार क्रमश। 2·22 करोड़ तथा 0 55 करोड़ रु० का रहा।

(ग) अपेक्षित स्रोतों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने के प्रस्तावों पर समय-समय पर विचार किया जाता है।

विशाखापत्तनम में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना

595. **श्री गुरुदास कामत**। क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में मुक्त व्यापार केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन लोगों को प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी जो इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी)। (क) से (घ) विशाखापत्तनम में एक निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछेक स्थानों का सुझाव दिया है। देश में सभी निर्यात प्रोसेसिंग जोनों को अनेक प्रोत्साहन दिए जाते हैं और उनमें से शामिल हैं, पूंजीगत माल तथा उत्पादन अन्तर्निविष्ट साधनों का शुल्क मुक्त आयात, कार्पोरेट कर अवकाश, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट आदि।

ईई की दीर्घकालीन निर्यात योजना

596. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

रुई का वर्तमान स्टाक क्या है और 31 जनवरी 1987 तक प्राप्त निर्यात क्रिया देशों के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : लगभग 12·50 लाख गांठों की कुल मात्रा भारतीय रुई निगम, महाराष्ट्र फैडरेशन, गुजरात फैडरेशन तथा निजी व्यापार के स्टाक में हैं। चालू वर्ष के दौरान रुई के निर्यात हेतु अच्छी मांग है। 31-1-87 को विद्यमान स्थिति के अनुसार सरकार ने लम्बे तथा अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रुई की 2 32 लाख गांठों और बंगाल देशी की 50·000 गांठों की कुल मात्रा रिलीज की थी। इसमें से 31-1-1987 को विद्यमान की स्थिति के अनुसार लम्बे तथा अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रुई की 2·11 लाख गांठों तथा बंगाल देशी की 36,232 गांठों के निर्यात हेतु संविदाएं रजिस्टर की गईं।

नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन

597. **श्री मूलचंद डागा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष नियन्त्रित कपड़े और जनता कपड़े के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके उत्पादन पर राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति कपड़े की कितनी न्यूनतम आवश्यकता निर्धारित की गई;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान नियंत्रित और जनता कपड़े के वितरण के लिए कितने खुदरा बिक्री केन्द्र थे; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान सरकार को वितरण सम्बन्धी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) विवरण I संलग्न है

(ख) विवरण II संलग्न है।

(ग) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कपड़े की प्रति व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता निर्धारित नहीं की है।

(घ) कन्ट्रोल का कपड़ा तथा जनता कपड़ा वितरित करने के लिए देश में फुटकर दुकानों की संख्या का ब्यौरा इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता है। कन्ट्रोल का कपड़ा तथा जनता कपड़ा वितरित करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों का है जो कि अनेक उपभोक्ता सहकारी समितितों, उचित दर की दुकानों आदि के जरिए उपभोक्ता को ऐसा कपड़ा सप्लाई करते हैं।

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान कन्ट्रोल के कपड़े के कुवितरण की सात शिकायतें प्राप्त हुईं। जनता कपड़े के कुवितरण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण I

मिलियन वर्ग मीटर में

वर्ष	कन्ट्रोल का कपड़ा	पोलिएस्टर काटन ब्लैंडिड शर्टिंग	जनता कपड़ा
1983-84	294·99	8 00	384·34
1984-85	245·73	7 00	356·77
1985-86	255·00	8·00	398·12

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान कन्ट्रोल के कपड़े तथा जनता कपड़े पर उपदान के रूप में दी गई राशि :

करोड़ रु० में

वर्ष	कन्ट्रोल का कपड़ा	जनता कपड़ा
1983-84	52·73	47·24
1984-85	52·94	58·27
1985-86	51·51	71·33

चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना

598. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वाणिज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में चमड़े से बनी सभी प्रकार की वस्तुओं का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ख) चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने हेतु उत्पादन टैक्नोलोजी में सुधार करने, कच्चे माल के आयात तथा किस्म नियन्त्रण का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या पड़ोसी देशों को अपने उत्पादों की तस्करी करने के उद्देश्य से नई चर्मशालायें स्थापित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) चमड़ा निर्यात परिषद के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 1986 के दौरान चमड़े के और चमड़े के उत्पादों के निर्यात लगभग 522 करोड़ रु० के होने का अनुमान है।

(ख) चमड़ा उत्पादों के निर्यातों को सुकर बनाने और उनमें सुधार लाने के लिए किये गये उपायों में से कुछ हैं—शुल्क की घटी दर पर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन प्रौद्योगिकी, पूंजीगत माल और अन्य अन्तर्निविष्ट साधनों का आयात तथा फुटवियर एवं फुटवियर संघटकों के लदान पूर्व निरीक्षण पर जोर।

(ग) और (घ) कुछ पड़ोसी देशों में खालों और चमड़ियों की कथित तस्करी की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और निवारक उपायों पर विचार करने के लिए 24-1-1987 को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी। आशा की जाती है कि बैठक में तय किए गए कुछ उपायों से जिनमें सीमा क्षेत्रों में टैनरियों की उत्पादन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना शामिल है, स्थिति में सुधार आएगा।

[हिन्दी]

अर्ध-सैनिक बलों के लिए नई नीति

599. **डा० चंद्रशेखर त्रिपाठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अर्ध-सैनिक बलों के लिए किसी नई नीति पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और इसको कौन सी तारीख से लागू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस नीति से कितने कार्मिकों को लाभ होने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को विदेशियों से शादी करने की अनुमति देना

600. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** :

श्री दिलीपसिंह भूरिया :

डा० डी० एन० रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को अब विदेशियों से शादी करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह अनुमति कौन सी तारीख से दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने शादी से पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है ;

(घ) क्या इस त ह के आदेश जारी करने के पश्चात् किसी भारतीय ने अब तक अनुमति के लिए आवेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सरकार ने इस विषय से सम्बन्धित नियम में संशोधन किया है और संशोधन की अधिसूचना सभा पटल पर रखी जाती है। **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3747/87]**

(ख) सरकार ने यह फैसला किया है कि ऐसे मामलों पर निर्णय सुपरिभाषित नियमों के अनुसार हर मामले में अलग-अलग किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) श्री के० गजेन्द्र सिंह ने यह अनुरोध किया है कि उन्हें भारतीय विदेश सेवा के 1961 बे बैच की रोमानिया की राष्ट्रिक से विवाह करने की इजाजत दी जाए। सरकार उनके अनुरोध की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन में राज्यों को सहायत

6011. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों से निर्यात संवर्धन में सहायता देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए आगे आने वाले राज्यों को सहायता देने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायत/सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (ङ) वाणिज्य मंत्री ने राज्य सरकारों को दिनांक 9 दिसम्बर, 1986 को भेजे गए पत्र में भारत सरकार द्वारा हाल के महीनों में किए गए विभिन्न निर्यात नीति उपायों की रूपरेखा दी है। इस पर बल देते हुए कि हमारे देश के निर्यातों को बढ़ाने सम्बन्धी सामूहिक प्रयासों में राज्य सरकारों का महत्वपूर्ण स्थान

है, वाणिज्य मंत्री ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे उन सभी के ध्यान में इस पत्र की विषयवस्तु को लाए जो कि राज्यों में निर्यात प्रयास से सम्बन्ध रखते हों। अनेक राज्य सरकारों ने हमारे निर्यातों को बढ़ाने के लिए नीति सम्बन्धी उपायों का प्रचार करने तथा उन्हें अपना समर्थन देने के लिए अपना आशय व्यक्त करते हुए उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

बसरा में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में कार्य कर रहे भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा

602. **श्री हरीश रावत** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों की जानकारी है कि इराक में बसरा में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के पास गत दो-तीन महीनों के दौरान एक से अधिक बार बम गिराये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्य दूतावास में कार्य कर रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त प्रबन्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बसरा की जिस इमारत में भारत का प्रधान कोंसलावास है उस पर पिछले दो महीनों में दो बार बम गिराए गए हैं।

(ख) और (ग) विगत में प्रधान कोंसलावास के पास बम गिराए जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नवम्बर, 1986 के आरम्भ में यह फैसला किया था कि वह अपने कोंसलावास के कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा।

[अनुवाद]

भारत मलेशिया व्यापार वार्ता

603. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1987 में भारत-मलेशिया व्यापार वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता का स्वरूप क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जनवरी, 1987 में कोई भारत-मलेशिया व्यापार वार्ताएं नहीं हुई। तथापि, 29-30 जनवरी, 1987 को

मलेशियाई प्रधानमन्त्री के भारत दौरे के दौरान कुछ व्यापार मुद्दे विचार-विमर्श के लिए सामने आए।

(ख) विचार-विमर्श में अधिक बल द्विपक्षीय व्यापार का विकास करने तथा मौजूदा व्यापार असंतुलन को ठीक करने पर दिया गया।

शहतूत के पेड़ का 'टुरका' नामक बीमारी से प्रभावित होना

604. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शहतूत के पेड़ पर 'टुरका' नामक बीमारी से पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी है;

(ख) क्या इस बीमारी के कारण शहतूत के पत्तों की गुणवत्ता और परिमाण में कमी आती है जिसके कारण ये पत्ते रेशम के कीड़ों के जीवन के लिए अयोग्य हो जाते हैं;

(ग) इस बीमारी के कारण कुल कितनी फसल की हानि हुई है; और

(घ) इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ;

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस रोग का क्वालिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे शहतूत के पत्ता उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है तथापि इस रोग के कारण फसल की कुल क्षति नगण्य है क्योंकि रेशम उत्पादकों को इसका कारण पता है और वे निवारक उपाय करते हैं जैसे कि मटासिस्टोस 0.05% डेगीक्रोन 0.05% फेरोडोन 7 किग्रा हेक्टेयर और एल्ड्रेक्स 0.05% जैसे कीटनाशकों का प्रयोग बरहमपुर स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अनुसंधान संस्थान तथा इसके संबद्ध रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्रों ने विभिन्न जलवायु स्थितियों में तथा विभिन्न किस्मों के शहतूत-पौधों पर इस रोग के प्रभावकारी नियंत्रण के लिए अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं।

भारतीय कंपनियों को देय राशि के बारे में इराक और लीबिया में समझौता

605. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंपनियों को देय राशि के बारे में इराक और लीबिया में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों से सम्बन्धित नियम व शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) भारत सरकार द्वारा ने भारतीय कंपनियों को देय राशियों के निपटान के लिए ईराक सरकार के साथ चार आस्थागन भुगतान करार किये हैं। लीबिया के साथ ऐसा कोई करार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) इन करारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कच्चे तेल तथा सल्फर की सप्लाई की व्यवस्था है। इन करारों के ब्यौरे देना लोक हित में नहीं हैं।

आंध्र प्रदेश के स्वतन्त्रता सैनानियों को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन की मंजूरी

606. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के कितने स्वतन्त्रता सैनानियों अप्रैल, 1980 तक स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन मंजूर की गई थी और कितने स्वतन्त्रता सैनानियों को दिसम्बर, 1986 तक यह पेंशन मंजूर की गई; और

(ख) जांच-पड़ताल के दौरान कितने आवेदन झूठे पाए गए और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) (I) अप्रैल, 1980 तक स्वीकृत की गई 5322

(II) दिसम्बर, 1986 तक स्वीकृत की गई 7955

(ख) दिसम्बर, 1986 तक 16347 आवेदन अस्वीकृत किए गए थे क्योंकि योजना के उपबन्धों के अधीन आवेदक पात्र नहीं पाये गये। ऐसे आवेदनों को अस्वीकार करने के अलावा अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

आंध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए वृहत योजना

607. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए कोई वृहत-योजना (मास्टर प्लान) तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) ऐसा कोई मास्टर प्लान नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पैकिंग की वैकल्पिक सामग्री का पटशन उद्योग पर प्रभाव

608. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैकिंग की वैकल्पिक सामग्री के विकास के कारण पटसन उद्योग पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने पटसन उद्योग बन्द हो गए हैं और कितने कर्मचारियों पर उसका प्रभाव पड़ा है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पटसन उद्योग पैकेजिंग की वैकल्पिक सामग्री के विकास से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है।

(ख) श्रमिक समस्या तथा वित्तीय कठिनाइयों सहित विभिन्न कारणों की वजह से नौ पटसन मिलें, जिनमें 42100 श्रमिक अन्तर्ग्रस्त हैं, इस समय बन्द पड़ी हैं।

कर्नाटक में शहतूत से रेशम की खेती

609. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार कर्नाटक में शहतूत से रेशम की खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कर्नाटक में राज्य रेशम उत्पादन विभाग के प्रयासों को बढ़ाने और शहतूत की खेती के लिए आर एण्ड डी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में निम्नोक्त एककों की स्थापना की है;

(1) 10 अनुसंधान विस्तार केन्द्रों के साथ केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान।

(2) 2 क्षेत्रीय अनुसंधान।

(3) 10 रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्र।

(4) आधारभूत बीज कोया फार्म।

रुई का निर्यात

610. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें रुई के निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारत और उन देशों में से किसी देश के बीच रुई के निर्यात के बारे में किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हांगकांग, थाइलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, मलयेशिया, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्पेन, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, स्विटजरलैंड, फ्रांस, टर्की, अल्जीरिया, बंगलादेश आदि को रुई निर्यात करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक के हथकरघा बुनकरों के लिए
बर्कशेड-व-आवास योजना

611. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सातवीं योजना के दौरान हथकरघा बुनकरों के लिए 'बर्कशेड-व-आवास' योजना आरम्भ करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) हथकरघा बुनकरों के लिए 110 बर्कशेडों के निर्माण के लिए 1985-86 के दौरान कर्नाटक सरकार को 1.65 लाख रु० की राशि रिलीज की गई थी।

हथकरघा बुनकरों के लिए बचत निधि योजना को
केन्द्रीय सहायता

612. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सातवीं योजना के दौरान हथकरघा बुनकरों के लिए बचत निधि योजना को केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में अपने हथकरघा बुनकरों पर थ्रिफ्ट निधि योजना लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार से सम्पूर्ण प्रस्ताव अभी केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यात पर शुल्क में कटौती

613. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में हुई संयुक्त आयोग की बैठक में निर्यात

पर शुल्क समाप्त करने/उसमें कटौती करने के प्रश्न पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ विचार विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये अन्तिम निर्णय का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयोग ने अपनी अधिमानों की सामान्यीकृत योजना को उदार बनाने के संदर्भ में समुदाय के बाजारों में भारतीय निर्यातों के प्रवेश में सुधार लाने के बारे में जांच करने पर सहमति प्रकट की है।

काशी, वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर में पर्यटक स्थलों का विकास

614. **श्री राज कुमार राय** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में काशी, वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर के पर्यटक स्थलों का विकास करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) (i) काशी वाराणसी पर्यटन मन्त्रालय द्वारा 1984-85 में 64 50 लाख रु० की लागत से वाराणसी घाटों का सुधार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

(ii) इलाहाबाद-इलाहाबाद में एक यात्री निवास का निर्माण करने और जलक्रीड़ाओं को प्रारम्भ करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(iii) कानपुर राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मूंगफली और खली का निर्यात

615. **श्री राज कुमार राय** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूंगफली और खली के निर्यात में कितने प्रतिशत कमी आई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशों में मूंगफली की बहुत मांग है; और

(घ) यदि हां, तो खाद्य तेलों का आयात करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) भारत से मूंगफली तथा खली के निर्यात पिछले कुछ वर्षों में घटते-बढ़ते रहे हैं। अनुबन्ध के रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें इन दोनों मदों के निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य दर्शाया गया है। अनन्तिम प्राक्कलों के

अनुसार चालू वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान इन दोनों मदों के निर्यात निष्पादन में सुधार दिखाई दिया है।

(ख) एच पी एस मूंगफली के निर्यात को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण ये हैं : विश्व-व्यापी बाजार में मन्दी, घरेलू बाजार में मूंगफली सहित तिलहन की कीमतों में वृद्धि का रुख तथा भारतीय मूंगफली की फसल में एफ्लाटाक्सिन की समस्या जिससे कि उसे क्वालिटी के प्रति सचेत अधिक मांग वाले यूरोपीय बाजार में स्वीकार नहीं किया गया है।

खली के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय तेल तथा अनाज बाजारों में मन्दी बनी हुई है जिससे हमारे उत्पादनों के निर्यात प्रभावित हुए। एफ्लाटाक्सिन होने की वजह से मूंगफली एवं बिनौला निस्सारण के हमारे निर्यातों के साथ क्वालिटी की समस्या भी है जिससे पश्चिम यूरोपीय देशों में, जो हमारे मुख्य बाजार थे, उसे स्वीकार नहीं किया गया है।

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा सोवियत संघ जैसे यूरोपीय देशों में भारतीय मूंगफली के लिए मांग है बशर्ते कि हमारे स्टाक एफ्लाटाक्सिन से मुक्त हों और निर्यात प्रतियोगी कीमतों पर किए जाए।

(घ) घरेलू बाजार की आवश्यकताओं, घरेलू कीमतों तथा उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों का आयात सरकारी खाते में राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष	एच पी एस मूंगफली		आयलमिल्स	
	मात्रा (एमट)	मूल्य (करोड़ रु०)	मात्रा (लाख एमटी)	मूल्य (करोड़ रु०)
1981-82	23966	27.68	13.47	149.54
1982-83	28343	27.09	15.09	172.03
1983-84	24702	22.08	13.39	182.29
1984-85	36869	31.53	12.85	159.15
1985-86	8991	7.59	11.66	160.33
1986-87 (अप्रैल-दिस०)	21747	18.91	8.67	149.35

*अनन्तिम

[अनुवाद]

जासूसी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

616. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जासूसी की गतिविधियों के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से कितने सरकारी कर्मचारी हैं; और

(ग) इनमें से कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है और कितने व्यक्तियों पर अभी मुकद्दमे चल रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रेनाइट का निर्यात

617. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान ग्रेनाइट का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे कितनी आय हुई;

(ख) कौन-सा देश भारत को ग्रेनाइट का सबसे अधिक आयात करता है; और

(ग) क्या सरकार को ग्रेनाइट की अनुपयुक्तता और इसकी निरन्तर सप्लाई न किए जाने के कारण आयातकों द्वारा व्यक्त किए गये असंतोष के बारे में जानकारी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) डी जी सी आई तथा एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित सरकारी आंकड़े वर्ष 1985-86 तथा उसके बाद के लिए अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, डी जी सी आई तथा एस द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 53.34 करोड़ रु० मूल्य की 4.1 लाख टन ग्रेनाइट की मात्रा 1984-85 के दौरान निर्यात की गई। जापान ग्रेनाइट का सबसे बड़ा आयातक था।

(ग) कुछ मामलों में खदान पट्टों के नवीनीकरण के न होने के कारण सप्लाइयों की निरन्तरता की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाया गया है।

ग्रेनाइट निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना

618. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन विशेषज्ञों ने भारत में ग्रेनाइट खानों की अल्पावधि पट्टा प्रणाली के बारे में असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) क्या ग्रेनाइट उद्योग ने सरकार से ग्रेनाइट निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) ग्रेनाइट उद्योग की विशेष रूप से पट्टा प्रणाली सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग ने एक समिति स्थापित की है।

(ख) और (ग) : ग्रेनाइट संवर्धन परिषद स्थापित करने के लिए सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी द्वारा हंगरी को लौह अयस्क छर्रों (पेलेटस) का निर्यात

619. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी ने लौह छर्रों (पेलेटस) के निर्यात के लिए हंगरी के साथ कोई समझौता किया है:

(ख) क्या देश में लौह अयस्क संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए लौह अयस्क निर्यात की किसी लम्बी अवधि की नीति का अनुमोदन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां। कुदरेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड ने हंगरियन ट्रेडिंग कम्पनी के साथ 1987 के दौरान 335,000 मैं० टन लौह अयस्क पैलेट्स के निर्यात के लिए एक संविदा की है जिसमें खरीदार के लिए 135,000 मैं० टन की अतिरित मात्रा खरीदने का विकल्प है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हथकरघा आरक्षण-आदेश का उल्लंघन

620. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग संबंधी आरक्षण आदेश का उल्लंघन किए जाने पर अधिक कड़े दण्ड की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अब तक, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कताई मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता

621. **श्री के० रामामूर्ति** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिकीकरण करने वाली सहकारी कताई मिलों को उदार वित्तीय सहायता देने और उन्हें वर्ष भर उचित मूल्य पर रुई की सप्लाई सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) विद्युत करघा क्षेत्र को ऐसा कपड़ा बेचने से रोकने के लिए, जो हथकरघा क्षेत्र में बनाया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सहकारी कताई मिलें प्रोसेस प्रौद्योगिकी तथा उत्पाद मिक्स अपग्रेडिशन निर्यात अभिमुखीकरण ऊर्जा के बचत प्रदूषण रोधी उपायों, बाधाओं को हटाकर क्षमता का पूर्ण उपयोग करने आदि में अपनी आधुनिकीकरण आवश्यकताओं हेतु वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की पात्र हैं।

(ख) विकास आयुक्त (हथकरघा) ने हथकरघा आरक्षण आदेश के प्रवर्तन के लिए नई दिल्ली, पुणे, कोयम्बटूर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं ताकि हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का बिजली करघा क्षेत्र में उत्पादन होने से रोका जा सके। वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी इस सम्बन्ध में सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार से इस उद्देश्य हेतु अलग से प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

खाड़ी के देशों से भारतीयों का बहिर्गमन

622. **श्री के० राममूर्ति** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खाड़ी के देशों से भारी संख्या में भारतीय वापिस लौट रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खाड़ी के देशों में भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) हाल ही के वर्षों में खाड़ी के देशों में कार्यरत कुछ भारतीय भारत वापस लौटे हैं।

(ख) खाड़ी देशों से भारतीयों सहित प्रवासी प्रत्यावर्तियों की वापसी का मुख्य कारण तेल से प्राप्त राजस्व में कमी आ जाने के फलस्वरूप रोजगार में कमी हो जाना है।

(ग) सरकार और खाड़ी के देशों में स्थित भारतीय मिशन भी इन देशों में भारतीयों के रोजगार तथा अन्य हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

तमिलनाडु में कुछ मिलों को अधिग्रहीत किया जाना

623. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विनियमन अधिनियम की धारा 18 के अधीन तमिलनाडु राज्य की जनार्दन, बसन्त और मेत्तूर मिलों को अधिग्रहीत करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इसके स्थान पर राज्य सरकार को यह देने का विचार है कि वह इन मिलों का उसी प्रकार अधिग्रहण कर ले जिस प्रकार नागपुर की इम्प्रेस मिलों का अधिग्रहण किया गया था ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार ने तमिलनाडु राज्य सरकार को (1) श्री वसन्त मिल्स (2) श्री जनार्दन मिल्स और (3) मेट्टूर मिल्स, कोयम्बतूर को राष्ट्रीयकृत करने का सुझाव पहले ही दे दिया है यदि वे ऐसा करना चाहें। विकल्पतः, यदि राष्ट्रीयकरण के लिए अधिक वित्तीय व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार गुजरात सरकार को दी गई सहायता के पैटर्न पर अग्रिम योजना सहायता प्राप्त कर सकती है।

विदेश सचिव के अमरीका के दौरे के परिणाम

624. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जनवरी, में तत्कालीन विदेश सचिव के तत्वावधान में एक भारतीय शिष्ट-मण्डल ने अमरीकी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बातचीत करने के लिए वाशिंगटन का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ये बातचीत परस्पर सद्भाव और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में भारत की सरकार और अमरीका के बीच चल रहे विचार-विमर्श का ही एक अंग थीं।

अग्निशमन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना

625. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्लाथ मिल के तेल संयंत्र और टाइम्स आफ इण्डिया भवन में जब हाल ही में आग लगी तब उनकी आंतरिक अग्निशमन व्यवस्था ठीक काम नहीं कर रही थी;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली क्लाथ मिल के संयंत्र सहित खतरनाक उद्योगों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के आदेश जारी करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) मैसर्स श्री राम फूड एण्ड फर्टीलाईजर में आन्तरिक अग्निशमन व्यवस्था ठीक कार्य कर रही थी। किन्तु बिजली फेल होने के कारण उसे चलाया नहीं जा सका।

टाइम्स आफ इंडिया भवन में आंतरिक अग्निशमन व्यवस्था संचालात्मक नहीं थी।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने मैसर्स श्री राम फूड और फर्टीलाइजर के तेल संयंत्र में हुई घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस टाइम्स आफ इण्डिया भवन में हुई घटना की जांच कर रही है। जांच पूरी होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(ग) दिल्ली मास्टर प्लान के उपबन्धों के अनुसार खतरनाक उद्योगों को स्थानान्तरित किया जाना है। भावी 2001 में दिल्ली के लिए योजना में विस्तृत संशोधन करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दिल्ली क्लाथ मिल को स्थानांतरित करने के प्रश्न पर, मास्टर प्लान में संशोधन करने की क्रिया को अन्तिम रूप देते समय विचार किया जाएगा।

वस्त्र निर्यातकों द्वारा तैयार चमड़े का आयात

626. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इन्डिया लैदर गारमेन्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बंगलौर) ने सरकार से चमड़े के वस्त्र बनाने के लिए अच्छी किस्म के तैयार चमड़े का आयात करने की अनुमति देने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) स्टाक तथा बिक्री के लिए वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा दूसरों द्वारा ओ० जी० एल० (खुले सामान्य लाइसेन्स) के अन्तर्गत तैयार चमड़े का आयात किये जाने की पहले ही अनुमति है।

अगरबत्ती के निर्यात में कमी

627. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी मात्रा में अगरबत्तियों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या निर्यात में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मंशी) : (क) मूल रसायन, भेषजीय

पदार्थ एवं प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान अगरबत्तियों का निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहा :

	(रु० करोड़)
1983-84	9.99
1984-85	7.21
1984-86	7.04

(ख) जी हां।

(ग) अन्य देशों से कड़ी प्रतियोगिता की वजह से परम्परागत बाजारों को होने वाले निर्यातों में गिरावट आई है। नए बाजार विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यटक गृहों (लाज) का निर्माण

628. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निम्न और मध्य आय वर्ग के पर्यटकों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्यटक गृहों के निर्माण की कोई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के एक पर्यटक गृह का निर्माण करने का निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को लागू करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) जी हां। पर्यटकों को सस्ता आवास मुहैया कराने के लिए यह मंत्रालय राज्य सरकारों को पर्यटक गृहों, पर्यटक बंगलों और यात्री निवासों का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अभी तक अनुमोदित ऐसी स्कीमों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अभी तक अनुमोदित यात्री निवासों के नाम

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
				(लाख रु० में)
1.	पोर्ट ब्लेयर में यात्री निवास	3-1-86	45·78	15·00
2.	गोआ में यात्री निवास	9-1-86	28·70	10·00
3.	कुरुक्षेत्र में यात्री निवास	5-2-86	31·65	10·00
4.	कांचीपुरम में यात्री निवास	25-2-86	34·00	5·00

1	2	3	4	5
5.	सतपदा में यात्री निवास	31-3-86	26·50	5·00
6.	पालम गांव में यात्री निवास	31-3-86	45·00	5·00
7.	डाकोर में यात्री निवास	31-3-86	41·22	5·00
8.	दार्जिलिंग में यात्री निवास	27-6-86	47·39	10·00
9.	जालंधर में यात्री निवास	24-6-86	23·98	10 00
10.	पांडिचेरी में यात्री निवास	23-9-86	26·90	8·00
11.	पहलगांव में यात्री निवास	23-10-86	31·18	10 00
12.	क्विलान में यात्री निवास	24-11-86	35·35	8·00
13.	त्रिवेन्द्रम में यात्री निवास	13-1-87	26 43	8·00
14.	हैदराबाद में यात्री निवास	13-1-87	25-29	10·00
15.	कोणार्क में यात्री निवास	13-1-87	29-25	8·00
16	शेगांव में यात्री निवास	6-2-87	25·97	10·00

अनुमोदित अन्य आवासीय यूनिटों की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
पहले से चली आ रही				(लाख रु० में)
1.	मोयरंग मणिपुर में आई० एन० ए० मैमोरियल कम्पलैक्स के लिए पर्यटक अतिथि गृह	1985-86	14 96	7.50
2.	चम्पाई(मिजोरम) में पर्यटक गृह		18.30	
नये प्रस्ताव			**अनुमानित**	
3.	बिलासपुर (मध्य प्रदेश) में पर्यटक बंगला	1987-88	45.00	
4.	रायपुर (मध्य प्रदेश) में पर्यटक बंगला	1987-88	45.00	
5.	माडु (मध्य प्रदेश) में पर्यटक बंगला	1987-88	45.00	

1	2	3	4	5
6.	मार्च, माओ और तंमगलांग जिला मुख्यालय (मणिपुर) में टूरिस्ट होम्स टाइप "ए"	1987-88	58·41 (प्रत्येक के लिए 19·47)	
7.	संतिंग, नुंगबे, चकपिकारंग, कंगपोकी, गोरा नगर, फोरबे (मणिपुर) में टूरिस्ट होम्स टाइप "बी"	1987-88	34·69 (4·37 प्रत्येक के लिए)	
8.	नूराग (अरूणाचल प्रदेश) में पर्यटक हट्स	1986-87	1.77	
9.	अम्बाजी (गुजरात) में आवास		31.44	
10	चामुंडा देवी में सराय का निर्माण	1985-86	8·26	3·00
11.	रिवालसर में पर्यटक सराय	1986-87	12·05	5·00
12.	काजीगुंड (जम्मू तथा कश्मीर) में आवास	1986-87	11·08	7·00
13.	रोपड़ (पंजाब) में आवास	1985-86	16·34	13·00
14.	मुमल पर्यटक बंगला, जैसलमेर (राजस्थान)	1982-83	10·50	10·00 (1982-83, 84-85 और 86-87 में तीन किस्तें 4 लाख रु० 4 लाख रु० और, 2 लाख रु०)
15.	मथुरा में पर्यटक बंगला	1985-86	27·64	5·00
16.	गढ़वाल पर्वतमाला के लिए फाइवर ग्लास हट्स (10)	1986-87	33·75	20·00
17.	अयोध्या (पश्चिम बंगाल) में कुटीरें	1984-85	8·52	5·13
18.	दीघा में पर्यटक गृह	1985-86	40·17	20·00

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्याज छूट योजना

629. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिए ब्याज छूट योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना कब शुरू की गयी थी और इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक भी इस छूट की हकदार होंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ख) जी हां, वित्तीय संस्थानों ने दिनांक 25-11-86 के परिपत्र (आई० डी० बी० आई०, बंबई द्वारा जारी किए गए) में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उनके निर्यात निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन देने की योजना की घोषणा की है जिसके अंतर्गत एक एकक जिसके अपने निर्मित माल की कुल बिक्रियों के संबंध में निर्यात बिक्रियां 25% से या उससे अधिक हैं। संस्थानों द्वारा दिए गए रुपया ऋणों पर अपने ब्याज भुगतान के 1 5 तक की ब्याज छूट पाने का हकदार होगा। यह छूट सापेक्ष ऋणों पर 10% की निम्नतम ब्याज दर की शर्त पर दी जाएगी। यह योजना 1 दिसम्बर, 1986 को या उसके बाद दिए गए सभी ऋणों पर लागू है। 100% निर्यातोन्मुख एकक भी 1 दिसम्बर, 1986 के बाद दिए गए ऋणों पर परियोजना के निर्माण के दौरान दो वर्ष तक ब्याज छूट प्राप्ति करेंगे।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

630. **श्री के० मोहन दास** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया;

(ख) क्या आयात के कारण स्वदेशी बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट आ गई है;

(ग) यदि हां, तो कीमतों में कितनी गिरावट आई है; और

(घ) प्राकृतिक रबड़ के आयात को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान एस० टी० सी० ने 40,000 मे० टन० प्राकृतिक रबड़ का आयात किया।

(ख) और (ग) कीमत उद्देश्य प्राकृतिक रबड़ आर० एम० ए० IV ग्रेड की कीमत को 16,000 रु० से 17,000 रु० प्रति मे० टन० के बैंड के भीतर रखना है। आर० एम० ए० IV ग्रेड रबड़ की औसत कीमत को जो अप्रैल तथा मई, 86 में कीमत बैंड की ऊपरी सीमा से क्रमश: 340 रु० और 380 रु० प्रति मे० टन अधिक थी, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 86 के महीनों को छोड़कर जबकि कीमतें कीमत बैंड की निचली सीमा से क्रमश: केवल 160 रु० 80 रु० तथा 20 रु० प्रति मे० टन कम थीं, बैंड के भीतर लाया गया।

(घ) रबड़ बोर्ड प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने तथा मांग पूर्ति अन्तराल को कम करने के लिए पुनर्रोपण नई रोपण योजना के कार्यान्वित करता रहा है।

[हिन्दी]

जोधपुर बुनकर संघ से प्राप्त ज्ञापन

631. **श्री शांति धारीवाल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जोधपुर बुनकर संघ, जोधपुर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि पश्चिम राजस्थान के हजारों पुश्तैनी बुनकरों का अस्तित्व, खतरे में है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का पूरा ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां, सरकार को इस संबंध में जोधपुर बुनकर संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) प्राप्त हुए ज्ञापन के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :

1. वर्कशेड-सह-आवास योजना के लिए भूमि के लिए आवेदन ।

2. राजस्थान हथकरघा विकास निगम द्वारा कच्चे माल की सप्लाई ।

3. राज्य सरकार द्वारा हथकरघा वस्तुओं की बिक्री पर छूट ।

4. विद्युत करघों की खरीद के लिए बनाई गई बुनकर सहकारी समितियों के सामने आ रही समस्याएं।

5. उपर्युक्त प्वाइंटों पर राजस्थान सरकार द्वारा की गई कार्यवाही नीचे दिए गए अनुसार है :

1. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम लि० (आर० आई० सी० ओ०) प्राप्त आवेदनों के आधार पर वर्कशेड सह-आवास योजना के लिए प्लाट आवंटित करता है। कलैक्टर द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों की भी इस प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश लि०, (आर० आई० सी० ओ०) को अग्रेषित किया जाता है। 1986-87 में जोधपुर के बुनकरों के लिए 140 वर्कशेड मंजूर किए गए।

2. यदि पर्याप्त संख्या में बुनकर सामने आते हैं तो राजस्थान हथकरघा विकास निगम जोधपुर के बुनकरों के लिए कच्चे माल की सप्लाई करने के लिए एक डिपो खोलेगा।

3. जोधपुर में बुनकर सहकारी समितियां छूट योजना का लाभ उठा रहीं हैं। अब तक 1983-84 तक के सभी छूट दावों का पूर्णरूप से निपटान किया चुका है।

4. छठी योजना के दौरान हथकरघा सहकारी समितियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण लेकर विद्युत करघों की खरीद करत स्वयं को विद्युत करघा स्वामियों में बदलने के लिए संगठित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत बैंक द्वारा सात समितियों को ऋण मंजूर किए गए हैं लेकिन अगस्त 1985 में बैंक की नीतियों में परिवर्तन हो जानेसे इस योजना के अन्तर्गत आगे और ऋण मंजूर नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

अफ्रीका केन्द्र की स्थापना

632. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अफ्रीका केन्द्र की स्थापना किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित केन्द्र के कार्यकलाप क्या होंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी हां।

(ख) यह केन्द्र का दायित्व भारत और अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक संबंध को संवर्धित-पोषित करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में इसके दायित्व नीचे लिखे अनुसार होंगे—

1. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और सांस्कृतिक करारों के अधीन भारत और अफ्रीकी देशों के बीच लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, मंचीय कला मंडलियों तथा प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान का कार्य करना; और

2. विशेष सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करना, अफ्रीका से संबद्ध पुस्तकों का एक पुस्तकालय तथा अफ्रीका के साथ भारत के संपर्क को विकसित करना तथा भारत में अफ्रीका की कला और संस्कृति के प्रति और उसकी प्रमुख समस्याओं एवं महत्वाकांक्षाओं के प्रति भी जागरूकता विकसित करना।

[हिन्दी]

लापता पाकिस्तानी नागरिक

633. **श्री शांति धारीवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी है, जो गत तीन वर्षों के दौरान भारत में आने के बाद उनके वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अपने देश वापस नहीं गए;

(ख) क्या सरकार ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगाने में असफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो उनका पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के संबंध में भारत में प्रवेश, ठहरने और भारत से प्रस्थान को शासित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है। जो व्यक्ति वैध यात्रा दस्तावेजों पर आते हैं वे कभी-कभी प्राधिकारियों की अनुमति या अनुमति के बिना निश्चित समय से अधिक समय तक ठहरते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है और निश्चित समय से अधिक समय तक रह रहे व्यक्तियों के बारे में वर्षानुसार कोई निश्चित आंकड़े नहीं दिए जा सकते हैं। दिसम्बर, 1986 के अंत तक 2016 पाकिस्तानी राष्ट्रिक वैध यात्रा दस्तावेजों पर 2049 व्यक्ति बिना यात्रा

दस्तावेजों या समाप्त हो गए परिपत्र पर भारत में निश्चित समय से अधिक समय तक रह रहे थे। इसके अतिरिक्त 1743 पाकिस्तानी राष्ट्रिक लापता बताए गए। राज्य सरकारों के पास, विदेशी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनसे निपटने के लिए स्थायी निर्देश हैं। उन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं जिन्हें गुम या लापता बताया गया है।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषदों का कार्य-निष्पादन

634. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में निर्यात संवर्धन परिषदों के कोष समाप्त हो गये हैं अथवा वे निष्क्रय हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन बोर्डों को और अधिक परिणामोन्मुख बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) विभिन्न निर्यात उत्पाद समूहों के संवर्धन के लिए 20 निर्यात संवर्धन परिषदें उत्तरदायी हैं। उन्हें और अधिक परिणामोन्मुख बनाने के लिए फरवरी, 1987 के पहले सप्ताह में सभी निर्यात संवर्धन परिषदों के अध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद से इन निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए भी कहा गया है जिससे कि उन्हें निर्यात के संवर्धन के लिए प्रभावी साधन बनाया जा सके।

निर्यात सम्बन्धी रियायतों का प्रचार

635. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के लघु और कुटीर उद्योगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिये दी गई विभिन्न रियायतों की जानकारी नहीं है;

(ख) क्या सकार द्वारा की जा रही इन रियायतों का सारे देश में समुचित प्रचार किया जाता है और यदि हां, तो किस प्रकार;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्य सरकारों को भी सम्मिलित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई मार्गनिर्देश जारी किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) (क) जी, नहीं।

(ख) लघु उद्योग विकास संगठन (एम० आई० डी० ओ०) लघु निर्यातक एककों के लाभ के लिए लघु उद्योग समाचार प्रकाशित करता है तथा तिमाही निर्यात बुलेटिन के जरिए देश-भर में जानकारी देता है।

(ग) और (घ) : केन्द्र में स्थित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा राज्य लघु उद्योग निगम निर्यात निगम अपने सदस्य एककों को निर्यात विपणन हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा आर्डर प्राप्त करने, जवाबी नमूनों का विकास करने, अपना निर्यात प्रलेखन कार्य करने आदि में एककों की सहायता करता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान भी राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ताकि देश के निर्यात-आयात में वे पूरी तरह से भाग ले सकें। संस्थान ने इस उद्देश्य को राज्यों में विस्तृत निर्यात सम्भाव्यता सर्वेक्षण करके प्राप्त किया है। हाल में, राज्य सरकारों को प्रेषित अपने पत्र में वाणिज्य मंत्री ने भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न निर्यात नीति उपायों की रूप रेखा प्रस्तुत की है। इस बात पर बल देते हुए कि राज्य सरकारों का हमारे देश के निर्यातों को बढ़ाने के सामूहिक प्रयासों में महत्व पूर्ण स्थान है, वाणिज्य मंत्री ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे उनके पत्र की विषय-वस्तु को उन सभी के ध्यान में लाए जो राज्य में निर्यात प्रयासों हे संबंधित है।

कार्यपालिका को न्यायापालिका से अलग किया जाना

635. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में कार्यपालिका को न्यायापालिका से अलग किए जाने संबंधी मामले पर पुनर्विचार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विचार देश के कुछ भागों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण उत्पन्न हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 50 में निहित नीति-निर्देशक सिद्धान्त जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा लागू किया गया था, के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी भा० दं० सं० के अन्तर्गत और कुछ विनिर्दिष्ट विशेष कानूनों के अंतर्गत कतिपय अपराधों पर मुकदमें चलाने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त करने के प्रश्न पर सरकार देश के कुछ भागों में आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था को बेहतर ढंग से बनाए रखने के लिए अलग से ध्यान दे रही है।

तट रक्षकों द्वारा जब्त की गई विदेशी मत्स्य नौकाएं

637. **श्री के० प्रधानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 2 फरवरी, 1987 के स्टेट्समैन में "प्रोटेक्टिंग अंडर वाटर वेल्थ" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986 में तट रक्षकों द्वारा कितनी विदेशी मत्स्य नौकाएं जब्त की गई;

(ग) वे नौकाएं किन-किन देशों की हैं और उनके मत्स्य अधिकार क्षेत्र कहां-कहां तक हैं;

(घ) क्या तट रक्षकों द्वारा भारतीय मत्स्य नौकाओं को भी परेशान किया जाता है; और

(ङ) क्या तट रक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं कि भारतीय नौकाओं के मछली पकड़ने के कार्य में कोई कठिनाई अथवा बाधा उत्पन्न न हो ?

रक्षा मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 53

(ग) जिन देशों की मत्स्य नौकाएं पकड़ी गई हैं उनमें पाकिस्तान, बंगला देश, श्रीलंका, थाईलैंड, ताइवान और कोरिया शामिल हैं। पकड़ी गई मत्स्य नौकाओं तथा उनके कर्मियों, उपकरणों एवं पकड़ी गई मछलियों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां।

त्रिपुरा में त्रिपुरा नेशनल वालन्टीयर के आंतकवादियों की गतिविधियां

638. **श्री शरद दिघे :**
प्रो० राम कृष्ण मोरे :
श्री निर्मल खत्री :
श्री एच० एन० नंजे गौड :
डा० गौरी शंकर राजहंस :
श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 में त्रिपुरा नेशनल वालन्टीयर के आंतकवादियों द्वारा कुल कितने लोगों कि हत्या की गई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति तैयार की गई है;

(ग) क्या त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार अशांत क्षेत्र अधिनियम को पूरे त्रिपुरा राज्य में लागू करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) राज्य सरकार के अनुसार मारे गए व्यक्तियों की संख्या 110 थी।

(ख) टी० एन० वी० की गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा सम्मिलित प्रयासों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं। (i) राज्य सरकार द्वारा 24.1.87 को त्रिपुरा में कुछ और क्षेत्रों को "विक्षुब्ध" घोषित करना (ii) केन्द्र सरकार द्वारा 4.2.87 को अवैधानिक गतिविधियों (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन टी० एन० वी० को अवैधानिक संगठन घोषित करना (iii) अर्ध-सैनिक बलों को सुदृढ़ करना (iv) राज्य में आसूचना नेटवर्क को सक्रिय बनाना (v) उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में अंतर्ग्रस्त विभिन्न ऐजेन्सियों के मध्य बेहतर समन्वय के लिए प्रबंध करना (vi) सीमा पर सतर्कता बढ़ाना।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा 17-9-82 को त्रिपुरा-मिजोरम सीमा के साथ 20 कि० मी० क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। 24-1-87 को राज्य सरकार ने कमरुर थाना में कलचेरा-गोबिन्दहारी से बंगला देश के चिट गांव जिले के पहाड़ी रास्ते के साथ दक्षिण पश्चिम के साथ रदय वाड़ी सीमा बाह्य चौकी तक 5 कि० मी० विस्तृत सीमा के तथा बंगला देश के सिलहट जिले के उत्तरी सीमा के साथ समरुर पर सीमा बाह्य चौकी से आश्रमबाड़ी सीमा बाह्य चौकी तक अन्य 5 कि० मी० विस्तृत क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया है।

(घ) अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जासूसों की गिरफ्तारी

639. **श्री वी० एस० बसवराजू :**
श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्गीकृत जानकारी एकत्रित और प्राप्त करने तथा इसे विदेशों में गुप्तचर विभाग को प्रेषित करने के कारण 24 नवम्बर, 1986 को अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) यदि हां, तो अभी तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या इस कृत्य में कुछ सरकारी अधिकारी शामिल हैं और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार दो व्यक्ति जिनमें

से एक नौसेना कर्मचारी है, को 24-11-86 को भा० दं० सं० की धारा 120-ख और भा० दं० सं० की धारा 120-ख के साथ पठित शासकीय गोपनीय अधिनियम की धारा 3-5-9 के अधीन उसी दिन थाना तिलक मार्ग, नई दिल्ली में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र-दायर किया गया है।

पाकिस्तान के साथ एक दूसरे पर आक्रमण न करने का समझौता

640. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**
श्री आर० एन० भोये :
श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कृष्ण सिंह :
श्री दिलीप सिंह भूरिया :
श्री राधाकांत डिगाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण न करने तथा भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किये गये सैनिकों को हटाने के बारे में सहमत हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समझौते के अनुसरण में कौन सी अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) इस समझौते का विवरण संलग्न है।

(ग) जैसा कि समझौते में व्यवस्था है, रावी चिनाव क्षेत्र से सेनाओं की वापसी का काम पूरा हो गया है और अन्य क्षेत्रों में सेवाओं की वापसी के बारे में आगे की बातचीत 27 फरवरी 1987 को इस्लामाबाद में की जाएगी।

विवरण

पाकिस्तान के विदेश सचिव श्री अबदुल सत्तार और भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव श्री ए० एस० गौंसाल्वेज के बीच 31 जनवरी से 4 फरवरी, 1987 तक हुए विचार-विमर्श का कार्यवृत्त

भारत-पाकिस्तान सीमा पर मौजूदा तनाव को समाप्त करने, स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए तात्कालिक उपाय—

(1) दोनों पक्ष एक दूसरे पर आक्रमण न करने के लिए सहमत हुए।

(2) दोनों पक्ष सीमा पर अधिक से अधिक संयम से काम लेने और किसी भी प्रकार की उत्तेजनात्मक कार्यवाहियां न करने पर सहमत हुए।

(3) तनाव कम करने से संबंधित उपायों को मजबूत करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति हुई कि सीमा से दोनों ओर तैनात सैनिकों की वापसी के संबंध में वे एक-एक सैक्टर को अलग-अलग लेकर कार्य करेंगे।

इन उपायों के अनुपालन में दोनों पक्ष प्रथम कार्यवाही के रूप में रावी चिनाव क्षेत्र से सैनिकों को हटाने पर सहमत हुए। इस क्षेत्र में :

(क) इस कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर होने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर दोनों पक्ष आक्रमणकारी और सुरक्षा सेनाओं को हटाकर उन्हें शांति काल के दौरान मौजूद तैनाती स्थलों पर वापस ले आयेंगे। रावी-चिनाव क्षेत्र में दोनों पक्षों द्वारा किये गये अतिरिक्त सैनिक जमाव को अर्थात् पाकिस्तान की तरफ आर्मी रिजर्व नार्थ जिसमें छह आर्म डिविजन और 17 इंफेंटरी डिविजन हैं, और भारत की तरफ छह माउन्टेन डिविजन हैं, भी इन कार्यवृत्तों पर हस्ताक्षर होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर शांतिकालीन तैनाती स्थलों पर लौट जाएंगी। पाकिस्तान होल्डिंग क्राप्स रिजर्व का एक स्वतंत्र आर्मड ब्रिगेड रखेगा और एक स्वतंत्र इन्फेंटरी ब्रिगेड रखेगा।

(ख) सैनिकों को वापस हटाने का काम चरणबद्ध आधार पर आरंभ किया जाएगा और दोनों पक्षों के डी० जी० एन० ओ० द्वारा रखे जाने वाले नियमित सम्पर्क के माध्यम से इसे मानिटर किया जाएगा।

(ग) अन्य क्षेत्रों से क्षेत्रवार सेवाएं हटाए जाने के तौर-तरीकों पर बाद में विचार किया जाएगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि इस दौरान इन क्षेत्रों में अन्तराष्ट्रीय सीमा पर कोई भी आक्रामक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(4) जो सुरंगें बिछाई जा चुकी हैं उन्हें हटा दिया जाएगा और कोई सुरंग नहीं बिछाई जाएगी।

(5) दोनों देशों के डी० जी० एम० ओ० नियमित सम्पर्क बनाए रखेंगे।

(6) दोनों देशों के ए० सी० ए० एस० (प्रचालन) हवाई कार्रवाहियों के बारे में भ्रान्तियों को दूर करने के लिए सम्पर्क बनाए रखेंगे।

(7) राजनयिक सूत्रों के माध्यम से नियमित सम्पर्क रखा जाएगा।

(8) सभी उपग्रहीय वायुमंडल क्षेत्रों को तुरन्त निष्क्रिय किया जाएगा।

(9) दोनों पक्षों की नौ सेनाओं को प्रचालन की न्यूनतम अवस्था में रखा जाएगा।

(10) सीमा पर स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से और अधिक ठोस उपायों पर चर्चा

करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को फरवरी, 1987 में इस्लामाबाद आने के लिए आमंत्रित किया गया है। राजनयिक सूत्रों के माध्यम से यात्रा की तारीखें एक दूसरे की सुविधा की दृष्टि से तय की जाएंगी।

अवैध पाकिस्तानी अप्रवासी और घुसपैठिए

641. डा० ए० के० पटेल :

श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग पाकिस्तान के अवैध अप्रवासियों और घुसपैठियों की अनुमानित संख्या कितनी है और कितने अपने वीसा की समयावधि समाप्त होने के बाद भी यहां रह रहे हैं;

(ख) क्या उनमें से बहुत से लोगों को जासूसी करते, अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने तथा हिंसा भड़काने में अंतर्ग्रस्त पाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०चिदम्बरम्) : (क) पाकिस्तान के साथ हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार से घुसपैठ के प्रयत्न लगातार किए जाते हैं। पश्चिमी सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल तैनात किया जाता है। तथापि कुछ पाकिस्तानी घुस पैठियों के सीमा सुरक्षा बल को निगरानी से बच निकलने और देश के भीतरी भागों में चले जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उनका पता लगाने के लिए बराबर सतर्कता बरती जाती है लेकिन स्पष्टत: किसी उल्लिखित समय पर उनकी संख्या का पता लगाया जा सकता। जो व्यक्ति वैध यात्रा दस्तावेजों के आधार पर आते हैं, कभी-कभी प्राधिकारियों की अनुमति से या बिना अनुमति के अधिक समय तक ठहरते हैं। जो व्यक्ति बिना अनुमति के अधिक समय तक ठहरते हैं उनके विरुद्ध कानून के अंतर्गत कार्रवाही की जाती है। इस प्रकार के पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) अवैध गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के उपबंधों के अनुसार कार्रवाही की जाती है।

विवरण

दिसम्बर, 1986 को भारत में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक

क्र० सं०	राज्य संघ शासित क्षेत्र	वैध यात्रा दस्तावेजों	बिना यात्रा पर दस्तावेजों या अवधि समाप्त हो गए परिपत्रों पर	निश्चित समय से अधिक समय तक ठहरे हुए लेकिन वैध परिपत्र पर	लापता या भूमिगत
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	417	2	1	—
2.	असम	—	—	—	—
3.	बिहार	565	18	34	85
4.	गुजरात	2688	460	251	28
5.	हरियाणा	109	29	8	1
6.	हिमाचल प्रदेश	22	—	—	1
7.	जम्मू और कश्मीर	90	—	142	—
8.	कर्नाटक	130	3	—	66
9.	केरल	92	84	47	87
10.	मध्य प्रदेश	2229	508	295	763
11.	महाराष्ट्र	2055	109	239	75
12.	मणिपुर	—	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—	—
14.	नागालैण्ड	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	24	24	12	79
16.	पंजाब	13	311	344	8
17.	राजस्थान	2058	175	74	112
18.	सिक्किम	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	34	—	79	23

1	2	3	4	5	6
20.	त्रिपुरा	—	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	3840	292	270	594
22.	पश्चिमी बंगाल	123	28	117	240
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
25.	चण्डीगढ़	1	—	—	—
26.	दिल्ली	6171	—	103	71
27.	दादरा नगर और हवेली	—	—	—	—
28.	गोवा, दमन और द्वीप	87	6	—	—
29.	मिजोरम	—	—	—	—
30.	पांडिचेरी	—	—	—	—
	योग	20,738	2,049	2,016	1,743

रेशम-कीट पालन के लिए विश्व बैंक से ऋण

642. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में रेशम-कीट पालन परियोजना के लिये विश्व बैंक से 500 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या इस ऋण का रेशमी धागे के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये उपयोग करने का विचार है ?

वस्त्र संत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने सम्बन्धी शक्ति

643. **श्री शरद दीघे :**

श्री तम्पन थामस :

प्रो० मधु दंडवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्ति के बारे में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका पर न्यायालय द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो वह क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई प्रतिपादनाओं से राज्य सरकारों को अवगत करा दिया गया है और उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि वे अध्यादेशों की उद्घोषणा अथवा पुन: उद्घोषणा के लिए अपने प्रस्तावों को संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति के अनुदेश प्राप्त करने के लिए भेजने से पहले उनकी उक्त प्रतिपादनाओं की दृष्टि से जांच करें ।

उड़ीसा को जनता कपड़े का आवंटन

644. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष उड़ीसा को आवंटित किये गये 330 लाख जनता कपड़े में से 12905 लाख मीटर कपड़ा अन्य राज्यों को दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने अन्य राज्यों को दी गई मात्रा को उस राज्य को पुन: आवंटित करने का अनुरोध किया था और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य को 1986-87 के दौरान जनता कपड़े के उत्पादन के लिए 33 मिलियन वर्ग मीटर का लक्ष्य आवंटित किया गया है । तथापि, जनता कपड़े का यह लक्ष्य राज्य के भीतर खपत के लिए उनकी जनता कपड़े की हकदारी से 12.95 मिलियन वर्ग मीटर अधिक है तथा इस अधिक लक्ष्य को उन कतिपय विनिर्दिष्ट राज्यों को बेचा/वितरित किया जाना था । जो जनता कपड़े का कम उत्पादन करते हैं बिल्कुल उत्पादन नहीं हैं ।

(ग) उड़ीसा सहित बेशी मात्रा के उत्पादक राज्य सरकारों के सामने अन्य राज्यों को बेशी मात्रा बेचने में कई कठिनाइयां हैं, जिनके कारण हैं, बेशी मात्रा के उत्पादक राज्यों द्वारा उत्पादित जनता कपड़े को स्वीकार करने वाले राज्यों द्वारा स्वीकार न किया जाना, वितरण के लिए उच्च कमीशन जिसे उस कमीशन से अधिक पाया गया है जिसका प्रबन्ध बेशी मात्रा के उत्पादक राज्यों द्वारा जनता कपड़े आदि की कीमत निर्धारण में अतिरिक्त कीमत लगाने की

अनुमति प्रदान करने के जरिए किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, भारत सरकार इस बात से सन्तुष्ट होने पर कि उत्पादक राज्य जनता कपड़े को अन्य राज्यों को बेचने में असमर्थ है, राज्य के भीतर मात्रा की खपत करने की अनुमति प्रदान करती रही है।

पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन

645. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड ने वर्ष 1986 के दौरान मांग की तुलना में सादे और रंगीन टेलीविजन की कितनी पिक्चर ट्यूबों का निर्माण किया ; और

(ख) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड मांग को पूरा करने में समर्थ है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने 1986 के दौरा 6.03 लाख काली और सफेद टी० वी० पिक्चर ट्यूबों का निर्माण किया जबकि मांग लगभग 21 लाख ट्यूबों की थी। इस समय भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड रंगीन टेलीविजन ट्यूबों का निर्माण नहीं कर रहा है।

(ख) देश में केवल भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ही काली और सफेद टेलीविजन ट्यूबों का निर्माण करने वाली अकेली फर्म नहीं है। यह पूर्ण लाइसेंस क्षमता के अन्तर्गत काली और सफेद टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन करती है और इस समय बाजार में इसका शेयर लगभग 30 से 35 प्रतिशत है।

रुई के मूल्य में वृद्धि का प्रभाव

646. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रुई के मूल्य में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में गत छः महीनों में किये गये फेर बदल का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रुई के मूल्य में वृद्धि के कारण पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में कपड़ा उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) सरकार रुई की कीमत पर नियंत्रण नहीं रखती, सिवाय इसके कि सरकार प्रत्येक वर्ष उचित औसत क्वालिटी की कपास की विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतें निर्धारित करती है। ये कीमतें 10 अक्तूबर, 1986 को निर्धारित की गयी थीं जिसमें उचित औसत, क्वालिटी की कपास की अधिकांश किस्मों पर 5 रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तथापि सूत का उत्पादन कुछ कम होने, हड़बड़ाहटवश खरीदारियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर मांग के कारण दिसंबर 1986 में रुई की कीमतों में

वृद्धि हुई। कीमतों में वृद्धि विगत दो वर्षों में प्रचलित कीमतों की तुलना में असाधारण रूप से अधिक नहीं है। रुई की कीमतों में वृद्धि होने के संबंध में वस्त्र उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदन, 1985-86 में प्रचलित कम कीमतों पर आधारित है जबकि रुई की भरमार थी और कीमतों में मन्दी थी। अब रुई की कीमतें स्थिर हो गई हैं और कृषक अपने उत्पाद पर उचित कीमत वसूल कर सकते हैं।

— — — —

12·00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोविचेट्टिणलयम) : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कल प्रधानमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महीने की 25 तारीख को राज्य मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी ने सीमा शुल्क में छूट की घोषणा करते हुए सभापटल पर अनेक अधिसूचनाएं रखी थीं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। बजट में तीन दिन रह गये हैं और वह सीमाशुल्क में छूट की घोषणाएं कर रहे हैं।

बजट से पूर्व 42 अधिसूचनाएं जारी करने के कारण राज्य सभा में आक्षेप लगाए गए हैं मेरा आपसे हार्दिक अनुरोध है कि इस सदन की परम्परा और गरिमा को बनाए रखा जाए। सभा पटल पर रियायतें रखने के कारण आपको मंत्री जी की खिंचाई करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें रद्द कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : पिछली बार दूसरा सदन विनिर्णय दे ही चुका है।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब उस पर मैं पहले ही विनिर्णय दे चुका हूं।

प्रो० मधु दंडवते : एक साल के दौरान आप और बुद्धिमान हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका मतलब है कि मेरे में उसकी कमी है ?

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैं उल्लेख करूं कि राज्य सभा ने निन्दात्मक टिप्पणियां जारी की हैं।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा के अपने तरीके हैं। हमारे अपने।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया इसे विचाराधीन रखिए और जरा सोचिए।

इसे आज की रात के लिए विचाराधीन रख दीजिए। मुझे विश्वास है कि कल सुबह आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इतनी आसानी से नहीं बदलता।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप उन्हें नामंजूर कर रहे हैं ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैंने श्रीलंका समस्या के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। मैंने आज के अखबारों में "शांति असंभव देखी है। श्रीलंका और भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं हैं·····

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुलनदईवेलू जी, हम सभी विषयों को लेंगे। कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। जो भी मामला मैं यहां लूंगा उस पर यहां निर्णय नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात का आश्वासन दे सकता हूं और आश्वासन दिया भी है कि जो भी विषय जरूरी और महत्त्वपूर्ण होंगे हम उन्हें एक-एक करके लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े क्यों हैं। कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दीजिए, मैंने मना नहीं किया है। सारा करवा दूंगा लेकिन ऐसे नहीं। बारी-बारी से सबका करवा दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको तकलीफ क्या है। इस तरह से कोई फायदा है। कोई फायदा है इस बात को करने का।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : एक गंभीर बात है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनर्गल भाषण नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय लेने से पहले हमेशा सोचता हूं। आक्षेप मत लगाइए। मैं हमेशा सोचता हूं। जो कुछ भी हो मैं उन पर हमेशा विचार करता हूं और उसके बाद उन्हें नामंजूर करता हूं।

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर हमेशा विचार करता हूं पर यहां नहीं। यहां इस सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को स्वीकार करने पर चर्चा नहीं की जाती।

(व्यवधान)

12.05 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

(अनुवाद)

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्री सरदार श्री बूटा सिंह : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :

(1) मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1987 जो प्रारूप अधिसूचना संख्या 10-28-86—एम० एण्ड० जी० में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3710/87]

(ठ) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उपधारा (3) अन्तर्गत दंड न्यायालय और सुरक्षक न्यायालय (अधिकारिता का समायोजन) नियम, 1987, जो 21 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 24 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3711/87]

भारतीय काजू निगम लिमिटेड कोचीन का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा काजू निर्यात संवर्धन परिषद् कोचीन का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3712/87]

(2) (एक) काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय 26 में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3731/87]

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड कानपुर का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेकापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3714/87]

दिल्ली पुलिस अधिनियम, के अधीन अधिसूचना, पुनर्वास बागान लिमिटेड मुनालूर का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को बताने वाला विवरण

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 1986, जो 31 जुलाई, 1986 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 5/46/84-होम (पी) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3715/87]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) पुनर्वास बागान लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पुनर्वास बागान लिमिटेड, पुनालूर का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3716/87]

1 जनवरी, 1987 तक यथा-संशोधित भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियम, 1964, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, भारतीय जीवन बीमा निगम का मूल्यांकन, सीमा शुल्क अधिनियम, तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 43 की उपधारा (4) के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1987 तक यथा संशोधित भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियम, 1964 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3717/87]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (संशोधन) नियम, 1987, जो 2 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 4(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3718/87]

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1986 को भारतीय जीवन बीमा निगम के सोलहवें मूल्यांकन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3719/87]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 1317 (अ), जो 24 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन मितव्ययी मोटरकारों के निर्माण में प्रयुक्त संघटकों पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत के मूल सीमा शुल्क की रियायती दर का उपबन्ध किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 1318 (अ), जो 24 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक इन्जन क्षमता वाली ईंधन मितव्ययी मोटरकारों में वारंटी पुर्जों के रूप में प्रयुक्त संघटकों पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 1319 (अ), जो 24 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 502/86 और 503/96—सी० शु० के अन्तर्गत आने वाले माल के संबंध में मूल्यानुसार 25 प्रतिशत की दर से उपसंगी सीमा शुल्क निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 1320 (अ), जो 24 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि ईंधन दक्ष मौटरकारों के संघटकों के लिए, जिन्हें रियायती दरों पर आयात किए जाने की अनुमति दी जाती है, ईंधन दक्ष परीक्षण की संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 3 (अ), जो 1 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वायु मार्ग द्वारा आयातित माल के मामले में भाड़े के कारण बढ़े हुए प्रभार के उतने भाग पर, (निर्धारण योग्य मूल्य निकालने के लिये) जो माल के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 15% से अधिक हो, सीमाशुल्क की छूट दिये जाने की व्यवस्था है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० का० नि० 44 (अ), जो 19 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 1000 और उससे अधिक डेनियर के पालिएस्टर फिलामेंट सूत को, जब उसका मशीनरी के लिए पट्टा कपड़ा के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, मूल्यानुसार 100 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 60 (अ), जो 23 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 514/86—सी० शु०, 515/86—सी० शु० और 516/86— सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं जो एच० बी० जे० पाइप लाइन, समुद्र तट पर और समुद्र तट से परे परियोजनाओं के लिए रियायती दरों के अन्तर्गत माल के आयात से संबंधित हैं ।

(आठ) सा० का० नि० 64 (अ), जो 27 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा समाचार पत्रों, पुस्तकों अथवा आवधिक पत्रिकाओं की छपाई के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले कागज पर 550 रु० प्रति टन का कुल शुल्क निर्धारित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 65 (अ), जो 27 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 27 जनवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या 28/87—सी० शु० के अन्तर्गत आने वाले माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उपसंगी सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 70 (अ), जो 29 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 मई, 1984 की अधिसूचना संख्या 157/84—सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि दूरदर्शन द्वारा विशेष टी० वी० प्रसार योजना के अन्तर्गत अपेक्षित कच्ची सामग्रियों, संघटकों तथा विशिष्ट उपस्करों की उप-संयोजनों पर आंशिक छूट देने की व्यवस्था की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 72 (अ), जो 30 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 267—सी० शु० विखंडित की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3720/87]

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 1315 (अ), जो 24 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1986 की अधिसूचना संख्या 332/86—के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन क्षमता वाली मोटरकारों के लिये ईंधन दक्ष परीक्षण की संशोधित प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 1316 (अ), जो 24 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1000 घन सेंटीमीटर में अनधिक क्षमता वाले इंजन क्षमता की ईंधन दक्ष मोटरकारों के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की मूल्यानुसार 25% रियायती दर निर्धारित की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 42 (अ), जो 19 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो जूट फाइबर को, जिसका उत्पादन के कारखाने के भीतर जूट उत्पादों के विनिर्माण के लिये उपयोग किया जाता है, उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 43 (अ), जो 19 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 1972 की अधिसूचना संख्या 56/72 – के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि जूटयार्न, सुतलियों, आदि को उस स्थिति में छूट दी जा सके जब उनकी खपत जूट उत्पादों के निर्माण में उत्पादन के कारखाने के भीतर की जाती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का नि० 47 (अ), जो 20 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 215/84—के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि भारत में आयोजित किसी मेले या प्रदर्शनी में प्रदर्शन के प्रयोजन के लिये निकासित किए जाने वाले संगमरमर, ग्रेनाइट और अन्य पत्थरों पर उत्पाद-शुल्क के भुगतान से छूट दी जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० का० नि० 61 (अ), जो 23 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 280/82 के० उ० शु० विखंडित की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3721/87]

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों (सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण) का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन (खंड 1 से 3)

उद्योग मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी : मैं केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों (सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण) के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड 1 से 3) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3722/87]

नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन भाग-2

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नागरिकता (पहला संशोधन) नियम, 1987 जो 7 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा० का० नि० 18 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 3723/87]

(2) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन भाग-2 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 3724/87]

कैमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कलकत्ता का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा, बेसिक कैमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉसमेटिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बम्बई, का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं :

(1) (एक) कैमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैमिकल्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 3725/87]

(2) (एक) बेसिक कैमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉसमेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बम्बई के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक कैमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉसमेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बम्बई के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) प्लास्टिक्स एण्ड लिनोलियम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बम्बई के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक्स एण्ड लिनोलियम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बम्बई के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3727/87]

(4) (एक) इण्डियन डायमंड एंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रदिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन डायमंड इंस्टीच्यूट, सूरत के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-3728/87]

(6) (एक) चमड़ा निर्यात परिषद्, मद्रास के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चमड़ा निर्यात परिषद्, मद्रास के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वास समीक्षा की एक प्रति। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3729/87]

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड शिलांग का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्तुत सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3730/87]

(3) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12-क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1985 86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1985-86 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3731/87]

(5) (एक) कपास वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कपास वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 3732/87]

(7) वस्त्र समिति के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3733/87]

———

[अनुवाद]

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी के बारे में क्या स्थिति है ? यह एक गम्भीर मामला है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ नहीं किया जायेगा। उसका कोई आधार नहीं है। अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चुनाव आयोग के पास जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ नहीं किया जायेगा। चुनाव आयोग को उच्चतम अधिकार प्राप्त हैं। वह विवाद को निपठायेगा। अगर आपकी चुनाव से सम्बन्धित कोई समस्या है तो आप चुनाव आयोग से शिकायत करें। बस।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसपुरा) : सदन के लिए यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है और प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया का यह एक घोर उल्लंघन है···

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ नहीं किया जायेगा : अब आप अपनी सीट पर बैठिये।

(व्यवधान)

श्री ए० सी० वम्मुख (बेल्लोर) : मैंने मद्रास में सुबह के दूरदर्शन कार्यक्रम में हिन्दी साम्राज्यवाद के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं किया जायेगा आप अपनी सीट पर बैठिये। अब श्री एच० के० एल० भगत द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा।

———

12.06 म० प०

प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

पूर्ति विभाग-पूर्ति तथा निपटान महा-निदेशालय के सम्बंध में चौथे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में विवरण

श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी (चन्दौली) : मैं पूर्ति विभाग—पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के सम्बन्ध में चौथे प्रतिवेदन (आठवीं लोकसभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय 5 के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सभा-पटल पर रखती हूं।

———

12.6½ म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करती हूं कि 2 मार्च, 1987 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर आगे चर्चा।
2. वर्ष 1987-88 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा।
3. कपास, खोपरा और वनस्पति तैल उपकर (उत्सादन) विधेयक, 1986 पर आगे चर्चा और पारित करना।
4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :
   (क) वाणिज्य पोत परिवहन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986
   (ख) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में शिशु दुग्ध खाद्य और पोषण बोतल (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1986।

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : मैं अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषय शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

देश के विभिन्न भागों विशेषतातया उड़ीसा राज्य में चावल और धान की बिक्री का संकट है, जो करोड़ों किसानों के बीच चिन्ता का विषय बन गया है और सरकार द्वारा घोषित स्वीकृत दरों पर किसानों से चावल और धान की खरीद का अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। साधन सामग्री, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के अधिक बढ़ने और विशेषतया रबी की खेती में किसानों की चौगुनी लागत के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। भारतीय खाद्य निगम जिसे चावल और धान की खरीद सौंपी गई है, ने भी शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार डिपो नहीं खोले हैं और आंतरिक क्षेत्रों में नये डिपो खोलने का बिल्कुल भी प्रश्न नहीं उठता है। सरकार को इस पर शीघ्र ध्यान देना चाहिए।

12.07 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

केन्द्र संघ और राज्यों के 'सी' क्षेत्र में नियुक्त हिन्दी अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन नहीं दिए जा रहे हैं जिससे ऐसे हजारों हिन्दी अध्यापकों और उनके परिवार के सदस्यों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दस वर्षों से यह प्रक्रिया चली आ रही है जिससे

हिन्दी भाषा में निपुणता रखने वाले योग्य व्यक्तियों को हिन्दी अध्यापक के रूप में काम करने में रुकावट आ रही है और उन्हें देश में हिन्दी फैलाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से संघ राज्य क्षेत्रों और 'सी' क्षेत्र के राज्यों में। 'सी' क्षेत्र में स्थित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की ओर से उचित शेयर न मिलने के कारण यह बाधा आई है। केन्द्र द्वारा नियमित आबन्टन के अभाव की आशंका के कारण, ये राज्य अपने राज्यों में अधिक से अधिक हिन्दी अध्यापक नियुक्त करने में उत्साही नहीं है जिससे हिन्दी को राजभाषा के रूप में लागू करने का लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा हो रही है।

श्रीमती जयंती पटनायक (कटक) : मैं निवेदन करती हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किया जाए :

सरकार ने काफी समय पहले पैट्रो-केमीकल कम्पलेक्स की स्थापना के लिए पाराद्वीप का एक उचित स्थान रूप में पता लगाया था। पाराद्वीप में एक पैट्रो-केमीकल कम्पलेक्स बनाने की आवश्यकता के बारे में उड़ीसा राज्य सरकार केन्द्र सरकार को समय-समय पर अवगत कराती रही है। यदि पैट्रो-केमीकल कम्पलेक्स का निर्माण पाराद्वीप में किया जाता है, उड़ीसा राज्य की जनता की पैट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में काफी सहायता मिलेगी। क्योंकि उस राज्य में भण्डारण सुविधा स्पष्टत: उपलब्ध नहीं है। लेकिन खेद है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मांग के बावजूद इस प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का निवेदन करता हूं :

स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली, कानपुर और बोकारो में नवम्बर, 1984 में हुए संगठित हिंसा ने सिख मानसिकता को सख्त चोट पहुंचाई। रंगनाथ मिश्र आयोग का प्रतिवेदन छपने के बाद, जो लोक सभा के सभा स्थल पर रखा जा चुका है, सभा में प्रतिवेदन पर बहस की जरूरत है जिससे देश को नवम्बर, 1984 में हुई घटनाओं के विभिन्न पहलूओं का पता चल सके।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का निवेदन करता हूं :

1. भारतीय जहाजरानी निगम ने तटीय यात्री सेवा से अपने जहाज 'कोंकण शक्ति' को हटा लिया है जिससे गोवा से बम्बई जहाज द्वारा यात्रा करने वाले या यात्रा करने इच्छुक यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हुई है। चूंकि गोवा एक पर्यटन स्थान है, इसलिए हजारों पर्यटक प्रत्येक वर्ष सड़क, जल और वायु मार्गों से गोवा आते हैं। यह अफवाह फैलाई गई है कि जहाजरानी निगम ने अपने जहाजों में से एक की सेवाएं बन्द करके, सेवाओं को पूर्णत: समाप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। वास्तव में परिवहन सेवाएं लाभ के आधार पर नहीं आंकी जा सकतीं। यह सेवा जनता की

सेवा है और उसी तरह आंकी जानी चाहिए और साथ-साथ सरकार को तब तक लाभ के बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए जब तक यह अनिवार्य सेवा जनता को प्रदान की जाती है।

2. आम चुनाव में 18 वर्ष की आयु से अधिक आयु वालों को मताधिकार देने के लिए क्या चुनाव कानून में संशोधित किया जाना चाहिए, इस विषय पर अनेक वर्षों से वाद-विवाद हो रहा है। इस मामले पर मेरी कोई निश्चित राय नहीं है क्योंकि मैंने इससे संबंधित सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया है। अब जब देश का नेतृत्व हमारे नवयुवक और प्रगतिशील प्रधानमंत्री द्वारा, जिसकी देश की जनता ने समर्पित, निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति के रूप में प्रशंसा की है, किया जा रहा है हमें इस सभा में इस बात की चर्चा की जानी चाहिए क्या देश के भाग्य का फैसला करने की प्रक्रिया में हमें युवकों को शामिल करना चाहिए। यदि हम उन्हें मताधिकार न देने का फैसला करते हैं तो भी वे इस तथ्य से सन्तुष्ट होंगे कि कम से कम इस मामले पर विचार तो किया गया।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मैं निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल करने का निवेदन करता हूं :

1. संसद सत्र के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित होने वाले 'संसद समाचार' या 'टुडे इन पार्लियामेंट' को हिन्दी या अंग्रेजी को न समझने वाले लाखों व्यक्ति इन समाचारों को समझने में असमर्थ रहते हैं। इन समाचारों को क्षेत्रीय भाषा में जानने के अधिकार से जनता को वंचित रखा गया है। अत: सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को इन्हीं समाचारों को तेलगु, कन्नड, तमिल, मलयालय, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, असमी आदि भाषाओं में संबंधित राज्य की राजधानियों से आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए जिससे सम्पूर्ण देश के करोड़ों व्यक्ति संसद में क्या हो रहा है, जान सकें।

2. विजयवाड़ा नगर में रेलवे में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की सुविधा के लिए, रेलवे विजयवाड़ा में दो हाई स्कूल चला रही है। ये स्कूल केवल दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जब कि रेलवे द्वारा चलाए गए ऐसे कुछ स्कूल 10+2 तक की शिक्षा यानी उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा विद्यार्थियों दे रहे हैं। अत:, मैं सुझाव देता हूं कि रेलवे सत्यनारायणपुरम् के हाई स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्कूल (आंध्र प्रदेश में जूनियर कालेज कहा जाता है) बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जिससे विद्यार्थियों को अगले शिक्षण वर्ष से 10+2 स्तर तक की शिक्षा दी जाए।

[हिन्दी]

श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया (संगरूर) : निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाये।

दिल्ली के पोस्ट-आफिसों में आजकल शेयर ट्रांसफर स्टाम्प नहीं हैं जिनके चलते उपभोक्ताओं को भारी दिक्कत हो रही है और आज कल इस मामले में बड़े पैमाने पर काला बाजारी हो रही है। जैसा विदित ही है कि ये स्टाम्प अधिकाधिक रूप से डाकघरों द्वारा ही बेचे जाते हैं, इनको तीस हजारी खजाने से ये स्टाम्प आपूर्ति होती है। डाकघर से कहा जाता है कि हमने तो अपनी

आवश्यकता खजाने में भेज दी किन्तु स्टाम्प हमें नहीं मिली। खजाना आफिसर कहते हैं हमने अपनी आवश्यकता नासिक सरकारी प्रेस में भेज दी, और नासिक प्रेस के अधिकारियों का कहना है कि हमें कलकत्ते से आवश्यक कागज ही प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि ये उपरोक्त सभी अधिकारी अपने-अपने स्थान पर सही हों किन्तु यह अवश्य ही सही है कि आम उपभोक्ता निरर्थक ही परेशान हो रहा है या भ्रष्टाचार से ग्रसित हो रहा है। साथ ही मेरा यह भी आग्रह है कि इसके साथ-साथ देश में आज अन्य स्टाम्प्स की भी भारी कमी चल रही है। दो रुपये और तीन रुपये के स्टाम्प 2.50 रुपये व 5 रुपये लेने के लिए विवश होना पड़ रहा है।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

आज देश में उत्तर-प्रदेश राज्य में शिशुओं की मृत्यु-दर सबसे अधिक है 'यूनाइटिड नेशन्स चिलड्रेन्स फंड अपर इण्डिया आफिस' के क्षेत्रीय प्रतिनिधि द्वारा हाल ही में किए गए रहस्योदघाटन के अनुसार प्रतिदिन 2750 शिशु मरते हैं और 19 शिशु प्रत्येक मिनट में मरते हैं। यद्यपि यह बताया गया है कि देश में जीवित-जन्मे शिशुओं की मृत्यु-दर वर्ष 1971 में 129 से घटकर वर्ष 1984 मे 104 प्रति हजार रह गई हैं, परन्तु फिर भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तथा एक राज्य और दूसरे राज्य में बड़ा अन्तर है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु-दर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा लगभग दुगनी है और उत्तर प्रदेश राज्य में जीवित जन्मे शिशुओं की मृत्यु पर 147 प्रति हजार है जो सबसे अधिक है।

हमारे पास ज्ञान और साधन हैं। लेकिन यदि उद्देश्य को पूरा करना है तो बड़े पैमाने पर रोग-संचार और कुपोषणता को समाप्त करने के लिए राजनैतिक इच्छा की जरूरत है। यह ग्राह्य नहीं है कि लाखों शिशु अनाश्यक कुपोषण और रोग-संचार से मरें जबकि किसी भी अकाल, सूखा या बाढ़ में इतने बच्चों की जान नहीं जाती।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि समस्या की गम्भीरता को देखते हुए रोग निरोधक कार्यक्रम में किसी भी कमी को दूर करने के लिए इस पर आलोचनात्मक दृष्टि से पुनर्विचार किया जाए और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त महिला विकास, पीने के पानी की आपूर्ति तथा सफाई के लिए प्रबन्ध किए जाएं मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि वह पर्याप्त वित्तीय और अन्य सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को रोग निरोधक कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए उपलब्ध कराए।

[हिन्दी]

श्री मनकूराम सोढी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

बस्तर जिले में मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों की संख्या के अनुसार छात्रावासों की संख्या ही कम है। जिले का बसाहट फैला हुआ और दूर-दूर गांवों में बसने से छात्रों को आगे पढ़ाई के

लिए छात्रावास की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। छात्रावासों में छात्रवृत्ति की स्वीकृति सीट मिडिल स्कूल में 20 सीट और हाई स्कूल में 40 सीट की व्यवस्था की गई है वह आज के दर्ज संख्या अनुसार बहुत ही कम है जिन छात्रों को सीट नहीं मिलती वह अधूरी पढ़ाई छोड़ जाता है। इस तरह के अधूरी पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र न किसी व्यवसाय के योग्य होते हैं और न किसी नौकरी में जा सकते हैं।

अत: केन्द्र शासन से अनुरोध है कि आदिवासी क्षेत्रों के मिडिल स्कूल और हाई स्कूल छात्रावासों के वर्तमान स्वीकृत सीटों को दो-गुना बढ़ाने हेतु राज्य शासन को उचित दिशा निर्देशन देवें जिससे बीच में अधूरी पढ़ाई छोड़ने वाले कई होनहार छात्रों की संख्या कम होगी और आगे पढ़ाई जारी रखते हुए अपने उज्ज्वल भविष्य को संवारने तथा अच्छे नागरिक बनने में उन्हें अवसर मिलेगा।

[अनुवाद]

डा० ए० के० पटेल (मेहसाना) : महोदय, दिनांक 24-2-87 के गुजरात समाचार, जय हिन्द और सम्भव समाचार पत्रों में छपी खबरों से स्पष्ट होता है कि मेरे जिला मेहसाना में 23 फरवरी, 1987 की रात को एक भयंकर तूफान आया जिसके बाद भीषण आंधी आई और ओला वृष्टि हुई जिससे सरकारी सम्पत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा।

समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार खेरालु गांव की एक बच्ची ओला वृष्टि की लपेट में आकर मर गई। अहमादाबाद और आबू रेलवे स्टेशनों के मध्य एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, चक्रवात तूफान के कारण 14 माल डिब्बे पटरी से उतर गए। खेरवा, देवरसन, भाखड़िया, मुसलन, सगनपुर, वनकाडिया, कोसावा और भादली गांवों में लगभग 200 व्यक्ति ओला वृष्टि में घायल हो गए।

इन गांवों में लगभग 5 करोड़ रु० मूल्य की गेहूं, सरसों और जीरा की खड़ी फसल नष्ट हो गई।

तत्काल राहत और सहायता की आवश्यकता है। आपके माध्यम में, मैं माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह एक केन्द्रीय अधिकारी को क्षति का मूल्यांकन और सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह देने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में भेजें।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्य-दिवस की अवधि आधा घंटा और बढ़ाने से दूरदराज से आने वाले अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों, विशेषतौर पर महिला कर्मचारियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस अवधि के बढ़ने से कार्य निष्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, मात्र कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है। सरकार इस मांग को लगातार अनसुना कर रही है।

केन्द्रीय वन अधिनियम 1980 वन विकास हेतु निष्प्रयोज्य सिद्ध हो चुका है। इस अधिनियम का दुष्प्रभाव विकास कार्यों के द्रुत निष्पादन व क्रियान्वियन पर पड़ रहा है। अत: इस संबंध में चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री जी।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैंने माननीय सदस्यों द्वारा किये गए सभी निवेदन ध्यानपूर्वक सुने हैं और उन पर कार्यमन्त्रणा समिति की अगली बैठक में उचित विचार-विमर्श किया जाएगा।

12.21 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

राजभाषा समिति

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा श्री जे० वेंगलराव, जिसने राजभाषा समिति से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर उक्त समिति के एक सदस्य के रूप में अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा श्री जे० वेंगलराव, जिसने राजभाषा समिति से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर उक्त समिति के एक सदस्य के रूप में अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.22 म० प०

समिति के लिये निर्वाचन

चाय बोर्ड

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की

धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4(1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.23 म० प०

रेल विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

[अनुवाद]

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा रेल संबंधी निधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय वर्षा कालीन सत्र, 1987 के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेल संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय वर्षा कालीन सत्र, 1987 के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.24 म० प०

सिने-कर्मकार कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : महोदय, श्री पी० ए० संगमा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिने-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* दिनांक 27-2-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० के० पांजा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.25 म० प०

संविधान (छप्पनवां संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.26. म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 25 फरवरी, 1987 को श्री जगन्नाथ कौशल द्वारा प्रस्तुत किये गये तथा श्री भागवत झा आजाद द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा पुन: आरम्भ करेगी :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में सभा वेदन प्रस्तुत किया जाये।"

"कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 23 फरवरी, 1987 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

---

* दिनांक 27-2-87 के भारत के असाधारण राज पत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (ओंकारपुर) : माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं कही हुई बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह देखना आवश्यक है कि हम किस पहलू को देखते हैं। एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ होता है। निराशावादी कहते हैं कि केवल आधा पानी भरा हुआ है और आशावादी कहते हैं कि कम से कम आधा पानी तो है।

हमने पिछले दो वर्षों में जितनी आर्थिक प्रगति की है, उतनी पहले कभी नहीं की। एक वर्ष के अन्दर ग्रोथ रेट 5 परसेंट रहा। सच तो यह है कि पिछले 5 साल में यह करीब 5% रहा, उसके पहले 3.5% था।

पश्चिमी देशों के वह अखबार जो हमेशा हमारी आर्थिक नीतियों और राजनीतिक नीतियों की समालोचना करते रहते थे, उन्होंने भूरि-भूरि इस बात की प्रशंसा की है कि भारत में आर्थिक विकास बहुत ही संतोषजनक हुआ है। लंदन के प्रसिद्ध अखबार—"दी इकानमिस्ट" ने लिखा है कि भारत ने कृषि के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण प्रगति और तरक्की की है वह थर्ड वर्ल्ड के देशों के लिए एक आदर्श नमूना है। एक देश जो कि खाद्यान्न के मामले में इतना पिछड़ा हुआ हो और उसके पास इतना बड़ा भंडार खाद्य पदार्थ का हो गया हो तो वह न केवल अपने लिये बल्कि दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकता है। यह एक छोटी उपलब्धि नहीं है। उसी तरह से लंदन के अखबार "टाइम्स" ने भी भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना की है। इसी तरह से "इन्टरनेशनल हैरल्ड ने भी लिखा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि पश्चिमी देशों के प्रमुख अखबार जो कल तक हमारी समालोचना करते थे, उन्होंने हमारी आर्थिक प्रगति की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

मैं और बातों की ओर नहीं जाना चाहता। केवल 1-2 बातें संक्षेप में कहना चाहता हूं कि हमारे राजीव गांधी की सरकार वह सरकार है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि :

[अनुवाद]

यह वह सरकार है जो कार्य करती है।

[हिन्दी]

इसी सदन में हमने डेढ़-दो साल पहले बड़े जोर से कहा था कि चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं और चीनी के आयात पर हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा जला रहे हैं। सरकार ने इस पर ऐक्शन लिया और यहां के गन्ना उत्पादकों को रिम्युनरेटिव प्राइस दिया। उस रिम्युनरेटिव प्राइस के कारण जहां पर गन्ना उत्पादक गन्ना उत्पादन से विमुक्त हो गये थे उन्होंने भरपूर गन्ना उत्पादन करना शुरू किया। यही नहीं विभिन्न राज्यों में जो चीनी की मिलें बंद थीं वे फिर से चलने लगीं और अब चीनी के मामले में हमारी हालत काफी सुधर गई है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक्सपोर्ट के बारे में पिछले साल इसी सदन में अन्य सदस्यों के साथ मैंने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की थी और कहा था कि एक्सपोर्ट की हालत

बहुत खराब होती जा रही है। उस समय सरकार ने वायदा किया था कि हम सारी शक्ति लगा देंगे और एक्सपोर्ट की हालत सुधारेंगे। यह एक बड़ी प्रशंसा की बात है कि अप्रैल से नवम्बर के बीच में एक्सपोर्ट में 17% की वृद्धि हुई। यह कोई मामूली वृद्धि नहीं है। बहुत कम देशों में इतने अर्से में 17% की वृद्धि हुई होगी। इस बारे से मुझे 1-2 बातें कहनी हैं। कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिसमें एक्सपोर्ट में और भी वृद्धि होने की गुंजाइश है जैसे इंजीनियरिंग गुड्स। भारत के इन्जीनियरिंग गुड्स के निर्माताओं ने अपने एक्सपोर्ट को जितना बढ़ाना चाहिए था उतनी उसमें दिलचस्पी नहीं ली है। इस कारण इन्हें प्रयास करना चाहिए कि वह इन्जीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट को बढ़ायें।

20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैं कहूंगा कि इसमें काफी कुछ प्रगति हुई है लेकिन इसके कार्यान्वियन में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है।

अब मैं आपका ध्यान भारत के दूसरे देशों के साथ सम्बन्धों की तरफ ले जाना चाहूंगा। पहली बार पिछले दो वर्षों में भारत का सम्बन्ध पड़ोसियों से इतना अच्छा रहा। अभी पाकिस्तान से जिस तरह का टेंशन हो गया था और यदि वह स्थिति बनी रहती तो पाकिस्तान से लड़ाई हो जाती।

परन्तु हमारे प्रधान मन्त्री की दूरदर्शिता के कारण यह सारा टेंशन खत्म ही नहीं हो गया बल्कि दोनों देशों में स्मूथ रिलेशन, अच्छा सम्बन्ध होने के आसार दिखाई देते हैं। सार्क सम्मेलन जो बंगलौर में हुआ था उसमें दक्षिण एशिया के देशों ने आपस में भाईचारे की बात जो कही थी उसे वे लोग सही अर्थ में कार्यान्वित कर रहे हैं।

आजादी के बाद से ही नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध स्ट्रेन्ड रहे हैं, तीखे रहे हैं। इस समय पहली बार नेपाल के साथ हमारा सम्बन्ध बहुत ही मधुर हो गया है। आज नेपाल की सरकार हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है। मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस वातावरण से फायदा उठा कर नेपाल की उन नदियों से हम बिजली पैदा कराने का प्रयास करें जिससे उत्तर भारत के बहुत से राज्यों में भरपूर बिजली हो जाएगी। यह सहयोग कोई छोटा सहयोग नहीं है और इस दिशा में जो प्रगति हुई है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

अफगानिस्तान में जो टेंशन कम हुआ है उसका बहुत कुछ श्रेय भारत को है। हमने पहली बार दुनिया को यह बता दिया है कि हमें किसी का भय नहीं है और साउथ अफ्रीका के लोगों के प्रति हमने बिना किसी देश की परवाह किए हुए अपनी सहानुभूति दिखाई है। हरारे सम्मेलन के बाद अभी जो अफ्रीका फंड का सम्मेलन हुआ था उससे सारी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई। मैं तो यह कहता हूं कि वैदेशिक सम्बन्ध में जितनी प्रगति हमारी आज हुई है, जितना अच्छा माहौल भी आज है उतना पहले कभी नहीं था।

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत और बातों की ओर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। मैं

इतना ही कहना चाहता हूं कि गल्फ एजूकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और उसका प्रभाव सारे देश में दिखाई देने लगा है।

पहली बार करप्शन पर चोट बड़ी तेजी से हुई है और बड़े-बड़े मगरमच्छों को पकड़ा गया है। यदि पहले का जमाना रहता, विपक्ष की सरकार होती तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि बड़े-बड़े आई० ए० एस० आफिसर्स को अपने जाल में फंसाती। पहली बार बड़े-बड़े मगरमच्छ फंसाए गए हैं। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

आज देश में एक नयी जागरूकता आई है, एक नया वातावरण आया है और विपक्ष के लोगों को चाहिए कि वह सरकार से सहयोग करें, इस नए वातावरण में चाहे आर्थिक प्रगति हो, चाहे सामाजिक उत्थान हो उसमें उन्हें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

पिछले एक साल में सामाजिक उत्पन्न के लिए इतने कानून बने हैं जितने पहले कभी नहीं बने थे। पहली बार महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि आप दिन को दिन और रात को रात कहने की हिम्मत करें। सरकार की आलोचना बिना सिर पैर के करने का कोई अर्थ नहीं है।

अभी हाल में आपने देखा होगा कि अमेरिका में रहने वाले हिन्दुस्तानियों ने बहुत ज्यादा तरक्की की है टैक्नोलाजी में, एजूकेशन में और दूसरी सारी फील्डस् में। मैं यह कहूंगा कि जब हमारे वे हिन्दुस्तानी अमेरिका में इतनी प्रगति कर सकते हैं तो क्यों नहीं अपने यहां वे अपनी टैक्नोलाजी को लाकर यहां प्रगति कर सकते हैं ? मैं तो यह कहूंगा कि एन आर आई और जो ऐसे हिन्दुस्तानी विदेशों में खासकर अमेरिका में रह रहे हैं जिन्होंने वहां की टेक्नोलाजी में इतनी प्रगति की है उन्हें यह मौका दिया जाए कि वे यहां अपनी टैक्नोलाजी को डैवलप कर सकें जिससे इस देश का आर्थिक उत्थान हो सके।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि एक नयी जागृति इस देश में आई है। हम सब मिलकर इस नये विहान का, नयी सुबह का अभिवादन करें और सबसे उम्मीद करें कि इसमें वे सहयोग करेंगे जिससे कि देश आगे बढ़ेगा।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् मैंने बुधवार को संकल्प के प्रस्तुतकर्त्ता और अनुमोदक के भाषणों और सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों को सुना। वास्तव में यह एक कांग्रेस का दिन था क्योंकि विपक्षी दल का केवल एक नेता बोला और बाकी के बोलने वाले सभी सदस्य कांग्रेस दल के थे। (व्यवधान)

अब श्रीमन् पहली बार इतना लम्बा अभिभाषण दिया गया। भाषण देने में लगभग एक घंटा लगा और चालीस मिनट लगे। उपराष्ट्रपति द्वारा इसके अंग्रेजी अनुवाद करने में। यह अभिभाषण शब्दों में लम्बा परन्तु इसका सार छोटा था।

[श्री सी० माधव रेड्डी]

श्रीमन्, इस सभा में विपक्ष की ओर बैठे हुए हम सदस्यों का यह विचार है कि इस अभिभाषण में सरकार देश द्वारा, सामना की जा रही अनेक समस्याओं के समाधान के लिए अगले वर्ष अपनाये जाने वाली नीति और कार्यवाही का उल्लेख करेगी किन्तु इस अभिभाषण में वर्ष के दौरान हुई शंकापूर्ण उपलब्धियों का औपचारिक वर्णन मात्र था और इसमें सरकार द्वारा पहले से घोषित नीतियों के अतिरिक्त कोई नई नीति तथा उद्देश्य के बारे में नहीं बताया गया।

मैं अभिभाषण में उल्लेखित आर्थिक विषयों पर नहीं बोलूंगा क्योंकि उसके लिए उचित अवसर बजट पर वाद-विवाद के दौरान मिलेगा। मैं केवल राजनीतिक पहलुओं पर बोलूंगा संकल्प के प्रस्तुतकर्त्ता श्री जगन्नाथ कौशल। मैं पंजाब स्थिति के बारे में बहुत अर्थपूर्ण ढंग से सरकार का समर्थन किया जैसा कि आप जानते होंगे हम सब सरकार के साथ हैं। हम सरकार का पंजाब के मुख्यमन्त्री श्री बरनाला का जो पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं समर्थन कर रहे हैं। आज हम उनका भारत और केन्द्रीय सरकार के मित्र के समान स्वागत कर रहे हैं और सभी विपक्षी दल उनका समर्थन और उनकी प्रशंसा कर रहे है। निश्चय ही वह प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि अकाली राजनीति में पहली बार धर्म और राजनीति को अलग किये जाने का मजबूत और साहसपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है। वास्तव में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वह प्रशंसा के पात्र हैं वह हमारे मित्र हैं आज वह सरकार के मित्र हैं।

[हिन्दी]

मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं आप दोस्ती का क्या हक अदा करना चाहते हैं ? यह कैसी दोस्ती है जो एकतरफा है ? दोस्ती तो वह होती है जो दोनों तरफ से की जाए। एक तरफ आप कहते हैं कि बरनाला हमारे दोस्त हैं, अच्छा कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप दोस्त को लेटडाउन कर रहे हैं। आप उनकी क्या मदद कर रहे हैं ? बी एस एफ और सी आर पी एफ भेज रहे हैं, यही मदद है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : क्या मदद नहीं कर रहे हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि मिलिटरी फाइट के लिए जितनी मदद हो सकती है वह कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि यह मसला सियासी मसला है। सियासी तौर पर इसको लड़ना है।

[अनुवाद]

हम सब कहते हैं कि यह लड़ाई राजनीतिक धरातल पर लड़नी चाहिए।

[हिन्दी]

पोलिटिकल प्लेन में पोलिटिकल वैपन क्या आपने दिया।

[अनुवाद]

पहली मार्च को हम सब वहां जा रहे हैं, तथाकथित पंजाब के और देश के बुद्धिमान चंडीगढ़ में इकट्ठे हो रहे हैं, क्या करने के लिए ? हम उस सभा में क्या कहने जा रहे हैं ? इससे कुछ हल होने नहीं जा रहा है।

(हिन्दी)

यह तो सभी कहते हैं। क्या आपने सियासी तौर पर हथियार उनको दिया है, जिनसे आतंकवादियों से वे लड़ सकें। वे साल भर से कह रहे हैं—साहब, यह करो तो मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे। क्या आपने किया ? उनको क्या चाहिए, उनको दो चीजें चाहिए। एक तो जेल में बेगुनाह लोग हैं, उनको छोड़िए और जिन्होंने गुनाह किया है, उनको मत छोड़िये।

(अनुवाद)

आप उन्हें छोड़ते क्यों नहीं ? आपने कभी नहीं कहा— सैनिक कार्मिकों को छोड़िये

(हिन्दी)

उन्होंने यह तो कहा है कि बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं, उनको छोड़ दीजिए। होम मिनिस्टर ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। पंजाब के बारे में डिबेट हुई, होम मिनिस्टर का रिप्लाई हुआ। कम से कम अब जबकि बरनाला के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है और कोई यह नहीं कहता कि वे वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, हमने यह एक्सपैक्ट किया था,

(अनुवाद)

बरनाला को मजबूत किया जायेगा और भारत सरकार यह घोषणा करने जा रही है कि हम मामलों को पुन: देखेंगे और इस ओर ध्यान देंगे कि निर्दोष लोगों को छोड़ दिया जायेगा।

(हिन्दी)

आप क्यों नहीं करते हैं ? यह आपकी कैसी दोस्ती है। फिर दूसरा मामला चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ हरियाणा में नहीं है, चण्डीगढ़ हमारे हाथ में है।

(अनुवाद]

यह केन्द्र शासित शहर है।

(हिन्दी)

हम जिसको चाहे दे सकते हैं। हम कमिट कर चुके हैं लेकिन चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दे रहे हैं, पकड़े हुए हैं। बात दूसरी है।

(अनुवाद)

चंडीगढ़ पंजाब का है, आपने कहा है कि यह पंजाब का है।

(हिन्दी)

उसके साथ कुछ शर्तें लगी हुई हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है, 40 हजार हैक्टेयर हो या 70 हजार हैक्टेयर हो, वह दिया जा सकता है। आपका ट्रांसफर तो करें, चंडीगढ़ लेकर पंजाब वाले भागे नहीं जा रहे हैं।

(अनुवाद)

वे इस देश में ही रहेंगे चाहे जो भी आयोग आप स्थापित करने जा रहे हो, वह आयोग इस मामले की छान बीन कर सकता है। जब वह आयोग निष्कर्ष देगा कि इस गांवों को तो और हरियाणा को हस्तांरित किया जाना है। निश्चय ही हम ऐसा कर सकते हैं।

(हिन्दी)

नहीं करते हैं हमारे कई लोगों ने कहा है, आप इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी नजर हरियाणा के चुनाव पर है। मैं नहीं कहता हूं, मगर इसमें नादानी जरूर है। इस नादानी से दोस्ती मत कीजिये, दोस्ती करनी है तो खुलकर करो। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि बरनाला साहब के हाथों को मजबूत करने का यही समय है। इस समय मैं आप नहीं करेंगे और बाद में करेंगे, तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा।

(हिन्दी)

बैटल लडने दीजिए। उन्होंने जो पहली बार किया है, उसमें उसको सियासी हथियार चाहिए न कि मिलिटरी हथियार। मेरे दोस्त श्री भगवत झा आजाद ने इस प्रस्ताव को सैकंड किया है। उन्होंने कई बातें कही हैं।

(अनुवाद)

वह प्रथम संसद में अपनी भूमिका के बारे में याद करा रहे थे। हम में से कुछ ही प्रथम ससद में थे और आज इस सभा में बैठे हैं।

(हिन्दी)

बुजुर्ग वहां बैठे हैं, तीन-चार होंगे। उन्होंने कहा है कि

(अनुवाद)

उन्हें वर्ष 1956 में राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला था।

(हिन्दी)

बड़े गर्व के साथ उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े-बड़े लोगों के साथ वे रहे जैसे बाबू राजेन्दप्रसाद श्री जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वगैरह-वगैरह और इन लोगों में उन्होंने सबक सिखा।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा है कि उन्होंने इन बड़े लोगों से अपना सबक सीखा है और वह अभी तक वर्ष 1952 की उस भावना को आत्मसात् किए हुए हैं। महोदय, मुझे मालूम है कि श्री आजाद जो एक समय कांग्रेस संसदीय दल के धूंआधार, जोशिले और सक्रिय कार्यकर्ता थे, क्रान्तिकारी व्यक्ति जाने जाते हैं और युवा वक्ता होने के कारण वर्ष 1952 में वह हमेशा सभा का ध्यान

आकर्षित करते थे। उनकी भावना पिछले 30 या 35 वर्षों की अवधि में निरुत्साहित या निर्जीव नहीं हुई है। वह अभी तक वही आदमी हैं और आज भी उसी स्वर में बोलते हैं। लेकिन मुझे कहना चाहिए कि जो कुछ भी उन्होंने इन बड़े आदमियों से सीखा है, वह अपने सबक भूल चुके हैं। आज, हमारे पास वे बड़े आदमी नहीं हैं। लेकिन हमारे पास युवा प्रधानमंत्री हैं जो उस महान व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोहता है। आज वह सत्तारूढ़ पार्टी में प्रथम पद पर आसीन हैं। हम इस पर बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन मुझे कहना चाहिए कि वह उस तत्व की छाया मात्रा है। क्योंकि आज हम उन आधारभूत मान्यताओं को नहीं देखते जिनके लिए हम उन दिनों लड़े थे और जिनके लिए हम मरने को तैयार थे। हम वे मान्यताएं, अपने कुछ कार्यों और व्यवहारों, अपने शासन काल में और सरकार के अन्दर और बाहर दोनों जगह उनके व्यवहारों में, नहीं देखते हैं। हम ये मान्यताएं कहां देख सकते हैं ? इन मान्यताओं का न केवल सार्वजनिक जीवन में बल्कि राजनीतिज्ञों के जीवन में भी ह्रास हुआ है। हमारे यहां अलग-अलग राजनीतिज्ञों के गुट हैं। ठीक है, हम वे आदमी हैं जो मरने जा रहे हैं, हमारी पीढ़ी मर रही है और नई पीढ़ी ने निश्चित रूप से इसे अधिगृहीत करना है और यह पीढ़ी अधिग्रहण कर चुकी है। लेकिन हमें यह जानकर बड़ा दुख है कि हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, उस रास्ते पर जिसे श्री जवाहरलाल नेहरु और अन्य महान व्यक्तियों ने हमें दिखाया था।

महोदय, सरकार की कार्यप्रणाली पर आता हूं जो आज हमारे लिए प्रासंगिक विषय है, आप कैसे कार्य कर रहे हो ? मैं मन्त्री परिषद के परिवर्तन तथा पुनः परिवर्तन का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, यद्यपि यह बहुत प्रासंगिक है। मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह प्रधान मंत्री का विशेषाधिकार है। ठीक है, वह कितनी ही बार परिवर्तन तथा पुनः परिवर्तन कर सकते हैं। वह इन दो वर्षों की अवधि में नौ बार पहले ही यह परिवर्तन कर चुके हैं और अगले ढाई वर्षों में वह दर्जनों बार कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि, आखिरकार, पंडित जी के पुराने दिनों में भी मध्यावधि परिवर्तन बहुत असामान्य नहीं थे। वे भी इसका प्रयोग करते थे। लेकिन वह इसका प्रयोग किसी उद्देश्य से करते थे और वह उद्देश्य था उन सदस्यों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखना और एक या दो वर्ष बाद होनहार व्यक्तियों को शामिल करना जिससे वे शासन कला सीख सकें और देश पर शासन कर सकें। लेकिन मुझे यहां कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता। समस्याओं के समान आदमियों पर अनेक प्रयोग होते रहते हैं। केवल प्रयोग करना और सीखना कुछ नहीं। सब कुछ स्वयं सीखना आपके लिए आवश्यक नहीं है। इस तरह से सीखना सम्भव भी नहीं है। आपको अपने पूर्वाधिकारियों तथा अन्यों से सीखना होगा। इस समय हम कुछ नए लोगों को ला रहे हैं। पदों में नित प्रतिदिन परिवर्तन किया जा रहा है। अचानक ही वे इन नए पदों को सम्भालने में दक्षता प्राप्त कर रहे हैं। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि मंत्री इन नए पदों को सम्भालने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन, उनके पास समय कहां है ? एक पद पर दो महीने तक कार्य करने के पश्चात् आप उस व्यक्ति को बदल देते हैं और वह दूसरा पद ले लेता है। ऐसे मामले में क्या स्थिति होगी ? उसे सीखने के लिए पूर्णतः अफसरशाही के गुट पर निर्भर करना पड़ता है। हमारे पास कोई छाया मंत्रीमंडल नहीं है जैसे कि इंग्लैंड में है, जहां आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके। उन्हें मुश्किल से चुन लिया जाता है। सीखने के लिए आपको समय की

आवश्यकता है और जब तक आप सीख पाते हैं और पद पर दक्षता प्राप्त कर पाते हैं, आपको बदल दिया जाता है। यह कार्य करने की पद्धति क्या है ? यह मूल प्रश्न है जिसे मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। उनके मन्त्रीमंडल में हेरफेर का क्या उद्देश्य है ? वह इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, जबकि वह पहले ही देश की अनेक समस्याओं के अत्याधिक भार से दबे पड़े हैं ? आज, हमारे प्रधानमन्त्री वित्त जैसा पद सम्भाले हुए हैं जिसमें एक बहुत उच्च मंत्री की पूर्णकालिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके पास विभिन्न समस्याओं के बारे में योजनाएं बनाने, तरीकों को निकालने और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए सोचने का समय कहां है ? यदि राष्ट्र को कष्ट होता है, निश्चित रूप से ही हमें हानि उठानी होगी और देश कष्ट पायेगा।

कुछ मंत्रियों को केवल इसी कारण मंत्रीमंडल में लिया जाता है कि वे कुछ राजनैतिक कार्य कर सकें। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने में कोई बुराई नहीं है। एक अपवाद हो सकता है। लेकिन सैकड़ों अपवाद नहीं हो सकते। दूसरों के मामले में ये अपवाद नहीं हो सकते। इस समय, यह नियम बन गया है। आपका नियम है कि आपको दो पद नहीं सम्भालने चाहिए। लेकिन आप कुछ अन्य लोगों को छूट दे रहे हैं और उनमें से एक मंत्री जिसके पास उद्योग जैसा महत्वपूर्ण मन्त्रालय है, वह राज्य के एक संगठन का कार्यप्रभारी है। वह अपने कार्यालय उद्योग भवन में और संसद में समय देने की अपेक्षा अपने राज्य में अधिक समय व्यतीत करता है। मुझे इस पर बिल्कुल एतराज है क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह यहां कार्य करें। जब वह उत्तर दे रहे थे तो मैंने उन्हें सुना है। यह कार्यवाही वृतान्त में है। उन्होंने गलत उत्तर दिए है। यह कार्यवाही वृतान्त में है कि उन्होंने अभी तक अपने विषय को नहीं समझा है। उद्योग मन्त्रालय इतना महत्व-पूर्ण है कि आपको नीतियां निर्धारित करनी होती हैं। वह राज्य स्तर पर उद्योग मंत्री हो सकते थे जहां केवल कार्यान्वयन है। इसमें लाइसेंस और परमिटों और इसी तरह बांटने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन यहां, केन्द्रीय सरकार में, आपको मूल नीतियां निर्धारित करनी पड़ती हैं। प्रत्येक दिन आपको यहां उपस्थित रहना चाहिए। आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको उद्योग विकास की प्रवृत्तियां समझनी चाहिए और उद्योग विकास में विघ्न न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपको नीतियों में परिवर्तन करते रहना चाहिए। उसका योगदान कहां है ? मुझे उनका कोई भी योगदान नजर नहीं आता। मैं उद्योग मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं। मैं उनका कार्य निष्पादन देख चुका हूं। मुझे उनके कार्य पर बहुत खेद है। वह मेरे राज्य से आते हैं। वह बहुत अच्छे आदमी हैं और उनमें सामान्य सूझ-बूझ बहुत है। लेकिन इन मामलों में केवल सूझ-बूझ मदद नहीं करती। उन्हें कुछ जटिल समस्याओं का गहन अध्ययन करना और समझ की आवश्यकता है। क्या वह ऐसा करते हैं ? उनके पास समय कहां है ? जैसा मैंने कहा है कि वह सारा समय राज्य में ही होते हैं। सारा समय वह राज्य में लोगों को गालियां देते रहते हैं, दुत्कारते रहते हैं तथा राजनीति चलाते रहते हैं। उन्होंने कहा—यह समाचार पत्रों में छपा है—कि वह आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को भगाना चाहते हैं जिससे वह मद्रास पहुंच जाएं।

मैं नहीं समझता कि क्या वह अपना कदम अपना वजन सहित उठाकर धकेलने में समर्थ हैं। यदि वह ऐसा करते हैं। वह स्वयं अपने को धकेल कर पृथ्वी पर लोट जाएंगे। क्या यह एक

केन्द्रीय मंत्री द्वारा वहां जाना और ऐसी बातें कहना उचित है ? क्या यह कार्य करने की पद्धति है ? हम कहां जा रहे हैं ? जब एक केन्द्रीय मंत्री राज्य में जाता है तो यह निश्चित है कि वह एक सम्माननीय भ्रमणकारी है और राज्य का अतिथि है; और राज्य का अतिथि होने के रूप में उसे मुख्यमंत्री, मंत्रियों से मिलना चाहिए और सामान्य हित की समस्याओं पर उनसे चर्चा करनी चाहिए और कठिनाइयों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप जाते हो बताने के लिए, राज्य सरकार को कोसते रहते हो कि उन्होंने यह नहीं किया, वह नहीं किया और वे निधि आदि का गलत उपयोग कर रहे हैं। निधि का उपयोग और निधि का स्थानान्तरण क्या होता है ? वे क्या हैं मैं आपको बताऊंगा।

केन्द्रीय निधि और वह निधि जो बाढ़ सहायता या अकाल सहायता या कुछ भी उद्देश्य के बारे में, यदि उनका अनुचित उपयोग होता है, यदि यह दोषारोपण है कि वे दूसरे कार्यों के लिए स्थानान्तरित हुए हैं, यदि उनका अनुचित उपयोग हुआ है, केन्द्रीय सरकार के लिए उचित मार्ग यह है कि वह यह सुनिश्चित करें कि अधिकारियों का एक दल भेजा जाए जो मामले की गहनता में जाए और संपूर्ण जांच-पड़ताल कराई जाये। आप मुश्किल से गांव में जा रहे हैं और ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं। ग्रामीण कहता है : "मुझे कुछ नहीं मिला है।" तब आप इस निष्कर्ष पर आते हैं कि निधि का गलत उपयोग हुआ है। क्या इसी तरीके से आप कार्य करते हैं ? प्रधानमंत्री भी एक गांव में जाते हैं और एक ग्रामीण से पूछते हैं कि क्या उसे कोई सहायता मिली है, ग्रामीण कहेगा—नहीं क्योंकि वह अधिक सहायता की अपेक्षा करता है। यदि मैं प्रधानमंत्री को बताता हूं कि मुझे कोई सहायता नहीं मिली है, शायद इसके लिए या किसी अन्य कार्य के लिए मुझे आगे सहायता मिल सकती है।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : जब प्रधान मन्त्री वहां जाते हैं, यदि वह किसी से पूछते हैं कि उसे धन मिला है या नहीं, इसमें गलत क्या है ?

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी : बहुत अच्छा है अगर यह आपका तरीका है अंडरस्टैंड करने का, सरप्राइस चैक करने का। किसी एक मनमाने गांव में चले जाओ और वहां किसी एक आदमी से मिलकर नतीजा निकाल लो कि उनको पैसा मिला है या नहीं। (व्यवधान)

ठीक है, इस तरह से रनिंगकमेंट्री ठीक नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। मेरी आदत नहीं है, जब दूसरे लोग बोलते हैं तो मैं इंटरफियर नहीं करता, कई दूसरे लोग बोलते हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं बीच में कभी नहीं बोलूंगा, मैं आपके भाषण में कभी व्यवधान नहीं पहुंचाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : इंटरफियर इसलिए करते हैं कि आप इधर-उधर की ज्यादा बोलते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : ठीक है आप मुझे बोलने दीजिए। मेरी अर्ज यह है कि यह इम्क्वारी का तरीका ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

इससे राजनीतिक उद्देश्य की गंध आती है।

[हिन्दी]

पोलीटिकल मोटिव से स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए आप ये कह रहे हैं और फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होने चाहिए।

[अनुवाद]

विशेषकर विपक्ष द्वारा शासित सरकार के साथ, बड़े भाई के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें और इस तरह का व्यवहार करें जिससे कोई संदेह उत्पन्न न हो।

[हिन्दी]

कोई आप पर शक न करे कि हम डिसक्रिमिनेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा आप कर रहे हैं, क्या बात है।

[अनुवाद]

ऐसा क्यों है कि आप विपक्षी दलों द्वारा चलाई जा रही सरकारों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने में अभी तक असफल क्यों हुए हैं ? ऐसा क्यों है कि आप केवल विरोधी पक्ष के दलों द्वारा चलाई जा रही राज्य सरकारों से झगड़े के या लगभग झगड़े के रास्ते पर हो ? क्या आपको मालूम नहीं है कि देश में हमारे यहां बहु-दलीय लोकतंत्र है और आज यह शासक दल द्वारा नहीं किया जा रहा है ? हम और अनेक दल ,जो यहां बैठे हैं, राज्यों में शासक दल हैं। आप कार्यचालक सम्बन्ध और अच्छे सम्बन्ध खासकर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों से क्यों नहीं बनाते जिससे उनकी आपके प्रति कोई शिकायत न रहे।

[हिन्दी]

वे तो छोटे-छोटे राष्ट्र हैं, उनको क्या कंप्लेंट हो सकती है आपके साथ। हर दिन आपके साथ उनको काम रहता है।

[अनुवाद]

प्रत्येक दिन उन्हें आपके पास निधि के लिए भीख मांगनी पड़ती है। प्रत्येक दिन उन्हें आपके पास विचाराधीन पड़ी परियोजनाओं को मंजूर कराने के लिए आना पड़ता है।

[हिन्दी]

वे तो आपके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहेंगे, वे तो आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। होता यह है कि आपका जो विहेवियर है,

[अनुवाद]

इस मामले में खलनायक कौन है ?

[हिन्दी]

ये क्यों होता है, मैं आप लोगों को दोष नहीं देता, मैं दोष उन लोगों को देता हूं जिनका वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है।

[अनुवाद]

वे नहीं चाहते हैं कि केन्द्र के उन राज्यों के संग अच्छे संबंध हों जो विपक्षी दल द्वारा शासित हों।

[हिन्दी]

वे कौन लोग हैं आप समझ सकते हैं, भागवत झा आजाद जी समझ सकते हैं, वे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि सेंटर और स्टेट के अच्छे रिलेशन रहें। किन लोगों का वेस्टेड इंट्रेस्ट है जो आकर बार-बार मिनिस्टर को बोलते हैं कि यह नहीं हो रहा है वह नहीं हो रहा है, मिसलीड करते हैं ताकि हमारे रिलेशन बिगड़ जायें। ताकि हम प्रेजुडिस हो जाएं ताकि हमें यहां से जो उनको मदद देनी है यह न दे सकें। मैं जानता हूं कि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो यहां रुके हुए हैं। उनके कुछ कारण हैं।

[अनुवाद]

उनके पास उसके लिए कुछ बहाने हैं लेकिन आप दो वर्षों तक बहाने नहीं बना सकते हैं। आखिर वही अधिकारी वहां काम करते हैं तथा उन्हीं अधिकारियों को यहां भेजा जाता है और वे यहां काम करते हैं।

[हिन्दी]

वहां चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज वगैरह आल इंडिया सर्विसेज के हैं।

[अनुवाद]

उन पर हमारा नियन्त्रण नहीं है। हम उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब वे एक परियोजना की मंजूरी देते हैं, जब वे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जब आप पुनः उनसे प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर मिलता है कि आप पूरी बात को दो साल तक लम्बित रखे हुए हैं और हर समय आपका एक ही बहाना होता है कि नहीं, नहीं आपने यह जानकारी नहीं भेजी है, इसी वजह से हमने परियोजना स्वीकृत नहीं की है।

[हिन्दी]

प्रोजेक्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो किसका नुकसान है। देश का नुकसान है। आन्ध्र प्रदेश का नुकसान नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका जो स्टाइल आफ फंक्शनिंग है, उसमें कुछ दोष है। उसको आप सोचिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपना भाषण पूरा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है ?

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं 10-15 मिनट और लूंगा । आपने मेरे दल के कितना समय नियत किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के लिए 30 मिनट नियत किये गये हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 30 मिनट स्वयं चाहते हैं या आप कुछ समय अपने दल के अन्य सदस्यों को भी देना चाहते हैं । 25 मिनट पहले ही समाप्त हो चुके हैं, तथा 5 मिनट और बचे हैं ।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं मध्यान्ह भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रखूंगा ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : उन्हें मध्यान्ह भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रखने दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मध्यान्ह भोजन के पश्चात जारी रख सकते हैं, अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित होती है । और 2 म० प० पर समवेत होगी ।

1·02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

———

2·05 म० प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोकसभा 2·05 बजे म० प० पर पुन: समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी० माधव रेड्डी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं कुछ मुद्दों का जिक्र कर रहा था जोकि बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और जो अभी भी इस देश में सुलझाये जाने हैं । इस सम्बन्ध में मैं इस सरकार के तथा विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का जिक्र कर रहा था ।

पिछले रोज जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया तो प्रस्तुत कर्ता, अनुमोदक तथा अन्य उस सहयोग के बारे में बात कर रहे थे जिसकी विपक्षी दलों से आवश्यकता है। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विमत को खत्म करने में विश्वास रखती है और विपक्षी दलों को विश्वास में लिया जायेगा। मुझे मालूम है कि विगत समय में विपक्ष कांग्रेस की आलोचना का एक विषय रहा है। पहले कांग्रेस में विरोध की राजनीति चलती थी। लेकिन नये युवा प्रधान मन्त्री के सरकार का कार्यभार संभालने पर निश्चित रूप से इस रवैये में परिवर्तन आया है। यद्यपि प्रत्यक्ष विरोधी राजनीति तो समाप्त हो गई है किन्तु अब प्रधानमंत्री अनेक तरह से विरोधी पक्षों को कमजोर करना चाहते हैं।

खैर, कांग्रेस ने एकीकरण के नाम पर सभी पूर्व कांग्रेसियों को कांग्रेस में शामिल होने का निमन्त्रण दिया। मेरा उससे कोई मतभेद नहीं है। परन्तु डा० फारूख अब्दुल्ला जब तक विपक्ष में रहे तब तक वह राष्ट्र के दुश्मन थे, वह पाकिस्तान के एजेंट थे। आपने इस सभा में उनके बारे में यही कहा था। लेकिन जब वह आपके मित्र बने, वह तब एकदम महान देश भक्त बन गये। कांग्रेस (एस) टूट गई है। आपने शरद पवार को कांग्रेस में ले लिया है। हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं है। परन्तु कांग्रेस निश्चित रूप से विपक्ष को समाप्त कर रही है। यह सब इस भावना को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि इस देश में उसका कोई शक्तिशाली विरोध उठ खड़ा हो। खैर यह सिद्ध हो गया है कि यही उन्हें माफिक आता है। लेकिन विरोधी पक्षों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करने की कोशिश हमेंशा विफल कर दी जाती है। यही सब अब तक के रिकार्ड दिखाते हैं। पिछले दो वर्षों से मैं देख रहा हूं कि प्रधानमन्त्री सदन में विपक्षी दलों का सहयोग लेने के लिए बड़े उत्सुक रहे हैं। वह विपक्ष के नेताओं को कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठकों में निमन्त्रित करते रहे हैं। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि यह सब कुछ एक खानापूरी है तथा कोई गंभीर चर्चा करने की मंशा इसके पीछे कभी नहीं रही है, जो कि वास्तव में किसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के आमन्त्रण में होती है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे निर्णय ले लिए गए थे परन्तु विपक्ष से परामर्श केवल परामर्श के नाम पर ही किया गया है।

हमारी रिपोर्टों के मुताबिक सरकार के काम करने का तरीका कुछ अजीब ही है। महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री के नजदीकी व्यक्तियों से परामर्श लेकर किए जाते हैं। कभी-कभी तो वरिष्ठ मंत्रियों की सलाह को भी नजरअन्दाज कर दिया जाता है। ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, जिनका फाइलों से कोई सरोकार नहीं होता है, फाइल कुछ और कहती है टिप्पणी सचिव की राय, मंत्री की राय कुछ और होती है लेकिन निर्णय कुछ और ही होता है। मैं अक्षम मंत्रियों का जिक्र नहीं कर रहा हूं। ऐसे कुछ मंत्री हैं। मैंने ऐसे एक मंत्री का उल्लेख किया है। वास्तव में मन्त्रिमण्डल को तो इस तरह कार्य करना चाहिए जिसके अन्तर्गत सामूहिक रूप से किसी विषय पर विचार किया जाये तथा तदर्थ आधार पर निर्णय न लिया जाये। अब तदर्थ निर्णय क्यों लिये जाते हैं ? इस संबंध में मैं किये गये विभिन्न समझौतों का उल्लेख करना चाहूंगा। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ परामर्श करने के लिए क्या किया गया मैं नहीं जानता हूं लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये समझौते बड़ी जल्दी में किये गये और बाद में पछतावा हुआ। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। पिछले रोज कुछ माननीय सदस्य

[श्री सी० माधव रेड्डी]

कह रहे थे कि जब समझौतों पर पर हस्ताक्षर किये जाते हैं तब विपक्षी दल समझौतों का स्वागत करते हैं लेकिन बाद में वे समझौतों की आलोचना करते हैं। हमने कभी भी समझौतों की इस प्रकार आलोचना नहीं की है। हमने राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीति सम्बन्धी मामलों के समझौतों का, जिन्हें लागू किया गया है, चाहे वह पंजाब समझौता हो, असम समझौता हो या यह मिजोरम समझौता हो, हमेशा स्वागत किया है। लेकिन जैसे समय गुजरा, जब सरकार इन समझौतों से मुकर गयी, जब इन समझौतों का कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ और जिन पक्षों के साथ समझौते किये गये थे उन्होंने शिकायतें कीं केवल तभी विपक्षी दलों को कहना पड़ा कि यह गलत बात थी। हमने समझौतों का कभी भी विरोध नहीं किया।

देश में छवि बनाने की दिशा में आज जो कार्य चल रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी प्रधानमन्त्री पहले छवि बनाने के इस पचड़े में नहीं पड़ा। जब हर लाल नेहरू या इन्दिरा जी को भी दूरदर्शन या किस अन्य प्रकार से छवि बनाने के कार्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। हमें बताया गया है कि कुछ मार्केट अनुसंधान संगठन हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हर समय इस विषय में अनुसंधान करने के लिए लगाये जाते हैं और वे प्रधानमन्त्री की छवि को आंकते हैं ताकि प्रधानमंत्री अपनी नीतियों में परिवर्तन कर सकें। इसका अर्थ है कि आप अपनी छवि बनाने के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। यह बहुत गलत बात है। सरकार चलाने का यह कोई तरीका नहीं है। यह एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी नहीं है जहां आपको मार्केट अनुसंधान अध्ययन करने हैं। प्रधानमंत्री की लोक प्रियता के बारे में मार्केट अनुसंधान अध्ययन करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी है? आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? क्या कोई व्यक्ति इसे उचित सिद्ध कर सकता है? क्या कोई इन रिपोर्टों के कम्प्यूटर में डालने की बात को उचित सिद्ध कर सकता है और यह भी कि फिर कम्प्यूटर बाद में आपको बताये कि महोदय प्रधानमंत्री का यह दर्जा है तथा इसलिए आप अपनी नीति बदलें और तब नीति बदल दी जाती है? क्या यह ठीक है? मैं नहीं जानता हूं।

अन्त में, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण साम्प्रादायिक को देश से समाप्त करने की जो विशेष बात कही गई है, उसका स्वागत करता हूं। इस संबंध में सारा विरोधी पक्ष सरकार के साथ है। साम्प्रदायिकता, जातिवाद और रंगभेद आदि सभी बुराइयों को दूर किया जाना चाहिए। परन्तु आपने किस योजना का उल्लेख किया है? अभिभाषण में बाबरी मस्जिद तथा राम जन्म भूमि की घटना का उल्लेख नहीं किया गया है जो कि बहुत कठिनाई पैदा कर रही है। खैर हम जानते हैं कि क्या हुआ। मेरे मित्र श्री शाहबुद्दीन ने इन मामलों के बारे में काफी कुछ कहा है और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के समारोह का बहिष्कार किया जाना चाहिए। इस देश में इस तरह के लोग हैं जो इन बातों को बहुत संकुचित रूप में लेते हैं। हमने कभी इस सारी बात को एक तरह के राष्ट्रीय स्मारक में बदलने की कभी कल्पना नहीं की। आखिर इसमें संदेह नहीं कि यह एक राम जन्म भूमि है। लेकिन यदि राम अब वहां हों तो वे लोगों के दूसरे वर्ग से जो नहीं चाहते हैं, झगड़ा करने की बात नहीं कहेंगे·· (व्यवधान)··· इसी तरह बाबरी मस्जिद की बात है, कुछ शताब्दियों पहले कोई मस्जिद वहां बनाई गई थी।

यह मामला ऐसा नहीं है जो राज्य सरकार पर छोड़ा जाये। हम हर समय केन्द्र सरकार को ही कहते हैं। केन्द्र सरकार कहती है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की चिन्ता का विषय है? यह एक इतना बड़ा मुद्दा है। यह इस देश में बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। यदि यह हिन्दुओं के साथ ही मुसलमानों को सुलगा रहा है तो फिर केवल भगवान ही इस देश को बचा सकता है। मैं चाहूंगा कि वहां एक बड़ा हाल निर्मित कर उसमें राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाये जहां इस देश में धर्म निरपेक्षता की शिक्षा दी जाये, बाबरी मस्जिद या राम जी के मन्दिर की कोई जरूरत नहीं है। यह तो एक ऐसा मन्दिर होना चाहिए जो सारे राष्ट्र और विश्व के सभी धर्मों को समर्पित हो।

हम भूलते हैं, श्री शाहबुद्दीन भूल रहे हैं कि इकबाल ने इसके बारे में क्या लिखा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो कुछ बड़े लोगों ने कहा या भूल जाना बहुत आसान है।

इकबाल ने कहा है।

[हिन्दी]

"अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगों जदल सिखाया वाइज को भी खुदा ने तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम छोड़ा।"

यह बात इकबाल जिनको वह मानते हैं और वह समझते हैं कि मैं दूसरा इकबाल बनूंगा इस कंट्री में।

[अनुवाद]

वह तंग हो चुके थे और उन्होंने कहा कि वह किसी धर्म-हिन्दू, मुसलमान या किसी अन्य को नहीं चाहते।

[हिन्दी]

"वाइज के वाज छोड़ छोड़ तेरे फसाने।
पत्थर की मूरतों में, समझा है तू खुदा है,
खाके वतन का मुझको हरजरी देवता है।"

[अनुवाद]

इस देश की धर्म निरपेक्ष भावनाओं के लिए यह स्मारक होना चाहिए।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण गत वर्ष में सरकार द्वारा किये गए कार्य निष्पादन की समीक्षा करता है और आने वाले वर्षों में सरकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा बताता है। कुछ माननीय सदस्याओं द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीति परिलक्षित नहीं होती। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रत्येक वाक्य में केवल सरकारी नीति, देश के अन्दर और बाहर की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीतियां, आर्थिक,

[श्री सोमनाथ रथ]

राजनैतिक और विदेश संबंधी नीतियों का समावेश है। इसमें आर्थिक नीति के बारे में विस्तार से कहा गया है। अभिभाषण में देश के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के बारे में आंकड़े तथा तथ्य दिये गए हैं।

इसमें हमारे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्राप्त अभूतपूर्व सफलता का उल्लेख है। महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि विपक्षी दलों को कमजोर करने में कांग्रेस दल का हाथ है। निश्चित ही कांग्रेस दल विपक्षी दलों की सहायतार्थ नहीं आएगा और उनका विकास हो, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। वे अपनी योग्यता के आधार पर ही जीवित रह सकते हैं। वे राष्ट्रीय दल यानी कांग्रेस दल पर दोष नहीं लगा सकते चूंकि यह राष्ट्रीय दल हमारे प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में उभरा है जो हमारे देश को सही दिशा और सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। विपक्षी दलों में विभाजन हुए थे और हुए हैं। लेकिन हम इसके लिए जिम्मेदार कैसे हैं ? कांग्रेस दल में समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का प्रवेश होता रहता है और दूसरों को इससे क्या डर लगना चाहिए ? जब कुछ राजनैतिक दल कुछ राज्यों में अपने प्रशासन में असफल होते हैं वे तुरन्त लोगों का ध्यान असफलता से हटाकर केन्द्र सरकार की निष्क्रियता पर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सफलता केन्द्र सरकार की प्रेरणा या कारण से होती है, इसका लाभ वे लेते हैं कि इसे उन्होंने किया है। कुछ राज्यों और कुछ राजनैतिक दलों का यही नारा बन चुका है। लेकिन सभी कुछ कहने और करने के बाद, तथ्य यह है कि कांग्रेस दल ही केवल राष्ट्रीय दल है जो हमारे प्यारे युवा और प्रगतिशील प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सही दिशा में देश का मार्ग दर्शन कर रहे हैं। इसके बारे में दूसरी राय नहीं हो सकती। इन समझौतों पर सदन में चर्चा हुई। ऐसा नहीं है कि उन पर हस्ताक्षर होने के बाद उन पर सदन में चर्चा न हुई हो। यह सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। लोंगोवाल सम्मेलन में समझौतों को बहुत प्रभाव हुआ, राष्ट्र, पंजाब की जनता, देश के सिख आतंकवादियों, कट्टरता, सम्प्रदायिकता और अलगाववादियों से लड़ने के लिए दृढ़ता से सामने आए। हमारे प्रधानमन्त्री ने एक से अधिक बार इस बात पर जोर दिया है कि श्री बरनाला के नेतृत्व में बनी लोत्रतान्त्रिक सरकार को बरर्वास्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जायेगा। कुछ राजनैतिक दल पंजाबमें राष्ट्रपति शासन चाहते हैं।

महोदय, कांग्रेस दल सभी तरह से समझौतों को मानता है। हम सब जानते हैं कि मिजोरम में विद्रोह हुआ था। लेकिन इस समय यह वहां नहीं है। इससे केवल कांग्रेस दल को ही लाभ नहीं पहुचा है। कांग्रेस दल ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है, न कि दल के हितों को प्राथमिकता दी है। यह एक स्पष्ट बात है कि इन समझौतों से क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा मिलेगा और कुछ समय के लिए वे चुनाव में भी जीत सकते हैं। हम अकेले ही पंजाब में आतंकवादियों से नहीं लड़ रहे हैं। संपूर्ण देश और विरोधी दल, पंजाब की जनता इस समय आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ रही है। वे संप्रदाय वाद से लड़ रहे हैं। वे कट्टरतावाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धी है।

विदेशी मामलों में, हमारे प्रधानमन्त्री और श्री गोर्बाचोव की दिल्ली घोषणा विश्व रिकार्ड

है। यह मानव जाति के लिए है, यह मानवता की रक्षा हेतु विश्व से आणविक अस्त्रों को समाप्त तथा मिटाने के लिए है।

पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध विकृत हुए हैं। हम पाकिस्तान के कथन पर विश्वास नहीं कर सकते। तो भी हमारी सीमाओं पर वार्ताओं द्वारा तनाव कम हुआ है। श्रीलंका में तमिल लोगों, उनके अपने नागरिकों की स्थिति बद से बदतर हो रही है और भारत सरकार केवल मूक दर्शक नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि जो लोग बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए और राजनैनिक ढंग से हल किया जाए।

जहां तक चीन और बंगला देश से मिलती हमारी सीमाओं का सम्बन्ध है उन समस्याओं को हल करने के लिए सही कदम लिए गए हैं।

दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध भारत ने हमारे प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में आवाज उठाई है। विश्व मत तैयार किया गया है जो कोई कम उपलब्धि नहीं है। अत: इस सरकार की ये उपलब्धियां हैं।

महोदय, यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं हैं। आपकी आज्ञा से मैं एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि एक माननीय सदस्य ने आलोचना की है कि वैसे अनाज क्षेत्र में आत्म निर्भरता है, अनाज का उपयोग गरीब के लाभ के लिए नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है। यह अलग काम के लिए अनाज कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है और आदिवासियों को रियायती दामों पर भी दिया जाता है और, सरकार की नीति के बारे में, राष्ट्रपति अभिभाषण के पृष्ठ 10, पैरा 33 में स्पष्ट कहा गया है :

> "....संसाधनों के आबंटन में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई। विशाल गरीबी के विरुद्ध कार्यक्रमों के लिए योजना व्यय में 65 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।"

स्पष्ट रूप से यही सरकार की नीति है। सरकार आत्म संतुष्ट नहीं है, सरकार को कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी है। यही कारण है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के पृष्ठ 12 पर पैराग्राफ 39 में कहा गया है :

"उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चिन्ता का विषय है।"

यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि मूल्य नियन्त्रित रहें। यद्यपि मुद्रा स्फीति नियन्त्रण में है, व्यापार घाटा नियन्त्रण में है और आयात को कम किया गया है, निर्यात बढ़ा है, उपभोक्ता के मूल्यों में वृद्धि निश्चित ही चिन्ता का विषय है और सरकार इस बारे में कठोर हृदय नहीं है। उसने उस ओर उचित ध्यान दिया है।

महोदय, यह राष्ट्रपति अभिभाषण निश्चित ही कोई नारा नहीं है, यह आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित है, औद्योगिक, कृषि और अन्य क्षेत्रों में विकास हुआ है और लगातार हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि दूसरे पक्ष के मेरे माननीय मित्र सरकार के साथ सहयोग करेंगे और ठोस उपायों

[श्री सोमनाथ रथ]

के साथ आगे आएंगे। उन्हें यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री को देश के किसी भाग में नहीं जाना चाहिए, जनता से बातें नहीं करनी चाहिए, जनता से सम्पर्क नहीं करना चाहिए और प्रधानमंत्री को दिल्ली में बैठना चाहिए और देश पर शासन करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री देश के सुदूर भागों में जाते हैं, जनता से, गरीब जनता, हरिजनों से, आदिवासियों से बातचीत करते हैं और वह कार्यक्रमों का क्रियांवयन करने के बारे में उत्सुक हैं। जबकि प्रधानमन्त्री समस्याओं के उन्मूलन के बारे में उत्सुक हैं, कुछ राज्य कुछ राजनैतिक दल इन आदिवासियों, हरिजनों और गरीब लोगों के उत्थान के लिए दिये गये धन को दूसरे कामों में लगाना चाहते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री के दौरों से आतंकित नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने को ठीक करना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबों के लिये रखी गई राशि को उन पर खर्च किया जाय और उसका गलत उपयोग न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मन्त्री श्री पी० शिव शंकर बोलेंगे।

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे पक्ष के एक माननीय सदस्य को सुनकर, मैंने सोचा कि मुझे एक मूल प्रश्न उठाना चाहिए कि राष्ट्रपति अभिभाषण का सारांश क्या है और इसकी उपलब्धियों को आप कैसे मूल्यांकन करते हैं क्योंकि माननीय सदस्य जिसका उल्लेख किया गया है, वह संदेहात्मक उपलब्धियों पर रूढ़िवादी अनुमान है। दूसरे पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस अभिभाषण को मीठा बनाया गया है। सामान्य और एक तरफा आलोचना का प्रयोग ठीक माना जा सकता है। लेकिन स्वयं राष्ट्रपति अभिभाषण के बारे में प्रयुक्त सामान्यकृत अभिव्यक्ति को दृढ़ करने के लिए क्या तर्क है। इस भूमिका के आधार पर मैंने सोचा कि मुझे यह प्रश्न उठाना चाहिए और इसका उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। केवल कहना और चले जाना उन लोगों के लिए आसान है जो उतने जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस तरह वे न समाज की और न देश की सेवा करते हैं। अभिभाषण की जो सरकार के कार्य निष्पादन के बारे में बताता है यथार्थता में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हमें समाज के ढांचे पर विचार करना चाहिए। हमारे समाज में भिन्नता है, अनेक मामलों में भिन्नता है—धर्म, भाषा, क्षेत्र और जीवन के तरीके में भिन्नता है और शायद इस तरह की भिन्नता संसार के किसी देश में नहीं मिलेगी—ऐसी भिन्नता जिसका झुकाव सामाजिक-राजनैतिक तनाव पैदा करने की ओर है और जो देश में व्याप्त है और पिछला वर्ष जो खराब वर्षों में से एक था, जिसमें सामाजिक राजनैतिक तनाव, भिन्नता के कारण उत्पन्न समस्याओं के कारण, बढ़ा था। हमें बाहरी दबाव का मुकाबला करना पड़ा जिसके कारण आन्तरिक समस्याएं भी पैदा करने की कोशिश हुई। जब कोई बाहरी दबाव की बात करता है, ये आर्थिक के साथ-साथ राजनीतिक भी हो सकते हैं। जबकि राजनीतिक साम्राज्यवाद भूतकाल का विषय हो चुका है, आर्थिक साम्राज्यवाद आज की व्यवस्था का अंग है। आर्थिक रूप से धनी देश विकासशील देशों पर दबाव डालना चाहते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन देशों में उनके सामान के लिए एक अच्छा मार्केट रहे और इस उद्देश्य के लिए देशों पर दबाव डालते हैं। दबाव की प्रक्रिया में राजनैतिक समस्यायें उत्पन्न होती हैं और आर्थिक दबाव सरकार को

कमजोर बनाता है। पिछले वर्ष सरकार द्वारा क्या उपलब्धि की गई उसे पृष्ठभूमि में आंका जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने आतंकवाद का उन्मूलन करने की कोशिश की।

श्री पी० शिव शंकर : मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं मुख्यतः केवल एक मापदण्ड देता हूं जिससे सरकार का सम्पूर्ण कार्य निष्पादन आंकना होगा।

इस पृष्ठभूमि में यदि आप देखते हैं कि सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से हमने क्या प्राप्त किया है, यह अभूतपूर्व है। मैं दूसरे पक्ष के एक माननीय सदस्य के भाषण के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था और आदिलाबाद के माननीय सदस्य द्वारा दिए भाषण को मैंने बड़ी निराशा के साथ सुना है। उन्होंने कहा : "मुझे आर्थिक नीतियों के बारे में कुछ नहीं कहना है मैं इस विषय को स्पर्श भी नहीं करना चाहता।" लेकिन तब आप कैसे मूल्यांकन करेंगे ? समस्याओं के बावजूद, आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष विकास दर 5 प्रतिशत होने की आशा है। तो भी तथ्य यह है कि देश के अनेक भागों में वर्षा नहीं हुई और चक्रवात तूफान से भी क्षति हुई, इसके बावजूद हमारे गोदामों में अनाज का 230 लाख टन भण्डार रहा। अनाज का उत्पादन 1510 और 1520 लाख टन के बीच होने की आशा है। यह निःसंदेह एक बड़ी उपलब्धि है।

इन उपब्धियों के लिए कौन उत्तरदायी है ? यह निश्चित ही सरकार की नीतियों के कारण हुई हैं, आर्थिक विकास की दिशा में सरकार की कार्यपटुता इसके लिए जिम्मेदार है। हमें परिणाम मिल रहे हैं। इसके बावजूद हमें बुरे परिणामों को भी बर्दास्त करना होगा।

औद्योगिक आधारभूत ढांचा, बिजली, कोयला इस्पात गर्म धातु और उर्वरको के क्षेत्र में प्रगति पर गौर करें। राष्ट्रपति अभिभाषण स्वयं विकास दर बताता है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन तथ्य यह है कि औद्योगिक आधारभूत ढांचा ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि वास्तव में हम देश में अर्थ व्यवस्था को सामान्य व्यक्ति के लाभ की ओर मोड़ने में सफल हुए हैं। वे हमारे अन्दर क्या दोष देखते हैं ? यदि आप औद्योगिक उत्पादन के प्रश्न को भी लेते हैं, जैसाकि अभिभाषण में कहा गया है, इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन में 7 से 8 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है और इलैक्ट्रोनिक्स जैसे एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र में उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष भी वृद्धि का यही अनुपात था।

मैं कुछ माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि इस वर्ष दिसम्बर के अन्त तक निर्यात 17.3 प्रतिशत तक चला जाएगा। जैसाकि मैंने एक से अधिक बार कहा है, हमें निश्चत ही अपने लक्ष्य प्राप्त होंगे।

ऊंचा विकास दर जिसे हम प्राप्त करने में सफल हुए हैं, आप इसके लिए किसे उत्तरदायी ठहराएंगे ? सरकार की असफलता कहां है ? यदि उत्पादन बढ़ रहा है, यदि अर्थव्यवस्था का उचित प्रबन्ध हो रहा है, तो आप कैसे सरकार की आलोचना कर सकते हैं ?

[श्री पी० शिव शंकर]

अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण को छोड़कर अन्दर प्रासंगिक मामलों पर अर्थ निष्पादन के तरीके पर बोलना चाहते हैं, जिसपर मैं बाद में बोलूंगा तो क्या राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के समय हम इस तरह के भाषण की आशा करते हैं ? अगर माननीय सदस्यों ने यह कहा होता कि "देखिए यह आंकड़ा गलत है और इसका आधार यह है" या "आप क्या कह रहे हैं। यह प्रवृति सही नहीं है यह विषय से हर बात की प्रवृत्ति है।" इसकी तो सराहता की जा सकती थी यह बात तो समझ में आती थी। लेकिन बजाय इसके क्या कहा जा रहा है ? बड़े-बड़े विशेषणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि अगर आप राजतीतिक उद्धत राष्ट्रवाद में उलझना चाहते हैं तो कोई इससे बच नहीं सकता। इसे मैं वहीं छोड़ता हूं। लेकिन आपको कुछ ढोस कारण देने चाहिए। आप आर्थिक कार्य निष्पादन के बारे में चर्चा करना नहीं चाहते। उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। आप बस प्रासंगिक मामलों को शुरू कर देते हैं और उन मामलों में भी कोई आधार नहीं होता। तब आप कहते हैं कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव का इस आधार पर समर्थन नहीं करना चाहते। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह रवैया जरा भी रचनात्मक नहीं है। यह तो राजनैतिक अवसरवादिता का रवैया है। इस रवैये के बारे में आपका स्वयं का कहना है कि परस्पर प्रतिद्वन्द्वता का रवैया नहीं होना चाहिए। आप बेमतलब चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। खेल के कुछ नियम होते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण जैसी अति गंभीर चर्चा पर आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें कि हमने देश की आर्थिक प्रगति के लिए क्या किया है--ठीक है, मैं मानता हूं कि हम बहुत तेजी से प्रगति नहीं कर रहे हैं पर जो स्थिति है, जो हालात हैं उससे इसमें बेहतर नहीं किया जा सकता। मुझे यह कहते हुए खेद है। मैं ऐसा थोड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। हमारे यहां प्रजातन्त्र है। प्रजातंत्र में, दक्षिण पंथी, वामपंथी अथवा मध्यपंथी सभी अपनी बात कह सकते हैं। वर्तमान सरकार को भी जनमत के प्रति अनिवार्य रूप से संवेदनशील होना पड़ता है। आपने जो कहा वही इस बात का प्रमाण है कि आप किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। वर्तमान सरकार को इस पृष्ठ भूमि में काम करना पड़ता है और प्रजातंत्र के स्पष्ट सिद्धांतों के कारण प्रगति की गति धीमी ही रहती है। प्रजातन्त्र में यह एक स्वीकृत धारणा रही है। स्वतन्त्र प्रजातन्त्र में विकास धीमी गति से होता है लेकिन मेरा संबंध इस बात से है कि हमें विश्वास है या नहीं। अगर आपको पक्का विश्वास है तो आपको हमें वे जरूरी तथ्य देने चाहिए थे जिनकी हमें जरूरत है ताकि अगले साल हम बेहतर काम कर सकें। बजाय इसके आप क्या कर रहे हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आंकड़े भरे पड़े है। कितना आर्थिक विकास हुआ है, कैसे सामाजिक और आर्थिक तनावों को खत्म किया गया। क्या उपाय किए गए हैं, इन सबका उल्लेख। अंत में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान सरकार आगामी वर्षों के लिए कौन सी नीति अपनाएगी। और आप क्या चाहते हैं ? आप उसमें और क्या जोड़ देते ? आपने उस पहलू के बारे कुछ नहीं कहा। आपने इसकी सराहना की होती पर दुर्भाग्य से की नहीं है।

मैं देश की आर्थिक प्रगति और कुछ सालों में प्राप्त परिणामों के बारे में कुछ कहने का प्रयास कर रहा था। मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सवाल पर भी कुछ कहना चाहता हूं। राजीव गांधी की सरकार, मैं जरूर कहूंगा ऐसा कहते हुए हमें गर्व है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में पंडित जवाहर नेहरू द्वारा विकसित तथा श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा पुख्ता की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की नीति का पालन कर रही है। हम भी मिश्रित अर्थ व्यवस्था के उसी सिद्धान्त का पालन कर रहे हैं। उससे हम हटे नहीं हैं। बल्कि उन्हें और स्वायत्त बनाने और कार्य कुशल बनाने के लिए प्रधानमन्त्री और आगे बढ़े हैं ताकि ये उपक्रम हमारी अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ बन सकें और बने रहें।

कभी-कभी बड़े ढीले ढंग से आलोचना की जाती है कि लक्ष्य से पीछे हटा जा रहा है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत बनाने का क्या यह अर्थ है कि आप नीति से हट रहे हैं? महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के हर उपक्रम के यह जरूरी नहीं है कि वे लाभ कमायें। इन उपक्रमों की एक भूमिका है। उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार यह सुनिश्चित हो जाए कि उनकी कार्यकुशलता स्तर के अनुरूप है, वे समाज की सेवा कर रहे हैं तो इस तथ्य के बावजूद कि वे थोड़े-बहुत घाटे में चल रहे हैं। हमें उनकी सराहना करनी चाहिए।

हमें उनकी भूमिका की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि अगर वे भी लाभ कमाने का दृष्टिकोण रखें तो उनमें और निजी उपक्रमों में क्या अन्तर रहेगा। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी लाभ कमाना चाहिए। कुछ ऐसे अनुसंधान संस्थान हैं जो उद्योगों और समाज की जरूरतें पूरी करते हैं। मान लीजिए वे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे वे लाभ नहीं कमा रहे तो क्या आप यह कहेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम विफल है? आपको चाहिए कि आप उन्हें उनकी कार्यकुशलता, देश और समाज के प्रति उनकी सेवाओं की दृष्टि से देखें। यह पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है या हर समय यह पूछना कि आप पैसा कमा रहे हैं या नहीं, आपने कितना पैसा कमाया है, अगर आपने पैसा कमाया है तो मैं आपको शाबाशी दूंगा अन्यथा आप अच्छे बच्चे नहीं हैं। यह दृष्टिकोण उचित नहीं है।

स्पष्टत: इसी कारण से और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमन्त्री जी बार-बार नीतियों को विनियमित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे अधिक स्वापत्र कार्यकुशल सेवा प्रदान करने वाले बन सकें, समाज के लिए उनकी उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ सके और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। जिस नीति को आपने आज प्रस्तुत किया है जरूरी नहीं है कल ही उससे परिणाम निकलें। इसमें थोड़ा समय लगता है।

मैं एक और पहलू पर जोर देना चाहता हूं। इस पहलू पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत अधिक जोर दिया गया है। वह पहलू है धर्मनिरपेक्षता और प्रजातांत्रिक ढांचा जिसे राष्ट्र को बनाए रखना है। इसकी पुष्टि हेतु अभिभाषण में 1947 संविधान सभा द्वारा पारित उस संकल्प का उल्लेख किया गया है जिसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि सम्प्रदायिकता के कितने भयानक प्रभाव पड़ते हैं तथा उसका मुकाबला करना जरूरी है, वस्तुत: जैसाकि मैंने कहा हमारा समाज एक

[श्री पी० शिव शंकर]

मिला-जुला समाज है और हमारे संवैधानिक दस्तावेज में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है संविधान में हर वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आंकाक्षाओं का ध्यान रखा गया है, भले ही अक्सर यह कहा जाता रहा हो कि वह बहुत बड़ा संविधान है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमें संविधान निर्माता का आभारी होना चाहिए जिन्होंने हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के मत और विचार को शामिल किया। धर्म निरपेक्षता संविधान की रीढ़ है। संविधान की प्रस्तावना में जिन सिद्धांतों पर जोर दिया गया है उनमें से एक यह है। मेरा निवेदन यह है कि संविधान का आधारभूत ढांचा यही है।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के 40 वर्ष भी हम सम्प्रदायिकता के भंयकर प्रभाव की ओर बढ़ रहे हैं। पर महोदय व्यक्तिगततौर पर मैं महसूस करता हूं कि धर्म निरपेक्षता को अधिक खतरा बहुसंख्यकों में सम्प्रदायिकता की भावना का बढ़ना है। मुझे पक्का विश्वास है कि बहुसंख्यकों में सम्प्रदातिकता की भावना बढ़ने से अल्पसंख्यकों पर प्रभाव पड़ेगा और उससे हमारे संवैधानिक धारणाओं के मूल्य और मूलभूत मान्यताएं डगमगा जाएंगी।

इस संदर्भ में मैं राष्ट्रपति अभिभाषण के उस पैरा विशेष पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं—इस तथ्य के बावजूद कि मैं स्वयं सरकार का हिस्सा हूं—जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर इस समस्या को हल नहीं किया गया तो यह हमारे समाज की ताकत को खत्म कर देगा। इसी संदर्भ में पंजाब में हाल में घट रही समस्यओं को देखा जाना चाहिए।

हम सब स्थिति का सामना करने के लिए बरनाला जी को बधाई दे रहे हैं। इस स्थिति से अनेक जटिलताएं पैदा हो सकती थीं। वह स्थिति का सामना करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें समर्थन की जरूरत है। शायद, बोलने वाले एक माननीय वक्ता यह नहीं जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं जोरदार समर्थन दे रहे हैं। बड़े स्पष्ट तरीके से पूछा गया है कि आप क्या समर्थन दे रहे हैं। राजनैतिक समर्थन के बारे में स्थिति है? सब कुछ मालूम है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन यह सच है कि पंजाब के समक्ष आई इस मौजूदा समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत की जनता श्री बरनाला के साथ है। सम्प्रदायिकता की इस बुराई से निपटना है। दुर्भाग्य की बात है कि देश के विभिन्न भागों में सम्प्रदायिक मतभेद पनप रहे हैं। आदिलाबाद से माननीय सदस्य ने इकबाल को उद्धत किया है लेकिन वह इकबाल के इसी गीत की एक महत्व-पूर्ण और अति महत्वपूर्ण पंक्ति को दोहराना भूल गए जिसमें उन्होंने कहा था।

[हिन्दी]

मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना,
हिन्दी हैं हम, वतन है, हिन्दोस्तां हमारा।

[अनुवाद]

इसी धारणा को ही आगे बढ़ाना है। हमारे उन सभी नेताओं ने इसी धारणा की शिक्षा दी थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और हमें आजादी दिलाई और जो चाहते थे कि कश्मीर से कन्या

कुमारी तक हम स्वतंत्र रहें। महोदय, सम्प्रदायिकता को नियंत्रित करके सरकार यही करनेका प्रयास कर रही है। विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। मैं विपक्ष के उन माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त रूप से वहां जाने के लिए राजी हो गए हैं।

महोदय, एक अन्य कारण, जिससे कभी-कभी समस्या उत्पन्न हो जाती है, बाहरी दबाव है चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक। उसके कारण देश में तनाव, की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे देश की सीमा पर जो हुआ, उसका उल्लेख किया गया है। जब तक हमारा देश सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं हो जाता हम बाहरी चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। यह हमारे लिए अत्यंत संतोष की बात है : यह हमारे लिए गर्व की भी बात है कि पंडित जवहार लाल नेहरू द्वारा शुरू की गई गुट-निरपेक्षता की नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है और हमारे देश में उसका निरंतर पालन किया जा रहा तथा हमारे प्रधान मंत्री भी उसके प्रति समर्पित हैं। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मंच तथा विश्व के क्षेत्रीय मंच पर इस अवधारणा को एक ठोस रूप में प्रस्तुत करने का हर संभव प्रयत्न किया है ताकि इस गोलार्ध में शांति स्थापित हो। हमारी नीतियों का जो परिणाम रहा है उसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है। मुझे उस संबंध में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, एक बत के बारे में मैं कुछ प्रसन्नता पूर्वक उल्लेख नहीं कर रहा हूं और वह है आदिलाबाद से एक माननीय सदस्य द्वारा की गई कुछ दुर्भाग्यपूर्ग टिप्पणियां—वह सदस्य कुछ समय पूर्व बोले और फिर उठ कर चले गए। उन्होंने प्रधान मंत्री के विषय में काफी कुछ कहा और उनका भाषण अच्छे स्तर का नहीं था। मैं इससे अधिक नहीं कहना चाहता। वास्तव में ऐसे भाषणों का सही उत्तर यह है कि उन पर ध्यान ही न दिया जाये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस प्रकार प्रहार करेंगे। एक बात जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि वह सदस्य प्रधान मंत्री द्वारा छवि-निर्माण के विषय में कहने का प्रयत्न कर रहे थे। शायद वह ऐसे व्यक्तित्व वाले नेता हैं जिन्हें मालूम है कि छवि निर्माण का मतलब क्या होता है और जो खुद शीशे के घर में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

श्री जी० एस० बासवराजु : (टुमकुर) इस विषय पर अब कुछ न कहें।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल उल्लेख करना चाहता था। मैं बाकी मामले की तह में जाना नहीं चाहता। नहीं तो मैं तभी कह सकता था।

इसके बाद एक बात और कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भविष्य की नीतियों, देश में गरीबी की समस्या को सुलझाने की नीति, गरीबी हटाओ कार्यक्रम जिस पर हम अमल कर रहे हैं, के बारे में भी कहा गया है। इसमें केवल इसका उल्लेख ही नहीं है कि पहले क्या किया गया है, अपितु इसका भी उल्लेख है कि इन नीतियों का पूरे जोश से पालन किया जाये। ताकि देश में सामाजिक न्याय एक कहानी बन कर न रहे बल्कि हकीकत बन जाये। इसमें यह भी

[श्री पी० शिव शंकर]

कहा गया है कि सरकार की नीति आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार करने पर बल देने की है। सरकार की कार्य-दिशा बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार ऐसी नीतियों का पालन करना चाहती है जिनसे बाद में इस देश से गरीबी समाप्त हो जाये।

ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे लोगों के रहन-सहन के स्तर को 40 वर्षों बाद भी बदला जा सकता हो। मैं साफ तौर पर इन बातों का उल्लेख करना चाहता हूं कि इस देश में समय-समय पर समस्यायें उत्पन्न होती हैं जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आई है और सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं, जिनसे उनकी आवश्यकतायें पूरी होती रहें, और मुझे विश्वास है कि यदि देश की जनसंख्या उतनी ही रहती जितनी 1947 में थी तो संभवत: हमने अब तक शानदार परिणाम प्राप्त कर लिए होते। किंतु हमारी जनसंख्या तिगुनी हो गई है।

3.00 म० प०

एक देश जो कि उस समय खाद्यान्नों का आयात कर रहा था, अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है, यद्यपि जनसंख्या पहले से तीन गुना हो गई। क्या यह एक उपलब्धि नहीं है ? क्या आप ऐसा नहीं सोचते ? यह सही है कि हमें उतनी उपलब्धि नहीं हुई जितनी हम चाहते थे; जिसकी हमें आशा थी; लेकिन आपको परिणाम का अनुमान लगाते समय कठिनाइयों और अनिश्चितताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए : महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल ऐसा दस्तावेज नहीं है जो केवल उपलब्धियों के बारे में बताता है, अपितु देश के लाखों व्यक्तियों के लिए आशा भी प्रदान करता है और मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ता का समर्थन करता हूं।

(हिन्दी)

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष जी, जब किसी समस्या से निराशा की स्थिति पैदा हो जाए तो उस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी ढूंढ़ना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसके हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पंजाब की समस्या। इसी तरह की समस्या है और उस के कारण आज सारे देश में निराशा का माहौल बना हुआ है, परन्तु अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है।

अब सवाल यह है कि पंजाब समस्या का हल क्या हो ? क्या गोली का जवाब गोली से देकर इस समस्या का समाधान ढूंढ़ा जाए, या कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। उसका कारण यह है कि आज वहां पुलिस की गोलियां नाकामयाब सिद्ध हो रही हैं और हमारे अर्ध-सैनिक बलों के सामने भी अविश्वास का संकट पैदा हो गया है। आज देश के हर कोने से आवाज आ रही है कि पंजाब में सेना भेजो। परन्तु हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि हम सेना के बल पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाये हैं और न भविष्य में किसी समस्या के हल की सम्भावना है। जिन-जिन राज्यों में सेना भेजी गई, उनके परिणाम हम सब के सामने हैं। चाहे नागालैंड की समस्या हो या मिजोरम

की, कहीं पर भी सेना भेज कर समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी सदन में 1956 में तत्कालीन गृहमंत्री स्व० पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत जी ने नागालैंड में 6 महीने के लिए सेना भेजने का आदेश दिया था हम सब जानते हैं कि 31 साल बाद भी हमारी सेना वहीं मौजूद है, वापस नहीं लौटी है। न ही वहां की समस्या का पूरी तरह समाधान हुआ है। इसलिए हमारा अनुभव है कि सेना के बल पर किसी भी समस्या का समाधान सम्भव नहीं है और पंजाब समस्या भी उससे भिन्न नहीं है। आज हम पंजाब में जिन लोगों को आतंकवादी कहते हैं, वे परदेशी नहीं हैं। यदि उनके साथ परदेश मानकर व्यवहार किया जाएगा तो आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिए कि पंजाब समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे।

3 03 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

आपको यह मानकर चलना होगा कि पंजाब के उग्रवादी भी इसी भारत-माता के बेटे हैं। जब तक आप ऐसा मानकर उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे तब तक पंजाब समस्या हल होना असम्भव है। इतिहास साक्षी है कि इन उग्रवादियों के पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई में, अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आगे बढ़कर अपनी कुर्बानी दी थीं। आज इतिहास बतलाता है कि आजादी की लड़ाई के जमाने में लगभग 2400 या 2500 लोगों को काले-पानी की सजा मिली थी। उन चौबीस सौ, पच्चीस सौ लोगों में 2 हजार सिख नौजवान थे। देश की आजादी की लड़ाई के जमाने में 125 को फांसी की सजा मिली थी, उसमें 90 सिख नौजवान थे। उन्हीं पूर्वजों का खून इन आतंकवादियों की धमनियों में प्रवाहित होता है। इसलिये हमको सोचना होगा कि आखिर कारण क्या है कि जिनके पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना एक-एक कतरा खून बहाया, फांसी के तख्ते को भी हंसते-हंसते चूम लिया, उन्हीं पूर्वजों में सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह और ढींगरा थे, आखिर क्या कारण है कि उनकी औलाद आज आतंकवादी हो गई है? इसके लिये आपको और एतिहासिक कारणों को देखना होगा। मेरी समझ में पंजाब की समस्या केन्द्र की सरकार के प्रति अविश्वास की समस्या है। इसलिये केन्द्र की सरकार को इस अविश्वास के संकट को खत्म करने के लिये उपाय करना पड़ेगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री बरनाला साहब को हम सारा समर्थन दे रहे हैं, रियासी समर्थन दे रहे हैं, बन्दूक की भी सहायता दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन कोई न कोई तबका पंजाब में ऐसा जो बरनाला साहब के ऊपर अविश्वास करता है। उनको छोड़कर, आप केवल बरनाला साहब से बात कर के पंजाब की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ़ सकते हैं। इसलिये न केवल बरनाला साहब को ही साथ लें, बल्कि सिख समुदाय के जो अन्य धड़े हैं, उनके लोगों को भी आपको विश्वास में लेना पड़ेगा, सिख नौजवानों को विश्वास में लेना पड़ेगा।

जब बादल गुट के महासचिव सुखदेव सिंह का यह कहना है कि आनन्दपुर साहब प्रस्ताव में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि विकेन्द्रित प्रशासनिक व्यवस्था की मांग की गई है तो उस आनन्दपुर साहब प्रस्ताव को भी आपको सामने रखना पड़ेगा तभी जाकर कुछ मामला बन सकता है, कोई चीज निकल सकती है।

[श्री राम बहादुर सिंह]

इसके साथ साथ आपको सारे देश के नौजवानों के लिये व्यवस्था करनी है, लेकिन अभी जो स्थिति मौजूद है, उसमें पंजाब के नौजवानों के सामने जो अनिश्चित भविष्य का खतरा पैदा हो गया है, उससे आपको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो नौजवानों की इस भावना से खुलकर खेलने का मौका साम्प्रदायिक तत्वों को मिलेगा ।

इसलिये मैं बार-बार निवेदन करता हूं कि पंजाब की समस्या का अगर आप समाधान चाहते हैं तो हठधर्मिता को छोड़ दें, मन को मजबूत करें और दिमाग में लचीलापन लाने का कष्ट करें तो पंजाब की समस्या का समाधान नजदीक आयेगा । यदि आप हठधर्मिता को नहीं छोड़ते हैं, जड़ की तरह पड़े हुए हैं, आपमें जड़ता समा गई है तो पंजाब की समस्या का समाधान नहीं होगा । आपकी कुर्सी की, सरकार की प्रतिष्ठा के आगे कोई कीमत नहीं है । देश बचा रहेगा तो सब कुछ हो सकेगा । सरकारें तो आती-जाती रहेंगी, कभी आप उस कुर्सी पर बैठेंगे, कभी दूसरे बैठेंगे लेकिन देश रहेगा । इसलिये देश की प्रतिष्ठा के लिये आपको अपनी हठधर्मिता को छोड़ना पड़ेगा, मन को मजबूत और दिमाग को लचीला बनाना पड़ेगा ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में शिक्षा नीति की बड़ी चर्चा की गई है । आज तक हम लोगों ने यही जाना था कि शिक्षा के मायने यही हैं कि आदमी का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो, वह आदमी को अपने और समाज तथा राष्ट्र के प्रति जिम्मेवार बनाये। उसे बताये कि उसकी जिम्मेवारी क्या है और उसको प्रेरणा दे कि उस जिम्मेवारी का निर्वाह वह कैसे करे ? लेकिन ठीक इसके उलटे, अंग्रेजों ने अपने 150 वर्ष के शासन काल में जो शिक्षा नीति चलाई, उसका मतलब था कि एक ऐसा विशिष्ट वर्ग पैदा किया गया जिसका काम हो कि अपनी सुविधा ले ले, अपनी स्वार्थ की सिद्धि कर ले, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत को स्थायी बनाने में सहायता दे ।

गांधी जी ने इस बात को समझा था देश की आजादी की लड़ाई के रहनुमाओं ने इसको समझा था, इसीलिये गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात कही थी, लेकिन शिक्षा की बात तो अलग रही, आजादी मिलने के दिन से लेकर आज तक हिन्दुस्तान की शिक्षा नीति प्रयोगवाद की परिधि के भीतर नाचती रही । जब श्री राजीव गांधी जी की सरकार आई तो इस शिक्षा नीति की बड़ी चर्चा हुई ।

लोगों ने समझा था कि कोई नई शिक्षा नीति निकलने वाली है । लेकिन वही पुरानी चीज निकली । जिस शिक्षा नीति का प्रतिपादन अंग्रेजों ने किया था जिसका प्रतीक है दून स्कूल उसी तरह की शिक्षा नीति का प्रतिपादन इस सरकार ने भी दिया है जिसका प्रतीक है नवोदय विद्यालय । नवोदय विद्यालय में एक करोड़ रुपया खर्च होगा, एक सौ छात्रों को, छात्राओं को छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक दाखिला मिलेगा लेकिन करोड़ों लोगों के बच्चे जिनका पेट नहीं भरता है, जिन को दो जून सूखी रोटी नहीं मिलती है वे कहां जाएंगे ? उन्हीं सार्वजनिक स्कूलों में जिन स्कूलों के ऊपर छत नहीं है, जिनकी दीवारें नहीं हैं, जहां बैठने के लिए टाट नहीं हैं, जहां सौ विद्यार्थियों

पर एक मास्टर है, उन्हीं स्कूलों में जाएंगे। एक तरफ जो देश के चन्द मुट्ठी भर लोग हैं, दस सैकड़ा लोग हैं, जो सम्भ्रान्त लोग हैं, जो वर्चस्व वर्ग के लोग हैं उन के बच्चे जाएंगे नवोदय स्कूलों में दून परम्परा के स्कूलों में जहां होगी डनलप की गद्दी, जहां होगी बेंत की कुर्सी, जहां होगी आलीशान भवन, बिजली का पंखा, बिजली का लट्टू, खाने के समय की अलग पोशाक, टहलने जाने के समय की अलग पोशाक, स्कूल जाने के लिए अलग पोशाक, सोने के समय के लिए अलग पोशाक। दूसरी तरफ सार्वजनिक स्कूलों में जहां करोड़ों के बच्चे लाज ढकने को कपड़ा नहीं, पेट में दाना नहीं, सौ विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, कस के लू चले तो स्कूल बन्द, कस के पानी पड़े तो स्कूल बन्द, शीत लहरें चलें तो स्कूल बन्द, एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था और दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोगों के लिए नवोदय स्कूल की व्यवस्था, दून की व्यवस्था। यह नहीं चल सकता है। इस देश में शर्म की बात है कि 40 वर्षों की आजादी के बाद भी प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है उस में भी एकरूपता नहीं है। इस देश में एकरूपता लानी पड़ेगी और इस नारे को साकार करना पड़ेगा जिस नारे को स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया ने दिया था :

ब्राह्मण या भंगी का बेटा,
या राष्ट्रपति की हो संतान,
सब की शीक्षा एक समान।

प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से देश में एक साजिस चल रही है जिसके कारण संभ्रांतबच्चों के स्कूल का माध्यम अंग्रेजी और सार्वजनिक स्कूलों का माध्यय हिन्दी, एक तरफ अंग्रेजी में पढ़ाई हो दस प्रतिशत लोगों के बेटों की और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के बेटे हिन्दी माध्यम से पढ़े और देश में राज-काज चले अंग्रेजी में। इस शिक्षा नीति के माध्यम से मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर होगा, कलैक्टर का बेटा कलैक्टर होगा, जज का बेटा जज होगा, पूंजीपति का बेटा पूंजीपति होगा, उद्योगपति का बेटा उद्योगपति होगा। यह साजिस चल रही है इस देश में इस शिक्षा नीति के माध्यम से। इसलिए मैं इस शिक्षा नीति का विरोध करता हूं क्यों कि इस शिक्षा नीति से एक ऐसा विशिष्ट वर्ग तैयार होगा जिसका देश के उद्योग पर, देश की राजनीति पर, देश के व्यापार पर वर्चस्व रहेगा।

अन्त में मैं सिंचाई के बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा। सिंचाई की बड़ी चर्चा की जाती है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी चर्चा है। मेरे बिहार में एक योजना चल रही है पिछले तीस इकतीस वर्षों से, उस का नाम है गन्डक परियोजना। उस के लिए पिछले तीन-चार वर्षों में एक पाई भी नहीं मिला है। क्या यह बिहार को उपेक्षा नहीं है ? आजादी मिलने के बाद से आज तक बिहार की जो यह उपेक्षा होती रही है उसी का परिणाम है कि आज सारे देश से ज्यादा दौलत रखने वाला बिहार देश का सब से कंगाल राज्य बना हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, बिहार के किसानों के खेतों को पानी देने के लिए गंडक परियोजना के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है वह पैसा सरकार दे वरना मैं इस बात को मानूंगा कि सरकार की कथनी और करनी में मेल नहीं मत-भेद है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बालिग मताधिकार की चर्चा की गई है। बात ठीक है। इस

[श्री राम बहादुर सिंह]

देश में बालिग मताधिकार को ही साकार बनाने से, उसे सफल बनाने से लोकतंत्र जिन्दा रह सकता है। लेकिन बांका के उप चुनाव में जो नजारा देखने को मिला उसको देखने के बाद कोई भी विवेक-शील प्राणी जिसके मन में थोड़ी भी हमदर्दी लोकतंत्र के प्रति होगी वह कहेगा कि बिहार की सरकार ने लोकतंत्र के साथ वास्तव में बलात्कार किया है वरना कोई कारण नहीं था कि भागलपुर के कलैक्टर, भागलपु के एस० पी० मुंगेर के कलैक्टर, मुंगेर के एस० पी० गुन्डों को हथियार बंद होकर गुन्डों की तरह स्वयं बूथ लूटें और बूथ लुटवाने का काम करते। यह बिहार की सरकार ने किया है। मैं वहां पर था, मेरे सामने मेरे साथियों को गिरफ्तार किया गया। मतदान केन्द्रों पर से जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कलक्टर और एस० पी० वहां फौज लेकर घूमते थे, हर मतदान केन्द्र पर जाते थे और अपने लोगों से मत दिलवाते थे। जब कोई उसका विरोध करता था तो उसको सबक सिखाने की धमकी देते थे। कचौड़िया थाने के एक बूथ पर बी० एस० एफ० के नौजवान से गाली-गलौज की नौबत आ गई ! शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को तब एस० पी० ने कहा कि तुम अनुशासन मानते हो या नहीं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यहां पर राज्य सरकार की आलोचना न करें।

(हिन्दी)

श्री राम बहादुर सिंह : वहां पर मौलिक अधिकारों के साथ जो बलात्कार किया गया, उस घटना की मैं चर्चा करता हूं बी० एस० एफ० के नौजवान से वहां पर, एक एस० पी० जो तैनात थे, उनसे गाली-गलौज की नौबत आ गई। कारण यह कि एस० पी० उससे मदद लेना चाहते थे, कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवाने के लिए, लेकिन उसने उसका विरोध किया। एस० पी० ने उससे कहा कि यह अनुशासन है तो बड़े-बड़े शब्दों में उसने कहा कि एस० पी० साहब, आपके अनुशासन को मैं मानूं तो यह देश आज ही पाकिस्तान को देना पड़ेगा। यदि ऐसे लोगों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए रखा जायेगा तो लोकततंत्र की रक्षा नहीं होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि बांका जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। बालिग मताधिकार के द्वारा ही इस देश में लोकतंत्र फलेगा फूलेगा। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए इस देश में बांका जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, सरकार को इसका प्रयास अवश्य करना चाहिए।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़ गढ़) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण सदन के सम्मुख दिया उस पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं।

निःसंदेह पिछले दो वर्षों से हम आंतरिक और वाह्य समस्याओं से घिरे हुए हैं। हमारे सामने कई जलती हुई आंतरिक समस्यायें हैं जैसे पंजाब, असम और मिजोरम की समस्यायें। हमारी सरकार ने, खास तौर से हमारे प्रधान मन्त्री जी ने बिना दलगत राजनीति को सोचे हुए,

दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए इन समस्याओं का समाधान किया है यही कारण है कि मिजोरम में जहां दो दशकों से बन्दूकें आग उगलती थीं वहां पर आज शांति से चुनाव हो सके हैं। इसी तरह से जो पंजाब की समस्या है उसके समाधान के लिए सन्त लोंगोवाल और श्री राजीव दो शांति दूत सामने आए और उन्होंने इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। परन्तु कई ऐसे आतंवादी हैं जिन्हें बाहरी शह मिल रही है और इसी वजह से उन्होंने धार्मिक स्थानों को अपवित्र करना शुरू कर दिया है। बरनाला जी ने इस सम्बन्ध में एक सराहनीय कार्य किया है, उन्होंने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया तथा साथ ही जनता का विश्वास भी प्राप्त किया। उससे यह साबित हो गया है कि पंजाब के सिख, पंजाब के लोग शांतिप्रिय हैं। वे नहीं चाहते कि वहां पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सिख कामनवेल्थ का प्रस्ताव रखा गया था उसको भी वहां स्वीकार नहीं किया गया। इसके लिए मैं उन राज्यों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने भी कुछ कदम उठाय। है।

इसी तरह से आज हमारी जो सीमायें हैं वहां पर स्थिति बड़ी खतरनाक है, सीमाओं पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान का रवैया किसी से छिपा नहीं है परन्तु इस समस्या के समाधान के लिए जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। परन्तु जिस प्रकार से जनरल जिया क्रिकेट राजनीति के आधार पर चाल चलना चाहते हैं उससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। आज वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने में सफल हो गया है और साथ ही वह अमरीका से एवाक्स विमान भी ले रहा है।

इसीलिए हमें इस ओर सावधान रहने की जरूरत है। मान्यवर, इसी प्रकार जब अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया, तो चाइना ने अपने तेवर बदले हैं। उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय कूट-नीति की अवहेलना करते हुए इस बारे में विरोध प्रकट किया है। उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। मान्यवर, अरुणाचल ऐतिहासिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से हमारा क्षेत्र था, है और रहेगा। कहीं ऐसा न हो कि चीन 1962 के इतिहास को फिर से दोहरा दे, इसके लिए हमें सावधानी की आवश्यकता है। यह सावधानी तभी रह सकती है, जब सैन्य-शक्ति में हम निपुण हों। अभी हाल ही में हमने जिस प्रकार बार्डर पर बार-एक्सरसाइज की हैं, उससे यह सिद्ध हो गया है कि हम किसी भी तरह से सैन्य-शक्ति में किसी से कम नहीं हैं।

आज भारत का आम नागरिक यह चाहता है कि सरकार सफलतापूर्वक काम करे और इसके अच्छे परिणाम आम जनता ने महसूस किए हैं। इसके जो लगने वाले फल हैं, उनको आम जनता ने चखा है। कालाधन हमारे प्रान्त के सामाजिक ढांचे का कैन्सर है। इस कैन्सर को दूर करने के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार ने औद्योगिक घरानों पर, व्यापारियों पर और अफसरशाही पर आर्थिक छापे डाले हैं, उसको आम जनता ने महसूस किया है कि इस सरकार में ईमानदारी से काम करने की क्षमता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय योजनाओं का पैसा ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच-पड़ताल करने के लिए हमारे प्रधान मन्त्री जी स्वयं गांवों में गए हैं और वहां के विकास को देखा है। अभी हमारे विपक्ष के सदस्य, माननीय रेड्डी साहब,

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

कह रहे थे कि वे अपनी एक तरह से राजनीतिक छवि बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि क्या आम जनता की समस्याओं को समझना और आम जनता के साथ सहयोग करना छवि बनाने की बात है। यदि वे ऐसा सोच रहे हैं, तो वे गलत सोच रहे हैं। हमारे देश की जनसंख्या 75 करोड़ है और उनकी विभिन्न समस्यायें हैं और उन समस्याओं की नब्ज तक हमारे देश के प्रधान मंत्री पहुंचे हैं। इसके लिए हम उनको बधाई देना चाहेंगे। आर्थिक क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्र में हमने जो सफलतायें प्राप्त की हैं, उनका आंकलन किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज हम अणुशक्ति में भी आत्म निर्भर हो गए हैं। इस प्रगति को देखकर दूसरे राष्ट्र ईर्ष्या की भावना रखने लगे हैं हमने एक अणुशक्ति के ज्ञान के आधार पर कलपाक्कम, कोटा, नरोरा तथा तारापुर में सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं, वे परीक्षण भी किसी से छिपे हुए नहीं हैं। इस शताब्दी के अंत तक हम 10 हजार मेगावाट बिजली अणुशक्ति से बनाने लगेंगे। अणुशक्ति को प्रयोग करने का हमने यह एक सही रास्ता चुना है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि हमें बिजली के मामले में और आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे अभी सौर उर्जा, पवन ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के प्रयोग हुए हैं, इस ओर भी हमको और अधिक आगे बढ़ने की जरूरत है। यह संभव है कि हमें ज्वाइंट सैक्टर में बिजली बनाने के प्रयोग करने चाहिए, ताकि इस समस्या का हम समाधा कर सकें।

हमारे देश की गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ी दुखती रग है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमारी इस नई, सरकार, दो साल पुरानी सरकार, ने छूने की कोशिश की है। गरीबी दूर करने के लिए नया बीस सूत्री कार्यक्रम, एन० आर० ई० पी० का कार्यक्रम, आई० आर० डी० पी० का कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों ने हमारे देश के गांवों का नक्शा ही पलट दिया है। फिर भी हमारे देश की 36 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसको सुधारने के लिए गांवों में सिंचाई के साधन सुलभ कराने की बहुत ही आवश्यकता है। अभी हम 25 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई करते हैं, लेकिन इस शताब्दी के अन्त तक, यदि हमारी सरकार की योजनायें पूरी हो जायें, तो 40 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई पूरी कर पायेंगे। इसके लिए भी बजट में और अधिक धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता है। इस बारे में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि राजस्थान जैसा प्रान्त आज भी सिंचाई के अभाव में निरन्तर अकाल से जूझ रहा है। राजस्थान की इंदिरा गांधी कैनाल जो कि राजस्थान की भगीरथी है, उस योजना के लिए जो भी धनराशि दी जाती है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी सरकार से कि इस राशि को बढ़ाया जाए और इस योजना को राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार किया जाए। इसी प्रकार से रावी, व्यास नदियों का पानी किसी एक प्रान्त विशेष की धरोहर नहीं है एक प्रान्त में पानी बह कर बहुत सी जमीन को अनउपजाऊ बना दे और राजस्थान का बच्चा एक-एक बूंद पानी के लिए तरसता रहे, यह नहीं चलेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि रावी, व्यास का पानी राजस्थान को निश्चित तौर पर मिलना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि राजनीतिक स्वतन्त्रता का भवन आर्थिक आत्मनिर्भरता पर

खड़ा है,, उसकी नींव पर खड़ा हुआ है। हम ने इस ओर काफी प्रयत्न किये हैं परन्तु हमारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। कारण यह है कि हमने जो पैसा विदेशी संस्थाओं से लिया है, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया है, हमारे निर्यात का 20 प्रतिशत पैसा तो उसी को चुकाने में चला जाता है। इस वजह से इस चीज में थोड़ा असंतुलन रहा है परन्तु मैं सोचती हूं कि यदि हमारा निर्यात बढ़ेगा और निर्यात बढ़ा भी है, तो इस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, उन्होंने सफलतापूर्वक काम नहीं किया है। इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने काफी प्रयत्न किया है। मैं सोचती हूं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र घाटे में चल रहे हैं, उनमें और सुधार आने की जरूरत है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं, उनकी जो रुग्ण इकाइयां हैं, उनको सरकार अपने हाथ में ले लेती है और उनके पुनर्वास का प्रबन्ध करती है लेकिन मैं ऐसा समझती हूं कि कई लोग ऐसे हैं, कई प्रबन्धक ऐसे हैं, जो उन इकाइयों को जबर्दस्ती रुग्ण करते हैं और उन को सरकार को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।

इसी प्रकार से आज अर्बेनाइजेशन का ट्रेंड बहुत अधिक बढ़ रहा है। गांव के लोग नगरों में आना चाहते हैं क्योंकि नगरों में बहुत अधिक सुविधाएं हैं। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगी कि गांवों में अधिक से अधिक सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए और आप नवोदय स्कूल खोलें तो उनको गांवों में खोलना चाहिए। और आप टेलीवीजन की सुविधाएं दें, तो उनको गांवों में देना चाहिए और अगर उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, तो गांवों में स्थापित किये जाएं। तभी यह अर्बेनाइजेशन का ट्रेंड रुक सकेगा। आप शिक्षा के ऊपर इतना अधिक व्यय कर रहे हैं। अभी हमारे एक साथी जब बोल रहे थे तो नवोदय विद्यालय की आलोचना कर रहे थे। मैं तो यह कहूंगी कि नवोदय विद्यालय एक तरह से हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। उसमें जो थ्रीलैंगुएज फार्मूला है, वह देश की राष्ट्रीय एकता की ओर ले जाने वाला है और इसी प्रकार से आपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आपने किया है, उससे बहुत अधिक आशाएं जगी हैं। इन्दिरा ओपन यूनिवर्सिटी जो है, उसमें गरीब लोगों को पढ़ने की सुविधाएं दी जाएंगी। मेरा एक सुझाव यह है कि शिक्षा जोब-मारियेन्टेड होनी चाहिए।

महिलाओं के बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी। महिलाओं के लिए जो कानून आज इस देश की सरकार ने बनाए हैं, वैसे कानून इससे पहले कभी नहीं बने। इनसे उनको संरक्षण मिला है परन्तु इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी स्त्रियों की स्थिति काफी शोचनीय है। यह कानून बनने से नहीं मिलेगी। इसके लिए दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। कानून बन गया है मगर समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है। कानून बन गया है कि एक स्त्री के जिन्दा रहते हुए पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता परन्तु आज भी कई स्त्रियों को इस जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। कई कन्याओं को जला दिया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार जब तक पारिवारिक न्यायालय नहीं बनाएगी, तब तक कानून का कोई अर्थ नहीं होगा। इस प्रकार के न्यायालय हर राज्य में बनने चाहिएं और राज्य का न्यायालय जिले में जा कर कोर्ट लगाए महिलाओं को कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए और फ्री लीगल एडवाइस मिलनी चाहिए। तभी हम महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इस देश की जो 50 प्रतिशत जनसंख्या है, वह इस प्रकार की परेशानी से दुःखी है और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

अन्त में मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी कि हमारी सरकार ने यह दिखा दिया है कि वह ईमानदारी और कुशलता से काम करने की क्षमता रखती है।

हमारे प्रधान मंत्री जी के तीन सूत्र हैं—ईमानदारी, दक्षता और परिणाम। ये तीनों सूत्र निश्चित तौर पर हमारे विकाशील राष्ट्र को 21 वीं शताब्दी में विकसित राष्ट्र में परिवर्तित कर देंगे। यह तभी होगा जबकि उनके हाथों के साथ हमारे राष्ट्र की 75 करोड़ जनसंख्या के हाथ भी मिलें। हम सब लोग जो कि विरोधी गुट के भी हैं, वे भी अच्छे कामों की सराहना करना सीखें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : राष्ट्रपति अभिभाषण पर आगे चर्चा सोमवार को जारी रहेगी।

अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

3.30 म० प०

विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक*.

(धारा 9 में संशोधन)

[अनुवाद]

सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सैयद शाहबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 में संशोधन, आदि)

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 27-2-87 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 309 क का अन्त:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव : मैं विधेयक, पुर:स्थापितकरता हूं।

चलचित्र फिल्म (वितरण) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री के०राममूर्ति (कृष्णागिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र फिल्मों के विक्रय तथा वितरण के विनियमन के लिये एक फिल्म बोर्ड के गठन और तत्सम्बन्धित मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र फिल्मों के विक्रय तथा वितरण के विनियमन के लिए एक फिल्म बोर्ड के गठन और तत्संबन्धित मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 27-2-87 के भारत असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

नागरिक कल्याण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी० एस० बसवराजू (टुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समस्त नागरिकों को मकान सस्ती दर पर आवश्यक वस्तुएं तथा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने के लिये उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समस्त नागरिकों को मकान, सस्ती दर पर आवश्यक वस्तुएं तथा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० एस० बसवराजु : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*

(नये अध्याय 5-ख का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.35 म० प०

भारतीय बाढ़-नियंत्रण प्राधिकरण विधेयक

[—जारी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम डा० चन्द्र शेखर वर्मा द्वारा 21 नवम्बर, 1986 को पेश किए गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे अर्थात् :—

* दिनांक 27-2-87 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित।

"कि बाढ़ों को नियंत्रण में रखने के लिए भारतीय बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण स्थापित करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री गिरधारी लाल व्यास बोलना शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय फ्लड कंट्रोल अथारिट आफ इंडिया बिल 1986 जो श्री वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है, उनका मैं समर्थन करता हूं। यह बिल इस भावन से प्रस्तुत किया गया है कि हिन्दुस्तान में जो बाढ़ आती है, उससे हमें बहुत बड़ा नुक्सान होता है, करीब 2000 करोड़ रुपए सालाना का इससे नुक्सान होता है। आपको यह जानकारी होगी कि मिस्टर राव जो हमारे यहां इरीगेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस देश की नदियों को मिलाकर के उसके सरप्लस वाटर को स्केयरसिटी एरियाज में पहुंचाने की एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी ड्राई एरियाज हैं, जहां पर पानी नहीं पहुंच पाया है, वहां पर इस योजना से सरप्लस वाटर पहुंचाया जा सकेगा और इससे हिन्दुस्तान में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकेगा। इससे हम हिन्दुस्तान के लोगों को भी खिला सकेंगे और दूसरे मुल्कों की भी, जहां पर भूख है, सहायता कर सकेंगे। इतनी साहसिक स्कीम उन्होंने तैयार की थी, अगर उस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता तो निश्चित तरीके से हिन्दुस्तान में जो बाद की वजह से नुक्सान हो रहा है, उस नुक्सान से बचा जा सकता था।

हमारा अनुभव है कि जितनी योजनाएं हम लेते हैं, उनको हम समय पर पूरा नहीं कर पाते। चाहे भारत सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की, कोई भी समय पर पूरी नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान कैनाल जिसका नाम इन्दिरा गांधी कैनाल है, यह 250 करोड़ रु० की योजना थी और 10 वर्ष में पुरी होनी थी, लेकिन आज 1000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी यह पूरी नहीं हुई है और अभी हमारा अनुमान है कि इस पर 1000 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। यह जो डिले करने की टेक्टिक्स डिपार्टमेंट की है कि समय बढ़ाया जाए, जिससे खर्चा बढ़े प्राइस एक्सक्लेशन होता जाए और इंजीनियर्स का ज्यादा से ज्यादा माल बनता रहे, इसकी वजह से ये डिले टेक्टिक्स विभाग के अधिकारियों ने अपना रखी है। इसकी वजह से देश का नुक्सान हुआ है। इसीलिए सिर्फ अथारिटी बन जाने मात्र से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। जैसे मैं कल भी कह रहा था, काटन बोर्ड, काफी बोर्ड, टी बोर्ड आदि बने हुए हैं और उनमें बड़े-बड़े अधिकारियों को बैठा दिया जाता है, लाखों-करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बोर्ड उस चीज के विकास के लिए बनाया जाता है, काटन, काफी, टी आदि के विकास के लिए बनाया जाता है ताकि प्रोडक्शम बढ़े, लेकिन प्रोडक्शन किसी प्रकार का नहीं बढ़ता और अधिकारियों की लंबी-चौड़ी फौज नियुक्त हो जाती है। आज हिन्दुस्तान के बजट में जितना खर्चा होता है, आप देख लीजिए, चाहे स्टेट का बजट हो 60 परसेंट से ऊपर इन सरकारी अधिकारियों पर खर्च होता है और इसीलिए देश का डेवलपमेंट पिछड़ता जा रहा है। इसलिए इस बात को खासतौर पर ध्यान में रखा जाए कि कितना परसेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हो और कितना डेवलपमेंट पर खर्च हो, जिस मकसद से

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

बोर्ड कायम किया जा रहा है, अथॉरिटी कायम की जा रही है, उस परपज को सर्व करने के लिए कितना पैसा खर्च किया जाए। इस बात पर कहीं भी ध्यान नहीं रखा जाता, इसी वजह से जितने बोर्ड या अथारिटीज, कमीशन नियुक्त होते हैं, उनके द्वारा कोई विकास का काम नहीं होता। हालांकि सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि ज्यादा डेवलपमेंट का काम हो, ज्यादा से ज्यादा विकास हो और सरकार की नीतियों की वजह से पिछले वर्षों में, जब से देश आजाद हुआ है, काफी तरक्की हुई है, हम आगे बढ़े हैं, मगर जितना बढ़ना चाहिए था, उतना हम आगे नहीं बढ़ पाए। अगर हम फाइनेंशल डिसीप्लेन रखते, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीप्लेन रखते तो और आगे बढ़ सकते थे। अन्य देशों में देखिए, चीन का उदाहरण हमारे सामने है, वहां पर जिस नदी से बाढ़ आती थी, उस सबसे बड़ी नदी की बाढ़ पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। जो हर साल हजारों मील चीन की भूमि को बरबाद करती थी, उसको कंट्रोल कर लिया। कौन सी आपत्ति ज्यादा आ रही है जिसकी वजह से फ्लड कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसका पानी जो बेकार ही समुद्र में चला जाता है, उसका उपयोग अगर सूखी धरती पर किया जाता तो हिन्दुस्तान में पैदावार को बढ़ा सकते थे। इस प्रकार की व्यवस्थाएं आज तक नहीं हो पायीं जिसकी वजह से अथारिटी का जो सुझाव दिया है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। अथारिटी बनाने के बाद भी किसी प्रकार के कंट्रोल की व्यवस्था नहीं हुई तो निश्चित तरीके से यह अथारिटी बनाना बेकार हो जायेगा। आज तक आपने बहुत सारे कमीशन और अथारिटीज बनाई हैं गंगा, नर्मदा, रावी और व्यास आदि के संबंध में। अगल-अगल नदियों के ऊपर आपने बोर्ड बना रखे हैं। उनके डवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। अब तक उस संबंध में क्या किया गया है, ये सारी बातें निश्चित तरीके से देखने की जरूरत हैं। अगर इस पानी की व्यवस्था ठीक तरीके से कर देते तो जितना डवलपमेंट होता, नेशनल इन्कम, जी० एन० पी० और पर-कैपिटा बढ़ती, वह सारी व्यवस्थाएं नहीं कर पाए हैं। इसको व्यवस्थित नहीं किया है इसलिए आज हम पिछड़े हुए देशों में गिने जाते हैं। हमारी पर-कैपिटा इन्कम दुनिया में सबसे कम है। नीचे से पांचवें-छठे नम्बर पर है, ऊपर से आना तो बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा मुल्क जिसकी 70-75 करोड़ जनता है और जिसके पास सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्रकृति की कृपा है, गर्मी, सर्दी, पानी और सब तरह की जलवायु के बाद भी आज हम पिछड़े हुए हैं, जबकि अन्य देश तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका मूल कारण यही है कि हम इन योजनाओं को ठीक तरह से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से सारी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है।

मंत्री महोदय को अगर पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कि हमारे पास फाइनेंशियल कान्स्ट्रेंट है, पैसा नहीं है जिस कारण इन व्यवस्थाओं को लागू नहीं कर सकते। पैसा किस तरीके से आता है और किस तरीके से लगाया जाता है तो क्या हिन्दुस्तान ही पैसा लगा रहा है। क्या अन्य देशों ने प्राथमिकता के आधार उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। क्या यह देश इन चीजों को कन्ट्रोल करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पैसा नहीं लगा सकता जिससे पर-कैपिटा बढ़ती और देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती। इन चीजों के लिए दृढ़ धारणा होनी चाहिए तभी इन व्यवस्थाओं को कर सकते हैं। यह व्यवस्था तो सरकार होगी तब भी चलेगी और सरकार नहीं होगी तब भी चलती रहेगी।

एपिशियेंट सरकार का मकसद है एपिशियेंटली सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने की व्यवस्था करे। पिछले दो वर्षों में काफी काम हुआ है जबसे हमारे युव प्रधान मंत्री जी आए हैं, तब से डवलमेंट बहुत हुआ है जिसका जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी किया गया है। जो हमारी स्पीड होनी चाहिए, जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए, जिस स्पीड से बढ़ने की आवश्यकता है, यहां की गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए, जब तक उस स्पीड को नहीं पकड़ेंगे तब तक इन व्यवस्थाओं को नहीं अपना सकते।

अभी थोड़ी देर पहले मंत्री यहां बोल रहे थे, मैंने उनका बयान सुना कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहां, इसलिए वह मजबूती नहीं आ सकती जो डिक्टेटोरियल व्यवस्था में आ सकती है। यह बात हम भी मानते हैं, विरोधी लोग इसमें रोड़ा अटकाते रहते हैं, हर चीज में खामियां निकालते रहते हैं लेकिन उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमारा दिल और इरादे मजबूत हैं तो हम निश्चित-रूप से उन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं जिनको हम करना चाहते हैं। इसलिए हमारे मित्र चन्द्रशेखर जी जो यह बाढ़ नियन्त्रण कानून लाए हैं मैं उसका स्वागत करता हूं, इस प्रकार की अथारिटी निश्चित रूप से कायम होनी चाहिए।

हमारे यहां नर्मदा योजना पर काम चल रहा है। इरीगेशन मिनिस्टर जी यहां बैठे हैं पता नहीं कितने वर्षों में वह इसे कार्यान्वित करेंगे। जब तक यह योजना पूरी होगी, पता नहीं तब तक इसका कितना पानी कहां चला जायेगा। हमारे जो बाडमेर, जालौर आदि सूखे एरिया हैं उनको इस योजना से पानी मिल सकता है। गंगा-युमना का पानी जो राजस्थान में लाने की योजना है यह योजना अगर क्रियान्वित हो जाती तो भरतपुर, अलवर, जयपुर और झुन्झुनु आदि जिलो को पानी मिल जाता। लेकिन भगवान जाने यह योजनायें कब पूरी होंगी और तब तक इनका पानी बहकर कहीं का कहीं चला जायेगा। इसी तरह से इन्दिरा गांधी नहर पर छोटे-छोटे बांध, धोरे बनाने का काम है, 11-1200 करोड़ की यह योजना अगर पूरी हो जाये तो इसके पानी को हम पूरी तरह से उपयोग में ला सकते हैं और इसके पानी के जरिये ही राजस्थान के जो 11 या 12 जिले जो डेजर्ट कहलाते हैं उनको पानी मिल जाये। यह वह इलाके हैं जहां भगवान की भी कृपा नहीं होती। वहां पर बहुत से बच्चों को, 5-7 साल की उम्र के बच्चों को तो मालूम ही नहीं कि वर्षा किसे कहते हैं, बूंदें क्या होती हैं, क्योंकि उन्होंने बारिश देखी ही नहीं। ऐसे इलाकों में अगर हम इन योजना को पूरा करते तो वहां के एरिया को विकसित करने में हमें बहुत लाभ हो सकता था और हिन्दुस्तान में खाद्यान्न का प्रोडक्शन बढ़ सकता था। हमारे यहां बहुत-सी नदियों का पानी आज भी बेकार जा रहा है, जैसे काली सिंध नदी, पार्वती नदी का पानी बेकार जा रहा है। राजस्थान में कोटा और झालावाड में बहुत-सी नदियां हैं जिन पर बांध बनाये जा सकते हैं और वह पूरे एरिया को सिंचित कर सकती हैं। और पिछले सालों से इन नदियों में बाढ़ आने से जो इन इलाकों में नुकसा हुआ है, बांध बनाकर उनको रोका जा सकता था और इनका पानी सिंचाई के लिए उपयोग में आ सकता है। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप फ्लड कट्रोल करने के साथ-साथ इन नदियों पर बांध बनाने की योजना को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए जिससे हिन्दुस्तान की सूखी धरती को पानी मिल सके और हमारी पैदावार

ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। हिन्दुस्तान की गरीब जनता की आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए यह व्यवस्थायें करना आवश्यक है। इसलिए यह जो बिल लाया गया है मैं इसका स्वागत करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए आबंटित समय पूरा होने वाला है। फिर भी चार माननीय सदस्य बोलने के इच्छुक हैं। क्या मंत्री जी और विधेयक के प्रस्तावक समय बढ़ाये जाने के पक्ष में हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : क्या आप इसे एक घंटा और बढ़ाना चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : क्या सब सहमत हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री ए० सी० षण्मुख।

***श्री ए० सी० षण्मुख** (वेल्लोर) : महोदय, मैं डा० चन्द्रशेखर वर्मा द्वारा सुझाये गये उपाय का स्वागत करता हूं। भारतीय बाढ़ नियन्त्रण प्राधिकरण विधेयक एक सामयिक उपाय है विशेषतौर पर जब तमिलनाडु हर वर्ष सूखे एवं बाढ़ के कुचक्र में फंसा रहता है। इस तरह यह कानून हमारे देश के लिए आवश्यक है।

दो महीने पहले, आन्ध्र प्रदेश बाढ़ से प्रभावित हुआ था तथा 1500 करोड़ रुपये की सम्पति का भारी नुकसान हुआ था। 2000 गांवों पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा था। 126 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था।

भोपाल भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है; 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, 68 लोग मारे गये हैं। केरल में बाढ़ से 343 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। कलकत्ता, असम तथा पंजाब भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अकेले बिहार में ही 75,000 लोगों पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है।

मध्य प्रदेश में 1985 में बाढ़ से 73 करोड़ रुपये की हानि हुई है। केवल 1979 में ही 975 करोड़ रुपये की क्षति हुई तथा 1980 में 152 करोड़ रुपये की क्षति हुई थी।

जैसाकि कांग्रेस पार्टी के मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, भारत में एक ओर तो राजस्थान, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में सूखा पड़ रहा है तथा दूसरी ओर पंजाब तथा अन्य राज्यों में बाढ़

* मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आ रही है। इस स्थिति का बुनियादी तौर पर उपाय किया जाना चाहिए। भारत में, केवल 1983 में ही 2,692 करोड़ रुपये की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई थी और 1984-85 में 1650 करोड़ रु० की सम्पत्ति तथा फसलों का नुकसान हुआ था। विगत सरकारें इस चिरकालिक समस्या का एक स्थाई समाधान खोजने में असफल रही हैं। हम केवल राहत अनुदान तथा खाने के पैकेज जैसे ही अस्थाई उपाय कर रहे हैं। परन्तु यह बुरी परिस्थिति है कि सूखे तथा बाढ़ के बुरे परिणामों से बचने के लिए हमने अभी तक कोई स्थाई उपाय नहीं किये हैं।

कोई भी व्यक्ति यह सुनकर घबरा जायेगा कि पिछले 3-4 सालों में भारत में बाढ़ के कारण जीवन, सम्पत्ति तथा फसलों का 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है। विशेषतौर पर बाढ़ के कारण खाद्यान्नों तथा फसलों को होने वाली क्षति की कमी भी पूर्ती नहीं की जा सकती।

कांग्रेस के उन्हीं सदस्य महोदय ने, जो अभी मेरे से पहले बोल रहे थे, गंगा-यमुना नदियों का उल्लेख किया है और हम जानते हैं कि वे नदियां बारहमासी बहने वाली नदियां हैं तथा उनका पानी समुद्र में बेकार चला जाता है। यदि उस पानी का उपयोग सूखा पीड़ित क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए किया जाये तो हम केवल एक आवश्यक राष्ट्रीय सम्पत्ति के अपव्यय को ही नहीं रोक सकते अपितु सूखा पीड़ित क्षेत्रों की सिंचाई भी कर सकते हैं। इसलिए, मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि गंगा के पानी का राजस्थान की ओर मोड़ दिया जाये। इस सम्बन्ध में मैं माननीय प्रधान मन्त्री तथा सिंचाई मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे गंगा तथा कावेरी को जोड़ने वाली परियोजना, जो काफी समय से लंबित हैं, उसे पूरा करने के लिए कदम उठायें। यदि श्री राजीव गांधी के कार्यकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखना है यदि भारत को विश्व में प्रथम स्थान पर रहना है और यदि हमें दिन-रात उन्नति की ओर अग्रसर होना है तो यह केवल गंगा-कावेरी परियोजना को पूरा करके ही किया जा सकता है। मैं माननीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। इसे कई साल में पूरा होने दीजिये। पिछले तीन-चार वर्षों में जीवन तथा सम्पत्ति तथा 5,000 करोड़ रुपये की क्षति को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूं कि इस परियोजना को एक दीर्घकालीन परियोजना का रूप दे दिया जाना चाहिए, कह लीजिए की एक 20 वर्षीय परियोजना तथा उसी के अनुरूप पूरा कीजिये। इसी तरह 200 करोड़ रु० प्रति वर्ष निर्धारित करके इसे 15 वर्षों में नहीं तो 20 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। इससे बाढ़ तथा सूखे से आने वाली विपदाओं का निवारण होगा जो कई राज्यों में तबाही मचा रही है। इससे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को लाभ पहुंचेगा।

सूखा पीड़ित क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा अध्ययन दल भेजने में होने वाली देरी की ओर मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। राज्य सरकार के अधिकारियों ने 500 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया है। केन्द्रीय अध्ययन दल 2-3 महीने बाद सर्वेक्षण करता है तथा उसके बाद दावे की रकम को घटा कर केवल 100 करोड़ रुपये कर देता है।

नौकरशाही द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की देरी को समाप्त किया जाना चाहिए।

[श्री ए० सी० षण्मुख]

आन्ध्र में हाल ही की बाढ़ों में राज्य सरकार ने 1680 करोड़ रुपये मांगे थे परन्तु केन्द्र सरकार केवल 1180 करोड़ रुपये देने के लिए ही सहमत हुई है। माननीय मन्त्री जान सकते हैं कि 500 करोड़ रुपये के घाटे को बहुत आवश्यक विकासात्मक गतिविधियों पर होने वाले खर्च में कमी करके पूरा करना होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि बाढ़ तथा सूखे के कारण होने वाली हानि के अनुमान के सम्बन्ध में सरकार को राज्य सरकार के दावे को बिना किसी विवाद के मान लेना चाहिए तथा बिना देरी किये वित्तीय सहायता देनी चाहिए। उसी आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के रूप में 15 लाख टन खाद्यान्नों की मांग की थी परन्तु केन्द्र सरकार केवल 10 लाख टन खाद्यान्न देने के लिए सहमत हुई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि बचे हुये 5 लाख टन खाद्यान्न शीघ्र ही राज्य सरकार के पास भेज दे।

बाढ़ के विषय में केन्द्रीय वित्तीय सहायता को अनियोजित खर्च माना जाता है। फिर भी सूखे के विषय में राज्य के लिए योजना खर्च में से इसे अग्रिम धन राशि के रूप में माना जाता है तथा बाद में इसे समायोजित कर लिया जाता है। दो प्राकृतिक विपदाओं का अलग-अलग आधार क्यों माना जाये। इस दशा को रोका जाना चाहिए। इसी प्रकार मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि बाढ़ तथा सूखे के दौरान राहत कार्यों के लिए कुल योजना खर्च में से 5% या 3% उदृष्टि करने के विकल्प पर विचार करें। क्योंकि बाढ़ तथा सूखा वास्तव में एक पुरानी बिमारी बन गई है। ये प्रत्येक बीस साल या तीस साल बाद नहीं आने चाहियें। राहत राशि हमेशा सुरक्षित रखनी चाहिए ताकि राज्य सरकारें इन प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचा सकें। केन्द्र सरकार भी इसी प्रकार की सहायता प्रदान कर सकती है और यहां तक कि सहायता पहुंचाने से राज्य सरकार की अगुवाई कर सकती है। इस परिस्थिति में मैं माननीय मन्त्री को बताना चाहता हूं कि लोगों के दुःखों के लिए केन्द्र सरकार को भी उतनी ही चिन्ता होनी चाहिए जितनी चिन्ता राज्य सरकारों को है।

तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री डा० एम० जी० रामचन्द्रन ने राष्ट्रीय विकास परिषद में अन्तर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता के बारे में कहा है। तमिलनाडु से आने वाले संसद सदस्यों ने भी प्रधान मन्त्री जी से यह मांग की है और वे सामान्यतया अन्तर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पर सहमत हो गये हैं। मैं सरकार से एक बार फिर अन्तर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण के लिए निवेदन करता हूं।

जल विवाद लगभग सभी राज्यों को दुःखी कर रहे हैं। हरियाणा तथा पंजाब के बीच विवाद है; केरल कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच विवाद है। इन विवादों को हल करने का तरीका यही है कि अन्तर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे केरल पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को तमिलनाडु की ओर मोड़ने के लिए कदम उठायें ताकि पांच दक्षिणी जिलों को लाभ मिल सके। यह मांग हम काफी समय से करते आ रहे हैं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री विवाद में अन्तर्गस्त दोनों राज्यों को बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे और कोई समाधान खोजने में सहायता करेंगे।

कावेरी जल-विवाद भी काफी पुराना जल-विवाद है। मंत्री जी को भी इस बात की जानकारी है। इस विवाद में कर्नाटक तथा तमिलनाडु दोनों शामिल हैं। राज्यों के बीच 1924 में हुए समझौते के प्रावधानों के अनुसार 50 वर्ष बाद समझौते का नवीनीकरण किया जायेगा। फिर भी, कर्नाटक सरकार समझौते के नवीनीकरण के लिए मना कर रही है। यह स्थिति पिछले 13 वर्षों से चली आ रही है तथा दोनों राज्यों के बीच अभी तक 20 बार बातचीत हो चुकी है और एक बार बीतचीत माननीय मन्त्री के तत्त्वावधान में हुई है। हल अभी तक नजर नहीं आया है। इसलिए हमने एक न्यायाधिकरण की स्थापना पर बल दिया है। इस समस्या के समाधान के लिए शीघ्र ही एक न्यायाधिकरण को नियुक्त करने की हमारी मांग को मैं एक बार पुनः दोहराता हूं। एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति बहुत आवश्यक है विशेषतौर पर जब तमिलनाडु के तंजौर जैसे समृद्ध जिले भी सूखे की चपेट में आ रहे हैं। भीषण सूखे से बचने के लिए लोगों ने तंजौर जिले से भागना शुरू कर दिया है।

महोदय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु में 30% से 35% तक कृषि भूमि कावेरी नदी के जल पर निर्भर है। परन्तु अब नदी सूखी पड़ी है तथा रेत ही रेत दिखाई देता है। यह भी दुःख की बात है कि कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार की अनुमति लिए बिना ही 5 या 6 बांध बना लिये हैं तथा नदी का प्रवाह रुक गया है।

4.00 म० प०

इस मामले में 1971 में उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा चला था। फिर भी डी० एम० के० भूतपूर्व मुख्य मन्त्री करुणानिधि ने केन्द्र सरकार के कहने पर मुकदमे को वापस ले लिया था और इस प्रकार अपने ही लोगों के प्रति उसने सबसे बड़ी भूल की थी। हमें अभी भी आशा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने इस मामले में बहुत सहायता की होती। इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि कावेरी नदी के जल से सम्बन्धित इस विवाद के हल हेतु एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति करें। महोदय पिछले 4-5 वर्षों से मानसून के न आने से तमिलनाडु के सभी जिले बुरी तरह से सूखा ग्रस्त हैं। विशेषतौर पर उत्तरी आरकूट जिला सूखे से बुरी तरह ग्रस्त है। यहां तक कि पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। कई गांवों को खाली करना पड़ेगा क्योंकि वहां भूमिगत जल भी नहीं है। फिर भी, तमिलनाडु सरकार युद्ध-स्तर पर राहत उपाय कर रही है। पानी के लिए गहरे कुएं खोदे जा रहे हैं। कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किये जा रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह अतिशीघ्र तमिलनाडु में एक अध्ययन दल भेजे तथा राहत उपायों के लिए अस्थाई रूप से 400 अथवा 500 करोड़ रुपये प्रदान करे।

अन्त में एक बात कहना चाहता हूं। मद्रास शहर एक बड़ा शहर है। यहां तक कि जलाशयों में और दस दिन के लिए भी पानी नहीं है। इससे भारी संख्या में लोग शहर छोड़ जायेंगे। बहरहाल, पानी के लिए गहरे कुओं की खुदाई हो रही है। शहर में वितरण के लिए ट्रकों में पानी भरकर लाया जा रहा है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी की उपस्थिति में तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश की सरकारें कृष्णा जल परियोजना के लिए सहमत हो गई थीं।

[श्री ए० सी० षण्मुख]

नहरों के निर्माण के लिए दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के बीच श्रीमती इन्दिरा गांधी की उपस्थिति में धनराशियों का आदान प्रदान हुआ था, जिन्होंने परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी सम्भव केन्द्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया था। उनके बेटे श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में वही सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ है। फिर भी इसके पूरा होने में सरकार अड़चनें डाल रही है। नहरों के निर्माण के लिए वनों की कटाई के लिए पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय आपत्ति कर रहा है। मेरा उनको सुझाव है कि नहर के दोनों ओर वे पेड़ लगायें और इस प्रकार नहरों के निर्माण के लिए काटे गये पेड़ों की पूर्ति कर लें। बहरहाल, मैं यह कह सकता हूं कि वास्तव में वहां कोई वन नहीं हैं परन्तु छोटी-छोटी कांटेदार झाड़ियां हैं। इसलिए उन्हें साफ करके नहर बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो कृष्णा जल परियोजना को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। केवल यही 60 लाख लोगों को पीने का पानी प्रदान करने में सहायता कर सकेगी। केवल यह परियोजना ही तमिलनाडु को बचा सकती है। कृष्णा जल परियोजना के कार्यान्वयन हेतु—सभी सम्भव उपाय करने के लिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं। इन शब्दों के साथ, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं।

16.03 म० प०

(श्री० एम० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए।)

*श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : सभापति महोदय, मैं अपनी भाषा उड़िया में बोलना चाहती हूं। माननीय सदस्य डा० चन्द्रशेखर वर्मा ने भारतीय बाढ़ नियन्त्रण प्राधिकरण विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के समर्थन में मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूं।

महोदय, भारतवर्ष एक नदियों का देश है। जबकि गंगा तथा यमुना जैसे प्रमुख नदियां भारत के उत्तरी भाग में बह रही हैं, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी देश के दक्षिण भाग में बह रही हैं तथा शक्तिशाली नदी ब्रह्मपुत्र देश के पूर्वी क्षेत्र में बह रही है जबकि बारहों महीने बहने वाली नर्मदा नदी पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बह रही है। इन नदियों में देश के जल संसाधन निहित हैं। इस कारण से भारत के लोग देवी-देवताओं की पूजा के साथ-साथ "गंगैचा, यमुनैचा" कहते हुये इन नदियों की भी पूजा करते हैं। यद्यपि इन नदियों से हमें काफी फायदे मिलते हैं, इन नदियों में आने वाली बाढ़ से होने वाली भारी हानि को भी हम सहन करते हैं। इसलिए उड़िया में एक कहावत है जिसका अर्थ यह है कि पानी के बिना मानव सभ्यता का टिके रहना असम्भव है तथा साथ ही अधिक पानी कई सभ्यताओं का विनाश करता है। इसलिए महोदय, पानी की प्रत्येक बूंद का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है जो नष्ट हो रही है तथा जिसके कारण बाढ़ आ रही है। प्रभावी बाढ़ नियन्त्रक उपाय करके ऐसा किया जा सकता है। बाढ़ भारत में कोई नई बात नहीं है और यह भारी राष्ट्रीय विपदा बन गई है। बाढ़ नियन्त्रण प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य व्यापक एवं योजनाबद्ध ढंग से काम करना है।

* मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यह खेद जनक बात है कि हमारी सरकार द्वारा बाढ़ नियन्त्रण के लिए उठाए गए कई कदमों के बावजूद भी बाढ़ का प्रकोप प्रति वर्ष बढ़ रहा है। प्रमुख नदी बांधों जैसे हीराकुण्ड और भाखड़ा नंगल का निर्माण करके हम बहुत सीमा तक बाढ़ को नियन्त्रित करने में सफल रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में धनराशि निर्धारित की गई है। पं० जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के शब्दों में बाँध मन्दिरों की तरह है। कुछ दीर्घ कालीन बाढ़ नियन्त्रण योजनाएं बनाई गई हैं। वर्ष 1985-86 के अन्त तक 130 लाख हैक्टेयर भूमि में बाढ़ नियन्त्रित करने के लिए उपाय किए गए हैं इस दर से हमारे देश के सभी भागों में बाढ़ को नियन्त्रित करनें के लिए कई वर्ष और लगेंगे। इसलिए हमें बाढ़ को एक राष्ट्रीय विपदा समझना चाहिए और कुछ प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए, यदि आवश्यक हो तो बाढ़ नियन्त्रण उपायों के लिए विश्व बैंक से सहायता भी ली जा सकती है।

महोदय भारतीय बाढ़ नियन्त्रण प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा करते समय हमें बाढ़ आने के कारणों का भी पता लगाना चाहिए। अतीत में बाढ़ आने का एकमात्र कारण अत्यधिक वर्षा थी जिससे हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती थी। तटबन्धों में दरारों के कारण हजारों झोंपड़ियां और कच्चे घर ढह जाते थे और परिणामस्वरूप फसलों, मानव जीवन और पशु धन की अत्यधिक हानि होती थी और जनसंख्या का स्थानांतरण होता था। फिर भी प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रकोप होता है जिससे गम्भीर गाद की समस्या को अब नियन्त्रित कर लिया गया है। वनों की बड़े पैमाने पर कटाई बाढ़ आने का एक और मुख्य कारण बन गया है। यह एक खेद जनक बात है कि वृक्षों के निरन्तर कटाव को रोका नहीं जा रहा है। फिर भी मुझे, राष्ट्रीय स्तर पर वनों की रक्षा के लिए और वृक्ष लगाने की योजनाओं का उत्तरदायित्व लेने का निर्णय लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। वन सम्पत्ति के संरक्षण के लिए विधायी कार्य किया गया है और विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित वृक्ष लगाने के कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व लिया है। परन्तु केन्द्रीय सरकार से वन रोपण कार्यक्रमों के लिए धन निर्धारित करने से ही हम अपने वनों का संरक्षण नहीं कर सकते। पहले हमें राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम जनता के सहयोग से वृक्षों के कटाव को रोकना चाहिए। फिर भी मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमन्त्री ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और इस दिशा में उन्होंने समय पर कुछ कदम उठाए हैं।

महोदय, देश में बाढ़ नियन्त्रण के लिए हमने कुछ मुख्य बांधों का निर्माण किया है। परन्तु मैं अनुभव करती हूं कि अब बड़े बांधों के निर्माण के स्थान पर, जिसके लिए बड़ी धनराशि और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है, हमें छोटे बांधों का निर्माण आरम्भ करना चाहिए जिनमें कम समय लगता है और कम लागत आती है। केन्द्रीय सरकार और कुछ मामलों में राज्य सरकारें भी निर्माण कार्य का उत्तरदायित्व ले सकती है और इस प्रकार कुछ वर्षों में ही हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को राहत प्रदान कर सकते हैं। यह कहने से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि बड़े बांधों के निर्माण को अधूरा ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमने उनके निर्माण में बड़ी धनराशि लगाई हैं इसलिए हमें उनके निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ ऐसी बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जोकि उड़ीसा में निर्माणाधीन है। वे हैं अपर कोलाब,

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

इन्द्रावती, स्वर्ण रेखा और रिगाली। अपर कोलाब और इन्द्रावती कोरापुर और कालाहन्डी में स्थित है जिनमें आदिवासी जिलों का आधिक्य है।

इन परियोजनाओं की लागत मूल प्राक्कलन से कई गुना बढ़ गई है। पूरी होने पर ये परियोजनाएं उस हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकती हैं जिसे अब सूखाग्रस्त क्षेत्र समझा जाता है। इन परियोजनाओं द्वारा पर्याप्त बाढ़ नियन्त्रक साधनों की व्यवस्था भी की जा सकती है। इसलिए मैं सरकार से इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने का अनुरोध करती हूं।

अन्तर्राज्यीय स्वर्णरेखा परियोजना को अभी तक पूरा नहीं किया गया है जो पूरा होने पर उड़ीसा के मयूरगंज और बालासोर जिलों में सिंचाई सुविधाओं और बाढ़ नियन्त्रण साधनों की व्यवस्था प्रदान कर सकती है। जैसाकि आपको मालूम है मयूरभंज एक पिछड़ा जिला है जिसमें आदिवासी जनसंख्या की अधिकता है। इस परियोजना से बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्यों के कुछ सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को भी सिंचाई सुविधाई उपलब्ध होगी। इन तीनों राज्यों के अधिकतर क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ को नियन्त्रित किया जा सकता है। इसलिए भारत सरकार को अन्तर्राज्यीय स्वर्ण रेखा परियोजना के लिए विश्व बैंक से पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए और निर्माण कार्य को तत्परता से आरम्भ करना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय परियोजना बसधरा है। उड़ीसा सरकार उस 106 एकड़ भूमि को छोड़ने के लिए तैयार हो गई है जिसमें इस परियोजना का निर्माण किया जायेगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने का अनुरोध करती हूं।

महोदय, उड़ीसा चिरकाल से ही भारत का एक बाढ़ ग्रस्त राज्य है। उड़ीसा में हाल ही में वर्ष 1980-82-84 और 1985 में भारी बाढ़ें आई जिनसे राज्य में भारी हानि हुई। कई विशेषज्ञ समितियों ने उस राज्य में बाढ़ की समस्या की जांच की और तटबंधों को शक्तिशाली बनाने, जल विकास प्रणाली के नवीकरण और पानी के रुकाव और बाढ़ से सुरक्षा के लिए नए जल-निकास नालों के निर्माण का सुझाव दिया।

राज्य के कुल 41,000 वर्ग किलोमीटर बाढ़ ग्रस्त और रुके हुए पानी वाले क्षेत्र में से 28,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार का बचाव कार्य किया गया है और अब भी यह कार्य जारी है। उड़ीसा में बाढ़नियन्त्रण योजनाओं की संख्या 157 है। छटी पंचवर्षीय योजना में धन राशि की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण ये 7वीं योजना के दौरान भी चल रही है। जैसाकि आप जानते हैं एक समय उड़ीसा को कृषि में पिछड़ा हुआ राज्य समझा जाता था। अब हमने कृषि उत्पादन में अच्छी प्रगति की है परन्तु अभी हमें कृषि के क्षेत्र में उन्नत अन्य राज्य जैसे हरियाणा

और पंजाब के स्तर को प्राप्त करना है। राज्य के पश्चिमी जिलों बोलांगिर और सम्बलपुर में और लगभग सभी समुद्र तटीय जिलों में बहुत सारी भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। फसलों को हुई इन भारी हानियों से इन जिलों में किसानों की कमर ही टूट गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि सातवीं योजना अवधि में उड़ीसा में चालू इन बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था आवश्यक है।

मैं एक और महत्वपूर्ण मसला माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगी। महोदय केन्द्रीय जल आयोग हैदराबाद में बुरला, उड़ीसा में एक अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान डिवीजन स्थापित की गई है। महानदी, ब्रह्मणी, बैतरनी, स्वर्णरेखा, कुआखै, नगावली बंशधरा, चित्रोतपला और बूढ़ाबलंग नदियों में बाढ़ आने से उड़ीसा को भारी क्षति होती है। इनमें महानदी सबसे बड़ी नदी है जो मध्य प्रदेश के पठार से निकलती है और उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्र में बहती हैं बाढ़ के समय अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान खंड बुरला एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नदी से दूर रहने वाले लोगों को इस डिविजन के माध्यम से बाढ़ आने के बारे में अग्रिम सूचना मिल जाती है। अब कुछ निहित स्वार्थों के कारण इस डिविजन कार्यालय रायपुर मध्यप्रदेश में स्थानान्तरित करने का षड्यन्त्र रचा गया है। क्योंकि इस अग्रिम पूर्वानुमान डिविजन से बाढ़ के समय लोगों को काफी सहायता मिलती है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि डिविजन को किसी अन्य जगह स्थानांतरित न किया जाए। इसको वहीं पर रहने देना चाहिए। इसके साथ ही उड़ीसा में बांकी और अन्य स्थानों पर और अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र खोलने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

छटी योजना अवधि में उड़ीसा में महानदी घाटी में बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क के लिए बाढ़ पूर्वानुमान डिवीजन को 115-40 लाख रुपए की धनराशि आवन्टित की गई है। परन्तु मुझे खेद है कि बाढ़ पूर्वानुमान डिविजन उस योजना काल में सम्पूर्ण धनराशि खर्च नहीं कर सका और इसने 35 लाख रुपए की राशि लौटा दी है। ऐसा समझा जाता है कि बाढ़ प्रबन्धन समन्वय सर्किल, नई दिल्ली ने उस राशि को, सातवीं योजना के लिए आंबटित कुल राशि में से निकाल दिया है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और बाढ़ पूर्वानुमान के लिए निर्धारित सम्पूर्ण राशि को सम्बन्धित बाढ़ पूर्वानुमान डिविजन द्वारा ही खर्च किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं सरकार से विभिन्न राज्यों में जिनमें उड़ीसा भी शामिल है इन बाढ़ नियन्त्रक उपायों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने का अनुरोध करती हूं। इस कार्यक्रम के लिए विशेष धन-राशि निर्धारित की जानी चाहिए। यदि बाढ़ नियन्त्रण प्राधिकरण को स्थापित किया जा सके तो इसे केवल बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। इस प्राधिकरण को इस दिशा में स्वतन्त्र निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस प्राधिकरण के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस विधेयक द्वारा कुछ अच्छे उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं तहदिल से इस विधेयक का समर्थन करती हूं। इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपकी कृशत हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आते ही हम को बोलने का अवसर दिया। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर और दूसरा मैं उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यह विल पेश किया। इसकी बहुत आवश्यकता थी। मान्यवर, मैं पूरे देश की बात नहीं कहता। वह तो दूसरे साथी कहेंगे लेकिन मैं जिस प्रदेश से आता हूं और जिस जनपद से आता हूं, उसके दु.ख दर्द को सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। मैं देवरिया जिले का रहने वाला हूं। देवरिया जनपद में घाघरा और राप्ती बरसात के दिनों में अपना प्रलयंकारी रूप दिखाती हैं और देवरिया के उत्तर में बड़ी गंडक है। जो हर साल हजारों-हजारों लोगों को तबाह करती है। उससे बचाव के लिए साधन के रूप में अरबों रुपये खर्च हुए हैं लेकिन आज तक उससे उस इलाके के लोगों का बचाव नहीं हुआ।

इतना ही नहीं मान्यवर, घाघरा मेरे क्षेत्र बलिया में गंगा से मिलती है। वहां जब बाढ़ आती है तो प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न हो जाता है, ऐसा मालूम होता है कि चारों तरफ समुद्र ही समुद्र हो। मैं ऐसे अंचल से आता। अभी-अभी हाल में वहां सेन्टर की एक टीम गयी थी। उसके लोगों का यह कहना है कि इस नदी से आयी तबाही से बचाने के लिए, इससे आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए हमारे पास रुपया नहीं है जिससे कि इसकी विनाशलीला से लोगों को बचाया जा सके।

मान्यवर, सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि गंडक नदी नेपाल से निकलती है और वह बिहार में पटना के पास जाकर गंगा से मिलती है। गंगा नदी तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों से ही निकलती हैं। इस नदी में बाढ़ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा बांध बनाया है। वह बन्धा बिहार की सीमा तक बन चुका है। उसके बाद बिहार के अन्दर बिहार सरकार ने उसको नहीं बनवाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार सरकार से यह कहा कि अगर आप इस बंधा को बनवाने में असमर्थ हैं तो यह काम हमें दे दीजिए। लेकिन न तो उसको बिहार सरकार बनवाती है और न ही उसको बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को देती है अभी हाल में उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्य मंत्री देवरिया जिले में आये थे। वहां पर लाखों लोगों के जनसमूह ने उनसे पिपरासी बंधा बनवाने के लिए मांग की और कहा कि इससे जो यह सारा जिला तबाह होता है, उसको फायदा होगा। वहां पर बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा कि हम इसे बनवा देंगे लेकिन बाद को पता चला कि वे इसमें असमर्थ हैं। मान्यवर, यह दो प्रदेशों का मामला है और इन दोनों प्रदेशों की वजह से वहां अरबों रुपये की फसल और हजारों लोग तबाह हो रहे हैं। इसलिए यह जो बिल लाया गया है, अगर यह पास हो गया तो इससे बाढ़ों से जो विनाश की लीला हो रही है वह रुक जाएगी। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि माननी मंत्री जी पिपरासी बंधा को बनवा दें जिससे कि वहां जो हजारों किसान तबाह हो रहे हैं और अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है वह न हो।

मान्यवर, घाघरा और राप्ती दोनों बरहज के पास मिलती हैं। बरहज के पास जहां ये दोनों

नदियां मिलती हैं, उसके किनारे के इलाके तबाह हो रहे हैं। वरहज एक बहुत बड़ा कस्बा है। मान्यवर वहां के लिए भगवान की कृपा से रुपया भी मंजूर हुआ था और वहां के लिए प्लान भी बना था लेकिन कोई काम आज तक शुरू नहीं हो सका। अगर ऐसी ही हालत चलती रही तो वह इलाका दो साल में पानी में विलीन हो जाएगा। उसी तरह से भागल पुर इलाके की भी वही हालत है। वलिया की तरफ जाइये तो सीतापुर की भी वही हालत है। वहां पर गंगा में नदियां गिरती हैं। वहां पर भी समुद्र बन गया है। वहां पर भी अरबों रुपया खर्च हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ।

इसलिए, मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप एक पावरफुल कमेटी बनाएं और उसके पास इतना धन हो कि आये दिन जो बाढ़ें आती हैं और उन नदियों में आती हैं जो कि कई प्रदेशों से होकर जाती है, उन नदियों पर बाढ़ नियन्त्रण करने के लिए और उनके पास के इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए वह प्रयत्न करे।

मान्यवर, चाहे भगवान की दया कहिये या भगवान की कमजोरी कहिये, आये दिन कभी बाढ़ आती हैं और उसी जगह फिर सूखा पड़ जाता है। न तो हम बाढ़ से आयी तबाही से बच सकते हैं और न उस पानी से होने वाले लाभ का हमें फायदा पहुंचता है। खेती के लिए सबसे आवश्यक पानी है और हमारे यहां पानी की भी कमी नहीं है। उस पानी का दुरुपयोग होता है। पानी के उस दुरुपयोग में हजारों लोग बह जाते हैं और अरबों रुपये की फसलें तबाह हो जाती हैं।

मान्यवर, ठीक उसी तरह से, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरहद पर छितौनी पर जहां से गंडक निकलती है, वहां एक बहुत बड़ा बंधा बना हुआ है। उसको हर साल बनाने के लिए इतना अधिक रुपया खर्च हुआ है कि उतने रुपये की तो वहां की जमीन भी नहीं होगी। अगर हिसाब लगाया जाए तो अरबों रुपये वहां लग चुके है। उस खर्च में से हर साल दो-तीन कोठियां ठेकेदारों की भी बन जाती हैं। वहां ठेकेदार आते हैं और लाखों-लाखों रुपये के वहां पत्थर मंगाते हैं। उन पत्थरों में से कुछ पानी में विलीन हो जाते हैं, कुछ वह जाते हैं और कुछ वहां रह जाते हैं। इसमें दो प्रदेशों का संयुक्त मामला होने की वजह से भी काम नहीं होता। एक बहुत बड़ा बंधा है बिहार बार्डर पर, वहां पर भी वही हालत है। आए दिन रोना रोया जाता है, बाढ़ आती है तो दो-चार लाख रुपया खर्च कर दिया जाता है, इससे कोई फायदा नहीं होता। अभी फिर बाढ़ का समय आ रहा है, बरसात शुरू होगी 4-5 महीने में, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई। जब बाढ़ आएगी तो सब मंत्री दौड़ेंगे, शासक दल जाएगा, इन्जीनियर जाएंगे।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मन्त्री जायेंगे नहीं बल्कि हवाई जहाज में उड़ेंगे।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं थोड़ा सा संकोच कर गया इसलिए कि हवाई जहाज से या हैलीकाप्टर से ही लोगों की दुर्दशा तो देख लेते हैं लोग समझते हैं कि हमारे मन्त्री जी हैं, हैलीकाप्टर पर घूमकर दुर्दशा तो देख रहे हैं, आपने ठीक कहा है, लेकिन इसका उपाय क्या होगा। आए दिन मुल्क तबाह हो रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पक्ष के और उस पक्ष के किसी भी सदस्य का विरोध नहीं है और सरकार से निवेदन करूंगा कि सर्वसम्मति से इसको पास करना

चाहिए और एक पावरफुल कमेटी बनाई जाए जो बाढ़ नियन्त्रण कर सके और पानी का सदुपयोग कर सके। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस देश में बाढ़ नियन्त्रण के मुद्दे पर प्रकाश डाला है। यद्यपि विधेयक पर चर्चा मुख्यत: बाढ़ नियन्त्रण के विषय पर ही केन्द्रित होनी चाहिए थी, लेकिन सदस्य उन विषयों पर भी बोले हैं जो विधेयक के विषय से इतना मेल नहीं खाते हैं। सदस्यों ने नदियों को आपस में जोड़ने, अन्तर्राज्यीय विवादों, परियोजनाओं की मंजूरी में देरी, फसल बीमा और अन्य विषयों पर बोलना पसन्द किया है, जो कि विधेयक के उपबन्धों से सीधे सम्बन्धित नहीं है। अत: इस समय मैंने माननीय सदस्यों द्वारा देश में विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर पूछे गये उन सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नहीं चुना है।

विधेयक के प्रस्तावक डा० वर्मा इस विधेयक को, सरकार संसद तथा सारे देश के लोगों का ध्यान बाढ़ नियन्त्रण उपायों की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता की ओर दिलाने के लिए एक अच्छी नियत से लाये हैं। चर्चा पर तथा माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर गौर करने से मैं समझता हूं कि यद्यपि बाढ़ नियन्त्रण के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु एक केन्द्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता है परन्तु इस विधेयक में अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो मेरे विचार के अनुसार भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं और हम उन पर कानून नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे राज्यों के क्षेत्राधिकार में है और राज्य ही अकेले कानून बना सकते हैं। अब बात यह है कि बाढ़ आती ही क्यों है तथा नुकसान क्यों होता है ? बाढ़ आने के कई कारण हैं—जनसंख्या बढ़ रही है और अधिकाधिक भूमि को खेती तथा सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा रहा है और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में मनुष्य का अतिक्रमण बढ़ रहा है, साथ ही बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी गतिविधियां बढ़ रही हैं। यह दिल्ली में भी देखा जा सकता है कि बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में गृह निर्माण गतिविधियां चल रही हैं इसलिए जब बाढ़ आती है तो स्वाभाविक रूप से नुकसान होता है। राज्य सरकारें बाढ़ों को रोकने के लिए काफी धन खर्च कर रही हैं, वे संरचनात्मक उपाय कर रही हैं, वैसे ये कुछ उपाय हैं जिनसे बाढ़ों को कुछ हद तक रोका जा सकता है तथापि बाढ़ों पर पूर्ण नियन्त्रण संभव नहीं है। जैसा मैंने कहा है कि इस देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं तथा वे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रही हैं।

जहां तक नुकसान की बात है, 1952 से 1985 के बीच बाढ़ ने औसतन लगभग 80 लाख हैक्टेयर भूमि को प्रभावित किया है जिसमें से लगभग 36.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर फसल उगाई जाती है तथा इस काल में क्षतिग्रस्त फसल का औसतन वार्षिक मूल्य लगभग 319 करोड़ रुपए था। 1953 से 1985 तक प्रतिवर्ष औसतन लगभग एक लाख ढोरों तथा 1,448 मनुष्यों की जानें गईं और देश की कुल हानि औसतन 626 करोड़ रुपये आंकी गई। खैर पिछले साल के औसत आंकड़े हैं और कुछ मामलों में क्षति कहीं अधिक है।

पहली पंचवर्षीय योजना से 1985 तक अर्थात् छठी पंचवर्षीय योजना तक बाढ़-नियन्त्रण कार्यक्रमों पर 1743 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं तथा इससे 130 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ हुआ है। यह उपलब्धि तटबन्धों के निर्माण, निकास नालियों आदि के बनाने से प्राप्त हुई है। इसी कारण से माननीय सदस्य भारत सरकार से इसके लिए कदम उठाने के लिए इस विधेयक को लाये हैं। यदि आप विधेयक के उपबन्धों पर गौर करें तो आपको याद होगा कि विधेयक के प्रस्तावक ने सूची-एक की प्रविष्ठि 56 का सहारा लिया हैं। यह सच है कि सूची-एक की प्रविष्ठि 56 में यह उल्लेख है :

सूची एक की प्रविष्ठि 56 है।

"संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में अन्तरराज्यिक नदियों और नदी घाटियों का उस सीमा तक विनियमन तथा विकास करने के लिए उपबन्ध है जिस तक कि भारत संघ के नियन्त्रणाधीन ऐसा विनियमन और विकास संसद द्वारा विधि बनाकर लोक हित में समीचीन घोषित किया जाये।"

प्रविष्ठि 56 अन्तरराज्यिक नदियों और नदी घाटियों से सम्बन्धित है। विधेयक के उपबंधों की ओर देखने पर, पता चलता है कि विधेयक का खण्ड 2 भारतीय बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना करने के बारे में है। खण्ड '3' प्राधिकरण के गठन से सम्बन्धित है। जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है इसकी धारा '4' बहुत महत्वपूर्ण धारा है तथा यह प्राधिकरण के कार्यों से सम्बन्धित है।

प्राधिकरण के कार्य

खण्ड 4 (क) में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का पता लगाने की बात है। खंड 4 (ख) में बाढ़ नियन्त्रण के उपाय सुझाये हैं। यह भी केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। बाढ़ नियन्त्रण के उपाय राज्य सरकार द्वारा भी किये जाते हैं, क्योंकि यह मूलतः राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपनी वार्षिक योजनाओं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए धन उपलब्ध करा रही है। वे योजना व्यय उपलब्ध करते और वे ही धन खर्च करते हैं।

खण्ड 4 (ग) में बाढ़ों की सम्भावना वाली नदियों को ऐसी नदियों के साथ जो अन्यथा है, जोड़ने के लिए एक समयबद्ध योजना बनाने की बात है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जहां पर नदियां दो प्रदेशों से होकर गुजरती हैं और सीमा पड़ती है उसकी वजह से इलाका बर्बाद होता है उसके लिए क्या प्रबन्ध कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री जी० शंकरानन्द : आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस पर बाद में प्रकाश डालूंगा।

नदियों को जोड़ने के लिए समयबद्ध योजना बनाने हेतु सभा इस बात से अवगत है कि

[श्री बी० शंकरानन्द]

सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण स्थापित किया गया है। यह उन क्षेत्रों तथा स्थानों की जांच और पता लगाने के लिए अध्ययन कर रहा है जहां ये नदियां जोड़ी जा सकती हैं। अब तक इस अभिकरण द्वारा लगभग दर्जन नदियों के संयोजन का पता लगाया जा चुका है और इस संबंध में आगे अध्ययन चल रहा है।

4 (छ) "ऐसे क्षेत्रों में जो बाढ़ों की सम्भावना वाले हैं, किन्तु जो बाढ़ नियंत्रण के उपाय किये जाने पर बाढ़ से मुक्त हो जाते हैं भूमि का विकास करने के उपाय सुझाना।"

यह मूलरूप से भूमि का विकास है। भूमि राज्य सरकार का विषय है।

अब यह धारा इस बात को पूरी तरह स्पष्ट ही करती है कि यह केवल अन्तरराज्यीय नदियों के लिए ही है। इसमें राज्य के अधिकार क्षेत्र में अन्तरराज्यीय बाढ़ नियंत्रण की संकल्पना भी है जिसे केन्द्र नहीं कर सकता है तथा विधि मंत्रालय द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार इस बात में संदेह है कि क्या संसद ऐसे विधान का निर्माण कर सकती है।

खण्ड 5—

"प्राधिकरण द्वारा सुझाये गये बाढ़ नियंत्रण उपायों को क्रियान्वित करने की लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जायेगी।"

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग सहित विभिन्न समितियां, सिंचाई समितियां (जैसा कि बाढ़ नियंत्रण से अलग से नहीं निपटा जा सकता है) और अन्य जल संसाधन विकास गतिविधियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह भी जल संसाधन विकास का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यदि यही मामला है तो सभापति महोदय, सभा इस बात से भलीभांति अवगत है कि ये परियोजनायें, जल संसाधन विकास परियोजनायें राज्य सरकारों द्वारा नियोजित, वित्तपोषित तथा क्रियान्वित की जाती हैं। केन्द्र उन्हें तकनीकी सहायता देता है। निःसंदेह, कुछ मामलों में हम सहायता, ऋण सहायता देते हैं। परन्तु यह केवल राज्यों द्वारा वित्तपोषित और नियोजित की जाती हैं। इस परिस्थितियों में खण्ड 5 सरकार के क्षेत्राधिकार के एकदम विरुद्ध है। खण्ड 6 में कहा गया है :

"प्राधिकरण के सुझाव पर आरम्भ किये गये बाढ़ नियंत्रण उपायों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी।"

निःसंदेह इसे अन्तरराज्यीय वैधानिक क्षेत्राधिकार से कुछ भी लेना-देना नहीं है परन्तु फिर भी सवाल यह है कि क्या इस प्रकार की संस्था को गांवों की इंजीनियरी आवश्यकताओं पर निगरानी रखने के कार्य को सौंपा जा सकता है।

महोदय, खण्ड 7 मेरे प्रयोजन के लिए इतना प्रासंगिक नहीं है। इसलिए इस विधेयक से मैं

कह सकता हूँ और विधि मंत्रालय के अनुसार भी इस बात में संदेह है कि क्या हम बाढ़ नियंत्रण के लिए इस प्रकार का एक केन्द्रीय प्राधिकरण बनाने हेतु कानून बना सकते हैं। परन्तु मैं क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत या अन्यथा विधि निर्माण के लिए संसद का आश्रय नहीं लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं इसकी बहुत आवश्यकता रही है और इसलिए इस बात पर न केवल संसद सदस्यों का अपितु इस देश के लोगों का भी ध्यान लगा हुआ है कि क्या बाढ़ें नियंत्रित भी की जा सकती हैं और कम की जा सकती हैं।

महोदय, प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने पिछले अक्तूबर में आन्ध्र प्रदेश के डोवलाईश्वरम का दौरा किया और वहां अभूतपूर्व बाढ़ें आयी थीं तथा उन बाढ़ों ने लोगों पर बहुत तबाही मचाई है। प्रधान मंत्री ने इस बात को कहते हुए कहा कि मौजूदा बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था की देख रेख पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इसे ठीक करने के लिए काफी कार्य किया जाना है। उन्होंने यह भी कहा है कि बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था का बाढ़ द्वारा अतिक्रमण के सम्बन्ध में, जोकि कुछ क्षेत्रों में हुआ है, कुछ किया जाना चाहिए अन्यथा यह जल निकासी व्यवस्था पर्याप्त न होगी। यद्यपि उन्होंने अपने डोवलाईश्वरम के दौरे पर विशेष रूप से कहा है कि यह बात सभी राज्यों पर लागू होती है, कि राज्यों को इन बाढ़ नियंत्रण कार्यों की वर्तमान गति को बनाये रखना है और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि बाढ़ नियंत्रण तटबंध का कोई अतिक्रमण न हो। महोदय, इस समय मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ समय पहले एक निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक आदर्श विधेयक तैयार करना चाहिए और विधेयक तैयार किया गया था तथा यह सभी राज्यों को भेजा गया था।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : क्या उन्होंने इसे बनाया है ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह आदर्श विधेयक एक वर्ष पहले सभी राज्यों को परिचालित किया गया था।

प्रो० एन० जी० रंगा : फिर क्या हुआ है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मनिपुर राज्य के सिवाय किसी भी राज्य ने इस प्रकार के कानून का निर्माण करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। वस्तुतः कुछ राज्य प्रतिरोध कर रहे थे लेकिन केवल डोवलाईश्वरम की घटना के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्य भी राजी हो गये और उन्होंने कहा है, ऐसा कोई कानून होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि यह सभी राज्यों के लिए एक सबक है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए समयोचित ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि इस प्रकार का एक विधेयक उनकी अपने राज्य विधान सभाओं में पारित किया जाये ताकि बाढ़ के कारण मनुष्यों को होने वाले कष्टों में कुछ कमी आये।

उनके नुकसानों को कम किया जा सकता है, मानव जीवन बचाया जा सकता है, होने वाली क्षति बचायी जा सकती है और मैं इस अवसर पर सभी राज्यों से अपील करता हूं कि वे अपने यहां ऐसा विधेयक पारित करने के लिए कार्यवाही करें।

[श्री बी० शंकरानन्द]

मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इस देश में बाढ़ से होने वाले नुकसानों को कम से कम कर सकेंगे। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाढ़ नियन्त्रण के कार्यक्रमों पर अधिकाधिक धन खर्च किया जा रहा है और आश्चर्य की बात यह है कि प्रत्येक वर्ष केन्द्र से बाढ़-राहत की मांग में अतिरिक्त वृद्धि की जाती रही है। एक तरफ हम प्रत्येक वर्ष अधिक धन खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहत पग भी खर्च बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस असंगति को रोकने के लिए राज्य सरकारों को आगे आना पड़ेगा और उन्हें दिलोदिमाग लगाकर यह देखना होगा कि धन का उचित उपयोग किया जाये। न केवल बाढ़ नियन्त्रण हेतु आधार ढांचा तैयार करने के उपाय बढ़ाये जायें, बल्कि बाढ़ सम्बन्धी आधार ढांचा तैयार करने के अलावा कार्य का भी विस्तार किया जाए जैसे कि बाढ़ चेतावनी, बाढ़ पूर्वानुमान को भी दृढ़ किया जाना चाहिए जिसकी आवश्यकता उन क्षणों में तत्काल होती है जहां अचानक बाढ़ से मानव जीवन को खतरा पैदा हो जाता है। यद्यपि कई माननीय सदस्यों ने नदियों को परस्पर जोड़ने के मुद्दे को उठाया है परन्तु इसका उद्देश्य बाढ़ कम या नियन्त्रण करने के लिए नहीं है। यह इस देश कि सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से है। हमें देखना है कि वे राज्य जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण जनजीवन की हानि उठा रहे हैं वे एकजुट होने को तैयार हैं। विशेषतया अन्तरराज्यीय नदियों के बारे में जहां नदी क्षेत्र का विस्तार न केवल राज्य तक बल्कि एक से अधिक राज्य तक जहां ऐसी नदी कई राज्यों से होकर निकलती है और नदी क्षेत्र सभी राज्यों के लिए एक है, क्या राज्य समस्त नदी क्षेत्र के विकास के लिए भिन्न-भिन्न नदी बोर्डों की स्थापना के लिए एकजुट होने को इच्छुक है। बाढ़ नियन्त्रण उनके कर्त्तव्य का एक हिस्सा होगा। अगर ऐसा कर दिया जाये तो शायद हम कुछ कर सकेंगे। ऐसे नदी बोर्डों को नदी क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित सभी उपाय करने हैं जिन्हें विभिन्न राज्यों के बीच आन्तरिक समन्वय की आवश्यकता है। ऐसे नदी बोर्ड इस समस्या को कुछ हद तक हल कर सकते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : ऐसी स्थिति में केन्द्र को अपना प्रभाव डालना चाहिए।

श्री बी० शंकरानन्द : इसी कारण से केन्द्रीय जल संसाधन परिषद को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अधीन स्थापित किया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या वह परिषद् काम कर रही है?

श्री बी० शंकरानन्द : अन्तिम मीटिंग हो गई है यह अपना कार्य कर रही है और प्रधान मंत्री के निर्देशानुसार राष्ट्रीय जल संसाधन नीति बनाई जा रही है जिसमें बाढ़ नियन्त्रण का पहलू भी शामिल है। इस राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् में सभी राज्यों के मुख्य मंत्री सम्मिलित हैं। वे उसके सदस्य हैं। जल नीति बनाई जा रही है। इस राष्ट्रीय जल ससाधन परिषद् को विभिन्न राज्यों और नदी अधिकारियों द्वारा बाढ़ नियन्त्रण के क्रियाकलापों की पुनरीक्षा भी करनी होगी। अगर ऐसा कर दिया जाये और अगर राज्यों के जल प्रबन्ध में केन्द्र के अधिकार के लिए सभी राज्य सहमत हो जाएं तो शायद सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यह

सर्वविदित है कि राज्य अपने अधिकार को बांटने के इच्छुक नहीं हैं। भूमि या जल विकास में जहां तक संभव हो वे अपना अधिकार रखना चाहते हैं। वे हमेशा संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करते हैं जहां केन्द्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता है इन परिस्थितियों के अधीन जब तक सभी राज्य सहमत न हों ऐसा विधान लागू करने में कठिनाई होती है। सौभाग्यवश, जहां तक राष्ट्रीय जल नीति नदी क्षेत्र का विकास और बाढ़ नियन्त्रण की संचरना का सम्बन्ध है वहां सर्वसम्मति रही है। इस देश की एकता बनाये रखने में भी यह बहुत सहायक होता है। देश में 80 प्रतिशत नदियां अन्तर्राज्यीय नदियां हैं। नदियां स्वयं को राज्य सीमाओं तक सीमित नहीं करती हैं। सूखा और बाढ़ भी राज्य सीमाओं तक सीमित नहीं है उन्हें सभी राज्यों के सहयोग के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही की आवश्यकता है। मैं बाढ़ और सूखे से सम्बन्धित इस देश की समस्याओं की ओर संसद और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए डा० चन्द्रशेखर वर्मा की प्रशंसा करता हूं लेकिन विधेयक के उपबंधों को, मैं महसूस करता हूं, इस भावना से स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे केन्द्र के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अन्यथा मेरी इस विधेयक के प्रस्तुत कर्त्ता के इरादे से पूरी सहानुभूति है। हम उनकी प्रशंसा करते हैं और हम इस विधेयक पर चर्चा करने वाले सभी सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों की प्रशंसा करते हैं। मैं उन सभी सदस्यों की चिन्ता में भी सम्मिलित हूं जिन्होंने इस देश में हुए विनाश और बरबादी और बाढ़ के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। इस विषय में मुझे और अधिक अध्ययन, खोज की आवश्यकता है। मेरे विचार से एक व्यापक विधेयक आवश्यक है। इसके अलावा, मैं विधि मंत्रालय की सलाह से निर्देशित हूं, अगर यह विधेयक पूरी तरह से अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों के क्षेत्र में होता तो शायद हम इस पर विचार करते लेकिन यह अन्तरराज्यीय सम्बन्धों और अन्तरराज्यीय पहलुओं की भावना से निर्धारित नहीं होती हैं। इसी कारण मुझे संदेह है कि हम ऐसा एक विधान पारित नहीं कर सकते हैं। इस सदन के माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिला सकता हूं कि हम जहां तक संभव हो राज्यों को सभी आवश्यक सहायता देंगे। बाढ़ नियन्त्रण द्वारा लोगों के दुःखों को कम करने में, उनकी सहायता करने में संसाधनों को देखते हुए जहां तक संभव हो तकनीकी रूप से या दूसरे ढंग से सहायता करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेंगे। मैं विधेयक के प्रस्तुतकर्त्ता से अनुरोध करता हूं कि वह विधेयक को वापिस ले लें क्योंकि सदन एकमत है लेकिन विधेयक में कुछ दोष और कमियां हैं जो हमें ऐसे विधान को पारित करने से रोकता है। इस दृष्टिकोण से मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने के लिए दबाव न डालें तथा सदन में इस पर मत-विभाजन न करायें। जहां तक इस विधेयक के उद्देश्यों का सम्बन्ध हैं हम एकमत हैं। मैं स्वयं इस विधेयक की सराहना करता हूं परन्तु माननीय सदस्य से राष्ट्र के हित में विधेयक वापिस लेने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

डा० सी० एस० वर्मा (खगरिया) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस भावना से प्रेरित होकर मैं इस विधेयक को लाया हूं, वह इस देश की 80 प्रतिशत जनता की भावना है। हिन्दुस्तान के 80 प्रतिशत गरीबों की भावनाओं से यह प्रश्न जुड़ा हुआ है लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस सबजेक्ट को टाप-प्रायर्टी मिलनी

[श्री सी० एस० वर्मा]

चाहिये थी, उस सबजेक्ट को नहीं लिया गया। देश में अगर कोई समस्या है तो प्रथम समस्या बाढ़ की है, एग्रीकल्चर की है, किसानों की है। यह देश किसानों का देश है लेकिन हमारी सरकार को पिछले 40 वर्षों में किसानों के लिये जो करना चाहिये था, इस देश के लिये करना चाहिये था, वह नहीं किया।

हमारे मंत्री महोदय विधि का बहाना बनाते हैं, विधि का हवाला देते हैं, पर मैं चाहता हूं कि इस विधि में परिवर्तन होना चाहिये और किसी न किसी रूप में सरकार अपनी ओर से इस बिल को लाये ताकि बाढ़ को नियंत्रण में किया जा सके। हम स्वर्गीय डा० के० एल० राव की भावनाओं का आदर करते हैं और चाहते हैं कि उनकी जो प्लैनिंग थी कि गंगा के पानी को दक्षिण भारत में लाया जाये, उसको कार्यान्वित किया जाना चाहिये। आज गंगा का पानी, गण्डक और कोसी का पानी तीन-चौथाई समुद्र में चला जाता है। देश में एक ओर सूखा पड़ता है तो दूसरी ओर बाढ़ आती है। एक ओर अकाल पड़ता है तो दूसरी ओर पानी का जमाव हो जाता है हमारे मंत्री महोदय तो साउथ से आते हैं, शायद उन्हें बाढ़ का अनुभव नहीं होगा, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर अधिकांश नदियां उस क्षेत्र में मिलती हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी से भी कहा था कि कोई भी काम अगर आप उस क्षेत्र के लिये, नार्थ-ईस्ट जोन के लिये कर सकते हैं तो वह बाढ़ नियंत्रण का काम कर सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण के द्वारा हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में गति आयेगी, देश में खुशहाली आयेगी, कृषि बेस्ड उद्योग लगेंगे और इस प्रकार नार्थ-ईस्ट जोन का विकास होगा। आज नार्थ-ईस्ट जोन में बड़ा रिजेंटमेंट है। हमारे क्षेत्र से दिल्ली में एक लाख मजदूर आये हुए हैं। कलकत्ता में हमारे क्षेत्र के लाखों मजदूर हैं, असम में लाखों मजदूर हैं। इसका एक ही कारण बाढ़ है जो कि वहां के लोगों को मजबूर करती है कि वे अपने घर-बार और बच्चों को छोड़कर बाहर जायें। यदि आप उनकी तकलीफ को ध्यान से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार अपनी ओर से इस विधेयक को जरूर लायेगी। मैं मंत्री महोदय से पुनः गुजारिश करता हूं कि इस बिल को लाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप विश्वेश्वरैय्या रिपोर्ट देखें, डा० के० एल० राव की रिपोर्ट देखें या जितने भी कमीशन आपने बनाये हैं इरिगेशन कमीशन, और एग्रीकल्चर कमीशन, यह सारी रिपोर्ट फ्लड-कन्ट्रोल के फेवर में हैं। जल जो है, वह जीवन है और जल हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है और हमारा जल जो बर्बाद हो रहा है उसको अगर डा० के० एल० राव की रिपोर्ट के अनुसार गंगा, गण्डक के पानी को डैम बनाकर साउथ की ओर ले जा सकते हैं तो पूरा साउथ ग्रीन हो जायेगा और कृषि में रैवोल्यूशन आयेगा, जिससे हमारा देश खुशहाल होगा।

आपने सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी बनाई है, इसलिये फ्लड कन्ट्रोल अथारिटी बनाने में भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं समझता हूं कि यह पूरा सदन इस फ्लड कन्ट्रोल अथारिटी के साथ है। मैं यहां वोटिंग नहीं कराना चाहता लेकिन हिन्दुस्तान की जनता की जो भावना है, उसको देखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी और सरकार की ओर से इस बिल को यहां पर लायें ताकि इस देश के 80 प्रतिशत लोगों को राहत मिल सके। इन शब्दों के साथ समाप्त

करता हूं और मंत्री महोदय से पुनः आग्रह करता हूं कि अगले सेशन में आप इस बिल को अवश्य लाने की कृपा करें।

सभापति महोदय, चूंकि मंत्री महोदय ने इसको वापस लेने का आग्रह किया है और आश्वासन दिया है कि वे इस बिल को लाएंगे और फ्लड कन्ट्रोल करेंगे, इसलिए मैं सदन की अनुमति से इस बिल को विदड्रा करता हूं।

सभापति महोदय, चूंकि मंत्री महोदय ने इस बिल को वापिस लेने का आग्रह किया है और आश्वासन दिया है कि वे इस बिल को लायेंगे और फ्लड कंट्रोल करेंगे, इसलिए मैं सदन की अनुमति से इस बिल का विदड्रा करता हूं ?

[अनुवाद]

मैं बाढ़ नियन्त्रण के लिए एक भारतीय बाढ़ नियन्त्रण प्राधिकरण स्थापित करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाढ़ों को नियन्त्रण में रखने के लिए भारतीय बाढ़ नियन्त्रण प्राधिकरण स्थापित करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० सी० एस० वर्मा : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

5.00 म० प०

श्री एच० एन० नन्जे गौडा का

राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक

(धारा 2 में संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए श्री एच० एन० नन्जे गौडा द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार करेगी।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा (हसन) : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री एच० एन० नन्जे गौडा]

महोदय, मैं यह विधेयक बड़े नाजुक दौर में लाया हूं। मैंने नाजुक दौर इसलिए कहा क्योंकि देश में कुछ अलगाववादी ताकतें हैं जो देश की एकता और राष्ट्रीय अखण्डता के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं।

मुझे स्वतन्त्रता प्राप्ति के 40 वर्षों बाद यह विधेयक लाते समय प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा विशेष रूप से 40 वर्षों का समय राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करने की मूल अवधारणा पनपने के लिए बहुत अधिक होता है। हम अपने राष्ट्र-गान, राष्ट्रीय झंडे, संविधान राष्ट्रीय पक्षी तथा राष्ट्रीय पशु के प्रति श्रद्धा रखते हैं। चाहे यह हमारे विख्यात कवि तथा महान देशभक्त श्री रवींद्र नाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्र-गान 'जन-गण-मन·····' हो या अन्य देशभक्त एवं प्रेरणात्मक कवि श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित 'वंदे मातरम्' अथवा शांतिप्रिय राजा अशोक के चक्र वाला तिरंगा झंडा हो या सदा प्रेरणा देने वाला सारनाथ में शेर की आकृति वाला स्तम्भशीर्ष जिसे हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह माना है। हम इन सभी के प्रति श्रद्धा रखते हैं।

हमारे देश में अनेक धर्म भाषाएं, रीति-रिवाज तथा परम्परायें हैं। हमारी कोई ऐसी भाषा नहीं है जो हम सभी को एक सूत्र में बांध सके। हमारे इस प्रकार के कोई रीति-रिवाज भी नहीं हैं और ना ही हम सभी का एक धर्म है। केवल ये राष्ट्रीय प्रतीक ही हमारे राष्ट्र का गौरव हैं और हमें एक सूत्र में बांधते हैं। हम इन प्रतीकों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। हमारे राष्ट्र गौरव में इतिहास तथा भूगोल दोनों का ही योगदान है, जैसा कि कन्नड कवि डा० पुटप्पा ने ठीक ही कहा है।

"ओ दिव्य चेतना·· ···नी अनिकेतना।"

यह पंक्ति हमारे राष्ट्र गौरव के अर्थ की प्रतीक है। ऐसा ही हुआ है जब इन प्रतीकों का मानवीकरण करके इन्हें दैवी शक्ति के बाद माना गया है और कई बार ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये जाति धर्म और भाषा से पहले हैं। मैं इस माननीय सभा को 22 जुलाई, 1947 में संविधान सभा हमारे प्रथम प्रधानमन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय झंडे के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत करते हुए की गई निम्नलिखित टिप्पणी की याद दिलाता हूं :

> "मुझे भी याद है और इस सभा में अनेक व्यक्तियों को याद होगा कि हम इस झंडे को न केवल गर्व और उत्साह से देखते हैं, अपितु अपनी रंगों में एक झनझनाहट भी महसूस करते हैं, और यह भी कि जब हम कठिन समय से गुजर रहे थे, इस झंडे से हमें आगे बढ़ने का उत्साह प्राप्त होता था वे व्यक्ति जो आज उपस्थित नहीं हैं, हमारे अनेक साथी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनमें से कुछ ने मृत्यु तक इस झंडे को ऊंचा उठाए रखा और अपनी मृत्यु के समय इसे दूसरों को थमा दिया ताकि वे इसे ऊंचा उठाए रखें। इसलिए इस राष्ट्र-गौरव के पीछे स्वतंत्रता के लिए लोगों के संघर्ष के उतार-चढ़ाव प्रयत्न और असफलताएं और एक निश्चित विजय है, जिसे मैं इस संघर्ष की समाप्ति पर यह संकल्प प्रस्तुत करते हुए महसूस कर रहा हूं "

यहोदय, यह झंडा जो हमें बापू, पंडित जी, श्रीमती सरोजनी नायडु तथा श्रीमती इंदिरा नेहरू ने दिया है जिन्होंने यह झंडा संविधान सभा को प्रस्तुत किया। इस झंडे के बारे दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ डा० राधाकृष्णन ने कहा था कि यह "एक ऐसी शक्ति है जो धर्म का जीवन्त रूप है।" और यह हमारे लिए सब कुछ है।

देश उन पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों-बूढ़ों तथा समर्थ और असमर्थ लोगों को नहीं भूल सकता जिन्होंने इस झंडे को ऊपर उठाए रखा और पूरे देश में यह गाते रहे।

[हिन्दी]

तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा,

जान जाए तो जाए पर इसकी शान न जाने पाए।

[अनुवाद]

महोदय, शब्द गहरी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं और हमारे देशवासी इस झंडे को बहुत अपना मानते हैं। हमारा सबसे बड़ा राष्ट्र-गौरव हमारा झंडा है किन्तु अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं से जो कि इसके प्रति अनादर की शर्मनाक घटनायें हैं, देश के गर्व को ठेस पहुंची है।

मेरे विचार में यह उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा कि अन्य देशों में किस प्रकार आदर किया जाता है। मेरे विचार में संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्सविले स्कूल डिस्ट्रिक्ट बाम गोबाइटस मुकदमें में दिया गया निर्णय उद्धृत करना अनुपयुक्त न होगा। अधिकांश न्यायाधीशों की राय अर्थात् नौ में से आठ की राय बताते हुए जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने कहा कि धार्मिक स्वतन्त्रता से राजनीतिक अधिकार क्षेत्र बड़ा है, कम से कम तब तक, जब तक कि उसका प्रयोग धर्म को बढ़ाने अथवा उसे रोकने के लिए न किया गया हो।

उन्होंने कहा :

> "किसी राजनीतिक समाज में कुछ ऐसी बातों के होने मात्र से जो कि धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध हों, किसी नागरिक को राजनैतिक कर्तव्यों के निर्वाह से छुट्टी नहीं मिल जाती। राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है और न्यायालय को इसे मानना चाहिए कि झंडे को सलामी देना राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का एक प्रभावकारी तरीका है।"

इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं।

हाल की घटनाओं पर आते हुए मैं सभा का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं जो राष्ट्र-गान, जो कि हमारे राष्ट्र-गौरव का प्रतीक है के बारे में हुई। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए मुझे राष्ट्र-गान के विवादास्पद मामले को बढ़ावा नहीं चाहिए। किन्तु

[श्री एच० एन० नन्जे गौडा]

उच्चतम न्यायालय द्वारा केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यह फैसला दिए जाने पर कि राष्ट्र-गान सभी के लिए बाध्यकारी नहीं है, पूरे देश में चिंता तथा सनसनी फैल गई है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं इस मामले पर दोनों सदनों में भी विचार किया गया है। एक बात जो हमने नोट की है यह है कि हमारे देश में सभी लोगों ने चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित, शहरी हों, या ग्रामीण, राष्ट्र-गान के समय खड़े होकर उसे आदर देना सीखा है। इस प्रकार वे राष्ट्र-गौरव के प्रति सम्मान दर्शाते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अगले दिन से ही कोई दिन ऐसा नहीं आया जब स्कूलों ने अपना कार्य राष्ट्र-गान के बिना शुरू किया हो। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि यह प्रथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात् विश्वविद्यालय स्तर पर क्यों नहीं है? वहां ऐसा क्यों नहीं है। मेरे विचार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदेश जारी किए जाने चाहिए कि वे सभी विश्वविद्यालयों में यह परम्परा शुरू करने के लिए लिखें।

5.11 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्र-गान के साथ जुड़ी हुई पवित्रता के सम्बन्ध में मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका की एक और बात याद आती है जब एक चोर चोरी के इरादे से एक घर में घुसा, घर का स्वामी उसे लूटा हुआ सामान ले जाने से रोक न सका। जब वह सब कुछ उठाकर जाने लगा तो घर के स्वामी ने राष्ट्र-गान की टेप चला दी और चोर सारा सामान नीचे रखकर सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। घर के स्वामी ने फौरन उसे बांध दिया और पुलिस को बुला लिया।

महोदय, इस घटना में अमेरिका की न्यायपालिका का वास्तविक राष्ट्र चरित्र तथा देश भक्ति का दृष्टिकोण सामने आता है कि जब मामला न्यायालय में गया तो उन्होंने चोर को तो छोड़ दिया किन्तु घर के स्वामी को सजा दी गई। न्यायालय का यह विचार था कि घर के स्वामी ने राष्ट्र-गान की टेप का दुरुपयोग किया जबकि चोर ने उसके प्रति आदर दर्शाया। यह घटना यह दर्शाने के लिए कि एक राष्ट्र किस प्रकार राष्ट्र-गान का आदर करता है, एक उदाहरण है।

वर्तमान अधिनियम में सजा की अवधि बढ़ाने वाले खण्ड पर विचार करने का सुझाव देते हुए, मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर निम्नलिखित पहलू को ध्यान में रखते हुए विचार करें :

हमारे देश की युवा पीढ़ी को हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के पीछे जो विरासत है उसके बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए। केवल राष्ट्रीय प्रतीकों का उल्लेख करना ही काफी नहीं होगा और इससे हमारे भावी नागरिक इन प्रतीक के पीछे छिपे बलिदान अथवा संदेश को समझ नहीं पायेंगे। अत: केवल प्राइमरी स्तर तक इन प्रतीकों का केवल उल्लेख करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय गौरव विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा में पाठ्यक्रम का एक भाग होना चाहिए। अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को यह विषय पढ़ाने की सलाह देनी चाहिए।

मेरा यह सुझाव है कि संचार माध्यम जैसे कि समाचारपत्र, आल इण्डिया रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा लोगों को राष्ट्र-गौरव के सम्बन्ध में शिक्षा दी जानी चाहिए। मैं सभा का ध्यान एक बहुत छोटी सी किन्तु महत्वपूर्ण बात जिससे कि राष्ट्रगान में बाधा उत्पन्न होती है, की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, आपने देखा होगा कि सार्वजनिक सभाओं में जहां अति विशिष्ट व्यक्ति भाग ले रहे होते हैं वहां प्रेस फोटोग्राफर तथा कैमरामैन राष्ट्र-गान के समय फोटो ले रहे होते हैं। यद्यपि हम अपने कार्य के प्रति समर्पण की उनकी भावना को समझते हैं तथापि उन्हें राष्ट्र-गान का अनादर नहीं करना चाहिए।

जब राष्ट्र-गान हो रहा हो, उन्हें भी उसके प्रति आदर दर्शाना चाहिए। उसके बाद वे फोटो ले सकते हैं। मैंने ऐसा कई अवसरों पर देखा है।

जहां तक प्रभावकारी तन्त्र का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आदर सुनिश्चित करने के लिए कड़ी तथा सतर्क कार्यवाही की आवश्यकता है। इसमें संदेह नहीं कि सरकार ने हाल ही में समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को संप्रतीक और नाम का अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में चेतावनी दी है। यह काफी नहीं है।

पिछले माह बंगलौर में एक गणतंत्र दिवस समारोह था। सलामी गार्ड का निरीक्षण राज्यपाल द्वारा किया गया। उस समय जीप पर झंडा नीचे झुका हुआ था। ऐसी गलतियों से पता चलता है कि प्रभावी अधिकारी किस प्रकार लापरवाही बरतते हैं। मेरे विचार में वे इन प्रतीकों का आदर नहीं करते। उन्हें इनके प्रति श्रद्धा दर्शानी चाहिए।

मैंने एक नया खण्ड जोड़ा है जिसमें राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने वाले व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। वे लोग ऐसा क्यों करते हैं? यह सबसे अधिक दुखदायी बात है कि हमारे कुछ साथी, इस सभा में निर्वाचित प्रतिनिधि कुछ अन्य विधायक भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसा किया है। एक भूतपूर्व मुख्यमन्त्री ने संविधान के कुछ पृष्ठ फाड़ दिए। एक सदस्य ने गणतंत्र दिवस समारोहों का बहिष्कार करने को कहा। हमें अन्य व्यक्तियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। जब हमें अपने कर्तव्यों का ही पता नहीं, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय झंडे तथा संविधान का आदर करने की समझ नहीं तो हम आदर्श कैसे बन सकते हैं प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं?

अतः इस विधान का लाया जाना आवश्यक है ऐसे लोगों को मतदान करने, चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि राष्ट्र-गौरव के प्रति निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अनादर दर्शाया जाना एक गंभीर बात है। अतः उन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, जिन पर राष्ट्र को मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है ऐसा किए जाने पर कड़े दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।

अगर हम नहीं जानते कि राष्ट्रीय चिन्हों और राष्ट्रीय गौरव का सम्मान कैसे करना है तो हमारा क्या अधिकार है? जब तक·····**·····हमारे समाज में है, हमें विधानसभा या संसद में उनके प्रवेश पर रोक के लिए यह विधान लाना चाहिए।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री भूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सदस्य सभा के एक सदस्य के विरुद्ध यह कैसे कह सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा ।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : दूसरे दिन माननीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय चिन्ता का विषय है । उन्होंने भी महसूस किया कि राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से गाने के लिए संसद को एक कानून बनाना चाहिए ।

एक बात और है अन्य कई अधिनियम भी हैं जैसे नागरिक स्वतन्त्रता है और अस्पृश्यता अधिनियम हमने कई मामलों को देखा है जहां लोगों को इनका उल्लंघन करने पर सजा दी गई है ।

लेकिन इस अधिनियम के अधीन, यद्यपि कई अपराध किए गए, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें हमारे राष्ट्रीय गौरव का अपमान किया गया परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें ऐसे अपराधियों को सजा दी गई हो । यह बहुत निराशाजनक स्थिति है । मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिसने भी इस कानून को लागू करना है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्रीय सरकार या पुलिस हो, वह इस मामले में गंभीर नहीं हैं । मुझे संदेह है कि उनमें इनके प्रति कोई सम्मान की भावना है । यही समस्या है । अत: उन्हें इसे लापरवाही से मत लेने दीजिए क्योंकि हमारे राष्ट्रीय गौरव का अर्थ है एक करने वाली शक्ति जैसाकि मैंने कहा है हमारे समान रीति रिवाज, समान परम्पराएं, समान भाषाएं नहीं हैं, हमारी भिन्न-भिन्न भाषायें हैं आदि । हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारा राष्ट्र-गान, हमारे राष्ट्रीय झंडे के सिवाय हमें एकता में बांधने वाली और कोई शक्ति नहीं है ।

मन्त्री जी अन्त में कह सकते हैं कि यह संशोधन अपर्याप्त हो सकता है अब इस बारे में फैसला करना सरकार का काम है । लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे राष्ट्रीय गौरव की रक्षा हो सके और कोई भी हमारे राष्ट्रीय गौरव का अपमान न कर सके, कठोर कदम उठाने हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से अपने संशोधन का स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं ।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय इस संशोधनकारी विधेयक को प्रस्तुत करके इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता ने एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया है । इस बारे पिछले सत्र में पहले ही चर्चा हो चुकी है और सदन के सदस्यों की भावनाएं भी ज्ञात हैं और रिकार्ड में हैं । इसी प्रकार सरकार की प्रतिक्रिया भी रिकार्ड में है । यद्यपि इस विधेयक का इरादा बहुत अच्छा है किन्तु यह उस वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त है, जिसके लिए इसे प्रस्तुत किया गया है । माननीय सदस्य इस विधेयक द्वारा सजा को बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं । वह सजा को 3 वर्षों के बजाय पांच वर्ष कराना चाहते हैं और जुर्माने को 5000 रुपये निर्धारित कराना चाहते हैं । इसके बाद वह यह भी सुझाव देते हैं कि अगर यह अपराध दूसरी बार किया जाता है तो व्यक्ति को मतदान देने से या यहां तक कि स्थानीय निकायों के किसी पद पर बरकरार रहने से, विधान सभाओं या संसद या चुनावों में भाग लेने से भी वंचित किया जा सकता है ।

अब जहां तक इन अपराधों का सम्बन्ध है इसके दो भाग हैं। जहां तक मुख्य अधिनियम अर्थात् राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम का सम्बध है, इसमें केवल दो मुद्दों का उल्लेख है। प्रथम अगर कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय झंडा या भारत के संविधान या उसके किसी भाग का अपमान करता है, जलाता है, विकृत करता है विरुपित करता है या अपवित्र करता है, नष्ट करता है, ठोकर मारता है तो उसे सजा दी जायेगी। अब इस अपराध के लिए प्रस्तुतकर्त्ता का सुझाव है कि यह सजा तीन वर्षों के बजाय पांच वर्ष और 5000 रुपये का भी होना चाहिए। और मुख्य अधिनियम में जिस दूसरे अपराध उल्लेख है जो कोई भी जानबूझ कर राष्ट्र-गान को गाने से रोकता है राष्ट्र-गान गा रही सभा में बाधा उत्पन्न करता है तो उसको सजा दी जायेगी। यहां भी विधेयक का प्रस्तुतकर्त्ता सजा बढ़ाना चाहता है और जैसा कि मैंने कहा है इस दूसरी बार भी वह चाहता है कि इस अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति को मत देने के और राज्य विधान सभा में संसद में या स्थानीय निकाय में चुनकर जाने के अयोग्य ठहराया जाए।

अब जहां तक प्रथम अपराध जैसे कि झंडे या संविधान का जलाने, नष्ट करने या फाड़ने का सम्बन्ध है इसमें कोई कठिनाई नहीं है मुख्य अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान है और यह अच्छी बात है कि विधेयक का प्रस्तुतकर्त्ता इसके लिए सजा बढ़ाना चाहता है जिससे कि एक कठोर दृष्टि कोण अपनाया जा सके। पिछले महीनों में कई घटनायें घटी है, जिनमें संविधान को जलाया गया है और जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है उन सदस्यों को स्वयं अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराया गया है जिन्होंने संविधान को जलाया था।

झंडा जलाने की घटनायें भी हुई हैं और जहां तक मुझे याद है पिछले गणतन्त्र दिवस पर एक राज्य में आतंकवादियों और अन्य लोगों द्वारा कुछ जले हुए झंडे फहराये गये थे। अतः निस्संदेह ऐसी गतिविधियों के लिए सजा दी जानी चाहिए और अगर आवश्यक हो तो ऐसे लोगों को मताधिकार से, किसी पद को ग्रहण करने से या किसी चुनाव लड़ने से भी वंचित किया जा सकता है।

अब, जहां तक दूसरे अपराध अर्थात् भारतीय राष्ट्र गान को गाने से रोकने का संबंध है वह अधिनियम में मौजूद है, लेकिन मुख्य समस्या यह नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों को रोकता है बल्कि यह है कि कुछ लोगों ने इसे गाने से इन्कार किया है। केरल में मामला उठा है उसमें तीन बच्चों ने धर्म के आधार पर राष्ट्रगान गाने से इन्कार किया। वे "जेवाह विटनेस" में विश्वास रखते हैं जोकि इसाईयों का एक विश्व व्यापार सम्प्रदाय है। यह सम्प्रदाय किसी भी राष्ट्र-गान को गाने से इन्कार करता है। ये लोग न केवल इस देश में, बल्कि जहां कहीं भी वे रह रहे हैं वहां अन्य देशों में भी जैसे आस्ट्रेलिया इंग्लैंड, अमेरीका आदि में भी उन्होंने यही फैसला किया हुआ है। वे कहते हैं "हमारे अन्तकरण के अनुसार हम किसी भी झंडे को नमस्कार नहीं करते। हम राष्ट्र-गान नहीं गाते हैं।" और इसलिए जब यह बात हमारे देश में हुई तो केरल के एक स्कूल में, राष्ट्र-गान न गाने का यह मामला केरल उच्च न्यायालय में गया और इस संबंध में शिक्षा महानिदेशक के द्वारा दी गई सजा केरल उच्च न्यायालय ने अनुमोदन किया जिसके तहत उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था।

[श्री शरद दिघे]

अब जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया तो उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायलय के फैसले को रद्द कर दिया। अब वह मुख्य मुद्दा जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया यह है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस देश में किसी भी नागरिक को राष्ट्र-गान गाने पर मजबूर करे। उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय, जिसका कि मैं हवाला दे रहा हूं। पैरा 10 का उल्लेख 1986 के वोल्यूम, 3 सितम्बर बोल्यूम उच्चतम न्यायालय के मामले पृष्ठ 615 पर किया गया है और उसके फैसले का प्रासंगिक पैरा 10 है जो कि पृष्ठ 623 पर है तथा इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है :

> "जब राष्ट्र-गान गाया जा रहा होता है अगर उस समय कोई व्यक्ति सम्मान पूर्वक खड़ा हो जाता है लेकिन राष्ट्र गान नहीं गाता तो हम तुरन्त कह सकते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो उस व्यक्ति को राष्ट्र-गान गाने के लिए बाध्य करे।"

इसलिए जो कानून हमारे यहां है अर्थात राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1917 में केवल यही कहा गया है कि यदि कोई भी किसी व्यक्ति को राष्ट्र गान गाने से रोकता है या बाधा उत्पन्न करता है, तो यह केवल एक अपराध है। इसलिए प्रथमत: मुख्य कानून को इस तरह से संशोधित करना होगा, कि राष्ट्र-गान न गाना भी एक अपराध हो। यह किया जा सकता है या नहीं यह व्यवहार्य है या नहीं, इस पर विचार करना विधि मन्त्रालय का काम है। अत: मुख्य बात न केवल कठोर सजा का प्रावधान करना है बल्कि एक ऐसा कानून भी बनाना है जो कि इस देश के नागरिकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्र गान गाने के लिए मजबूर कर सके। तब अगर हम बुनियादी कर्तव्यों पर निर्भर रहते हैं जिनका अनुच्छेद 51 अ (क) में उल्लेख किया गया है, उसका भी इस फ़ैसले में उल्लेख किया गया है इसमें यह भी कहा गया है :

> "यह सच है कि संविधान का अनुच्छेद 51 अ (क) भारत के प्रत्येक नागरिक पर यह कर्तव्य डालता है कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र-ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।"

यह उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण है। इसलिए मुख्य समस्या यह है कि हमारे पास कोई स्पष्ट कानून नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें। उस विशेष मामले में केरल उच्च न्यायालय ने निदेशक, सार्वजनिक अनुदेश द्वारा जारी किए गए परिपत्रों पर भरोसा किया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये परिपत्र अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 25 के अधीन भी बुनियादी अधिकारों का हनन करते हैं। इसलिए केवल सजा बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए एक स्पष्ट कानून बनाने की आवश्यकता है और कानून इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 के अधीन भारत के नागरिकों की प्रदत्त बुनियादी अधिकारों का हनन न करे। पिछली चर्चा के समय हमें बताया गया था कि सरकार द्वारा इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया है और सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक पुनरीक्षा याचिका दायर की है। निस्संदेह उस पर विधि विभाग और सरकार को विचार करना है। लेकिन मैं

अभी भी महसूस करता हूं कि केवल एक पुनरीक्षा याचिका या आवेदन पत्र दायर करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इस संबंध में दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहने का साहस भी कर रहा हूं कि आपकी पुनरीक्षा याचिका या आवेदन पत्र सफल नहीं होंगे। इसलिए सरकार को उच्चतम न्यायालय के फैसले से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सभा के समक्ष एक विधेयक पेश करना चाहिए।

इस लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक का एक अच्छा उद्देश्य है और पिछली चर्चा में हमने राष्ट्र-गान पर पहले ही अपनी भावनायें व्यक्त की थीं। मैं सरकार से अपील करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके सरकार ये संशोधन करे और उच्चतम न्यायालय में दायर की गई पुनरीक्षा आवेदन पत्र पर निर्भर न रहे। इस स्थिति से उचित रूप से अन्ततः कानूनी ढंग से ही निपटा जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के आशय का समर्थन करता हूं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : अपने माननीय साथी श्री नन्जे गौडा द्वारा लाये गये इस विधेयक की भावना का मैं विशेष रूप से समर्थन करता हूं।

आज मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की याद आती है अर्थात् 45 वर्ष पहले जब मैंने बंगलौर में विद्यार्थी कांग्रेस का उद्घाटन करने और राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए अनुभवी सभा चतुर और इस सभा के वरिष्ठ सदस्य प्रो० एन० जी० रंगा को निमंत्रण दिया था। महोदय मुझे आज भी उनके शब्द याद हैं। उनके शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उन्होंने हमें इस ध्वज की रक्षा करने और आजाद भारत के प्रतीक इस ध्वज की रक्षा करने के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। यहां तक कि आज भी उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। सिर्फ जिस बात पर मुझे दुःख होता है वह यह है कि हमारे आजाद भारत की 40 वीं वर्ष गांठ के दौरान भी, हम इस तरह के मामले पर चर्चा कर रहे हैं। यह बड़े खेद की बात है कि यह मौलिक अनुशासन जिसकी नागरिकों से अपेक्षा होती है, काफी लोगों में नहीं पाया जाता। जब हम ऐसे विधेयक को अब भी पारित करते हैं तो दूसरे देश हमारे बारे में क्या सोचेंगे ? राष्ट्रीय गान गाने संबंधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से विशेष तौर से उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुये, इस तरह का विधान बनाना अनिवार्य हो गया है इस संबंध में मैं एक या दो सुझाव देना चाहता हूं। वास्तव में, श्री नन्जे गौडा ने भी यह सुझाव दिया है परन्तु जो एक अतिरिक्त सुझाव मैं देना चाहता हूं वह यह है कि इस संशोधन विधेयक में सरकार द्वारा एक संशोधन पेश किया जाना चाहिए कि भारत के राष्ट्र ध्वज से मिलता-जुलता कोई अन्य ध्वज नहीं होगा। विशेष तौर पर रंग बहुत भ्रामक है। मैं खुद एक कांग्रेसी था। हमारे देश के स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान इस ध्वज के लिए लड़ा हूं .....(व्यवधान)।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : हमारे देश के ध्वज का भी कुछ इतिहास है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं जानता हूं। कृपया मुझे सुनें। मैं स्वयं एक कांग्रेसी था। कृपया अपने दल को राष्ट्र के बराबर न मानें.....(व्यवधान)

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

अगर मैं यह कहता हूं तो इस में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कई बार मैंने देखा है कि जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराना होता है, वहां उसी रंग का दल का ध्वज फहराया जाता है। आप इस पर हैरान होंगे कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं। परन्तु तथ्य यह है कि हमारे देश में 65 प्रतिशत लोग अशिक्षित होने के कारण कई लोग राष्ट्रीय ध्वज और कांग्रेस (एस०) के ध्वज अथवा कांग्रेस (आई०) के ध्वज अथवा ऐसे ही ध्वज के बीच भेद नहीं कर सकते।.....(व्यवधान)

मैं उस दल का बहुत सम्मान करता हूं जिसने यह ध्वज अपना रखा है। निस्सन्देह, यह ध्वज राष्ट्रीय ध्वज से भिन्न है। मैं रंग की बात कर रहा हूं मैं सत्यनिष्ठा और नम्रता के साथ कहता हूं कि यह उचित समय है कि हम किसी भी दल को राष्ट्र-ध्वज के रंग का ध्वज अपनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिये.....(व्यवधान)।

निस्सन्देह, इनमें भिन्नता है। मुझे इस बात की जानकारी है कि किस तरह राष्ट्र-ध्वज के प्रश्न पर वहां वाद-विवाद हुआ था। मुझे यह भी पता है किस प्रकार राष्ट्रीय रंग का विकास किया गया था.....(व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : हमारे रंगों में परिवर्तन न करें।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : आप राष्ट्रीय ध्वज के साथ दल के ध्वज की बराबरी नहीं कर सकते। राष्ट्र दल से ऊपर है। मैं न तो मजाक कर रहा हूं और नहीं कोई निन्दा कर रहा हूं। शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे परन्तु हमारे कर्नाटक के मित्र मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वास्तव में मैं ऐसा महसूस करता हूं क्योंकि सिर्फ आपका दल ही ऐसा नहीं है जिसने उस रंग को अपना रखा है। यहां तक कि कांग्रेस (एस०) ने भी उस रंग का ध्वज अपना रखा है—परन्तु मैं यह नहीं जानता कि उसी रंग का ध्वज उन्होंने अब भी अपना रखा है या नहीं। इससे भ्रम उत्पन्न होता है।

हमारे देश में अधिकतर लोग अशिक्षित हैं। नई शिक्षा नीति में यह शामिल किया गया है कि राष्ट्र ध्वज राष्ट्र गान और भारत के संविधान का किस प्रकार सम्मान किया जाये। यह बहुत ही आवश्यक है ताकि हमारे युवा बच्चे सिर्फ यही नहीं जान सकें कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान कैसे किया जाये परन्तु वे ध्वज के महत्व को भी जान सकें। श्री नन्जे गौडा ने बतलाया है कि इस ध्वज का विकास कैसे हुआ। एक स्वतंत्रता सैनानी होने के नाते, मैं भी यह जानता हूं। हमारा ध्वज हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। यह हमारे देश की अखंडता और एकता का प्रतीक है और इससे अतिरिक्त प्रत्येक यह जानता है कि यह बलिदान, शुद्धता और ईमानदारी का प्रतीक है। यह सिर्फ एक कपड़े का ही टुकड़ा नहीं है। यह बहुत अधिक महत्व रखता है।

प्रत्येक व्यक्ति, विशेष तौर पर हमारे स्कूली बच्चों—सिर्फ माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल के बच्चे ही नहीं परन्तु कालेज के विद्यार्थियों को भी अनिवार्य रूप से राष्ट्र-ध्वज फहराने के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। प्रत्येक भारतीय नागरिक ने चाहे वह कहीं पर भी हो राष्ट्रीय ध्वज

को सलामी देनी चाहिए और उन्हें राष्ट्र गान गाना चाहिए। यह बहुत अनिवार्य है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह देखें कि यह कार्य अनिवार्य रूप से किया जाये।

प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। स्कूलों में प्रत्येक विद्यार्थी को यह सिखाय जाना चाहिए कि राष्ट्र-ध्वज का सम्मान कैसे किया जाये। उनको ध्वज के महत्व के बारे में और राष्ट्र गान का सम्मान कैसे किया जाये इस बारे में बताया जाना चाहिए।

जो कुछ मैंने कहना है उसका स्पष्ट रूप से नियमों में उल्लेख किया गया है और राष्ट्र ध्वज कब फहराया जाये इस बारे में सरकारी अधिसूचना समय-समय पर जारी की जाती है। हमने प्रत्येक अवसर पर, यहां तक कि हमारी साधारण बैठकों में भी राजनैतिक दल की बैठकों में नहीं परन्तु सार्वजनिक सभाओं में देखा है कि राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। सम्मेलनों में भी राष्ट्र-ध्वज फहराया जाता है। इस को रोका जाना चाहिए। निस्सन्देह, नियम स्पष्टतया यह कहते हैं कि दो अवसरों पर ही राष्ट्र ध्वज को फहराया जाना चाहिए। ऐसा स्पष्ट बताया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि मकानों पर राष्ट्र ध्वज को कहां, कैसे और कब फहराया जाना चाहिए। परन्तु इसका पालन नहीं किया जाता। इसकी उचित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से जनता को यह सिखाना चाहिए कि कब राष्ट्र ध्वज फहराया जाना चाहिए और उस समय हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए और राष्ट्र गान को कब गाया जाना चाहिए और उस समय हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। यह बहुत अनिवार्य है।

मैं समझता हूं कि अनजाने में लोग राष्ट्र ध्वज अथवा राष्ट्र गान के प्रति आदर व्यक्त नहीं करते हैं। हमें उनको माफ कर देना चाहिए। परन्तु अगर ऐसा जान बूझ कर किया जाता है तो अगर यह संशोधन अगर इतना कठोर नहीं है तो इसे अधिक कठोर बनाना चाहिए। श्री नन्जे गौडा ने विधेयक में कहा है—कि ऐसे व्यक्ति का मतदान का अधिकार चुनाव लड़ने का अधिकार इत्यादि को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए.....(व्यवधान)। यह बहुत ही अनिवार्य है अगर ऐसा जान बूझ कर किया जाता है तो यह सजा दी जानी चाहिए।

केरल में राष्ट्र गान के मामले में ऐसा जानबूझ कर किया गया था। वे जान बूझकर ऐसा कर रहे थे। इसके लिए बच्चे जिम्मेवार नहीं हैं। या तो संस्था या माता-पिता, कोई हो उत्तरदायी हैं ही। मतदान का अधिकार समाप्त करने की सिर्फ सख्त और कठोर सजा ही नहीं बल्कि कोई और अधिक सजा दी जानी चाहिए।

मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि श्री शरद दिघे ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आशय का अभी-अभी स्पष्टीकरण दिया है और निस्सन्देह, एक अच्छे अधिवक्ता होने के नाते श्री चिदम्बरम यह जानते हैं कि इस मामले में क्या किया जाये। कुछ करने के लिए यह उचित समय है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपना आदेश दे दिया है, हम नहीं जानते कि पुनर्विवेचन के दौरान क्या होगा। अन्यथा सरकार के लिए संशोधन लाने का यह उचित समय है। अगर अनिवार्य हो तो सरकार ने यह देखने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव लाना चाहिए कि किसी भी हालत में

राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और भारत के संविधान का अनादर नहीं किया जायेगा। इन शब्दों के साथ श्री नन्जे गौडा द्वारा पेश किये गये संशोधन विधेयक पर विचार और उसे पारित करने का मैं समर्थन करता हूं।

श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) ; इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिये जाने के लिये मैं आपका आभारी हूं मैं यह विधेयक लाने के लिए श्री नन्जे गौडा को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं जान बूझकर राष्ट्र गान को न गाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर पिछले साल में गर्मा-गर्म बहस हुई थी। सरकार ने उतनी ही चिन्ता जाहिर की थी और यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वह पुनरीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जायेगी। परन्तु, महोदय, राष्ट्रीय सम्मान के अनादर से संबंधित चाहे यह राष्ट्र-ध्वज का हो अथवा राष्ट्र गान को हो, सरकार के लिए यह उचित समय है कि वह इसके कानूनी पहलू पर नये सिरे से विचार करें।

महोदय, माननीय साथी श्री विधे ने निर्णय के कानूनी पहलुओं का विश्लेषण किया है और वर्तमान त्रुटि की तरफ भी ध्यान दिलाया कि आज तक राष्ट्र गान को गाना अनिवार्य बनाने के संबंध में कहीं भी कोई उपबंध नहीं है। इस प्रकार, इसको अनिवार्य बनाने वाला कानून नहीं है तो सजा देने वाला पक्ष भी तर्क संगत नहीं हो सकता है। महोदय, जिस संशोधन विधेयक पर अब चर्चा की जा रही है, इसमें सिर्फ सख्त से सख्त सजा का ही प्रावधान नहीं है बल्कि इसमें बढ़ी हुई सजा का भी प्रावधान है तीन वर्ष की बजाय अब बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिये हैं और अयोग्य घोषित करने वाले उपबंध के साथ-साथ 5000 रुपये के जमाने का प्रावधान है। जो कोई भी दूसरी बार गलती करता है उसको चुनाव लड़ने इत्यादि से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। यह बहुत अच्छा है, मैं विधेयक की भावना और इरादे से सहमत हूं। परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह भी ध्यान दिलाता है कि इस राष्ट्रीय गौरव अपमान विधेयक के संबंध में तीन गैर सरकारी सदस्यों ने विधेयक प्रस्तुत किये हैं। एक, सजा में वृद्धि करने का सुझाव दे रहा है, दूसरा विधेयक जो हमारे मित्र श्री शांता राम नायक ने पेश किया है, उसका संबंध स्कूल स्तर पर राष्ट्र गान को गाना अनिवार्य बनाने से है। हमारे बहुत देश भक्त मित्र की शाहबुद्दीन साहब ने भी एक दूसरा विधेयक पेश किया है। (व्यवधान) हम जानते हैं कि उनका विधेयक विषय और भावना की दृष्टि से अलग है। वह इस अधिनियम को समाप्त साधारण समुदाय तक जाना चाहते हैं, अर्थात् अनादर किये जाने पर समुदाय का अपमान किया जाना इत्यादि। परन्तु स्थिति यह कहती है कि हमने इस संबंध में कुछ करना चाहिए। आजादी के 40 वर्षों के बाद भी हमारे राष्ट्रीय चिन्हों जैसे राष्ट्र-ध्वज, राष्ट्र गान और संविधान भी के प्रति अनादर किये जाने के मामले बढ़ रहे हैं। हम कभी तो इसका ध्यान करते हैं और कभी नहीं करते। कभी-कभी ऐसा जान-बूझ कर किया जाता है और कभी बगैर जान-बूझ कर। परन्तु यह अज्ञानता से बाहर है। इसलिए दो बातें अनिवार्य हैं। एक तो यह है कि हमें जो अधिकतर अनपढ़ लोग हैं और इस बारे में नहीं जानते उनमें अधिक जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। जब कोई राज्याध्यक्ष किसी गांव में जाता है और एक आयोजन में भाग लेता है तो वहां पर काफी संख्या में अनपढ़ लोग जिनमें पुरुष, औरत और बच्चे भी होते हैं वहां जाते हैं और उनको राष्ट्र-गान, इसके

गाने के बारे में, और क्या यह अनिवार्य है, इत्यादि के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसके बाद जहां तक हमारी युवा पीढ़ी का संबंध है, हमने इसमें देश प्रेम की भावना भरनी होगी।

स्कूल पाठ्यक्रम में इस प्रकार का भी कुछ शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय चिन्हों पर पाठ होने चाहिए। वे हमारे राष्ट्र के गौरव हैं और उनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। राष्ट्रीय चिह्नों का सम्मान कैसे किया जाए, यह उनको पढ़ाया जाना चाहिए। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। राष्ट्रीय चिह्न बहुत ही पवित्र और अलंघनीय है। हमारा संविधान, हमारा राष्ट्रीय-ध्वज और हमारा राष्ट्र गान हमारे लिए बहुत पवित्र हैं। हम किसी भी परिस्थिति में इन राष्ट्रीय चिन्हों का कोई भी अपमान सहन नहीं कर सकते। राष्ट्र की भावना और आत्मा उनमें परिलक्षित होती है।

राष्ट्र गान केवल एक गाना नहीं है। यह गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है और इसमें राष्ट्र की अखण्डता का संदेश है। समाज और राष्ट्र के लिए इसका महत्व सर्वोच्च है और राष्ट्र गान में हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र का उल्लेख है। हमें अपना राष्ट्र गान गाते हुए गौरव अनुभव होता है।

पुन: राष्ट्रीय ध्वज को केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं समझना चाहिए। यह अनेक बातों का द्योतक है और स्वतन्त्रता के समय हुए बलिदानों को प्रतिबिम्बित करता है। अनेक बलिदान किए गए। अनेक विद्यार्थी, युवक यूनियन जैक को गिराने और इसके स्थान पर तिरंगा झण्डा फहराने की कोशिश में अंग्रेजों की गोली का शिकार हुए थे। उन्होंने अनेक आदमियों को मारा। यह देश भक्ति और क्रान्तिकारी ऐतिहासिक भूमिका से ओत-प्रोत है और हम इन चीजों का किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई अपमान सहन नहीं कर सकते।

अपमान करने के मामले बढ़ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि दोषियों को पकड़ने के लिए जो भी उपबन्ध हमारे पास हैं, वे पर्याप्त हैं। कई मामले में दोषियों को पकड़ने का प्रयत्न ही नहीं किया जाता। हम इसे गम्भीरता से नहीं लेते हैं। हाल ही में, तमिलनाडु में क्या हुआ ? हमारे संविधान को वे सम्मान नहीं करते। वे इसे विधान सभा स्थल पर फाड़ते हैं और निस्संदेह अयोग्य करार दिए गए हैं। कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

भूतपूर्व प्रिय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान मामूली चीजें नहीं हैं। वे देश को जोड़ते हैं और बांधकर रखते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ध्वज की महिमा की रक्षा जीवन की कीमत चुका कर भी की जानी चाहिए यही राष्ट्र गान के बारे में भी होना चाहिए। इस पहलू पर विस्तार से अध्ययन किया जाना चाहिए।

कानूनी पहलू से जांच-पड़ताल करने में कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो भारत के संविधान में भी संशोधन शीघ्रताशीघ्र किया जाना चाहिए। जब अवज्ञा और अपमान आदि जानबूझ कर किया जाये तो उसके लिए अवश्य ही कठोर दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए और इससे कैसे बचा जाए इस पर विचार किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री स्वयं एक वकील हैं। उन्हें अपने विभाग में इसकी जांच-पड़ताल करानी

[श्री बल्लभ पाणिग्रही]

चाहिए। समय की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें भी इस समय एक व्यापक विधान लाना चाहिए।

मैं इस संशोधन कारी विधेयक, इसकी भावना और इसके अभिप्राय से सहमत हूं, मैं महसूस करता हूं कि अभी भी बहुत सी बातें रह गई हैं।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि स्थिति की मांग को पूरा करने के लिए एक व्यापक विधेयक के साथ सभा में आएं जिसमें हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के प्रति आदर भाव तथा पवित्रता सुरक्षित हो जिससे किसी भी समय कोई भी इसके प्रति अपमान करने का साहस न कर सके।

* **डा० एस० जगत रक्षकन** (चेंगल पट्टू) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 1987 का समर्थन करता हूं। अनेक माननीय सदस्य हमारे राष्ट्र-गान और राष्ट्रीय ध्वज के ऐतिहासिक उद्भव के बारे में बता चुके हैं।

जहां तक राष्ट्रीय ध्वज का संबंध है, तमिलनाडु में इसका अत्यधिक महत्व है। तमिलनाडु में, माननीय गृह राज्य मंत्री की धर्म पत्नी के जन्म स्थान तिरुपुर में, एक महान देशभक्त पैदा हुआ। वह तिरुपुर कुम्तरन था जिसने खून की आखरी बूंद तक ध्वज की रक्षा की।

राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान हमारे सार्वभौम सत्ता के जीते जागते चिन्ह हैं। इनकी रक्षा महात्मा गांधी, भगत सिंह और अन्य देश भक्तों द्वारा देशभक्ति के जोश के साथ की गई।

मैं यह सोचकर कांप उठता हूं कि भारत में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि एक नाजुक बालक भी राष्ट्र-गान गाने से इन्कार करता है। मैं यह देखकर भयभीत हूं कि हम किस सीमा तक गिर गए हैं। कुछ शरारती तत्वों ने उस बालक के दिमाग में, भारत में पैदा हुआ, जिसका भारत में पालन-पोषण हुआ और जिसे किसी भी भारतीय नागरिक को मिले सभी अधिकार प्राप्त हैं, जहर भर दिया है। लेकिन उसे राष्ट्र-गान को गाने से मना करने का अधिकार निश्चित ही नहीं है। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ। इसलिए, इस मौके पर इस वैधानिक उपाय का हार्दिक स्वागत करता हूं।

राष्ट्रीय-ध्वज हमारे राष्ट्र और इसकी प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। हमें विदेशी राष्ट्रों का उदाहरण लेना चाहिए जहां सभी सार्वजनिक और सरकारी दफ्तरों में प्रत्येक सुबह राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है और उसके समक्ष सिर झुकाया जाता है।

तथापि भारत में विशेषकर तमिलनाडु में स्थिति विपरीत है। मैं पूर्ण निष्ठा से यह अपील करता हूं कि कम से कम सरकारी दफ्तरों में राष्ट्र-ध्वज प्रति दिन फहराया जाना चाहिए और उसके सामने सिर झुकाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय-ध्वज एक दलीय ध्वज नहीं है। यह सभी दलों

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की मान्यताओं से ऊपर है। प्रत्येक नागरिक के रक्त और दिमाग में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान होना चाहिए। मुझे डर है कि हम इस मूल शिक्षा को जनता में फैलाने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्य यह उपाय लाने को बाध्य हुए हैं।

मैं यह देखकर अत्यन्त दुखी हूं कि स्वतन्त्रता के 40 वर्षों बाद भी हम अपने राष्ट्रीय-ध्वज राष्ट्र-गान और संविधान का सम्मान करना नहीं सीखे हैं। इसके बदले हमने उनकी अवमानना शुरू कर दी है।

हाल ही में, तमिलनाडु में एक दुखद घटना हुई। संविधान की प्रतियां जलाई गई। द्रविड़ मुनेत्र कषगम् के भूत पूर्व मुख्य मंत्री सहित अनेक विधायकों ने संविधान की प्रतियां जलाई। लगभग 10 द्रविड़ मुनेत्र कषगम् के विधायकों ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी, संविधान की प्रतियां जलाई और उन सबको माननीय डा० एम० जी० रामचन्द्रन की सरकार ने विधान सभा से बर्खास्त कर दिया। यहां दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने निर्णय को अनुमोदित नहीं किया है। हमने द्रविड़ मुनेत्र कषगम् के सदस्यों को राजनैतिक कारणों से बर्खास्त नहीं किया है बल्कि इसलिए बर्खास्त किया है क्योंकि उन्होंने संविधान को जलने का घृणित अपराध किया है।

महोदय, विदेशी राष्ट्रों के मामले में, यह पूर्णत: एक अलग बात है। परसों मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि विदेशों में जो भी राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्र-गान का अपमान करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी मैं यह नहीं कहता कि हमें इस हद तक जाना चाहिए। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि विधेयक में सजा का सुझाव 5 वर्षों की सजा और 5000 रु० का जुर्माना पर्याप्त नहीं है। कठोरतम सजाएं दी जानी चाहिए। उन्हें लटकाने की जरूरत नहीं है लेकिन कम से कम इस देश से निर्वासित कर देना चाहिए।

6.00 म० प०

आपात काल की अवधि में, स्कूलों में बच्चों द्वारा राष्ट्र-गान गाया जाता था और सिनेमा घरों में भी राष्ट्र-गान गाया जाता था। मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्र सरकार और राज्यों के मंत्री और अधिकारी जिन समारोहों में उपस्थित होने हैं वहां राष्ट्र-गान अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। राष्ट्र-गान गाने का अर्थ कैसेट बजाना नहीं होता। राष्ट्र-गान कंठ से गाया जाना चाहिए। जब हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इस देश के एक महान कवि भारती की प्रतिमा का अनावरण किया तो उन्होंने वास्तव में स्वयं राष्ट्र-गान गाया इसी तरह उस समारोह में हमारे माननीय मुख्य मंत्री, डा एम० जी० रामचन्द्रन ने भी स्वयं राष्ट्र-गान गाया।

मैं इसलिए कहता हूं कि राष्ट्र-गान, राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान के प्रति किसी के प्रति किसी भी अपमान का अर्थ देश की एकता और अखण्डता को गुप्त रूप से तोड़-फोड़ का प्रयास करना है।

इन शब्दों के साथ मैं सम्मान करता हूं और उपाय का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 5 म० प० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होता है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात्, लोकसभा शनिवार, 28 फरवरी, 1987/9 फाल्गुन, 1908 (शक) के 5.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक ; सनलाईट प्रिंटर्स, दिल्ली-6